राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ४] तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र, १९६३ का १८ वां दिवस [संख्या १४

गुरुवार, दिनांक ५ सितम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक म. प. २.३३ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, देवस्थान, वित्त, पंचायत, उद्योग, खनिज, राजस्व, सहकारी एवं सामान्य प्रशासन–विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

कॉलेज में प्रवेश

४७५ **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) डूंगर कॉलेज, बीकानेर में कुल ऐसे कितने छात्र हैं जिनको कॉलेज में भर्ती कर लिया गया है, लेकिन वे पर्याप्त समय पर सूचना के अभाव में निर्धारित तिथि पर फीस जमा नहीं करा पाये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि कॉलिज के अधिकारियों द्वारा पर्याप्त समय पहले विद्यार्थियों को सूचित न करने से यह स्थिति हो गई है ?

(३) सरकार इस संबन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ताकि विद्यार्थियों का एक साल व्यर्थ न जाय।

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) डूंगर कॉलेज, बीकानेर में ऐसा एक भी छात्र नहीं है जिसे बिना फीस दिये कॉलेज में भर्ती कर लिया गया हो। हां, प्रवेश योग्य छात्रों को प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करने से पहले कक्षा में बैठने की अनुमति इसलिये अवश्य दे दी गई थी कि उनकी पढ़ाई तथा उपस्थिति में कोई क्षति न हो। यह अनुमति एक सुविधा मात्र थी, इसका अर्थ प्रवेश देना नहीं था जैसा कि स्पष्टतया सूचित कर दिया गया था।

(२) कॉलेज में प्रवेशार्थियों के आवेदन पत्रों का निरीक्षण कर प्रवेश पाने योग्य विद्यार्थियों की सूची समय समय पर सूचना पट पर लगा दी गई थी तथा उसी सूची में उनके साक्षात्कार करने व साक्षात्कार में सफल होने के उपरान्त शुल्क देने की तिथि भी अंकित कर दी गई थी। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को शुल्क

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

चुका देने वाला तिथि-पत्र भी दिया गया था। इस संबन्ध में दिनांक २५।४।६३, ५।७।६३, ६।७।६३, ११।७।६३, १३।७।६३, २३।७।६३, २७।७।६३ व ६।७।६३ को दिये गये सूचना पत्रों में प्रवेश साक्षात्कार व शुल्क आदि देने की अन्तिम तिथि स्पष्ट रूप से अंकित कर दी गई थी। प्रत्येक विद्यार्थी को शुल्क चुका देने के लिये पर्याप्त अवधि व सुविधा प्रदान की गई थी।

३. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के रजिस्ट्रार की सहमति से उन विद्यार्थियों को, जिनका साक्षात्कार आदि हो चुका था और जो केवल किसी अपरिहार्य कारण से दिनांक ७।८।६३ तक फीस जमा नहीं करा पाये थे २३ से २८ अगस्त तक सन्तोषजनक कारण प्रस्तुत करने पर शुल्क जमा कराने की सुविधा दे दी गई है। अब तक लगभग १५ छात्रों ने इस सुविधा का लाभ उठा लिया है। उक्त तिथियों में आशा है कि अब शेष छात्रों ने भी लाभ उठा लिया होगा।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि प्रारम्भ में फीस जमा कराने की तारीख ७ अगस्त रखी गई थी और उसके लिये नोटिस ६ तारीख को बोर्ड पर लगाया गया था और वह भी आधी रात को लगाया था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भीमसेन : इसी वजह से दिक्कत पैदा होती है। पचास विद्यार्थी ऐसे रहे जिन्होंने एडमिशन तो ले लिया, रेगुलर क्लास अटेन्ड करने लगे, लेकिन वे ७ अगस्त तक फीस जमा नहीं करा सके इस वजह से उनको कॉलेज से अलग करने का नोटिस दिया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रिन्सिपल ने उन लड़कों को खुद अपनी तरफ से बैठाने की इजाजत दी थी ताकि उनकी पढ़ाई में क्षति न हो। उस इजजात की मन्शा यह नहीं हो सकती है, साक्षात्कार किये बिना ही उनको एडमिशन मिल गया। केवल बैठने मात्र की इजजात से यह नहीं माना जा सकता कि उनका एडमिशन हो गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आखिरी तारीख फीस जमा कराने की कौन सी मुकर्रर की गई थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसा कि मैंने जवाब में निवेदन किया सूचना पट्ट पर साक्षात्कार की तारीख दे दी गई थी उसमें आखिरी तारीख फीस जमा किस दिन करानी थी वह भी अंकित कर दी गई थी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह तारीख क्या थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ७ अगस्त।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि यह सूचना ६ अगस्त को नोटिस बोर्ड पर लगायी गई थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को शुल्क चुका देने के लिए तिथि-पत्र भी दिया गया था; २५।४।६३, ५।७।६३, ६।७।६३, ११।७।६३, १३।७।६३, २३।७।६३, २७।७।६३ व ६।७।६३।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ५० छात्र बाकायदा कक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं

Page No.3

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

तो फिर क्या कारण है कि उनकी फीस ली जाकर उनको रेगुलराइज़ क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : रेगुलराइज़ करने का प्रश्न नहीं है। साक्षात्कार के बाद, जो योग्य हैं या नहीं, उसके बाद उनको लिया जायगा। उनको सिर्फ इसलिये बैठने दिया गया कि उनकी पढ़ाई खराब न हो। बैठने देने से यह मतलब नहीं कि उनको ले ही लिया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : साक्षात्कार के नियम किस प्रकार से लागू किये गये हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एडमिशन के नियम होते हैं कि इतने परसेन्ट मार्क्स होने चाहिये, उसके बाद भी साक्षात्कार का नियम है, यह सभी जगहों के लिये है; केवल डूंगर कॉलेज के लिये ही हो, ऐसी बात नहीं हैं। साधारण नियम हैं जो हर कॉलेज में अपनाये जाते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या सारे राजस्थान के लिये एक से ही नियम हैं, तो फिर बिना उनको जांचे ही प्रवेश पहले दे दिया जाता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हाइपोथेटिकल सवाल है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं बीकानेर का प्रश्न पूछ रहा हूं। आप साक्षात्कार की बात कर रहे हैं उतने परसेन्टेज से कम मार्क्स हैं तो उनको पहले ही नहीं लिया जाय। ६ अगस्त को आप नोटिस निकालते हैं कि सात अगस्त को जो फीस नहीं देगा उसको भर्ती नहीं किया जायगा। ६ तारीख को छुट्टी होने की वजह से लड़के फीस जमा कराने से महरूम रह गये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो क्लास में बैठने की सुविधा दी गई थी उसको प्रोवीज़नल एडमिशन मान लिया, वह प्रोवीज़नल एडमिशन नहीं था, सुविधा थी।

श्री अध्यक्ष : इसमें दो प्रश्न हैं; जिनको साक्षात्कार के बाद एडमिशन मिल गया और फीस जमा नहीं कराई। कुछ तो विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनका साक्षात्कार नहीं किया; जिनका एडमिशन नहीं हुआ वैसे विद्यार्थी भी होने चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दोनों किस्म के विद्यार्थी हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने क्लासेज़ अटेन्ड की और साक्षात्कार किया, यह समझ में आने वाली चीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : साक्षात्कार का नोटिस निकला है उनका साक्षात्कार ले लिया होगा उनको लेना या न लेना, यह भी हो गया होगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ६ तारीख को जो सूचना-पट पर नोटिस लगाया था उस दिन अवकाश था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बार बार लिखा हुआ है। साक्षात्कार की तारीख, फीस जमा कराने की तारीख सब उसमें बता दी

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

गई है । अब जो तारीखें बढ़ायी हैं उस समय मे सब ने फीस जमा करा दी है । प्रश्न हल हो गया है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह आखिरी तारीख ६ अगस्त की घोषित की गई जब कि हमेशा १५ अगस्त रखी जाती है । ६ अगस्त को बोर्ड पर लगाया, इस बार ७ अगस्त कर दी । तो इस तरह एडमिशन के लिये तारीखें घोषित करें तो महीने, डेढ़ महीने पहले तो घोषित किया करें ताकि कुछ समय तो मिले । यह तो नहीं कि कल जो फीस जमा करा देंगे उनका हो जायेगा और आज आप बोर्ड पर तारीख की घोषणा करते हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सुझाव सारगर्भित है । मैं इसको देख लूंगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उन ५० विद्यार्थियों का क्या होगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनका बिल्कुल ठीक हो गया । आपने सुना नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बहुत बहुत धन्यवाद ।

देवालयों के पुजारी

४७६. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या विविध में देवस्थानों के हेतु जो बजट रखा गया है उनमें देवालयों के पुजारियों को क्लास फोर्थ सर्वेन्ट लिखा गया है ? यदि हां, तो क्या इससे धार्मिक लोगों के हृदय को ठेस नहीं पहुंचती है ? क्या सरकार क्लास फोर्थ नाम हटाकर पुजारी लिखने पर विचार करेंगी ?

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार की संशोधित वेतन श्रृंखला में कम से कम सर्वेन्ट का वेतन ४५-१-७० हैं ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा क्लॉस फोर्थ कहलाने वाले पुजारियों को वेतन क्लॉस फोर्थ का भी नहीं मिल कर २५-१ ही मिलता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार में जो कम से कम वेतन देने का नियम उसके अनुसार १-६-६१ से इन पुजारियों को भी वही ४५-१-७० के हिसाब से देने का विचार हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मन्त्री, देवस्थान (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) देवस्थान विभाग में पुजारियों को तीन श्रेणी में विभाजित किया गया है, इनमें चार पुजारी ५०-३-८० व ४ पुजारी ४०-१-५० की ग्रेड में हैं जिनकी गणना क्लास थ्री में होकर सी. सी. ए. रूल्स के शिड्यूल थ्री में सम्मिलित है । बाकी अन्य पुजारी २५-१-३० की ग्रेड के हैं जिनकी गणना क्लॉस फोर (फोर्थ) में होकर सी. सी. ए. रूल्स के शिड्यूल फोर में सम्मिलित है । पुजारियों आदि को फोर्थ क्लॉस सर्वेन्ट मानने से कोई धार्मिक ठेस नहीं पहुंचनी चाहिये ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां । मगर अभी हाल ही में राज्य सरकार ने आदेश दिये हैं जिससे दिनांक १-६-६१ से इन पुजारियों को ४५-१-७० का वेतन मिलेगा ।

सरकारी सेवा में भर्ती एवं रिटायरमेंट की आयु

४७७. श्री रामकिशन (वैर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : .

(१) क्या सरकार यह महसूस करती है कि रिटायरमेन्ट की अवधि ५५ वर्ष से ५८ वर्ष तक की आयु बढ़ाने में नई भर्ती में आने वाले लोगों की हकतलफी हुई है ?

(२) क्या सरकार इसे उचित नही समझती कि रिटायरमैन्ट की अवधि के साथ साथ ही नई भर्ती के लिये भी २५ वर्ष से २८ वर्ष की आयु की जानी चाहिये ?

(३) क्या सरकार की जानकारी में है कि रिटायरमेन्ट की अवधि बढ़ जाने से २५ वर्ष की आयु वाले कितने ही लोग सरकारी सेवाओं के लिये ओवर एज होने से अयोग्य हो जायेंगे ?

(४) क्या सरकार नये लोगों को ओवर एज होने से बचाने के लिये सरकारी नौकरी के वास्ते २५ वर्ष से २८ वर्ष तक की अवधि बढ़ाने का इरादा रखती हैं ? यदि हां, तो कब से ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) रिटायरमेन्ट की अवधि बढ़ने से नई भर्ती में कमी होगी।

(२) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं।

(३) तीन साल के बाद सरकार भर्ती की आयु तीन साल बढ़ाने पर विचार करेगी।

(४) प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के पश्चात् यह प्रश्न अनावश्यक है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, आज के प्रश्न का तीन साल बाद में सरकार विचार करेगी, तो इससे तो यह होगा कि ३ साल तक तो नौकरी मिल नहीं सकेगी उसे और आज २५ वर्ष का हो गया है। तीन साल बाद जब आप २८ वर्ष के को लेते हैं तो तीन साल और बढ़ जावेंगे, तो वे तो महरूम रह जावेंगे । इसलिये यदि उम्र बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी घोषणा अभी करनी चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस वक्त २५ साल का है, और एक साल बाद में वह आवे तो आज के रूल के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा एक वर्ष का वह अधिक हुआ। २५ के बजाय २६ हो सकता है । दूसरे साल में २७ हो सकता है और तीसरे में २८ हो सकता है। इसलिये उसको एक ही साल में २५ के बजाय २८ कर देना न तो आवश्यक है न उचित ही।

श्री रामकिशन : इसमें तो यह होगा कि ५८ साल का जब आप कर रहे हैं तो नीचे भी जो ओवर एज वाले थे अब वे भी लाभ उठाने से वंचित क्यों रक्खे जावें ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी अगर घोषणा कर दें तो परिणाम इसका यह होगा कि ५५ से ५८ नहीं करते तब तो २८ साल की उम्र वाला एलिजिबल नहीं था। वह भी आज ही एलिजिबल हो जावेगा जब कि अपोइन्टमेंट्स को ऑपोचुंनिटी कम है, तो ऐसी सूरत में आज उसको २८ कर देना न आवश्यक है और न उचित ही हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : २५ से २६ तो हो सकता है। तो इस तरह से करिये ताकि साथ का साथ वैसा होता रहे।

Page No.6

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस साल तो सवाल खड़ा नहीं होता क्योंकि एक साल उनको ज्यादा रहने का सवाल खड़ा नहीं हुआ है ।

अब जो इस साल रिटायर नहीं हुआ इससे उसकी जगह दूसरे का अपोइन्टमेन्ट नहीं हो पाया उसकी वजह से रुकावट पैदा होती है इसलिये अगले वर्ष प्रारम्भ की आयु २६ वर्ष की रखी जावे तो वह बात तो ध्यान में रख सकते हैं और उस पर सरकार विचार भी कर रही है ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : नये अपोइन्टमेंट पर बैन लगा रखी है, उस पर भी विचार कर सकते हैं क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : जैसे मान लीजिये पचास आदमी रिटायर हुए और उनकी पचास ही नई पोस्टें क्रिएट हुई । अब आज अगर उम्र नहीं बढ़ती उनकी तो उनकी जगह पचास आदमी, जो रिटायर होने वाले के नीचे थे वे ऊपर चले जाते और उनकी जगह पचास आदमी, पच्चीस वर्ष की उम्र में नये आ जाते । तो जिस दिन रिटायरमेन्ट की डेट बढ़ा दी उस समय से ही नीचे की भी उम्र बढ़ाते हैं तो उनको लाभ मिल सकता हैं ; नहीं तो नहीं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो एक बहुत सिम्पल मैथेमैटिकल कैल्कुलेशन है । ५५ साल का हो गया होता तो रूल्स क्यों लागु होता । अगले साल उसका असर होगा । तो इस वर्ष के लिये तो अन्तर नहीं हुआ अभी। अगले साल जिनको ऑपोर्चुनिटी नहीं मिल पावेगी क्योंकि ५५ से ५८ कर दी गई है, इसलिये उनको भी अगले वर्ष ऑपोर्चुनिटी मिल सके तो अगले वर्ष २५ से २६ हो तो इस पर सरकार विचार कर रही हैं ।

केन्द्रीय यान्त्रिक कृषि फार्म द्वारा लिये गये तालाबों व कुओं का मुआवजा

४७८. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या तहसील पंचायत सूरतगढ़ को ३१-३-५८ को डिप्टी डायरेक्टर भाखरा कोलोनाइजेशन सूरतगढ़ द्वारा अमरपुरा जाटान श्योपुरा, कानपुरा व नानूवाली ढाणी के तालाब व कुओं का मुआवजा केन्द्रीय यान्त्रिक कृषि फार्म (Central Mechanised form) में आने का इन गांवों में वितरित करने के लिये दिया गया था ?

(२) यदि हां, तो कितना और क्या यह रुपया इन गांवों को मिल चुका है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : इसका उत्तर अभी नहीं आ सका इसलिये अगली टर्न पर रख दीजिए ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कब तक आ जावेगा ? लगातार तीन सत्र से यह प्रश्न पूछा जा रहा है ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ५८ की छप गई है और ५६ की चाहते थे सूचना, चूंकि ठीक छपा नहीं है इसलिये उत्तर टाइम पर नहीं आ सका ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय के पास ५६ का उत्तर है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : तो अध्यक्ष महोदय, उत्तर मौजूद है, फिर क्यों

(श्री मुरलीधर व्यास)

नहीं देते ? ऐसा लगता है, वे देना नहीं चाहते। जो '५८ में जमीन, तालाव, कुए आदि के मुआवजे का पैसा ले लिया जिनको पैसा दे दिया गया और प्रधान ने उनके खिलाफ पर पैसा ले लिया और पैसा लेकर गांव वालों को दिया नहीं और ५८ से लेकर आज दिन तक इतने साल हो गये। तो जिसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये इसके लिए उसको बचाने के लिये इस प्रश्न को रोका जा रहा है। जब ५८ में सरकार ने पैसा दे दिया और फिर जवाब नहीं मिलता तो जवाब क्यों नहीं मिलता ? आपने तो पैसा दे दिया। डरने की कौनसी बात हो गई ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने माननीय सदस्य से भी जानकारी कर ली थी। वे ५६ का ही जवाब चाहते हैं। अब अगर माननीय सदस्य ५८ की जानकारी चाहें तो मैं तैयार हूं।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : हो सकता है क्लैरिकल मिस्टेक हो गई हो। पर जिन गांवों को आपने मुआवजा दिया उनको वह मिला या नहीं मिला, इसकी जानकारी तो आप दे ही सकते थे, इसमें आपको क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो सारी तहसील के बारे में है। केवल प्रश्न इतना ही होता तो स्थिति यह नहीं होती।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

Order please ! Order !!

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : माननीय सदस्य को सारे प्रश्न के बारे में मालूम नहीं है। लेने-देने की बात नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मालूम था, इसलिये तो कहा है।

श्री अध्यक्ष : मालूम तो कई बातें हैं पर हर बात हर वक्त नहीं कही जा सकती।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत बड़े गबन का मामला है और प्रश्न इसलिये रोका जा रहा है कि इसमें कुछ प्रभावशाली व्यक्ति इन्वोल्व्ड है जिन्हें सरकार बचाना चाहती है। नहीं तो उनका चालान प्रस्तुत करने के कागज पूरे हो चुके हैं, इस मामले में डी. एस. पी. को भी लिख दिया है कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जावे।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर नेक्स्ट टर्न पर आ जावेगा।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जोर से तो आप बोल रहे हैं, पर स्वयं प्रश्नकर्त्ता से तो जानकारी लेकर बोलते।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रतापगढ़ मल्टीपर्पज हायर सैकन्डरी स्कूल का कॉलेज में परिवर्तन

४७६. **श्री हरलाल (प्रतापगढ़)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ में मल्टीपर्पज हायर सैकन्डरी स्कूल को कॉलेज बनाने की काफी समय से मांग चल रही है ?

(श्री हरलाल)

यदि हां, तो अब तक कॉलेज क्यों नहीं बनाया गया ?

(२) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ के सैकड़ों विद्यार्थी कॉलेज की कमी के कारण बाहर जाने को मजबूर हैं और इससे जनता में असन्तोष है ? राज्य सरकार कब तक लोगों की इस मांग को पूरा करने का विचार रखती है ?

(३) प्रतापगढ़ मल्टीपर्पज हायर सेकन्डरी स्कूल को कॉलेज बनाये जाने में क्या रुकावटें हैं ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) सरकार के पास इस विषय में कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

(२) सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

(३) संकटकालीन स्थिति के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में किसी भी स्थान में कोई नया कॉलेज बनाने की योजना नहीं है ।

पाली जिले में औद्योगिक संस्थान

४८०. श्री केसरीसिंह (पाली) : Will the Minister for Industries please state :—

1. What provision was or has been made for the four industrial Estates started in Pali District ?

2. How much expenditure has been incurred on each one of them ?

3. What progress has been made and what still remains to be done to complete the project and get them going in full swing as originally anticipated ?

4. How far has the non-availability of an adequate supply of water and power been responsible for the delayed progress ? Have any other factors been responsible also ?

5. What steps does the Government now intend to take to ensure full capacity production starting in these Estates ? And by what time ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) :

1. The information is given in column no. 3 of the enclosed statement.

2. The information is given in column no. 4 of the enclosed statement.

3. The information is given in columns nos. 5 & 6 of the enclosed statement.

4. Without water and power, progress of such schemes cannot be satisfactory is an admitted fact; paucity of funds etc. can be other factors.

5. The following steps have been taken to ensure full capacity production.

(i) Sumerpur—Execution of works relating to the supply of water and power to the Industrial Estates, Sumerpur is in progress.

(ii) Pali—Execution of works

Page No.9

(श्री चन्दनमल वैद)

relating to the supply of power to the Industrial Estate at Pali is in progress.

(b) Scheme for the works relating to the supply of water to the Industrial Estate, Pali is to be taken up shortly.

(iii) Falna & Rani (a) Schemes for supply of water to the assisted Industrial Estate at Falna & Rani are to be linked with the schemes of supply of water to the villages concerned The detailed schemes are at present being prepared by the Chief Engineer (Health).

(b) The proposal regarding extending Government guarantee to the Life Insurance Corporation to grant loan to the sponsors of the two assisted Estates is under examination of the Government.

(c) For power supply, the Chairman Rajasthan State Electicity Board has been referred to.

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री केसरीसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो आप फरमा रहे हैं कि पॉवर और वाटर की वजह से सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस नहीं हो सकी, इसको मान भी लें, लेकिन जो यह बताया कि स्टैप्स लिये जा रहे हैं तो ये कब तक ले लिये जायेंगे और कब तक पॉवर और वाटर सप्लाई हो सकेगा और काम सुचारू रूप से चल सकेगा। इसके लिए कोई स्कीम है ? मेरे ख्याल से तो आपके पास कोई प्रोग्राम और प्लानिंग नहीं है। ऐसा आपके पास प्लान है कि नहीं कि अमुक समय तक यह बिजली और पानी उपलब्ध करा देंगे ?

श्री चन्दनमल वैद : मैंने सारी स्टेजेज बता दी हैं कि किस इन्डस्ट्रियल एस्टेट के अन्दर किस स्टेज पर कौन सा काम हो रहा है। अब हर स्टेज का बताना कि फलां जगह फलां तारीख को पानी और बिजली आ जायेगी, यह सम्भव नहीं है। बिजली और पानी के उपलब्ध करने में और भी कई फैक्टर्स हैं, फण्ड्स की अवेलेबिलिटी है और दूसरे फैक्टर्स हैं; इसलिए कोई निश्चित डेट बताना सम्भव नहीं है। लेकिन किस किस स्टेज पर पॉवर के सिलसिले में या वाटर के सिलसिले में काम चल रहे हैं, वह मैं बता चुका हूं।

श्री केसरीसिंह : पाली इन्डस्ट्रियल एस्टेट के लिए आपने कहा कि एग्जीक्यूशन का वर्क प्रोग्रेस में है तो क्या काम हो रहा है, यह बताने की कृपा करें ?

What exactly is being done now ? अभी यह किस स्टेज पर है ?

श्री चन्दनमल वैद : एग्जेक्टली यह बताना बहुत मुश्किल है। खम्भे खड़े किये जा रहे हैं या लाइन लग रही है, बताना बहुत मुश्किल है।

श्री केसरीसिंह : चम्बल से बिजली आयेगी वही मिलेगी या कोई डीज़ल सेट लगाने का सरकार का विचार है।

श्री चन्दनमल वैद : जी हां। चम्बल की बिजली आने से पहले दूसरे सेट्स लगाकर बिजली देने की समस्या पर सरकार विचार कर रही है।

Page No.10

श्री केसरीसिंह : क्या यह सही है कि पाली के लिए १०० या ११० किलोवाट का एन्जिन आ रहा था और बीच में उसको डाइ-वर्ट कर दिया जिससे कि बिजली उपलब्ध हो सकती थी लेकिन अब नहीं हो रही है ?

श्री चन्दनमल वैद : यह मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन यह विचार किया जा रहा है कि पाली में हाइडल पॉवर आने के पहले थर्मल पॉवर के सिलसिले में कुछ प्रबंध किया जा सके ।

श्री केसरीसिंह : यह एश्योरेन्स दें कि इसकी आप जांच करवायेंगे कि एक डीजल सेट यहां आ रहा था, लेकिन उसको बीच में डाइवर्ट क्यों कर लिया गया ?

श्री चन्दनमल वैद : इसका तो पॉवर मिनिस्टर ही दे सकते हैं, मैं तो आपको सूचना ही दे सकता हूँ ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जिस समय आपने यह योजना बनाई उस समय सरकार की योजना के अनुसार किस साल में बिजली पहुंच जानी चाहिए थी ?

श्री चन्दनमल वैद : यह उस समय तय नहीं किया गया था ।

श्री भैरोंसिंह : यह तो तय था कि बिजली पहुंच जायेगी ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : इन्डस्ट्रियल एस्टेट चालू होने के साथ बिजली पहुंचेगी, इस प्रकार की मान्यता के आधार पर ही सरकार ने निर्णय लिया ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं समझा नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : जिस वर्ष में यह इन्ड-स्ट्रियल एस्टेट कम्प्लीट होगी उस समय तक बिजली पहुंच जायेगी, इसी मान्यता के आधार पर क्या यह सही है कि सरकार ने स्कीम ली थी ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां । ४ में से ३ के अन्दर बिजली पहुंच चुकी है और सुमेरपुर में लाइन लगाने का काम बाकी है । फालना में बिजली पहुंच चुकी है । पाली के शहर में लोड ज्यादा होने की वजह से जो पाली का ऑलरेडी पॉवर हाउस फंक्शन कर रहा है उससे इन्डस्ट्रियल एस्टेट में बिजली नहीं मिल रही है, इसलिए दूसरा ऑल्टर्नेटिव अरेन्जमेंट कर रहे हैं ।

श्री मोहनराज (बाली) : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि फालना और रानी की इन्डस्ट्रियल एस्टेट में मकान बन चुके और लोगों ने मशीनें लगा दी हैं, लेकिन जी०सी० शीट्स लोगों को नहीं मिलने की वजह से काम रुक रहा है और मशीनें खराब हो रही हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं इसका जवाब पहले का दे चुका हूं । २० टन जी० सी० शीट्स रानी और फालना को दे चुके हैं और ज्योंही हमको और मिलेंगी हम उनका ध्यान रखेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह ।

कॉमर्स-क्लासेज की मांग

४८१. **श्री गोविन्दसिंह** (कुम्भलगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री गोविन्दसिंह)

(१) क्या यह सही है कि आमेट हायर सैकन्डरी स्कूल में कॉमर्स क्लासेज़ नहीं हैं ?

(२) क्या यह सही है कि नवीं कक्षा में ७०–७५ विद्यार्थी हैं और उनमें से अधिकांश कॉमर्स लेना चाहते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि चार वर्षों से बराबर नगरवासी कॉमर्स विषय खोलने के लिए शिक्षा विभाग से निवेदन कर रहे हैं ?

(४) क्या यह सही है कि आमेट नगर में व्यापारियों की बड़ी मण्डी है और व्यापारी बच्चों को कामर्स पढ़ाना चाहते हैं ?

(५) क्या सरकार आमेट स्कूल में कॉमर्स विषय प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री शिक्षा, (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) यह ठीक है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आमेट में कॉमर्स कक्षायें नहीं हैं।

(२) जी हां। परन्तु फण्ड्स की कमी के कारण कॉमर्स नहीं खोली जा सकी।

(३) व (४) ऐसी कोई सूचना यहां प्राप्त नहीं हुई है।

(५) सन् १९६३–६४ में कॉमर्स विषय खोलने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

टौंक जिले में अभ्रक की खानें

४८२. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि टौंक जिले की निवाई व टौंक तहसीलों में बहुत मात्रा में भोडल (अभ्रक) की खानें हैं ? यदि हां तो कितनी खानें हैं और वे कब से चालू हैं ?

(२) क्या इन खानो में प्रचुर मात्रा में भोडल (अभ्रक) अच्छा पाया जाता है पर अब यह बहुत सालों से बन्द पड़ी हैं जिससे सरकार को बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर फिर से उनको चालू कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) इस समय टौंक जिले की तहसील टौंक में भोडल (अभ्रक) की दो खानें हैं और वे खनन पट्टे पर क्रमशः २७-१२-६२ और २४-७-६३ से चालू हैं।

(२) अभ्रक की क्वालिटी अच्छी न होने से ये खानें बन्द पड़ी हैं। इससे सरकार को कोई नुकसान नहीं है और इन खानों को सरकारी क्षेत्र में चलाने की कोई योजना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

जमानत की रकमें

४८३. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि लेबर ट्रांसपोर्ट ठेकेदार एवं कमीशन एजेन्टों द्वारा सिविल

Page No.12

(श्री भैरोंसिंह)

सप्लाइज विभाग में मे किये गये कार्यों के तथा उनके द्वारा जमा कराई गई जमानत की रकमों ग्रादि के भुगतान ग्रभी तक बाकी हैं ?

(२) क्या कुछ ठेकेदारों से एग्रीमेन्ट के ग्रलावा कार्य करवाया जाकर सर्टीफिकेट दिये गये ग्रौर उनका भी भुगतान नहीं किया गया ?

वित्तमंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) सिविल सप्लॉइज डिपार्टमेंट १६५६ में वाइन्ड-ग्रप कर दिया गया था, तब से लेबर ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स ग्रौर कमिशन एजेन्टों के जितने बिल ग्राये हैं उनका भुगतान किया जा चुका है ग्रौर जमानतों की रकमों के रिफण्ड के जितने क्लेम्स ग्राये हैं उनको निबटा दिया गया है । इस तरह का कोई मामला ग्रब पेन्डिंग नहीं है ।

(२) एग्रीमेन्ट के ग्रलावा काम करने का कोई सर्टीफिकेट किसी ठेकेदार को नहीं दिया गया, इसलिये भुगतान करने का सवाल ही नहीं उटता ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के पास इस प्रकार का कोई रेकॉर्ड है कि जिससे इसका वैरीफिकेशन किया जा सके कि वहां पर इतने लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिनका पेमेन्ट कर दिया ग्रौर इतने बाकी हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : जी नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : फिर ग्राप किस ग्राधार पर कह रहे हैं कि सबका भुगतान कर दिया गया ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने कहा कि जितने क्लेम्स ग्राये उन सबका भुगतान कर दिया गया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कुछ ने क्लेम किया है लेकिन यह लिखकर भेज दिया गया कि रेकॉर्ड ग्रवेलेबल नहीं है इसलिए वैरीफिकेशन नहीं किया जा सकता ?

श्री बालकृष्ण कौल : इस प्रश्न के बारे में मैं जानकारी कर लूंगा ।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल ।

तारबन्दी से मवेशियों की चराई में कठिनाई

४८४. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि जंगलात विभाग द्वारा कोटा नगर के ग्रासपास तारबंदी कर देने से मवेशियों की चराई के लिए कोई स्थान नहीं रहा है ?

(२) ग्रगर हां, तो राजस्व विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाया है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं, तारबन्दी हो जाने के पश्चात् मवेशियों की चराई की कोई समस्या नहीं है ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह बता सकते हैं कि कोटा नगर के ग्रासपास चराई के लिए व्यवस्था किन किन स्थानों की की गयी है ?

Page No.13

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Soil conservation is a very important item and...

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा प्रश्न यह था कि क्या तारबन्दी कर देने से चराई की जगह खत्म हो गयी है, आपने कहा नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोलोनाइजेशन एरिया में चरागाह छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा तो प्रश्न ही सीधा है कि क्या यह सत्य है कि जंगलात विभाग द्वारा कोटा नगर के आसपास तारबन्दी कर देने से मवेशियों की चराई के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उस एरिया के कोलोनाइजेशन एरिया में होने के कारण चारागाह का प्रश्न पैदा नहीं होता। जिस एरिया में आप चरागाह के लिए जमीन चाहते हैं वह कोलोनाइजेशन एरिया में है तो वहां चरागाह कायम नहीं हो सकते और कोटा नगर के कटान को रोकना बहुत जरूरी है और वह तब ही रोक सकते हैं जब कि तारबन्दी करके पेड़ लगायें। इसलिए भी जरूरी है कि कोटा को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि कटाने के लिए जो एरिया रखा गया है वह सारा का सारा रॉकी है, उसमें कटाई बिलकुल नहीं हो रही है और मवेशियों की चराई के लिए बल्कि वहां पर जगह है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सोइल कन्जर्वेशन डिपार्टमेन्ट ने इनवेस्टीगेशन करके और आवश्यक समझकर यह तारबन्दी की है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : फिर आपने चराई के लिए कौन से स्थान नियत किये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोलोनाइजेशन एरिया में चरागाह नहीं होते हैं और इसके अलावा जितनी भूमि चरागाह के काम में आ सकती है वह ज्यों की त्यों है, कुछ हिस्से को छोड़ कर जहां कटान को रोकना कई दृष्टि से आवश्यक है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप जानकारी तो कीजिए कि चराई के लिए कौन से स्थान नियत किये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य इन्सिस्ट करते हैं तो मैं जानकारी कर लूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो मैं माननीय मंत्री महोदय की सूचना के लिए बताना चाहता हूं कि कोटा नगर के केवल दक्षिण की ओर स्थान है जहां चराई का स्थान अब तक था लेकिन वहां ८ मील तक सारी जगह में तारबन्दी कर दी गयी है और कोटा नगर के जितने मवेशी हैं उनको ६-६ मील आना और जाना पड़ता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Stall feeding is the only alternative, दक्षिण में कोटा नगर दस-पन्द्रह मील तक एक्सपैन्ड हो रहा है और घास के लिए चरागाह चाहें तो बहुत मुश्किल होगा कोटा के लिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं फिर बता देना चाहता हूं कि डेवलपमेन्ट से चराई के,

Page No.14

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

क्षेत्र का कोई सम्बन्ध नहीं है। उस तरफ कोई डेवलपमेन्ट नहीं हो रहा है। जो भूरावास की तरफ रोड जाती है........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर नियमों के अन्तर्गत परमिसिबल हुआ तो जानकारी की जायेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : वहां पर सबसे ज्यादा समस्या आवारा पशुओं की है......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आवारा मवेशियों के लिए दूसरा स्थान है जहां वे भेजे जाते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : खुले फिर रहे हैं आपके कोटा में, मैं निश्चित तौर से कहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

विद्यार्थियों की हड़ताल

५८५. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने माह जुलाई, १९६३ में हड़ताल की थी ?

(२) यदि हां, तो इस हड़ताल के क्या कारण थे ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) हां, यह सही है कि चित्तौड़गढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने माह जुलाई १९६३ में दिनांक २२ व २३ को हड़ताल की थी।

(२) इस हड़ताल का मुख्य कारण यह था कि कुछ कम प्रतिशत अंक पाने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल सका था। कक्षा प्रथम वर्ष कला में एक और सैक्शन बिना अतिरिक्त खर्चा मांगे खोल दिया गया और इस प्रकार कॉलेज के प्रिन्सिपल अधिकतर विद्यार्थियों को प्रवेश दे सके। अनुत्तीर्ण छात्रों के प्रवेश के संबंध में श्री प्रिन्सिपल को अपने स्वयं के निश्चिय से प्रवेश देने को कहा गया और उन्होंने ऐसे कुछ विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया, परन्तु सबको नहीं।

(३ म. प.)

श्री अब्दुलजब्बार : क्या जो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं उनके लिए कॉलेज के दरवाजे बन्द हो जाते है, ऐसा कोई नियम है क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दरवाजे बन्द नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बन्द होते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मनफूलसिंह।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या राजस्थान प्रोपर का विद्यार्थी फैल हो जाने के बाद किसी भी शिक्षा संस्था में भर्ती नही हो सकता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्राइवेट एपियर हो जाते हैं, एक्स स्टूडेन्ट की तरह युनिवर्सिटी लेती है।

श्री अब्दुलजब्बार : जहां पर प्राइवेट पढ़ने की व्यवस्था नहीं है ऐसे विद्यार्थियों के लिए सरकार क्या विचार रखती है ?

Page No.15

श्री निरंजननाथ आचार्य : कोई उपाय नहीं है।

राजस्थान में पीपा-उद्योग

४८६. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) [श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) द्वारा पूछा गया]—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में पीपे बनाने का कोई उद्योग नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान में खाने के तेल के अलवर और भरतपुर जिलों में बहुत से कारखाने हैं और इन कारखानों को तेल भरने के लिए इन पीपों की बड़ी तादाद में जरूरत पड़ती है ?

(३) क्या यह सही है कि इन तेल उद्योगों को अपनी पीपों की आवश्यकता के लिए अधिकतर आगरा टीन मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी, आगरा पर निर्भर करना पड़ता है ?

(४) क्या यह सही है कि इस कम्पनी ने संकटकालीन स्थिति का दुरुपयोग करके ४ गैलन पीपे की कीमत १.६० रु० प्रति पीपे से २.६० प्रति पीपा कर दी है ?

(५) क्या यह सही है कि इन पीपों को बनाने के लिए भारत सरकार एस० डब्लू० जी० टिन शीट्स का कोटा कन्ट्रोल रेट पर देती है लेकिन बने हुए पीपों की कीमत पर कोई कन्ट्रोल नहीं है जिसके कारण पीपों के बनाने वाले इतने ऊंचे दाम चार्ज कर रहे हैं जिससे राजस्थान के तेल उद्योग को काफी नुकसान हो रहा है ?

(६) क्या सरकार इन पीपों की कीमत पर कन्ट्रोल करने के लिए भारत सरकार को मूव करेगी ?

(७) क्या सरकार राजस्थान के तेल के कारखानों के लिए एस० डब्लू० जी० टिन शीट्स का कोटा एलॉट कराने का प्रयास करेगी ?

(८) क्या सरकार राजस्थान में इस प्रकार पीपे मैन्युफेक्चर करने का उद्योग स्थापित करने का विचार करेगी ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): (१) जी, नहीं है।

(२) हां, यह सही है कि बहुत से तेल के कारखाने भरतपुर व अलवर में हैं। हां, पीपों की जरूरत पड़ती है।

(३) इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है।

(४) सरकार को कोई ऐसी सूचना नहीं मिली।

(५) यह सही है कि पीपों की रेट पर कोई कन्ट्रोल नहीं है।

(६) इस फिनिश्ड प्रोडक्ट की रेट निर्धारित करने का कोई नियम नहीं है।

(७) फेक्ट्री लग जाने पर कच्चे माल का कोटा दिलाने के लिए आयर्न एण्ड स्टील कन्ट्रोलर को सिफारिश की जावेगी।

(८) उद्योग विभाग में पीपे बनाने की स्कीमें स्वीकृत की गई है। फेक्ट्री लगाने पर इनको कच्चे माल का एलॉटमेंट किया जायेगा।

Page No.16

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न यह है कि प्रश्न (५) के बारे में आपने जो जवाब दिया है उसमें जो यह पूछा गया है कि एस० डबलू० जी० टिन शीट्स कन्ट्रोल रेट पर दी जाती है तो आपने नहीं कहा कि दी जाती है या नहीं।

श्री चन्दनमल वैद : मैंने जवाब प्रश्न (७) में दे दिया कि जो फैक्टरी लगाये उसको कच्चा माल दिलाने के लिए आयर्न और स्टील कन्ट्रोलर को सिफारिश की जायगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपने स्वयं स्वीकार किया है कि उनको एस० डबलू० जी. टिन शीट्स कन्ट्रोल रेट पर दी जाती हैं, तो फिर आपने जानकारी क्यों नहीं प्राप्त की कि वे पीपे किस रेट पर दिये जाते हैं। प्रश्न में स्पष्ट था कि वे ब्लैक के भाव में बिक रहे हैं।

श्री चन्दनमल वैद : दुःख है कि आपने उसको समझा नहीं। फिनिश्ड प्रोडक्ट की रेट निर्धारित करने का कोई नियम नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पीपा उद्योग के लिए कोई लाइसेन्स दिया गया है ?

श्री चन्दनमल वैद : दो स्कीमें हैं जिनको विभाग स्क्रुटिनाइज़ कर रहा है, सेन्क्शन होने के बाद कोटा एलॉट किया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि किसी एक व्यक्ति को इस सम्बन्ध में स्वीकृति पहले दे दी थी भरतपुर में कि वह पीपा उद्योग वहां पर प्रारम्भ कर दे।

श्री चन्दनमल वैद : भरतपुर से भी एक यूनिट के लिए एक दरख्वास्त आई है और उनको भी इसके बारे में एलॉटमेंट करने का विचार किया जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि कोटा सरकार ने पहले से फिक्स अप भी कर दिया था ?

श्री चन्दनमल वैद : जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि सरकार इस मामले में वहां पर फाईनल स्टेज पर पहुंच गई थी और अब कहती है कि उसको भी स्क्रूटिनाइज़ करेंगे तो दूसरों का तो कह सकते हैं, लेकिन जहां तक भरतपुर का सवाल है उनका मैटर फाइनेलाइज़ हो चुका था।

श्री चन्दनमल वैद : मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनको कोई कोटा एलॉट नहीं किया गया था।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या केवल एक ही दरख्वास्त आई थी ?

श्री चन्दनमल वैद : यह दूसरा प्रश्न है।

श्री रामकिशन (वैर) : क्या ऐसे नियम बने हुए हैं कि जिनकी तेल की फैक्टरी होगी उनको पीपे बनाने का लाइसेन्स दिया जायगा।

श्री चन्दनमल वैद : मैंने यह नहीं कहा है, मैंने यह कहा है कि जो फैक्टरी लगादेगा पीपे बनाने की उसको कोटा एलॉट किया जायगा।

Page No.17

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं आपकी जानकारी के लिए कहता हूं कि एक पौधे की कीमत १ रु. ६० न. पैसे पड़ती है, लेकिन वे २ रु. ६० न. पै. चार्ज करते हैं। क्या इसकी कभी जानकारी की है आपने ?

प्रश्न संख्या ४८७

श्री अध्यक्ष : श्री मनफूलसिंह ।

(अनुपस्थित)

लक्ष्मणगढ़ में सहकारी समितियां

४८८. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ़) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) लक्ष्मणगढ़ तहसील (अलवर) में कितनी सहकारी समितियां हैं ?

(२) क्या इन सबकी कार्यकारिणी के चुनाव हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो भविष्य में ये चुनाव कब तक हो जावेंगे ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : लक्ष्मणगढ़ तहसील (अलवर) में कुल १६५ सहकारी समितियां हैं।

(२) जी हां।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत पूछना चाहता हूं कि बादोल सहकारी समिति है, उसके ५ साल से चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए आप जो इन्फोर्मेशन दे रहे हैं वह गलत है।

श्री भीमसिंह : उसकी प्रथम कार्यकारिणी का चुनाव हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ५ साल से चुनाव नहीं हुए हैं।

श्री नत्थीसिंह : मेरी जानकारी ज्यादा है आपके बजाय; वहां ५ साल से चुनाव नहीं हुए हैं।

श्री भीमसिंह : उपनियम ऐसे हैं कि जब उनकी वार्षिक या सालाना मीटिंग होती है उसमें कार्यकारिणी का दुबारा चुनाव होता है। उसके पहले जो चुनाव हुए हैं वे चालू रहते हैं। पहले वाली कार्यकारिणी के चुनाव हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : तो इसका मतलब यह हुआ कि उनकी सालाना ५ साल से मीटिंग नहीं हुई ?

श्री भीमसिंह : मेम्बरों ने मीटिंग नहीं की होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री कुमारानन्द।

हिन्दी कक्षाओं की मांग

४८९. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : श्री [इन्द्रजीतसिंह (हनुमानगढ़) द्वारा पूछा गया] : Will the Education Minister be pleased to reply :—

Is the Government aware that there is a continuous public demand for starting post-graduate Hindi classes in S. D. P. College, Beawar ?

If so, does the Government intend to consider this demand favourably ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरञ्जननाथ आचार्य) : इस प्रकार की कोई मांग सरकार

Page No.18

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

को प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए विचार करने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह।

तालाबों की मरम्मत

४६०. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति बनेड़ा ने पंचायतों के अधीनस्थ ५१ तालाबों की मरम्मत के लिए सरकार से एक लाख रुपये २० साल के लिए उधार लेने की मांग की है? यदि हां, तो क्या यह रकम देने का सरकार इरादा रखती है?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : जी हां। गत वर्ष पंचायत समिति, बनेड़ा को सिंचाई विभाग से ५०,०००) रु० व विकास विभाग से २४,७५० रु०, कुल ७४,७५०) रु० लघु सिंचाई के लिये दिये गये हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने जो फीगर्स बताये हैं ५०,००० रु० गत वर्ष दिये गये हैं, तो गत वर्ष तो निकल गया। पंचायत समिति का प्रधान तो मैं हूं, लेकिन वे अभी तक पहुंचे नहीं, तो क्या कहीं कागजों में ही तो नहीं रह गये हैं?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : एलॉटमेंट तो हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर): लिफाफे में भेजे गये थे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर रहा हूं उसका कोई साफ जवाब नहीं है। क्या जो रुपया एलॉट हुआ है वह कागजों में ही हुआ है या पंचायत समिति तक पहुँच गया है? जो रुपया दिया जाता है वह पी० डी० की ऑथोरिटी में दिया जाता है, वह रुपया जमा होता है तभी जाकर ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : निश्चित जानकारी मेरे पास में नहीं। मैं निश्चित जानकारी करके माननीय सदस्य को दूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन मिलेगा कि, ५०,०००) रु० जो गये साल में एलॉट हुआ था और जो पी० डी० एकाउन्ट में जमा नहीं हो सका, तो क्या वह रुपया इस साल पंचायत समिति को मिल जायगा?

मुख्य-मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : आश्वासन तो नहीं दिया जा सकता है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : तो आप गलत सूचना दे रहे हैं कि ५०,०००) रु० का एलाटमेंट हो गया है और पंचायत समिति बनेड़ा को मिल गया है; लेकिन वह नहीं मिला है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी जानकारी करनी होगी कि आप जो कह रहे हैं वह सही है। इसमें क्या भ्रान्ति हुई है, क्या कारण पैदा हुए हैं, इसकी जानकारी करूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष, इसका प्रश्न यह है कि इस काम को

(श्री उतरावसिंह ढाबरिया)

करने के लिए, जो ५२ तालाब पंचायत समिति के अन्दर हैं उनका सर्वे कराने के लिए जो पंचायत समिति ने खर्चा किया है वह उनको मिलेगा या नहीं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह बताइये । यदि नहीं हुआ है तो दूसरी बात है, लेकिन एलॉट हुआ है वह रुपया उनको मिलेगा या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने जैसा कि निवेदन किया है कि ऐसा आश्वासन नहीं दे सकता, क्योंकि फीगर्स के अन्दर जो ६२-६३ में ७४,७५०) रु० की बात दी गई है, मैं समझता हूं कि वह हो सकती है कि वह सही न हो, इसलिए उसकी जानकारी करनी होगी कि किस कारण से यह रकम इसमें दिखाई गई है और उसकी जानकारी होने के बाद इसके बारे में कहा जा सकता है कि वह रकम क्यों नहीं दी जा सकी है ? क्या रिडक्शन बाद में हुआ एलाटमेंट होने के बाद । यह जो कुछ हुआ उसकी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है । अब एलॉट करते हैं और इस साल फण्ड्स का एलॉटमेंट करना है तो कितना है और सब जगह उसका विभाजन किस प्रकार से करना है, इसलिए पिछले साल का पैसा बाकी है तो वह दें या इस साल दें या दोनों का कमिटमेंट करें, तो मुश्किल बात हो सकती है । और इसी प्रकार दूसरी भी पंचायत समतियों को एमाउन्ट नहीं दिया जा सका है, पिछले वर्ष और कोई न कोई प्रबन्ध हो........

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : आपको जो जानकारी दी जाती है वह गलत दी जाती है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी यह नहीं कहा जा सकता है । मैंने कहा कि इसकी जानकारी प्राप्त कर ली जायगी कि ये जानकारी दे रहे हैं वह गलत है या मुझे जो जानकारी दी गई है वह गलत है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : गलत इसलिए नहीं है कि पैसा आता तो मेरे पास आता । वह गलत नहीं हो सकता क्योंकि मैं बराबर लिख रहा हूं, एक नहीं १० चिट्ठयां लिखीं । माननीय अध्यक्ष, एक ही प्रश्न है कि इस काम को करने के लिए ५२ तालाबों का सर्वे कराया गया और सर्वेयर रखे गये, और २५००) रु० का सर्वे का सामान खरीदा गया और कम से कम पंचायत समिति ने ५-६ हजार रुपये खर्च किये हैं, वे इस आश्वाशन पर खर्च किये हैं कि ५०,०००) तालाब तैयार कराने के लिए दे रहे हैं और पंचायत समिति ने इसी आधार पर खर्च किये हैं, तो वह सारा खर्च बेकार हो जायगा अगर रुपया नहीं मिला ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पंचायत समितियों से जितना सर्वे किया है उतना ही रुपया दे दिया जाय तो मैं समझता हूँ कि एक करोड़ रुपया चाहिए पंचायत समितियों के लिए ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह आपके द्वारा स्वीकृत राशि है ।

सवाई माधोपुर में नये स्कूल

४६१. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) जिला सवाई माधोपुर में कितने नये स्कूल खोले जा रहे हैं और कितने स्कूल खोले जा चुके हैं ?

Page No.20

(श्री श्रवणलाल)

(२) इनमें से कितने मिडिल व कितने हायर सैकण्डरी और अपर स्कूल खोले जा रहे हैं ?

(३) ये स्कूल जिले में कहां कहां पर खोले जा रहे हैं ?

उप-मन्त्री शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) सत्र ६३–६४ में राजकीय माध्यमिक शाला, मंडरेल को कनिष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित किया है , जिला सवाई माधोपुर के और किसी दूसरे स्कूलों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव निरीक्षणालय निरीक्षक, करौली से प्राप्त नहीं हुए ।

(२) व (३) इस वर्ष ६३–६४ में केवल ६ निम्न प्राथमिक शालाएं माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित की गई हैं :

१. प्राथमिक शाला, पिलोडा
२. ,, ,, रतनजिला
३. ,, ,, पीपलवाड़ा
४. ,, ,, मुन्डिया
५. ,, ,, लिवाली
६. ,, ,, बीनली

दूसरे स्कूलों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव निरीक्षणालय, निरीक्षक से प्राप्त नहीं हुए ।

श्री श्रवणलाल : प्रश्न १ सुनाई नहीं दिया, इसलिए मंत्री महोदय दुबारा जानकारी दें तो अच्छा होगा ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सत्र ६३-६४ में राजकीय माध्यमिक शाला, मंडरेल को कनिष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित किया है । जिला सवाई माधोपुर के और किसी दूसरे स्कूल को अपग्रेड करने का प्रस्ताव निरीक्षणालय निरीक्षक, करौली से प्राप्त नहीं हुए ।

श्री श्रवणलाल : स्कूल किस आधार पर खोले गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी ।

जैसलमेर में अइरन ओर का सर्वे

४६२. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम)** : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार की जानकारी में है कि जैसलमेर क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में आइरन ओर पाया जाता है ?

(२) सरकार ने इस संबन्ध में कोई सर्वे कराई है ?

(३) यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट क्या है ?

(४) यदि अभी तक नहीं कराई गई तो क्या सरकार शीघ्र इस दिशा में कदम उठाने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं ।

(२) आइरन ओर के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) जी नहीं ।

Page No.21

सोजत व जैतारण में सड़कें बनाने के लिये भूमि की आवाप्ति

४६३. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सोजत व जैतारण तहसीलों में सन् १९५२ से ६२ तक किन २ गांवों की कितनी कितनी खातेदारी भूमि सड़क बनाने के लिये किस किस साल में ली गई ?

(२) क्या उक्त भूमि का पटवारी हल्का नक्शे में तरमीम राजस्थान लैन्ड रेकॉर्डस रूल्स के अनुसार की गई व संबन्धित दूसरे रेकॉर्डस में जो इन्द्राज करने चाहिये थे किये ? यदि हां, तो कितने वर्षों बाद और नहीं तो क्यों ?

(३) क्या उक्त भूमि बाबत इन्सपेक्टर लैंड रेकॉर्डस, नायब तहसीलदार व तहसीलदार ने बरवक्त स्पोट चैकिंग के इस तरह लैंड रेकॉर्ड रूल्स का पालन किया या नहीं और उसका नोट दिया या नहीं ? क्या स्पोट चैकिंग के वक्त जो भी कोई मौके की शक्ल में परिवर्तन हो वह नियमानुसार दर्ज होना चाहिये । इस तरह जिस अधिकारियों ने नियमों का पालन नहीं किया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(४) प्रश्न नं० १ में बतायी गई भूमि का लगान कितने कितने वर्ष तक वसूल किया गया व कितना कितना व यह लगान कब से किसानों से वसूल नहीं किया जा रहा है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): तहसील सोजत में सन् १९५२ से ६२ तक जिन जिन ग्रामों की जितनी जितनी भूमि सड़क बनाने के लिये जिस जिस साल में ली गई उसका विवरण निम्नलिखित है :

१- शिवपुरा १'६ सं २०१६

(सम्बन्धित सूची के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष : यह लिस्ट रहने दीजिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तहसील जेतारण के चैनपुरा ग्राम में सन् १९५२ से ६ बीघा १७ बिस्वा भूमि सड़क बनाने के लिये ली गई है ।

(२) पटवारी रेकॉर्ड में जहां तक तरमीम करने का संबंध है उसके लिये आधार होना चाहिये, यानी इसके बारे में सूचना लैंड एक्वीजिशन ऑफिसर द्वारा प्राप्त होनी चाहिये या पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा भेजी जानी चाहिये । उनके यहां से यह सूचना प्राप्त होने पर कि अमुक अमुक ग्राम के अमुक नम्बरान में से कितना कितना रकबा वास्ते तामीर सड़क लिया गया है, कार्यवाही की जाती है । मगर मौजा सोयात से बगड़ी जाने वाली सड़क का इस प्रकार का कोई ब्योरा होना महकमा से प्राप्त नहीं हुआ है । ऐसी सूरत में रेकॉर्ड तरमीम नहीं किया गया । मौके अनुसार सम्वत् २०१८ में नक्शे में तरमीम करदी गई है ।

जिन ग्रामों में भूमि एक्वायर करने की इत्तला पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा आई उसी वर्ष में रेकॉर्ड में अमल बरामद किया गया । जिस वर्ष इस प्रकार की सूचना पी० डब्ल्यू० डी० से आती है उसी वर्ष से भूमि में एक्वायर करना माना जाता है । अगर किसी

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

ग्राम का संवत् पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा दर्ज कर दिया जाता है तो उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है जैसा कि ग्राम पाबूड़ा की इत्तला संवत् २०१७ में प्राप्त हुई, मगर उस तहरीर में संवत् २०१३ में भूमि लेना दर्ज किया गया था; अतः संवत् २०१३ से २०१६ तक रिफन्ड की कार्यवाही जारी है।

उपरोक्त भूमि ख० नं० २७१, ३०४, २८७, २८८, ३०१, ३०२, ३०३, ३०६, ३०६ में से सड़क के काम में ली गई है। जिसका नामान्तकरण बराबर पटवारी द्वारा रेकॉर्ड में तरमीम करा कर नक्शा में, गिरदावरी खसरा में इन्द्राज करा दिया गया। यह सब कार्यवाही संवत् २०१६ की साल में अमल दरामद कराया गया है।

(३) बरवक्त दौरा निरीक्षण भू अभिलेख, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, मौका पर लैंड रेकॉर्डस रूल्स के अनुसार पालन किया है। निरीक्षण भू अभिलेख जो शिवदयालसिंह के आदेश अवहेलना करने पर उसके खिलाफ कार्यवाही की जाकर नियमानुसार दण्ड दिया गया है। मोजा कामीवासग्रायल, अनन्तवासजी, सूरायता, थांकड़ी, बीनावास में सड़क का मौके पर पी० डब्ल्यू० डी० डिमार्केशन नहीं हुआ जिससे नक्शे में तरमीम नहीं हुई है।

श्री बालकिशन, आई. एल. आर., श्री चैनसिंह आई, एल. आर. व नायब तहसीलदार श्री विजयराज, श्री चन्डीदान, श्री भैरोंसिह, श्री देवकिशन, श्री गनपतराज, श्री फतहराज व श्री नरपतसिंह व तहसीलदार श्री हरनारायणसिंह, श्री गोविन्दसिंह, श्री नारायणदास, श्री रतनचंद, श्री श्रीगोपाल के समय रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं हुआ।

(४) प्रश्न नं० १ में जिस वर्ष भूमि लेना दर्ज किया गया है उसी वर्ष लगान वसूल नहीं किया गया है। ग्राम पाबूड़ा के रेकॉर्ड में दुरूस्ती लैंड एक्वीजिशन ऑफिसर का आदेश आया उसी वर्षों से दुरूस्ती की गई। अन्यथा जिन वर्षों का लगान नहीं लेना चाहिये था वसूल कर लिया गया है जिसको वापिस देने व एडजस्टमेन्ट की कार्यवाही जारी है।

प्रश्न १ में बताई गई भूमि का लगान ५·६५ के हिसाब से संवत् २०१२ से २०१६ की साल तक वसूल हुआ। अब २०२० की साल में नहीं किया जावेगा। जो लगान बिना कानून के वसूल किया गया उसे रिफन्ड किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न नं० २ के उत्तर में यह बताया कि भूमि का इन्द्राज तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि पी. डब्ल्यू. डी. वाले या लैंड एक्वीजीशन ऑफिसर तहसीलदार को नहीं लिखते। लेकिन मैं उनका ध्यान लैंड एक्वीजिशन एक्ट के नियम ५६ की तरफ दिलाऊँ जिसमें साफ है कि बरवक्त एक्वीजिशन नक्शे तरमीम किये जाने चाहिये। सं० २०१२ में यह सड़क बनी थी तो अब तक ये इन्द्राजात क्यों नहीं किये गये और लगान क्यों नहीं माफ किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लगान माफ करने का अधिकार पटवारी को नहीं है ?

Page No.23

श्री तेजाराम गहलोत : नक्शे में तरमीम क्यों नहीं की गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह समस्या कई जगहों से हमारे सामने आई तब केबिनेट के डिसीजन के बाद हिदायत की गई कि पटवारी और इन्सपेक्टर दौरे पर जायें। पी. डब्ल्यू. डी. के ताल्लुक की सड़क है तो उसकी रिपोर्ट तहसीलदार को करें और तहसीलदार पी. डब्ल्यू. डी. से या संबंधित विभागों से जानकारी करेंगे और रेन्ट रेमिशन के संबंध में कलेक्टर को रिक्वेस्ट करें। ये आदेश सरकार की ओर से प्रसारित कर दिये गये हैं और यह भी आदेश दे दिये हैं कि यदि भूल से ले भी लिया है लैंड रेवेन्यू और जमीन पब्लिक वर्क्स के लिये काम में आई है तो बकाया जमीन के आयन्दा लगान में एडजस्ट कर लें। ये आदेश स्पष्ट हैं। यदि हुक्म की अवहेलना की गई है तो जानकारी करके उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री तेजाराम गहलोत : बिलाड़ा से जैतसर सड़क की जमीन सन् ५४ में एक्वायर की गई थी और उसका अब तक नहीं हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये सब समस्याएं सरकार के सामने आई तभी सन् ६१ में निर्णय लिया गया और तभी से इस प्रगति की ओर ध्यान रख रहे हैं। कई जगह समस्या हल हो गई है और कहीं नहीं हुई है। कुछ मुद्दे उठाये हैं अमल दरामद नहीं होने के उसका जवाब दिया है।

श्री तेजाराम गहलोत : उसमें इस सड़क का हवाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इस सड़क का हवाला नहीं है इसीलिए तो आदेश दिया है कि किस तरह से इसको रेगुलराइज़ किया जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, सिद्धान्त का सवाल है। इन्द्राज नामुकम्मिल होते हैं तो क्या करते हैं ? जवाब-तलब करते हैं या कुछ कार्यवाही करते हैं या कुछ नहीं करते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सिद्धान्त का सवाल था, इसलिये सरकार ने फैसला करके आज्ञा प्रसारित की और उसकी तामील की प्रगति की ओर ध्यान रख सकते हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : संवत् २०१२ में यह जमीन ली है और आज संवत् २०२० है, अब तक इस बारे में कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ५१-५२ में जब समस्या सामने आई तभी से इस पर कार्यवाही चल रही है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सरकार के आॅर्डर के अनुसार रिफण्ड किया जायगा तो क्या सरकार उस पर इन्ट्रेस्ट देगी ? जिस तरह से गवर्नमेंट इन्ट्रेस्ट लेती है उसी तरह से उसको देना भी चाहिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह एडजस्टमेन्ट का सवाल है।

मिडल स्कूलों के हैडमास्टर

४६४. श्री मानिकचन्द सुराणा

Page No.24

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(कोलायत): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) राजस्थान के कितने मिडल स्कूलों में मैट्रिकुलेट हैडमास्टर हैं ?

(२) क्या यह योग्यता एक मिडल स्कूल के हैडमास्टर के लिये काफी है ?

(३) यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में क्या सोच रही है ? और अब तक क्या क्या सोचा है ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) अब तक की प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ८ माध्यमिक शालाओं में मैट्रिक्युलेट ट्रेण्ड प्रधानाध्यापक कार्य कर रहे हैं। ये काफी समय से हैं और अनुभवी हैं।

(२) कम से कम योग्यता इन्टर ट्रेन्ड होनी चाहिये ।

(३) माध्यमिक शाला में प्रधानाध्यापक की पोस्ट ट्रेन्ड ग्रेजुएट के स्तर की होती है। विभाग द्वारा ये आदेश जारी किये जा रहे हैं कि भविष्य में मैट्रिक्युलेट, प्रधानाध्यापक माध्यमिकशालाओं में नहीं लगाये जावें; जो इस समय कार्य कर रहे हैं उनकी जगह भी दूसरे योग्यता प्राप्त प्रधानाध्यापक लगाये जावें।

श्री मानिकचंद सुराणा : यह समस्या आपके ध्यान में कितने अर्से से है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कौन सी समस्या, ग्रेज्युएट होने की समस्या ?

श्री मानिकचंद सुराणा : आपके ध्यान में कब आया कि माध्यमिक शालाओं में मैट्रिक ट्रेन्ड हैडमास्टर लगाये गये हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ध्यान में तो कभी का था, लेकिन ये अनुभवी हैं और उनका काम ठीक चल रहा है, यह समझकर रखा था।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ) : अगर यह समझा कि वे अनुभवी हैं तो अब क्यों चैंज कर रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके कहने पर हमने नीति बनाई है कि इस जगह पर ट्रेन्ड ग्रेजुएट होना चाहिये।

श्री श्योपतसिंह : यह बात आपके ध्यान में कब से आई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कभी से थी।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिह

गर्ल्स स्कूल के लिये भवन

४६३. श्री गंगासिह (जायल) : Will the Education Minister please reply:—

1 What is the number of girl students in Nagaur Girls School ?

2. Is it a fact that girls School building has not got sufficient accommodation ?

3. Is the Government thinking to provide a proper girls school building in near future ?

Page No.25

उप मन्त्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : 1. There are 180 girl students in Government Girls High School, Nagaur.

2. Yes; there is no sufficient accommodation in the school building.

3 Looking to the financial stringency, it will not be possible to provide a new building for this school for the time being.

श्री गंगासिंह : कितने अर्से में यह अकोमोडेशन का काम पूरा किया जा सकता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह फाइनेंशियल स्ट्रिजेन्सी समाप्त होते ही हम प्रयत्न करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला ।

उदयपुर कलेक्टरी कार्यालय के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

४६६. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) उदयपुर के कलेक्टरी कार्यालय में इतने कितने कर्मचारी हैं जिनका स्थानान्तरण ५ वर्ष या उससे अधिक समय से नहीं हुआ है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) सरकार का स्थानान्तरण करने की अवधि का क्या नियम है तथा एक कर्मचारी कितने समय से अधिक एक ही स्थान पर नहीं रह सकता ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) उदयपुर के कलेक्टरी कार्यालय में ऐसे कर्मचारियों की संख्या जो ५ वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, ४२ है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों का २ साल से पहले स्थानान्तरण नहीं करने का नियम है । एक कर्मचारी अधिक से अधिक कितने समय तक एक स्थान पर रखा जा सकता है इस बारे में कोई नियम नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री विजयसिंह झाला : क्या सरकार इस प्रकार के नियम भविष्य में बनाना आवश्यक समझती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आवश्यक नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला : एक सरकारी कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा एक स्थान पर तीन साल तक रहे, क्योंकि इससे ज्यादा रहने में मोनोपोली हो जाती है, ऐसा नियम बनाने का विचार रखती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड पर कभी तब्दीली हो सकती हैं । तीन वर्ष से ज्यादा एक जगह न रहे, यह मेग्जिमम लिमिट प्रोवाइड करने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री विजयसिंह झाला : इससे ज्यादा एक कर्मचारी एक जगह रहता है तो मोनोपोली हो जाती है ।

Page No.26

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मोनोपोली का सवाल पैदा नहीं होता। तब्दीली करने के लिए सरकार बाध्य हो, ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता।

श्री विजयसिंह झाला : आप इस प्रकार का नियम बनाना क्या उचित नहीं समझते कि एक जगह एक कर्मचारी तीन साल से ज्यादा न रहे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी आवश्यकता नहीं है।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर) : क्या उदयपुर जिले के कई पटवारियों के लिए शिकायतें आई हैं कि जिन्हें पांच, छः और दस साल हो गये हैं। लेकिन उनका ट्रान्सफर नहीं किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उदयपुर जिले का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

रेडियो पार्टस का आयात

४६७. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि सन् १९६०-६१ में मेसर्स मुखी ट्रेडर्स, उदयपुर को रेडियो पार्टस के आयात करने के लिये लगभग ४८,००० रुपये का एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट दिया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि जिला तथा डिविजन स्तरीय उद्योग अधिकारियों ने इस कीमत के एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट के लिये सिफारिश नहीं की थी ? यदि हां, तो फिर एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट कैसे मिला ?

(३) उपरोक्त फर्म का क्या उद्योग है और उसका वार्षिक उत्पादन कितना है ? १९५९-६० व ६०-६१ के आंकड़े बताने की कृपा करें।

(४) यह इम्पोर्टेड माल राजस्थान में आया या नहीं ? यदि आया, तो इससे कितना उत्पादन हुआ ?

(५) क्या रेडियो पार्टस के आयात करने का एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट इस कीमत से अधिक का और किसी फर्म को मिला है ? यदि हां, तो किसको मिला है ?

उप मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): (१) जी हां, यह सही है।

(२) यह सही नहीं है। इस पार्टी को इ. सी. सहायक संचालक इन्डस्ट्रीज, उदयपुर की सिफारिश पर दिया गया था जो कि १,८०,००० रुपये की कीमत की इ. सी. देने को थी। लेकिन डाइरेक्टोरेट से ४८,००० रुपये की कीमत का इ. सी. दिया गया।

(३) उपरोक्त फर्म ने उत्पादन आरम्भ नहीं किया, अतएव १९५९-६० व १९६०-६१ के उत्पादन के आंकड़े बताये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(४) इस माल का आयात अभी नहीं किया गया है।

(५) जी हां, मेसर्स नन्दकिशोर सूरज-

(श्री चन्दनमल वैद)

मल, कोटा को ७५,००० रुपये की कीमत का इ. सी. दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनारायण छाछिया।

रेगिस्तान रोकने की योजना

४६८. **श्री शिवनारायण छाछिया** (सूरजगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) राजस्थान में रेगिस्तान को रोकने के लिये क्या योजना बनाई गई है ?

(२) इसमें अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई ? यह कार्य कहां पर शुरू किया गया और इसके परिणाम क्या निकले हैं ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा):अध्यक्ष महोदय, यह फारेस्ट डिपार्ट-मेंट के मुत्तलिक है; इसका जवाब अगले टर्न पर दिया जायगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आज्ञा हो तो में थोड़े ढंग से, अपर्याप्त ढंग से, उत्तर दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप हर चीज का हर समय जवाब दे सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : (१) राजस्थान के रेगिस्तान को रोकने के लिए बनाई गई स्कीम्स की सूची संलग्न है।

(२) इन योजनाओं पर अभी तक कुल ८८.६४ लाख रुपया खर्च हुआ है। इनका कार्य करीब करीब सभी जिलों में हुआ है और आज भी हो रहा है। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप कृषि भूमि की बरबादी कम हुई और मुदा संरक्षण से होने वाले सभी लाभ हो रहे हैं। इस विषय पर मरुभूमि अनुसंधान जोधपुर में हो रहा है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या यह सही है कि राजस्थान के सब जिलों में रेगिस्तान नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बिल्कुल सच है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : फिर इस तरह की योजना हर जिले के लिए बनाने से क्या मतलब ? आपने कहा, सभी जिलों में हुआ है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभी जिलों से मतलब, रेगिस्तान जहां है, उससे है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : केन्द्रीय सरकार की ओर से जो धन-राशि रखी गई है वह इसके साथ जुड़ी हुई है या अलग है ? केन्द्रीय सरकार ने रेगिस्तान रोकने के लिए जो योजना बनाई है उसका काम इसके अन्तर्गत चलता है या अलग चलता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इससे जुड़ी हुई है।

श्री मुरलीधर व्यास : तो कुल खर्च आपने बतलाया ८८ और ६४। ८८ और ६४ अलग अलग बताये हैं। इस ८८ का और ६४ का क्या मतलब है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ८८-६४, यह मतलब में नहीं समझ सका, अध्यक्ष महोदय । जैसा था, वह मैंने बता दिया। अध्यक्षीय पद का पहले आश्वासन ले लिया था । आपने एडजोर्नमेंट मांगा, मैंने कहा मैं उत्तर दे सकता हूं । मेरे ख्याल से ६४ मिस प्रिन्ट है, यह २८ है ।

श्री मुरलीधर व्यास : इस योजना के फलस्वरूप कितने वृक्ष लगाये और उनमें से कितने पनपे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी सूची नहीं है, लेकिन काफी वृक्ष लगे हैं ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या ये दरख्त जिन्दा हैं या मर गये ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलापत) : इस रेगिस्तान रोको अभियान में, क्या यह सच है कि सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्व सेन्टर की योजना के अन्दर पेडोक्स बनाने का कार्य किये जाने की बात थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कौनसा ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : पेडोक्स ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह इसमें आ जाता है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : राजस्थान में इसके तहत कितने पेडोक्स लगाने की योजना थी और कितने लगे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल अलग से है ।

(विराम)

श्री विजयपाल ।

हायर सैकन्डरी व मिडल स्कूल

४६६. **श्री विजयपाल कटारा** (डूंगरपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १९६३ में राज्य में कुल कितनी हायर सैकन्डरी स्कूलें व मिडल स्कूलें खोली गई हैं ?

(२) डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर में कितनी खोली गई हैं और यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री शिक्षा, (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) सन् १९६३ में राजस्थान में जितनी उच्चतर माध्यमिक शाला खोली गई हैं, उनकी सूची संलग्न है ।

(२) जिला डूंगरपुर में खोली गई शालाओं की सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री विजयपाल कटारा : क्या यह सही है कि पंचायत समिति और जिला परिषद की सिफारिश पर मिडिल स्कूल खोले जाते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दोनों की साथ साथ अगर सिफारिश होती है तो उस आधार पर खोले जाते हैं । एक ही सिफारिश हुई और दूसरे की नहीं हुई तो हम अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हैं ।

श्री विजयपाल कटारा : क्या माडा और भासोल में जो मिडल स्कूल खोले गये वे सिफारिशों के आधार पर खोले गये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कौन से स्कूल ?

श्री विजयपाल कटारा : माडा और भासोल में जो स्कूल खोले गये हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वे सिफारिश पर खोले गये हैं ।

श्री रामकिशन (वैर) : किसकी सिफारिश से खोले हैं, जिला परिषद की या निरीक्षक की ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिला प्रमुख अथवा निरीक्षक—अथवा दोनों की ।

श्री विजयपाल कटारा : मैं निवेदन करूंगा कि जिला परिषद माडा ने स्कूल की सिफारिश की थी, उसके आधार पर स्कूल नहीं खोला गया है । माडा में स्कूल खोलने का ऑर्डर दे दिया गया, माडा में स्कूल खोल दिया गया । लेकिन दो-तीन दिन के बाद वहां बन्द करके भासोल में खोल दिया गया । यह वन विभाग के मंत्री को खुश करने के लिए किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह बिल्कुल निराधार है कि वन मन्त्री महोदय को प्रसन्न करने के लिए खोला गया । प्रसन्न करने का नहीं, इसमें सिद्धान्त का प्रश्न है, बैकवर्ड एरिया के अन्दर खोलने का प्रश्न है ।

श्री विजयपाल कटारा : मैं निवेदन करूंगा कि भासोल के पास आदिवासियों के बीस स्कूल हैं, लेकिन वहां नहीं है और इसीलिए वहां पांच सौ लड़के घर बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि आप आदिवासियों का उत्थान कर रहे हैं ! मांडा में स्कूल देकर वापिस ले लिया ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप मानते हैं कि वन मंत्रीजी आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी उनका ख्याल ज्यादा नहीं रखा गया है और आपका ख्याल, आदिवासियों का ख्याल ज्यादा रखा गया है ।

श्री रामकिशन : मंत्री बनने के बाद उनकी जाति बदल गई है । आदिवासी नहीं रहे हैं ।

श्री विजयपाल कटारा : क्या सरकार आश्वासन दे सकती है कि माडा में स्कूल को प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप प्रयत्न करेंगे और जिला परिषद की सिफारिश पहुंचायेंगे और जिला निरीक्षक की भी, तो बराबर आश्वासन दिया जाना चाहिए ।

श्री विजयपाल कटारा : सिफारिश हो गई है और पचास हजार खर्च करके बिल्डिंग तैयार कर दी गई है । वहां पर लोग हड़ताल करने पर तुले हुए हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की चीज उन लोगों के साथ करके उनके साथ धोखा किया गया है । वह कम से कम........

श्री निरंजननाथ आचार्य : हड़ताल का प्रश्न पैदा नहीं होता । आपकी अनुपस्थिति में हड़ताल नहीं होगी ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) :

(श्री भैरोंसिंह)

यह प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय, पहले वहां स्कूल खोलने के आदेश दे दिये गये, स्कूल खुलवाया गया, लेकिन बाद में स्थगित करके दूसरी जगह कर दिया। इसमें कौनसा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि सरकार को अपना डिसीजन बदलना पड़ा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अलग से प्रश्न है। आदेश हुए, यह जानकारी में नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बाद में विश्वास दिला दूंगा कि यदि आदेश हुए तो किन परिस्थितियों में हुए ?

श्री विजयपाल कटारा : आदेश आपके दिये हुए हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे द्वारा आदेश नहीं होते हैं। यह अलग प्रश्न रहता है। आदेश मेरे द्वारा नहीं होते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : किसी बच्चे ने कर दिये होंगे दस्तखत।

श्री अध्यक्ष : श्री गणेशलाल पलिया।

मन्दिर के लिये भूमि

५००. श्री गणेशलाल पलिया (भदेसर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील राश्मी में माची कुन्डिया शिवजी के मन्दिर के लिये सरकार ने कितनी भूमि माफी में दे रखी है और कौन से सन्-सम्वत् से ?

(२) उसमें से कितनी भूमि में काश्त होती है व कितनी भूमि पड़त है ? यह भूमि किसके कब्जे में है ?

(३) क्या सरकार शिवजी की पूजा के लिये खर्चा तय कर यह माफी की जमीन को खालसे करना चाहती है ? अगर हां, तो कब तक ?

(४) क्या सरकार को ज्ञात है कि जो माफी की जमीन अन्य काश्तकारों के कब्जे में है उन काश्तकारों को पुजारी लोग बेदखल कर रहे हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

उप मंत्री, देवस्थान (श्री रामप्रसाद लड्ढा):(१) मातृ कुन्डिया शिवजी के मन्दिर के नाम पर १७२ बीघा माफी की जमीन रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। यह माफी की जमीन रियासत मेवाड़ द्वारा दी गई थी।

(२) उक्त जमीन में से १४०।।।) ३ बीघा जमीन में काश्त होती है। १५।।) ३ बीघा जमीन महादेव के पुजारीयों के पास है। १२५।) बीघा जमीन काश्तकारों के कब्जे में है। बाकी ३०) २ बीघा जमीन है। इसमें से से ६।।।) ३ बीघा जमीन पड़त है जो पुजारियों के ही कब्जे में है व २०) ४ बीघा जमीन पर आसामियों का कब्जा है।

(३) राज्य सरकार के आदेश दिनांक १–७–६३ से माफी की जमीन खालसा हो गई है।

(४) इस प्रकार की कोई शिकायत पेश नहीं हुई है। जानकारी की जा रही है।

प्रश्न संख्या ५०१

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

Page No.31

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

श्री नाथूलाल करोल ।

पंचायत समिति एवं स्कूल भवनों के लिये अवाप्त भूमि का मुआवजा

५८२. श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या पंचायत समिति निवाई व गर्ल्स मिडल स्कूल, निवाई के भवनों के निर्माणार्थ भूमि अवाप्त की गई है तथा उसका मुआवजा जमीन मालिकों को दिया जा चुका है ? अगर नहीं, तो क्यों और सरकार अब कब तक मुआवजा जमीन मालिकों को चुका देगी ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : पंचायत समिति, निवाई के लिये जो भूमि अवाप्त की गई थी उसका मुआवजा २६०७) रु० तीन काश्तकारों को दिया जा चुका है । गर्ल्स मिडिल स्कूल की भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया जा सका है । इसके बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री नाथूलाल करोल : यह भूमि कब अवाप्त की गई, कौनसी तारीख को ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मैं आपको बताता हूं, १८ हजार रुपये सेंक्शन हुए थे अक्टूबर, १९६२ में और यह जमीन कब ली गई, इसकी तिथि तो मेरे पास नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : यह जमीन खातेदारी की थी या और किसी की ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो एक्वायर कर ली गई है, तो फिर यह प्रश्न नहीं रहता ।

श्री नाथूलाल करोल : खातेदारों से लगान लिया जाता है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके लिये १८ हजार का मुआवजा देने का डिसीज़न हो चुका है । रुपया देना बाकी है ।

श्री नाथूलाल करोल : प्रश्न मेरा यह है कि खातेदारों से तहसीलदार अभी भी लगान वसूल कर रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक्वायर हो चुकी है, इसलिये लगान वसूल तो नहीं होना चाहिये ।

श्री नाथूलाल करोल : यह मुआवजे की रकम अभी तक क्यों नहीं दी गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सरकारी जांच करके ही रुपया दिया जाता है । अभी तक इसके स्थान का प्रश्न है कि आया यह स्थान लड़कियों की स्कूल के लिये ठीक है या नहीं । पहली मर्तबा यह देखा गया कि यह १८ हजार रुपया मुआवजा ज्यादा है, इसलिये नहीं दिया जा सका । बाद में यह तय हो गया है । दूसरी बात यह सोची गई कि यह साइट लड़कियों के स्कूल के लिये ठीक है या नहीं । तहसील खाली करके इसको वहां लगा दिया जावे, इस विचार में पड़ गये और इसलिये देर हुई ।

श्री नाथूराम करोल : अब कब तक मुआवजा दे दिया जावेगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम कोशिश कर रहे हैं (i) यह प्लेस लड़कियों की स्कूल के लिये अच्छी है या नहीं, वर्ना तहसील में इसको खाली करके रखा जावे......

श्री राधाकृष्ण गोयल (टौंक) : लैंड एक्वायर करने से पहले सरकार ने इस बात को नहीं सोचा कि यह साइट लड़कियों की स्कूल के लिए उचित है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जनता के विचार बदलते रहते हैं। कभी इसको बनाने का सुझाव आया । तो जनता के मानस को सोचना पड़ता है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या यह सही है कि जिसकी जमीन थी उसको जब तक मुआवजा नहीं दिया जाए उस जमीन पर खेती करने की इजाजत दी जावे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ८॥ हजार रुपया दे रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : जो जमीन आपने एक्वायर की है और मुआवजा नहीं दिया गया है जब तक इसका फैसला नहीं हो जावे तब तक खेती करने की इजाजत दी जावे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछ कर जवाब दिया जा सकता है, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं कि इसका तस्फिया जल्दी किया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री भीखाभाई ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगित प्रश्न आर.ए. एस. या आर. जे. एस श्रेणी की सर्विस में आये, उनका जन्म दिन मानने के संबंध में है ।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न का उत्तर और दे दीजिये ।

स्थगित प्रश्न

(२६-६-६३)

ऑफिसरों का जन्म दिन मानने का आधार

२८३. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) भूतपूर्व रियासतों से जो ऑफिसर आर. ए. एस. या आर. जे. एस. श्रेणी की सर्विस में आये उनका जन्म दिन किस आधार पर माना गया ?

(ख) क्या यह सही है कि कुछ ऑफिसरों का जन्म दिन हाई स्कूल सर्टिफिकेट के विपरीत सिविल लिस्ट की एन्ट्री के आधार पर माना गया तथा कुछ ऑफिसरों का जन्म-दिन लिस्ट की एन्ट्री के विपरीत हाई स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर माना गया ? दोनों तरह के जन्म-दिन वाले ऑफिसरों की सूची सदन के समक्ष रखें ।

(ग) इन ऑफिसरों के जन्म-दिन मानने का क्या नियम है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) भूतपूर्व रियासतों से जो ऑफिसर आर. ए. एस. में आये उनका वही जन्म दिन माना गया जो सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज था या सर्विस रिकॉर्ड में कोई जन्म दिन उपलब्ध न होने की सूरत में हाई स्कूल सर्टिफिकेट में दर्ज था । आर. जे. एस. के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

Page No.33

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(ख) आर. ए. एस. के बारे में प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इन नियमों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री विजयसिंह झाला : प्रश्न यह है कि आर. जे. एस. के बारे में अभी सूचना इकट्ठी की जा रही है तो क्या आर. ए. एस. और आर. जे. एस. के बारे में एक ही सूची हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आर. जे. एस. के बारे में हाई कोर्ट से अभी पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हुई है। जब तक जानकारी आए इस प्रश्न को पोस्टपोन करने के बजाय मैंने यह उचित समझा कि एक की ही जानकारी दे दी जावे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जो आर. ए. एस. ऑफिसर्स भूतपूर्व रियासतों से आये और बाद में सिलेक्शन में आई. ए. एस. बन गये, उन आई. ए. एस. की सर्विसेज के बारे में जानकारी देता हूं कि कई ऐसे केसेज हैं जिनमें डेट ऑफ बर्थ में चेन्जेज हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : आर. ए. एस. के बारे में कोई केस नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा आई. ए. एस. में हुआ है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऑर्डिनरी कोर्स में मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं हुआ है। अगर कोई स्पेसिफिक केस हो तो आप बता दें।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक जयपुर के एड-मिनिस्ट्रेटर हैं, उनके बारे में कहूंगा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में चेन्ज किया गया। बाकी आपको इस प्रकार के कई केस मिल जावेंगे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा प्रश्न २७७ रह गया है।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : ५०४ का प्रश्न है फर्टीलाइजर फैक्ट्री के संबन्ध में।

फर्टीलाइजर फैक्ट्री

५०४. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या निजी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में जिला गंगानगर में फर्टीलाइजर फैक्ट्री खोलने के लिये कोई निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो यह विषय किस स्टेज पर है ?

मुख्यमंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, फर्टीलाइजर फैक्ट्रीज के बारे में प्रश्न का उत्तर हमारे पास है। एक लाइ-सेन्स प्राइवेट सैक्टर में फर्टीलाइजर फैक्ट्री के लिये गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया द्वारा दिया गया। इसकी प्राइसेज में अभी तक उलझे हुए थे। अभी उसके रेलवे फ्रेट के सम्बन्ध में विवाद है, जब तक इसमें उसको उचित कन्से-शन नहीं दिया जाता है तो जो भी फैक्ट्री फर्टीलाइजर की तैयार होगी वहां फर्टीलाइजर ज्यादा मंहगा मिलेगा। इसलिये रेलवे बोर्ड में यह मामला कन्सीडर हो रहा है। उसका फैसला होने के बाद वह चालू होगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या २७७।

Page No.34

माफीदारों व जागीरदारों की जमासुदा रकम का भुगतान-तहसील सहाड़ा

२७७. **श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** (मांडल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा में पिछले वर्षों में माफीदारों व जागीरदारों की जमासुदा रकम का पेमेन्ट एक से ज्यादा मरतबा किया गया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार रकमों के भुगतान का सिलसिला वर्षों तक चला और उसमें एक के बाद दूसरे करीब ४ तहसीलदार के समय में चलता रहा ? क्या यह भी सही है कि सरकार को वहां के सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के बार बार जानकारी देने के करीब १ वर्ष बाद इसकी जांच की गई ? यदि हां, तो ऐसी शिकायत आने पर लापरवाही क्यों दिखाई गई ? क्या यह भी सही है कि इसकी विभागीय जांच हो गई है और जांच से कई व्यक्ति अपराधी पाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो जांच की रिपोर्ट मय फाइल के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि इतने बड़े गबन के काण्ड में सिर्फ अकाउन्ट्स क्लर्क ही सस्पेन्ड किया गया है ? यदि हां, तो इस मामले में ढिलाई क्यों हो रही है ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, जैसा कि उस समय तक हुई इन्क्वायरी से प्रकट होता है, गत कुछ वर्षों में कतिपय जमासुदा रकमों का चुकारा एक से अधिक बार होना पाया जाता है।

(२) जी हां, भुगतान तथा अधिकारियों का जहां तक प्रश्न है सही है किन्तु सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जानकारी दी जाना रेकॉर्ड से जाहिर नहीं होता। ऐसी दशा में लापरवाही का प्रश्न ही नहीं उठता। विभागीय जांच अभी तक जारी है। पूर्ण जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सभी अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जावेगी।

(३) इस समय तक एक ही नहीं अपितु दो कर्मचारी निलम्बित किये जा चुके हैं। चूंकि इस मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के उसमें होने का आभास होता है, अतएव देरी का कारण ढिलाई न होकर अधिकाधिक छानबीन द्वारा केस का सही सही पूरा पता लगाना है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं ने ६२ के मार्च में इत्तला दे दी थी कि लाखों रुपयों का गबन हुआ। एक दो मर्तबा पहले इत्तला दे चुके हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेरे पास जानकारी है कि एक तहसीलदार और दूसरे आदमियों ने इत्तला दी उसके आधार पर हमने कार्यवाही की।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सूची हमें नहीं दी गई।

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान कैनाल क्षेत्र में भूमिहीन किसानों के प्रार्थना-पत्र

१. श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राजस्थान कैनाल क्षेत्र में बसने हेतु अब तक कुल कितने भूमिहीन किसानों की दर्ख्वास्तें आ चुकी हैं ?

(२) सरकार उनके बसाने के बारे में कब तक फैसला लेगी और उनको एक परिवार के पीछे कितनी भूमि दी जायेगी ?

उत्तर

(१) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में भूमि प्राप्त करने हेतु, जून, १६६३ तक ४५,५४१ भूमिहीन किसानों की दर्ख्वास्तें प्राप्त हो चुकी हैं।

(२) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में भूमि आवंटन सम्बन्धी नियम अभी विचाराधीन हैं। नियम बन चुकने पर ही यह कहा जा सकता है कि एक परिवार के पीछे कितनी भूमि दी जा सकेगी।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, १६५५ के अधीन आदेश

२. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

आवश्यक वस्तु अधिनियम, १६५५ की धारा ३ के अधीन राज्य सरकार ने कौन कौन से आदेश अभी तक जारी किये हैं ? इनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

आज-कल वस्तु अधिनियम, १६५५ की धारा ३ के अधीन राज्य सरकार ने निम्न आदेश जारी किये हैं जिनकी प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं :-

१-राजस्थान फैडरेशन डीलर्स लाइसेन्सिग ऑर्डर, १६५८।

२-राजस्थान कैरोसिन (डिस्ट्रीब्यूशन सेल व प्राईस कन्ट्रोल) ऑर्डर, १६६३।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

झुन्झुनू जिले में गोचर भूमि

३. श्री रामानन्द अग्रवाल, (अलवर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि झुन्झनू जिले में कुछ गोचर भूमि आबादी में दबा ली गई है या खेतों में मिला ली गई है ?

(२) क्या सरकार ने इस जमीन को वापिस लेने के लिए कोई कदम उठाये हैं ? अगर हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

१. जी हां।

२. जी हां ! ऐसी जमीन को वापिस लेने के लिये संबंधित तहसीलों द्वारा राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ६१ के तहत नोटिस दिये जाकर बेदखली की

(राजस्व मंत्री)

कार्यवाही की जा रही है। कुछ जमीन वापिस भी ले ली गई है।

राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता

४. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में ऐसी कुल कितनी शिक्षण संस्थायें हैं जिनको सरकार अपनी ओर से सहायता देती है ? उन संस्थाओं के नाम व उनको मिलने वाली सहायता (ग्रान्ट्स) बतलाने की कृपा करें।

उत्तर

सूची प्रस्तुत है।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान पुस्तकालय में रखी गई)

सन् १६५० से स्थापित गृह उद्योग इत्यादि

५. श्री भीमसेन, (लूनकरणसर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १६५० से आज तक कुल कितने २ गृह उद्योग, स्मॉल, मीडियम तथा लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज कायम हुई हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

(२) उपरोक्त उद्योगों के लिये प्रत्येक श्रेणी के उद्योगों को दी गई राजकीय सहायता अथवा ऋण गारंटी का ब्योरा भी जिलेवार देने का कष्ट करें ?

उत्तर

(१) उद्योग विभाग द्वारा अभी तक ३०३३ उद्योग स्मॉल तथा मीडियम इंडस्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन हुआ है। सूची तैयार होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

१६५० के उपरान्त कायम हुए वृहत्त उद्योगों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। परिशिष्ट 'ए'।

(२) सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

धौलपुर में फर्मों को दिया जाने वाला कोयला, टीन, लोहे व पीतल का कोटा

६. श्री रामकिशन (वैर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या धौलपुर में किन्हीं फर्मों को कोयला, टीन, लोहा, पीतल का कोटा दिया जाता है ?

(२) यदि हां, तो किस किस फर्म को किस किस चीज का कितना कितना कोटा किस किस काम के लिये दिया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No.37

उत्तर

१. जी हां। इसकी सूची संलग्न है।

२. उपरोक्त सूची में यह भी विवरण दे दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिए)

नमक उत्पादन हेतु लीज अथवा कोन्ट्रेक्ट देने विषयक

७. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) नमक उत्पादन के लिये लीज अथवा कोनट्रेक्ट देने के क्या नियम हैं ? कृपया उन नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) सन् ६१–६२ तथा ६२–६३ व ६३–६४ में अब तक किन किन व्यक्तियों अथवा समितियों को कब कब किस किस और कितने कितने क्षेत्र का कितने कितने समय के लिये कहां कहां लीज दिया गया और उनकी प्रत्येक की लीज मनी क्या क्या निर्धारित की गई ? व्यक्ति अथवा समितियों के पूर्ण विवरण सहित तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) किन किन व्यक्तियों अथवा समितियों के उपरोक्त प्लॉट्स के लीज के संबंध में प्राप्त आवेदन-पत्र खारिज कर दिये गये और क्यों ?

(घ) जिन २ को ये लीज दिये गये हैं उनको नमक-उत्पादन का कितने कितने समय का किस प्रकार का अनुभव है ?

(ङ) नमक-उत्पादन के लिये उपरोक्त प्लॉट्स को लीज पर दिये जाने के लिये कब कब आवेदन-पत्र आमंत्रित किये हैं ?

उत्तर

(क) ये नियम ३ जनवरी, सन् १९६३ के राज-पत्र में प्रकाशित हो चुके हैं।

(ख) सन् ६१–६२ व ६२–६३ में भी जमीनें दी गई हैं, उसकी सूची इसके साथ संलग्न है। ६३–६४ में कोई भी जमीन का एलोटमेंट नहीं किया गया।

(ग) केवल कुचामन सारडे के ४२ प्रार्थनापत्र, नियमानुसार न होने के कारण खारिज कर दिये गये।

(घ) कहा नहीं जा सकता क्योंकि अनुभव के बारे में कोई नियम नहीं है।

(ङ) केवल कुचामन सारडे के लिए दिनांक २१–११–६१ तिथि निर्धारित की गई थी।

(कृपया परिशिष्ट ९ देखिए)

उदयपुर नगर इन्डस्ट्रियल शेड्स

८. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या लघु उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर नगर में जो इन्डस्ट्रियल शेड बनाये गये हैं वे किसके किसके नाम पर

(श्री जौधसिंह चौहान)

एलॉट किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

उदयपुर में ११ शेड्स बने हुये हैं, जिनकी सूची निम्न प्रकार है :

अ श्रेणी : ३

ब श्रेणी : ८

१. मैसर्स तेज इन्डस्ट्रीज

२. कूट्बी आइरन इन्डस्ट्रीज

३. संचालक, स्मॉल इन्डस्ट्रीज सर्विस इन्स्टीट्यूट, जयपुर।

४. मैसर्स चुन्नीलाल जगन्नाथ।

५. राजस्थान स्मॉल इन्डस्ट्रीज कौआॅप-रेशन, जयपुर।

६. मैसर्स उदयपुर कोमर्शियल एजेन्सी।

७. ,, उदयपुर इन्डस्ट्रीयल कौरपोरेशन।

८. ,, उदयपुर कार्मशियल एजेन्सी।

९. ,, क्रिशना माईनर्स एण्ड ट्रेडर्स।

१०. ,, यन्त्र उद्योग।

११. ,, श्री नाथ मेटल वर्क्स।

१९६१ से १९६३ तक राज्य के उद्योगों को ऋण

९. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) १९६१-६२ व ६२-६३ में राज्य के किन किन उद्योगों को राज्य या राज्य द्वारा चलाये जा रहे निगमों द्वारा कितनी रकम ऋण के रूप में दी गई एवं उनकी क्या शर्तें थीं ?

उत्तर

(१) (ए) राजस्थान राज्य द्वारा ६१-६२ और ६२-६३ में निम्नलिखित ऋण दिया गया :

	रुपया	पार्टियों की संख्या
६१-६२	१६,६५,५५०	५०९
६२-६३	६,६७,७५०	१४४

४,००,०००--रजिस्ट्रार कोपरेटिव सोसाइटी कोइण्डस्ट्रियल कोआॅपरेटिव सोसाइटी का ऋण बांटने के लिए दे दिया था।

(बी) राजस्थान वित्त निगम द्वारा ६१-६२ और ६२-६३ में कुल २,८२,५०० रुपये ऋण २३ पार्टियों को दिया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री भीखाभाई।

(३.३९ म० प०)

राजस्थान सार्वजनिक उद्यान (संशोधन) विधेयक, १९६३

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय की वृद्धि)

श्री भीखाभाई (वन मंत्री) : मैं प्रस्ताव

(श्री भीखाभाई)

करता हूं कि राजस्थान सार्वजनिक उद्यान अधिनियम, १९५६ में और संशोधन करने के लिये विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति के समय को बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर सहमति

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन से अपनी अनुमति प्रकट करती है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन से सदन अपनी सहमति प्रकट करती है।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(३.४० म० प०)

अनुपूरक मांग संख्या ५२-दुर्भिक्ष सहायता

श्री अध्यक्ष : Supplementary Demands.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या ५२, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को २१,७५,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

(१) श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : मांग संख्या ५२, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (पर्याप्त मात्रा में घास चारे की पूर्ति नहीं करने पर बहस करने के लिए)।

(२) श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मांग संख्या ५२, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में १) रु० की कटौती की जावे (जिला बीकानेर में इस वर्ष अभावग्रस्त क्षेत्रों में समय पर समुचित सहायता न पहुँचने के कारण बहस करने हेतु)।

(३) श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मांग संख्या ५२, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (खराब चारे की खरीद पर बहस करने के लिए)।

(श्री मुरलीधर व्यास)

(४)श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मांग संख्या ५२, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (बीकानेर जिले में भयानक दुर्भिक्ष की स्थिति में सरकार द्वारा उचित व्यवस्था न होने पर प्रकाश डालने के लिये) ।

(५) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : मांग संख्या ५२, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (देवगढ़ और भीम क्षेत्र में अभी तक रिलीफ कार्य आरम्भ नहीं किये जाने हेतु) ।

(६) श्री मोहनराज (पाली) : मांग संख्या ५२, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (पाली जिले में दुर्भिक्ष निवारण हेतु, घास गोदाम बनाने पर बहस करने के लिए) ।

(७) श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : मांग संख्या ५२, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (क्योंकि दुर्भिक्ष के फैलाव को देखते हुए यह रकम बहुत ही कम है इसे बढ़ाई जाने पर बहस करने के लिये) ।

(८) श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह नगर) : मांग संख्या ५२, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान में दुर्भिक्ष सहायता दिये जाने के संबंध में सरकार की कार्य-प्रणाली पर बहस करने के लिये) ।

मांग संख्या ५२,मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में १)रु० की कटौती की जाय (राजस्थान में दुर्भिक्ष कार्य के संबंध में सरकारी कर्मचारियों के कार्यों पर बहस करने के लिये) ।

(९) श्री मानसिंह महार (आमेर) : Demand No. LII, Major Head 64-Famine Relief, be reduced by rupee one (to discuss failure of the Government to give relief in Jaipur Division).

(१०) श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : Demand No. LII, Major Head 64-Famine Relief, be reduced by rupee one (to discsus inadequancy of funds for famine relief works in Jalore district..

Dema d no. LII, Major Hcad 64-Famine Relief, by reduced by rupee one (to discuss untimely arrangements for famine relief works in Jalore district).

(११) श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : मांग संख्या ५२, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (जिला गंगानगर, तहसील अनूपगढ व सूरतगढ में इस वर्ष अभावग्रस्त गांवों में समय पर समुचित सहायता न पहुंचने के कारण पर बहस करने हेतु) ।

(१२) श्री चन्द्रसिंह वर्मा (बिलाड़ा) : मांग संख्या ५२. मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (पर्याप्त मात्रा में घास, चारे व पेय जल के अभाव से जोधपुर जिले में उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

(१३) श्री गंगासिंह राठौर (जायल):

मांग संख्या ५२,मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (दुर्भिक्ष पीड़ितों को सहायता के लिये सरकार की स्कीम के संबंध में बहस करने हेतु) ।]

(श्री अध्यक्ष)

श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले जब वर्षा का अभाव नजर आया तो केवल राजस्थान ही नहीं पूरे देश में एक बड़ी बैचेनी सी सामने आई और ऐसी चिन्ता व्यक्त की गई कि ऐसे विकट समय में जब कि हमारे ऊपर एक ओर संकट के बादल मंडरा रहे हैं व दूसरी ओर राजस्थान में अकाल पड़ रहा है; इससे बड़ा बुरा परिणाम निकलेगा । लेकिन ईश्वर की कृपा से वर्षा हुई और जनता ने सुख की सांस ली । आज जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने अकाल के बारे में कार्य किया, सराहनीय जरूर कहा जा सकता है, पर उसमें कमियां नजर आईं, उनके सम्बन्ध में मैं यहां कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

वर्षा हुई, पर देर से हुई इसलिये चारा जितना होना चाहिये उतना नहीं हुआ......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) : इन्टरप्शन के लिए क्षमा करें । मैं यह सजेस्ट करना चाहता था कि एक दिन एक्सेस और सप्लीमेंटरी डिमाण्डस के लिए रखा है, तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि जहां दरअसल स्केर्यासिटी कन्डीशन्स हैं वही के बोलने वालों को मौका दिया जा सके और दूसरे माननीय सदस्यों ने कट मोशन्स मूव किये हैं उनको रोकें तो हम लोगों को ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी ।

श्री रामकिशन (वैर) : मैं दूसरी बात कह रहा हूं । फिर भी वे बातें कह दें जो आपने नहीं रखी हैं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): जहां स्केर्यासिटी एरिया है उन्हीं को पहले बोलने की आज्ञा दी जाय ।

श्री अध्यक्ष : दूसरे माननीय सदस्यों के संशोधन हैं; या तो वे स्वयं ही नहीं बोलें और यदि बोलें तो एक-दो मिनट में स्थिति के बारे में ही बोलें । कट मोशन के द्वारा एक या दो मुद्दों पर ही ध्यान आकर्षित किया जाय, ताकि सब जगह की स्थिति और जानकारी सदन को मिल जाय ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनिट में ही वे मुद्दे रख दूंगा । वास्तव में चारे का अब भी अभाव है, वर्षा देरी से होने के कारण चारे के जर्म्स मर गये हैं । पहले राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया था कि जहां चारे का अभाव होगा, वहां चारे के ठेके नीलाम नहीं किये जायेंगे । पर वर्षा होने के बाद सरकार ने मान लिया है, कि चारा काफी मात्रा में होगा । पर वास्तव में चारा कम हुआ है । खास तौर से मैं उदाहरण लाखेरी का पेश करता हूँ लाखेरी के गागर में ठेका होता है । वहां की जनता की मांग है कि चरागाह के लिए उसे छोड़ना चाहिये । ठेका नीलाम नहीं किया जाना चाहिये । खास तौर से कोटा-बूंदी रोड पर जहां जोधपुर, जैसलमेर के मवेशी आते रहते हैं ; वहां चारे के डिपो का प्रबन्ध ठीक तरह से नहीं किया जाता है । अधिकारी उन लोगों को तंग करते हैं और उन लोगों को अधिकारियों के पीछे पीछे फिरना पड़ता है । यहां तक कह सकता हूं कि इस अकाल के मामले में भी वहां भ्रष्टाचार पनप रहा है और छोटे-मोटे अधिकारी जब तक उनके पास पैसा नहीं चला जाता तब तक उनको चारा नहीं देते हैं और इस प्रकार जो मुफ्त चारा देने की व्यवस्था राज-

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

स्थान सरकार द्वारा कर रखी है, वह सहायता उन लोगों को नहीं मिलती है।

अतः मैं अपने कट मोशन द्वारा राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ओर ध्यान दें और डिपो खोल कर सहायता दें और, जो चारे के बीड़ ठेके पर नीलाम किये जाते हैं उनको ठेके पर न दें।

श्री अध्यक्ष : कुंवर श्री महेन्द्रसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन !

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा राज्य सरकार का ध्यान बीकानेर के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में ६७६ गांव ऐसे हैं और अभी हाल की रिपोर्ट के अनुसार १०० गांव ऐसे हैं जहां ५-७ दिन हुए वर्षा हुई है। हालांकि इस वर्षा से वहां के लोगों को मानसिक रूप से संतोष हुआ है, कि पशुओं के लिये थोड़ा पीने को पानी उपलब्ध होगा, पर घास और फसल की वहां कोई उम्मीद नहीं। इसलिये मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इन गांवों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। कोलायत तहसील के सात-आठ गांव हैं, वहां अभी वर्षा नहीं है, वहां सरकार का ध्यान जाना चाहिये और वहां सरकार को वहां के लोगों के लिये राहत पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिये। इसके साथ ही साथ हमारा जो पूंगल एरिया है, उसमें भी अभी पन्द्रह-बीस दिन पहले वर्षा हुई है। वहां के लोगों का मुख्य धंधा पशु पालन ही है, वहां के लोगों के लिये भी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये। हमारा बीकानेर शहर ऐसा सिच्युएटेड है जहां घास की कीमतें, चारे की कीमतें, बहुत हाई चली गई हैं। जहां चार रुपया मन चारा और घास था वहां १० रुपया मन के भाव हो रहे हैं। सरकार ने जो वहां व्यवस्था की, वह पर्याप्त नहीं हो पाई है, कीमतें बहुत ऊंची चली गई हैं। अतः बीकानेर शहर के लोगों के जानवरों के लिये घास चारे की व्यवस्था की जानी चाहिये। अभी सरकार ने घास मंगाया था पर स्टेशन पर घास पड़ा था उसमें न मालूम किस तरह आग लग गई, इसके लिये मैं समझता हूं सरकार अवश्य जांच करेगी।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में आये दिन दुष्काल पड़ते रहते हैं, अतः अकाल सहायता के लिये सरकार को दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिये, अकाल सहायता का स्थाई फंड क्रियेट किया जाना चाहिये, जिससे कि फेमीन के समय लोगों को यथा शीघ्र सहायता मिल सके। ऐसे डेज़र्ट एरियाज़ हैं जहां अकाल पड़ते रहते हैं, वहां लोगों को और पशुओं को पीने का पानी न मिल सके, ऐसी दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिये। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का एक्सपेरिमेंटल ट्यूब वैल ओर्गेनाइजेशन है, उसकी ओर से ऐसे गांवों में तीसरी योजना में २० ट्यूब वैल लगाने की योजना थी पर अभी तक वहां इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि फेमीन कन्डिशन्स

Page No.43

(श्री भीमसैन)

हैं, वहां के लिये इस प्रकार की स्थाई व्यवस्था करें, जिसे कि फेमीन के समय लोग उपयुक्त स्थान पर इकट्ठे होकर लाभ उठा सकें। मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार इस ओर तुरन्त ध्यान दे, ताकि समय पर लोगों को राहत मिल सके। एक्सपेरिमेंटल ट्यूब वैल ओर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का है। उसकी ओर से तीसरी योजना में बोरिंग करने की योजना है, पर तृतीय पंच वर्षीय योजना का यह तीसरा साल चल रहा है और इस दिशा में कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है, अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर भी वह गम्भीरता से विचार करें।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या ५१, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में १) रु० की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : (श्री बाढ़दार से) मांग संख्या ५२, फेमिन रिलीफ सूची संख्या १, आइटम ४- To discuss the m s-handl in; of Famine Relief Fund.

(विराम)

जयपुर शहर के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढदार : यह है ही नहीं कट मोशन मेरे पास।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): अध्यक्ष महोदय, मैं कोटा जिले के लिए बोलना चाहता हूं। आज वहां अकाल की स्थिति नहीं है फिर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आगे के लिए फायदा उठाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो सरकार अकाल की, दुर्भिक्ष की घोषणा करती है और दूसरी तरफ हम देखते है कि कुछ क्षेत्रों में घास बाहर भेजने के लिए पाबन्दियां लगाती है। मैं सरकार का कोटा की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा; अभी अभी कोटा के अन्दर एक स्ट्रा फोर्ड फेक्ट्री लगायी गयी है। मैं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि अभी अभी उस फैक्ट्री के साथ इस प्रकार का एग्रीमेन्ट किया गया है कि उस फैक्ट्री को प्रति वर्ष १ लाख मन घास चालीस पैसे प्रति क्विन्टल के हिसाब से सप्लाई किया जायगा? कोटा के आस पास के क्षेत्रों से केवल इस इन्डस्ट्री को सप्लाई कर दिया गया १ लाख मन घास और वह भी ४० पैसे प्रति क्विन्टल के हिसाब से, जब कि वहां पर दो दो, २॥-२॥, ३-३ मन घास गर्मी के दिनों में प्राप्त नहीं होता है, आस पास के क्षेत्रों को बड़ी भारी दिक्कत पैदा हो जायगी। केवल इस इन्डस्ट्री को १ लाख मन दे दिया गया है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि जब कि चारे की भिन्न २ क्षेत्रों में बड़ी कमी है और दुर्भिक्ष है वैसी हालत में इस फैक्ट्री के साथ इस प्रकार का एग्रीमेन्ट क्यों किया? क्या सरकार उस एग्रीमेन्ट को निरस्त करने का विचार करेगी?

दूसरा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस ओर कि मन्त्री महोदय ने सदन में वक्तव्य दिया है और उसमें बताया है कि कोटा और बारां रोड पर कुछ डिपो खोले हैं।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

इसलिए खोले हैं कि इधर–उधर से जो मवेशो जा रही हैं उनको घास मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो डिपो घास के खोले हैं, वहां से घास का नमूना लेजाकर हमने कलेक्टर के सामने रखा। वह घास नहीं था, वह तो कीचड़ था; किसी तरह से उसको घास नहीं कहा जा सकता। मवेशी उसको सूंघती तक नहीं। कोटा–बारां रोड पर डिपो बनाये। उस घास के नमूने को लेकर मैं और कोटा के एम. पी. दोनों कलेक्टर के पास गये और कहा कि क्यों पैसा बिगाड़ रहे हो। इसके अलावा जैसा मेरा प्रश्न था, कोटा वगैरा में घास की बहुतायत है, इस प्रकार की इन्डस्ट्री को प्रोत्साहन न दें। बीड़ लगा लगा कर शिकार के लिए स्थान रखे हुए हैं, इससे मवेशियों को चराई के लिए जगह नहीं मिल रही है, कोलोनाइजेशन के नाम पर वहां खेती करने का प्रश्न नहीं उठता। इसलिए जहां आज आकाल की स्थिति है इन बीडों को खुला देना चाहिये, इससे घास की कमी नहीं होगी कोटा जिला और कोटा क्षेत्र में हैं जहां से आस पास के दुर्भिक्ष के इलाकों को घास दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में अभी कई सम्माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। मैं खास कर बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्रों में जो अकाल की स्थिति रही उसके सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान में अधिकांश ऐसे हिस्से हैं जहां आये वर्ष अकाल पड़ता है और जब कि यह मालूम है राज्य सरकार कि राज्य की स्थिति इस प्रकार की है और राज्य के इन क्षेत्रों में आये वर्ष अकाल पड़ते हैं तो राज्य सरकार की ओर से स्थायी तौर से ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि जब कभी किसी क्षेत्र में अकाल की संभावना हो जाय तो सरकार उस क्षेत्र में तत्काल सहायता का प्रबन्ध कर दे। अगर तत्काल सहायता का प्रबन्ध नहीं होता है तो उसका नतीजा यह होता है कि जब राजस्थान में अकाल पड़ता है और स्थिति भयानक हो जाती हैं और यहां तक हो जाती हैं कि जब जानवर मरने लगते हैं, लोग गांव छोड़ कर बाहर निकलने लगते हैं, लोग पीने का पानी न मिलने की वजह से अपनी भेड़-बकरियों को उसी स्थान पर छोड़ कर चले जाते हैं; तब हम सहायता की ओर दोड़ते हैं और इसका परिणाम यह हो रहा है कि जब कभी भी जिस क्षेत्र में अकाल पड़ता है तो नतीजा यह हुआ है कि पहले जानवर मर जाते हैं। बीकानेर और जैसलमेर के क्षेत्र में फरवरी महीने में ही अकाल की स्थिति हो गई थी। बीकानेर का मगर इलाका पहले से ही अकाल ग्रस्त था। बाप तक जैसलमेर का इलाका है, वह पहले से ही अकाल की स्थिति में था। जहां पर एक साल पहले से ही अकाल की स्थिति हो, सहायता केन्द्र जहां खुल जाने चाहिये वहां उनको सहायता के लिए कुछ न मिले और फिर दूसरी, अकाल की भयानक स्थिति हो जाय और फिर हम दौड़े तो उसका नतीजा यह होता है कि राजस्थान का जो हमारा मवेशी रूपी बड़ा धन है, जो हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने वाला है, राजस्थान की जनता की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने वाला है, वह धन समाप्त हो जाता है। मैंने फरवरी मास में बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर इलाके का दौरा किया और

Page No.45

(श्री मुरलीधर व्यास)

सरकार का ध्यान आकर्षित किया और यह बताया कि जगह जगह भेड़ों के झुंड के झुंड ढेर के ढेर मरे पड़े हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मन्त्री, राजस्थान) : कौनसा महीना ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : फरवरी-मार्च महीना । उस समय ही मैंने एक स्टेटमेन्ट दिया था । आपको इस बात पर अगर यह हो कि यह बात गलत है तो उस समय तो मैंने साधारण घोषणा की कि इस क्षेत्र में यह स्थिति है क्योंकि पहले अकाल था। मैंने जून महीने में फिर ध्यान आकर्षित किया कि यह स्थिति भयानक हो गयी हैं। उस क्षेत्र में मैं फिर गया । मैंने बड़ी बद्तर हालत देखी । कूओं तक गया । बाप से आगे सियोढ़ो नामक गांव है । कूए पर आदमी थे, गांव के लोग थे । आधा घड़ा पानी दिया जा रहा था और जानवरों को तो पानी नहीं मिल पाता था और पानी न मिलने से दूसरे कूए पर भेड़ों को लेकर जा रहे थे । हजारों के झुंड के झुंड भेड़ो के लोग ले जाते थे, किसी कूच पर चले जाते तो भी सहायता नहीं मिलती । भेड़ों को जो चराने वाले हैं उनको पानी नहीं मिलता । झुंड के झुंड थे, एक-एक दो-दो, तीन-तीन दिन तक पानी नहीं मिलता तो वे भेड़ें मरने लग जातीं और वे लोग उनको छोड़ कर चले जाते ।

इस प्रकार की स्थिति उस क्षेत्र के अंदर जून महीने के अन्दर भी थी । उस समय भी मैंने इन बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और मैंने कहा कि लाखों जानवर इस प्रकार मर रहे हैं । उस वक्त भी कोई सहायता का कदम नहीं उठाया गया । जुलाई महीने में इस संबंध में जब बहुत ज्यादा स्थिति खराब हुई तब सरकार ने सहायता के लिए दौड़-धूप लगाया । आप योजना के अंतर्गत भेड़ों का विकास करना चाहते है, बकरियों का विकास करना चाहते है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बीकानेर कलेक्टर से आंकड़े मंगा लीजिए । ५ वर्ष आपने जितना भी पैसा विकास के काम में लगाया है उसके आंकड़े मंगवाइये । जब मैं यह बात कहता हूं तो आपको आश्चर्य होगा कि हम लाखों-करोड़ों रुपये ऐनिमल हस्बेंडरी विभाग की तरफ से भेड़ों के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं और खर्च करने के बाद भी हमारा पशुधन कम कैसे होता चला जा रहा है । उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अकाल आये साल आते हैं । एक बड़ी तादाद के अंदर लाखों भेड़ मर जाते हैं । अगर आप इसको बचा सकते हैं तो उससे क्या होगा कि वह भेड़ जो आपका सबसे बड़ा धन है बढ़ जायगा । जब राज्य का धन बढ़ जायगा तो राज्य की प्रति व्यक्ति आमदनी भी बढ़ेगी ।

इस मामले पर लास्ट टाइम कलेक्टर के पास मीटिंग थी । मैं भी उस मीटिंग में हाजिर था बीकानेर में । उस समय आंकड़ों को मंगाया । उसने भी कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार इतने, करोड़ों रुपये, खर्च करने के बाद भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होती । उसका कारण क्या है ? जब इसकी तरफ देखते हैं तो जाहिर होता है कि प्रबन्ध नहीं है कि हम पशुधन को बचा सकें । इस कारण से हमारा बड़ा भारी नुकसान होता रहता है ।

इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि एक अकाल सहायता बोर्ड स्थापित कर देना चाहिए । उसके अंदर कुछ ऐसे आदमी

(श्री मुरलीधर व्यास)

रहने चाहिए उन क्षेत्रों में, जहां अकाल की स्थिति है, जो बराबर ध्यान रखें और दो चार महीने पहले ही आपको इन्फोर्म करें कि यहां स्थिति खराब है, यहां पर पानी का अभाव है और अगर इस पशु-धन को बचाना है तो सहायता का काम इस महीने के अंदर प्रारम्भ होना चाहिए। यह निगरानी न होने से बुरा नतीजा होता है। उसके बारे में एक प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। हम एक योजनाबद्ध तरीके से अकाल के क्षेत्रों में काम करना प्रारम्भ नहीं करते तो नुकसान होता है। अकाल के समय आपने एक धनराशि दो-दो लाख, पांच लाख रुपये। आप उसके अंदर कुछ सड़कों का, कूओं का, तालाबों का, इस प्रकार के काम निर्धारित करते हैं। वह सारा काम योजना-बद्ध तरीके से पंचायत के मार्फत हुआ, पर यदि उसके ऊपर कोई निगरानी नहीं हुई तो धन का दुरुपयोग होता है। अक्सर यह होता है कि पैसा विकास के काम में भी नहीं ले पाते। तालाब के नाम से दस हजार रुपये ले लिए, तालाब खुदवाए। जहां ५०० आदमी हैं, काम करते हैं वहां पर १,००० के नाम लिख दिए जाते हैं, काम अधूरा रह जाता है तो वह बोर्ड इस बात की निगरानी रखे कि हम जो पैसा किसी काम में लेते हैं तो वह ठीक प्रकार से, योजना बद्ध तरीके से लगता है या नहीं। अकाल सहायता के संबंध में अपने बीकानेर क्षेत्र की बात करता हूं, जहां भयंकर स्थिति हो गई है। दो चार दिन बारिश हुई है उसका अगर कोई अनुमान लगाए कि अकाल चला गया तो बड़ी भूल होगी। अकाल की स्थिति और भी भयानक है और स्थिति का निरीक्षण करने के लिए यद्यपि खुद मुख्य मन्त्री जी और कृषि मन्त्री वहां आये और योजना बनाई बीकानेर जिले की। उसके बावजूद भी कम से कम १५ दिन तक, उनके जाने के बाद भी ऐसा कोई प्रबंध नहीं हो सका जिससे आस-पास जो जानवर मर रहे हैं उनको ठीक टाइम पर सहायता पहुंच सके।

बीकानेर शहर के अंदर कुछ घास के चारे की कमी है। जो चारा है वह दस रुपये मन बिकता है। आज भी दस रुपये मन कूतर है जो जानवर खाते हैं। अब जिसके पास २५, ३० या ४० मवेशी हों, वह कैसे उनको पालना कर सके। अकाल में खुद के पास खाने को नहीं और जानवरों की हालत इस प्रकार की हो, तो क्या होता है कि वे गांव के लोग, जो जानवर दूध देते हैं, उन जानवरों को चराते हैं, बाकी दूसरे जानवर भगवान के सहारे चलते हैं।

इसके बाद में जब काम प्रारम्भ हुआ तो यह तय किया गया कि बीकानेर के आसपास कुछ गांवों में चारा लगाया जाय। घास लगाने का काम प्रारम्भ किया। अब आस-पास के गांवों के अन्दर जानवरों को पानी नहीं मिलता, घास नहीं मिलता। जो सरकार की तरफ से डिपो खोला गया वहां भी मैं गया, कलेक्टर साहब भी वहां आये। एक दिन के अन्दर जहां ५०० आदमियों की भीड़ लगती थी, वहां यदि आप ४ दिन का रेकॉर्ड देखेंगे तो ५८ आदमियों को एक-एक दिन के अन्दर एक मन घास दिया गया।

एक जगह पर जहां पांच सौ आदमी आये वहां आपका डिपार्टमेंट एक समय में केवल ५८ आदमियों को ही घास दे सका। कुतर का भाव महंगा होने से लोग घास लेने आते हैं सरकार के डिपो पर, जहां आप ढ़ाई, तीन रुपया मन बेचते हो, तो नेचुरली लोग वहां लेने आयेंगे। पहले दिन ५८ को दिया

(श्री मुरलीधर व्यास)

गया, दूसरे दिन ७१ को दिया गया और तीसरे दिन ८४ आदमियों को दिया गया। चार दिन तक इस प्रकार स्थिति रही। आपका इन्तजाम इस प्रकार का है। आपने जानवरों के लिये जो घास का प्रबन्ध किया है वह ठीक किया है, लेकिन उसके साथ पाबन्दी यह भी है कि सरकार के आदमी केवल ५ व ६ बजे तक उसको देते हैं, वहां पर भी सरकार का कांटा नहीं तोलने के लिये, दूसरों से उधार लाते हैं। सरकार इस अकाल के अन्दर कांटा तक नहीं रख सकती, इस प्रकार का वहां पर प्रबन्ध था। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जो इस प्रकार की व्यवस्था रखते हैं उससे किसी प्रकार का लाभ नहीं होता है। सरकार को चाहिये कि इस मसले के अन्दर जब कभी कदम उठाया जाय तो वह कदम बहुत मजबूती से होना चाहिये जिसके जरिये सहूलियत मिल सके।

आसपास के गांवों के लोग शहरों में आते हैं वहां पहले से ही अकाल पड़ा हुआ है। अगर अब एक बारिश भी और हो जाय तो वहां घास-पात होने वाला नहीं, इसलिये जो पशुओं पर निर्वाह करते हैं वे कर नही सकते। इस क्षेत्र के अन्दर जानवरों का सवाल है, अगर इस वर्षा से कोई नतीजा नहीं निकला तो वहां पर आदमी भी गांव छोड़ छोड़ कर आने लग जायेंगे और काफी तादाद में आयेंगे। काम नहीं मिलेगा, बेकार में शहर के अन्दर भटकेंगे। आपने ठीक इन्तजाम नहीं किया तो आदमी मर भी सकते है। इसलिये आप से मेरी अर्ज है कि जिन क्षेत्रों के अन्तर्गत ऐसे स्थान हैं, गांव हैं, ये सारे प्रबन्ध आप ठीक तरह से नहीं करते हैं। आप चारे के डिपो खुलवाइये, कुछ घास क्षेत्र बनाइये जहां घास सुरक्षित रह सकता हो; जहां भी अकाल की स्थिति हो वहां से भेजा जा सकता है। इसके साथ साथ वहां सस्ते अनाज की दुकानें हों। आज गेहूं का भाव १८), १९) और २०) रुपये तक का है। आप जहां यह चाहते हैं कि अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के अन्दर सहायता दी जाय वहां सस्ते अनाज की दुकानें होनी चाहिये। आप भी यह कहते हैं कि हम भी वहां पर सस्ते अनाज की दुकानें खोलेंगे, लेकिन इस तरह के अनाज की नहीं जिसमें सड़ा गला अनाज मिलता हो। ऐसी दुकानें खोलिये जहां पर बाजरा, मौठ, गेहूं आदि सस्ते भाव मे मिल सकें। जहां तक जानवरों का सवाल है उनके लिये भी सस्ते घास के डिपो होने चाहिये। बीकानेर शहर के अन्दर घोड़े वालों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। वे दस रुपये मन का चारा खिला कर किस तरह से अपनी आजीविका चला सकते हैं? इसलिये इनके लिये घास, चारे और चने आदि का इन्तजाम करना चाहिये। इसके साथ साथ मैं यह निवेदन कर दूं कि उस क्षेत्र से दिल्ली के लिए जो दूध जाता है उसको भी बन्द किया जाना चाहिये। वहां के लोगों को तो पीने के लिये दूध मिलता नहीं और वह दूध दिल्ली जाये, यह नहीं होना चाहिये। इसलिये दिल्ली सप्लाई स्कीम इस इलाके के अन्दर दूध सप्लाई जो करती है वह बन्द होनी चाहिये। वहां के स्थानीय लोगो के काम आने के बाद दूध बचे वह दिल्ली जाना चाहिये। बस इतना ही मेरा निवेदन हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, देवगढ़ और भीम तहसील के कई गांवों में पिछले साल भी अकाल की सी स्थिति थी और इस वर्ष भी वर्षा न होने के कारण वहां की स्थिति गंभीर होती जा रही है। न कूआं में पानी है, न खेतों में फसल है, न मवेशियों को खाने के लिये घास

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

है। वहां के लोग हाथ पर हाथ धर कर बैठे हैं, न रोटी है, न रोजगार है। यह पिछले २०-२५ सालों से बदनसीब रहा है इलाका जहां पर दूसरे साल कम से कम उन्हालू फसल में अकाल पड़ जाता है। यहां बराबर अकाल पड़ता है, इसकी बहुत कुछ जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अकाल पड़ने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की क्यों है, उस पर मैं थोड़े शब्दों में प्रकाश डालना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय, इन दोनों तहसीलों की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि ये पहाड़ी के ऊपर हैं, कंकरीली जमीन है; कुछ जगह ऐसी हैं जहां बरसात भी होती है वहां पानी बह कर चला जाता है। सारी जगह कहावत है "मेकारिया धरती है अठी में बरसै अठी नै सूरेये" अगर बरसात अच्छी हो जाती है तो भी कुओं में पानी नहीं होता। क्योंकि कुओं में भी पानी उस हालत में हो सकता है जब कि पास के तालाबों में पानी हो। मैं इस सदन में एक बार नहीं कई दफे अर्ज कर चुकी हूं कि वहां संवत् २००० में बाढ़ आयी थी, उस समय वहां के सारे के सारे तालाब टूट गये थे। पहले भौगोलिक स्थिति को देखते हुए स्थान स्थान पर छोटे छोटे तालाब बने हुए थे। बीस-पच्चीस साल हो गये उन तालाबों की पूरी मरम्मत नहीं की गई है; तब से हमारे क्षेत्र में दुर्भिक्ष होता आ रहा है। अगर आप इस बात पर विश्वास न करें तो पच्चीस साल पहले के आंकड़ों को आप पढ़ जाइये, आपको पता चलेगा कि कितनी फ्रीक्वेन्टली अकाल पड़ता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जितना रिलीफ के कामों में हम खर्च करते हैं उससे कम भी तालाबों पर खर्च कर दिया होता तो हमारे सामने यह अकाल की स्थिति नहीं आती। आज जो अकाल की स्थिति वहां पर है उसको देखते हुए जल्दी से जल्दी रिलीफ वर्क शुरू कर देने चाहिये, वहां घास के डिपो खोल देने चाहिये। मैं जानती हूं कि उप-राजस्व मंत्री जी यह कहेंगे कि हमने इसके लिए चालीस हजार रुपये की मन्जूरी दे दी है, मैं उप मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये अर्ज करना चाहती हूं कि सिर्फ देवगढ़ तहसील की ताल पंचायत में रिलीफ का काम हुआ है, केवल वहां पर ११ हजार रुपये की मन्जूरी पहुंची है। उस पंचायत में काम हो रहा है। उस पंचायत के बिल्कुल पास भीम तहसील की बरार पंचायत है, उन दोनों गांवों के बीच में मुश्किल से दो फर्लांग की दूरी है, ताल पंचायत में बरार पंचायत के जो लोग जाते हैं वे वहां खाली हाथ बैठे उनका मुंह देखते हैं। ताल पंचायत में जाते हैं और मजदूरी के लिये कहते हैं तो उनको कहा जाता है कि तुम तो भीम तहसील के हो और बरार पंचायत के हो, यह रुपया ताल पंचायत को मिला है और इसी की जनता के लिये खर्च किया जायगा। यह सोचने की बात है कि जहां फासला सिर्फ दो फर्लांग का है अगर उनको उसी जगह काम मिल जाता है तो दूसरी जगह क्यों जाते? जब भीम इलाके में ही ज्यादा गरीबी है वहां के खेत देवगढ़ के मुकाबले बहुत छोटे हैं। बहुत मुमकिन है, उप राजस्व मन्त्री यह कहें कि अभी एक सप्ताह पहले वहां दो इंच वर्षा हुई है। वे खुद अन्दाजा लगा लें कि जिस इलाके में बरसात का औसत अनुपात २७ इंच रहा हो वहां सात इंच वर्षा से क्या होने वाला है? क्या इस सात इंच वर्षा से कुओं में पानी हो जायगा कि मवेशियों के लिये घास हो जायगा, क्या इस साल की फसल पक जायगी? अगर थोड़ी और बरसात हो जाती

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

है और वह भी जल्दी हो जाती है तो उन्हालू फसल को फायदा हो सकता है। इस फसल को किसी भी प्रकार से राहत नहीं मिल सकती। आज वहां जो कपास की खेती है अगर ज्यादा बरसात होती है तो उस फसल के लिये भी ज्यादा फायदा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, उप-राजस्व मन्त्री जी से भीम पंचायत समिति के कुछ पंचायतों में सस्ते घास के डिपो खुलवाने के लिए निवेदन किया था। उस पर वहां की पंचायत समिति द्वारा उन गांवों के सरपंचों को बुलाकर कहा गया कि घास का डिपो खोला जा सकता है, मगर वह एक शर्त पर कि आप लोग यह शर्त लिख कर दे दें कि जितना घास आपकी पंचायत को दिया जायगा उतना बेचना होगा। अगर भाव सस्ता हो गया तो उसका खमियाजा पंचायत को भुगतना पड़ेगा। मान लीजिये भाव सस्ता हो जाता है और वह घास नहीं बिकता हैं तो क्या पंच, सरपंच अपनी जेबों से पैसा निकाल कर देंगे, राज्य सरकार को उसका खमियाजा उठाना चाहिये। सस्ते भावों के डिपो राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी पर उन पंचायतों में खोले। अगर यह नियम है तो मैं यह जानना चाहूंगी कि उन पंचायतों में इस प्रकार का प्रश्न कैसे और क्यों पैदा हुआ?

अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सही है कि रिलीफ के काम हमारे इलाके में शुरू किये जायेंगे। हमारे यहां रिलीफ के काम शुरू होते आये है, यदि वक्त पर शुरू हो जायं तो जनता को सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहां रिलीफ वर्क्स के लिये जो कायदे-कानून हैं उनमें एक बड़ी त्रुटी है उस त्रुटि की ओर मैं उप-राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहूंगी। जिस तरह के रिलीफ वर्क्स खोलने का कायदा है, कोई भी रिलीफ का काम खोला जाय, वहां कुछ काम किया जाय वह पक्का काम न किया जाय। रिलीफ के काम होते हैं वे दो प्रकार के काम होते हैं—या तो सड़कें बनायी जाती हैं या तालाब के पाल पर मिट्टी डाली जाती है। मिसाल की तौर पर जो सड़कें बनती हैं उनमें हजारों आदमियों का श्रम लगता है, रुपये खर्च होते हैं। जब सड़कें बनती हैं तो बीच में जो दांते रह जाते हैं पत्थरों के, उसमें सुरंग लगाने के लिये बारूद की जरूरत होती है। मान लीजिये किसी सड़क पर पांच हजार रुपये खर्च किये, लेकिन उसके लिये पांच रुपये की बारूद की जरूरत पड़ेगी, उसकी मन्जूरी नहीं देते हैं। इसलिये सड़कों के बीच में पत्थर के दांते और टांकड़िया कटे बिना ही रह जाती हैं। उस वक्त थोड़ी मजदूरी में सड़कें बन गई हैं। पानी से सारी मिट्टी वह जाती है और दूसरे साल ही कंकर-पत्थर निकल आते हैं उसके और वह ऊबड़-खाबड़ सड़क हो जाती है और ऐसी ऊबड़-खाबड़ हो जाती है कि गाड़ियों के लिये उस पर चलना मुश्किल हो जाता हैं।

इस मामले में भी सड़कों की समस्या भी गम्भीर है, पर उतनी गम्भीर नहीं है जितनी तालाबों की है या बांधों की है। कम से कम मेरे क्षेत्र के इलाके में रिलीफ के काम के लिये सबसे पहले तालाबों की मांग होती है क्योंकि पानी की समस्या से वे लोग बहुत दुःखी हैं। तो ऐसी सूरत में अगर मेरे इलाके की सबसे बड़ी मांग है तो तालाब है।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

जब रिलीफ का काम चलता है तो तालाब की पाल पर मिट्टी डाली जाती है। हमारा इसमें काफी श्रम और धन खर्च होता है, लेकिन नतीजा क्या होता है कि दूसरे साल ही जब बरसात होती है तो उस बरसात में वह पहले साल डाली हुई मिट्टी बह जाती है सारी की सारी। मैं इसकी नजीर में दौलपुरा की बात कहती हूं। पिछले १३ सालों में वहां दो बार रिलीफ का काम किया गया और लगभग उसमें तीस-चालीस हजार रुपया खर्च किया गया वहां तालाब की पाल पर मिट्टी डालने में। पर आप मुलाहिजा फरमावें कि वहां जब बरसात आई तो वह सारी की सारी मिट्टी बह गई और इस तरह वह चालीस हजार रुपया और वहां के लोगों का श्रम सब बह कर चला गया, सब व्यर्थ गया। एक बूंद पानी तालाब में नहीं है। हो कहां से ? पानी ठहरे कहां से ? पाल की सारी मिट्टी तो वह गई ! अगर उस पचास-चालीस हजार की रकम में से पांच हजार रुपया लगाकर एक पत्थर की दीवार पाल के नीचे खड़ी कर देते तो वह पाल पुख्ता हो जाती, पानी से नहीं बहती और परमानेन्ट बन्दोबस्त हो जाता, पानी रुकता वहां। उसके नीचे बने हुए करीब आस-पास के २०० कुओं में पानी की सीर जाती। सिंचाई भी हो सकती थी, अधिक अन्न भी उत्पन्न होता, तो यह तो एक मिसाल है। ऐसी अनेकों मिसालें दी जा सकती हैं।

इसमें मैं जहां तक अन्दाज लगा पाई हूं इस रिलीफ के कायदे-कानून में कुछ खामियां हैं। ये कायदे-कानून अंग्रेजों के वक्त में बने थे जबकि उस समय की अंग्रेज सरकार के सोचने का दृष्टिकोण और था। आज आजादी के बाद हमारा वह दृष्टिकोण नहीं रह सकता। हमारा दृष्टिकोण दूसरा है। अंग्रेज सरकार सोचती थी कि अकाल से मरते लोगों को बचाने भर के लिए, उन का पेट भरने के लिये इस लायक काम उनको मिल जाना चाहिये। बस ! इसके आगे उसका कोई कर्तव्य नहीं था। पर आज का राज्य हमारा अपना कल्याणकारी राज्य है और यह कल्याणकारी राज्य इस दृष्टिकोण से आज नहीं सोच सकता केवल। यह दृष्टिकोण तो अकाल के वक्त वैसे ही रहना ही चाहिये और है ही, पर आज हमारा देश विकास की दिशा में बढ़ रहा है। हमारा उद्देश्य और आदर्श आज और भी बढ़ा-चढ़ा है। हम आज इस तरह से सोचते हैं कि हमारे देश के इन्हीं लोगों के श्रम से कमाई गई इस धन की, इस सम्पदा की, एक एक पाई और हमारे पसीने और श्रम की एक एक बूंद सफल हो, सार्थक हो, व्यर्थ न जाने पावे। यह श्रम और यह धन विकास की मंजिल की तरफ बढ़ने में अपना पूरा पूरा योगदान दें। तो आज इस दृष्टिकोण से हर दिशा में हर क्षेत्र में काम किया जाय, इसकी आवश्यकता है। आज भी लाखों रुपया सालाना रिलीफ में खर्च होता है, पर इसका भी नतीजा अंग्रेजों के वक्त की तरह कुछ नहीं निकलता स्थायी रूप से। हमारी प्लानिंग और दृष्टिकोण और कायदे-कानून डिफेक्टिव हैं। हमें इनको बदलना चाहिये और योजना बद्ध स्थायी काम ही ऐसा सोचना और करना चाहिये।

अन्त में मैं सिंचाई मन्त्री महोदय से यह कहूंगी कि अगर उस क्षेत्र से आपको अकाल हमेशा के लिये और स्थाई रुप से समाप्त

(श्री लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

करना है तो आप पहले उन तालाबों की ओर ध्यान दीजिये जहां कुछ सिंचाई की व्यवस्था हो सकती हो। जैसे सदन में परसों एक प्रश्न आया था जाडोल के पास लाखों की कीमत का एक तालाब बनाया जा रहा है जिसकी डूब में सैकड़ों बीघा जमीन आवेगी, उनको मुआवजा भी देना पड़ेगा और वैसे चूंकि वहां सिंचाई के और भी कई साधन वहां हैं, कुए हैं, तो उतना लाभ भी उससे नहीं होगा। फिर जनता भी उस क्षेत्र की उसे नहीं चाहती। तो आप एक तरफ तो ऐसी जगह जबर्दस्ती से और लाभ की अधिक आशा नहीं होते हुए भी लाखों रुपया खर्च करके बनाने की जिद्द करते हैं और दूसरी तरफ मेरे क्षेत्र की तहसीलों की हालत यह है कि लोग वहां के एक एक बूंद पानी के लिये तरसते हैं, सिंचाई के साधनों के लिये तरसते हैं, भूखों मरते हैं, वहां आप तालाब भी नहीं बनाते। अगर कोई ऐसे आपके नियम हों जिनके कारण आप बनाने से मजबूर हैं वहां पर तो मेरे ख्याल से उन नियमों में परिवर्तन करना आवश्यक है। जहां जहां हमने उपयोगी काम समझा और लोक कल्याण का काम समझा वहां हमेशा अपने कानून-कायदों में परिवर्तन करते आये हैं और करना चाहिये भी तो मैं निवेदन करती हूँ कि क्यों न इनमें परिवर्तन किया जावे। मुझे विश्वास है कि सिंचाई मन्त्रीजी और उप राजस्व मन्त्रीजी मेरे इन सुझावों पर गम्भीरता से सोचेंगे और इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री मोहनराज (बाली) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस बार बहुत ही देर से वर्षा आने के कारण दुर्भिक्ष की महान् समस्या खड़ी हो गई थी, जो कुछ अंशों में देर से बरसात आने से कुछ कम हुई है। मैं समझता हूं ऐसे समय में सरकार लोगों को और अभाव ग्रस्त क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिये कुछ योजनाएं, तात्कालिक और स्थायी, दोनों तरह की, रखती होगी ताकि आम जनता पर ऐसे दुर्भिक्ष का कम से कम प्रभाव पड़े। इसमें मुख्य तौर से ग्रास या फोडर बैंक या फेमीन रिलीफ वर्क्स, जैसे बांध बांधना, कुए खुदवाना और सड़कें बनवाना वगैरह शामिल किये जा सकते हैं। इन पर अधिक खर्च करने की बात हमारे ध्यान में आ सकती है।

इस सिलसिले में मैं भी पाली जिले में क्या कार्यवाही की जा सकती है इस ओर बहुत ही संक्षेप में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

पाली जिले में पांच-छः जगहों पर घास के बीड़ मौजूद हैं और वहां सरकारी बागरें भी हैं, पर वहां १५-३० साल पुराना घास है। वहां १५), २०) रुपया मन घास आस-पास के गांवों में लोगों ने अभाव के कारण लिया जब कि वह सरकारी घास काम में नहीं आया। जब बहुत भीषण परिस्थिति पैदा हुई तो फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट से उस घास को रिलीज कराया गया और यह कहा गया कि एक रुपया या डेढ़ रुपया मन से वह घास बेचा जावेगा। पर बीकानेर में जब अकाल सम्बन्धी मीटिंग हुई तो उसके बाद कलेक्टर ने आदेश दे दिया कि जैसी की मुख्य मन्त्रीजी की इच्छा है यह पाली जिले का घास बाड़मेर जिले की अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लाभ में लाया जावेगा। पाली जिले वालों को इस घास का उपयोग नहीं करने दिया जा सकता।

(श्री मोहनराज)

पर चूंकि दूसरी जगह की स्थिति अधिक गम्भीर थी हमने सरकार के इस निर्णय को स्वीकार कर लिया और हमारे गांव के गरीब किसानों की राहत के लिये हमने लोगों से चन्दा इकट्ठा करके मंहगे भाव पर घास खरीद कर उसको सस्ते भाव पर एक रुपया, दो रुपया प्रति मन के हिसाब से दिया। यह तो जो हालत हुई उसके बारे में अर्ज कर रहा हूं। लेकिन आगे भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि यह साइकल ऑफ फेमिन तो वहा आता ही रहता है। मारवाड में तो कहावत है कि हर तीसरे साल तो यहां अकाल पड़ता रहता है। इसलिये इसको मद्दे नजर रखते हुए हमें स्थायी व्यवस्था के बारे में सोचना पड़ेगा कि इसके लिये क्या उपाय काम में लाये जावें। पहले भी घास के जितने बीड़ थे उनके लिये यह नियम था कि उनके अन्दर सरकार स्वयं घास काट कर जमा रखती थी। तीन वर्ष का घास रखती थी और चौथे वर्ष का आता तो पहले वर्ष का बेच दिया जाता था और इस तरह से तीन वर्ष का ताजा घास बराबर रहता चला जाता था।

तीन वर्ष का घास हर वक्त इस तरह से स्टॉक में रहता था और जब अकाल की स्थिति पैदा हुई तो उससे मुकाबला किया जा सकता था। घास का संकट इस तरह से टल जाया करता था। अब इसमें यह किया जाना चाहिये कि इस तरह से तीन साल का घास जगह जगह कुछ गांवों में, एक एक तहसील में इकट्ठा किया जाय ताकि लोगों को आसानी से ऐसे मुश्किल के वक्त में राहत पहुंचाई जा सके। लोग अपनी बैलगाड़ियों में आकर ले जा सकें और सस्ता मिल सके।

इसलिये मेरा एक तो यह सुझाव है कि इन बीड़ों में, पाली जिले में पालू, डिडा, एंगला, मीजोला, भगवानपुरा आदि में जो बीड हैं उनमें इस तरह के तीन तीन साल के घास के स्टॉक रखे जावें और चौथे साल का घास आवे तो उसे रखकर पहले साल वाला बेच दिया जावे। इससे कीमत में भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा और घास भी ताजा मिलता रहेगा।

इस वक्त भी वहां दस ग्यारह इंच बारिश हो गई है, जबकि एवरेज वहां की ३० इंच है।

तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे समय में भी पाली जिले के कई गांवों के अन्दर जो पड़त लैंड है जिसको वेस्टलैंड कहते हैं और जो किसी गांव में २५ बीघा है, किसी में ४० बीघा है और किसी में ५० बीघा है।

(४.३० म० प०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, (सभापति पदासीन) : इस तरह की वेस्ट लैण्ड को सरकार द्वारा नीलाम कर दिया गया है और जो ठेकेदार हैं वह उस वेस्ट लैण्ड को नीलाम में लेकर जो मवेशी वहां पर चराई के लिए आते हैं उनसे अच्छी दर लेते हैं और जो हरिजन लोग हैं और दूसरे लोग हैं वे वहां से सूखी लकड़ी लेते हैं, तो उनसे भी बहुत बड़ी धन राशि ठेकेदार लोग वसूल करते हैं, उनका शोषण करते हैं और उस समय जबकि अकाल की स्थिति है तब तो यह समस्या और भी गम्भीर हो गयी है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से छोटी छोटी जमीनों के टुकड़े जो कि पहाड़ियों की खोह में है और जहां खड्डे हैं, नदियों के किनारे की जो वेस्ट लैण्ड है उनको नीलाम किया गया। ऐसी छोटी

(श्री मोहनराज)

जमीनों के टुकड़े कोई ५० रुपये में, कोई ६० रुपये में और कहीं २० रुपये में बहुत ही छोटी अल्पराशि में नीलाम कर दिये गये। उनके लिए मेरा निवेदन है कि सरकार उनको स्थगित करेगी और केन्सिल करेगी और चरागाह के अलावा वेस्टलैंड है........

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उपमंत्री, राजस्व) : There is no restriction on the waste land.

श्री मोहनराज : गवर्नमेन्ट ने बेची है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : There is no restriction.

श्री मोहनराज : गवर्नमेन्ट ने बेची है और गवर्नमेन्ट ने नीलाम की है और उप-मंत्री जी बाली पधारे थे उस समय भी मैंने यह समस्या उनके सामने रखी थी कि हमारे यहां इस प्रकार की पड़त लैण्ड नीलाम की जाती है और उससे हरिजनों का बहुत ही शोषण ठेकेदारों के द्वारा किया जाता है और उससे सरकार को जो आमदनी होती है वह बहुत ही कम होती है और नगण्य है। इसलिये इस पर आप तत्काल कार्यवाही करें।

इसके अलावा सिंचाई के बारे में भी मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बाली जिले के अन्दर कई ऐसी योजनायें हैं जो कि प्रेक्टीकली एप्रूव्ड हैं, जो लघु सिंचाई की योजनायें हैं, उनकी हर तरह से एप्रूवल हो चुकी है, टेक्नीकली सेंक्शन उनकी हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी पैसे के अभाव में बड़े बड़े तालाब या बांध का काम रुका पड़ा है, इसलिये मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि अगर इस तरह के कामों के लिए और खासकर लघु सिंचाई योजना के कामों के लिए धनराशि उपलब्ध की जायेगी तो आज जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है वह न करना पड़े और अकाल का बहुत कम प्रभाव हमारे ऊपर पड़े और हम हमेशा के लिए, कई वर्षों के लिए ऐसा हल ढूंढ निकालेंगे जो कि सदा के लिए लाभदायक रहेगा।

यही मेरे कुछ उपरोक्त सुझाव थे जिनको मैंने आपके विचारार्थ पेश किया है।

श्री सभापति : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (माण्डल) : माननीय सभापति जी, दुर्भिक्ष सहायता के लिए जो राशि रखी गयी है, मैं आपकी मार्फत सदन को और मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि यह बहुत ही कम है। जब १९६३-६४ का बजट यहां पर पेश किया गया था तो ११लाख उसमें खर्चा था और कन्सोलिडेटेड फण्ड ने ४० लाख रुपया स्वीकृत किया गया था इस सदन के द्वारा। जब हम १९६३-६४ में ४० लाख रुपया स्वीकृत कर देते हैं और हमें यह सम्भावना रहती है कि हर साल इतने रुपये अकाल में खर्च नहीं पड़ेगा तो फिर इतनी कम राशि क्यों रखी जाती है? इस तरह से हर साल ४० लाख रुपया होता है जिससे १॥ करोड़ रुपया सरकार के पास जमा है और हर साल सरकार ४० लाख रुपया इस फण्ड में जमा कर देती है और ४० लाख रुपये से यदि ज्यादा खर्च हुआ तो भारत सरकार ज्यादा खर्च हुई रकम देती है, यह भी साफ है। तो जो ४० लाख रुपया हमने स्वीकृत किया तब तक तो आप खर्च कीजिए और उसके बाद कंजूसी मत कीजिए। विशेष जो रकम खर्च हो वह भारत सरकार से लें। क्योंकि हमारा राजस्थान का आधे से ज्यादा क्षेत्र अकाल से ग्रसित है। मैं खास तौर

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

से सभापति महोदय, आपके द्वारा सदन के नेता, माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज से २०–२२ साल पहले, मैं जिस इलाके की बात कर रहा हूं, वहां पर बड़ी जोर से बाढ़ आई थी और सारे तालाब टूट गये। माण्डल क्षेत्र में वह ११ पटवार क्षेत्र में जिसमें ५० गांव हैं और उस समय जो सेवा आपने की और आपके साथियों ने की, आपको याद होगा, वह आप बतायेंगे कि लोग आज तक उस भार से दबे हुए हैं और कहते हैं कि हमारी सेवा नेताओं ने बड़ी की और वे बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन उसके बाद जो तालाब टूट गये उस समय यह सार्वजनिक कार्यकर्ता या कांग्रेस-पार्टी या सार्वजनिक पार्टी, शासन जिनके हाथों में नहीं था, वह इस काम के करने में अपने आपको समर्थ नहीं पाती थी क्योंकि उस समय राजाओं का राज्य था। जागीरदारों के वे गांव थे। उस समय जो तालाब टूट गये उनके पेटे में काश्त करने के लिए जो तालाब कम टूटे थे उनको ज्यादा तोड़ दिया ताकि पेटे काश्त तो जागीरदार करें और उसके नीचे की जमीन सिंचित नहीं हो। तालाब के नीचे की जमीन का चाही, का लगान सरकार के द्वारा अब तक लिया जाता है जब कि एक इंच भूमि भी चाही नहीं होती।

मैं याद दिलाऊं कि सन् ६१ में सदन के नेता उस इलाके में गये तो वहां के किसानों ने कहा कि हमने किसी नेता के आज दर्शन किये हैं २० साल बाद। लेकिन आज तक यहां कोई कलेक्टर साहब नहीं आये, सरकारी अधिकारी नहीं आये। क्योंकि यहां के आवागमन के मार्ग दुर्गम हैं। वहां पर किसी के न जाने से यह हालत है कि वे पानी का लगान देते हैं चाही का। तालाब सारे टूट गये। जिनके पेटे में काश्त करके जागीरदार खूब मालदार हो गये, किसान अगर आज बारिश नहीं हुई तो उनको मक्की के दाने भी नहीं मिलते और यदि वहां पर तालाब बंध गये होते तो रबी की फसल हो सकती थी। लेकिन रबी का तो नाम ही नहीं है। इतने वर्षों में यदि सरकार इस तरफ ध्यान देती तो उन किसानों का सरकार तालाब बांधकर भला कर सकती थी और जो नाजायज़ तरीके से लगान लिया गया है वही पैसा उसमें लगा दिया जाता तो यह काम पूरा हो सकता था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अकाल के और बाढ़ के पीड़ित लोगों में कोई फर्क नहीं है। उन लोगों की आवाज यहां तक नहीं पहुँच पाती इससे उनका कोई काम नहीं होता। मैं और याद दिलाऊं कि वहां पर सूदखोरी इतनी बढ़ी हुई है कि वहां पर किसानों के तन पर कपड़ा नहीं और किसान इसलिए दुखी है कि वहां अधिकारी नहीं जाते, कोई कार्यकर्ता नहीं जाता। वहां पर गतवर्ष भी अकाल पड़ा लेकिन कलेक्टर साहब ने उसको अकाल क्षेत्र घोषित नहीं होने दिया। ४ आने के बजाय ५।। आना फसल बताई। इस साल भी अकाल पड़ा है और इस साल सरकार ने उसको अकालग्रस्त एरिया घोषित किया है लेकिन मैं समझता हूं इससे काम नहीं चलेगा...

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अभी नहीं किया।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं समझता हूं कि मुझे जो उप-मंत्रीजी के द्वारा सूचना दी गयी फिर वह गलत है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : एश्योरेन्स दिया था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : जो सूचना दी गई है वह भी सही है और उसको अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया, वह भी सही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अकाल घोषित होता है अक्टूबर के आखिर में, इसलिए अकाल घोषित करने की तो स्टेज नहीं आयी, लेकिन रिलीफ देने के लिए टैस्ट वर्क के तौर पर जहां दिक्कतें हैं वहां रिलीफ दी गयी हैं। इसलिए दोनों के बीच में यह अन्तर है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं अर्ज कर दूं कि उन लोगों को रिलीफ आपको तब तो देना ही चाहिए था जब कि शासन आप लोगों के हाथ में आया। शासन आपके हाथों में नहीं था तब लाखों रुपये दूसरों से लाकर किसानों का भला किया। इससे मैं इन्कार नहीं कर सकता कि वहां उस समय काम नहीं हुआ। तो ३० लाख रुपया आज राजस्थान के लिए कितना कम हो सकता है। मेरे यहां करीब ३५,००० आदमी अकाल ग्रस्त हैं, उनमें यदि २०, २५ लाख रुपया बांट भी दिया जाय तो कुछ भी न हो। राजस्थान में सैकड़ों और हजारों ग्राम हैं और इस रकम को ज्यादा बढ़ाना चाहिए और सेवा का कार्य करना चाहिए। आप इसलिए हंस रहे हैं शिक्षा उपमंत्री कि आपके यहां अकाल नहीं पड़ा।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : हमारे यहां है, लेकिन आपने जल्दी ही होश सम्भाल लिया।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं यही निवेदन करूंगा कि जो हमारे पास संगठित फण्ड है उसमें से और भारत सरकार से ज्यादा रुपया लिया जाय। ४० लाख से ज्यादा जो खर्च हो उसकी भारत सरकार से मांग की जाय और किसानों को राहत पहुंचाई जाय और इस राहत कार्य को २० साल पहले वाली बात को सामने रखकर किसानों के कामों को पूरा करने की मदद करेंगे।

दूसरा यह है कि जो तीन लाख तकावी के रूप में देने का निर्णय किया गया है वह ३ लाख रुपये बहुत कम हैं। आज १ करोड़ जनता के आसपास अकाल से ग्रस्त है तो तीन लाख किन किन को देंगे? आप दे नहीं पायेंगे वह इतना कम है। तकावी देने के लिए जो रकम है उसको ज्यादा करें। स्वयं सरकार बहुत सा रुपया किसी काम में खर्च कर रही है। रुपया तो जमा है, लेकिन काम तो करना चाहिए। इस तरह से ३ लाख से विशेष ज्यादा रुपया देना चाहिए।

और दूसरी जो यह ऋण देने वाली बात है, तकावी के सिवाय दूसरे लोगों में उनकी वसूली में जो ढील है उस ढिलाई में सख्ती करें। यह पैसा ही इतना आ जायगा कि यह किसानों को देदें और इससे किसानों को लाभ होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय, अकाल के सम्बन्ध में मैंने २-३ कट मोशन्स रखे हैं। २१,७५०००) रु० की राशि जो कि सारे राजस्थान में दुर्भिक्ष की अवस्था में इस्तेमाल की जायगी उसके सम्बन्ध में जो अनुपूरक मांग है उसके ऊपर कट मोशन रखा गया है। इस बार राजस्थान की २ करोड़ की आबादी में से सवा करोड़ से अधिक लोग अकालग्रस्त हुए। वैसे तो

(श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा)

अकाल पड़ा राजस्थान के लिए एक स्वाभाविक सी बात हो चुकी है और कहावत भी है कि हर तीसरे साल राजस्थान में अकाल पड़ता है। मुनासिब तो यह था कि आज तक पर्मानेन्ट फण्ड राजस्थान के अन्दर अकाल के लिए निश्चत हो जाता ताकि इस प्रकार की मांगों की आवश्यकता ही न पड़े, जब कि वर्ष दर वर्ष किसी न किसी क्षेत्र के अन्दर हमको अकाल का मुकाबला करना ही पड़ता है। वहां पर हमको रिलीफ वर्क्स स्टार्ट करने पड़ते हैं और हर मुमकिन सहायता पहुंचानी पड़ती है। ऐसा कोई वर्ष राजस्थान का रहा होगा इस सरकार के दौरान में जब कि किसी न किसी क्षेत्र के अन्दर अकाल की अवस्था उत्पन्न न हुई हो और हमें वहां पर रिलीफ वर्क नहीं करना पड़ा हो। इसलिए यह बात सरकार को सोच लेनी चाहिए थी कि अकाल के लिए कोई परमानेन्ट फण्ड हमारे बजट के अन्दर हमेशा होता रहता और जब अकाल की स्थिति उत्पन्न होती तो भगदड़ की अवस्था पैदा नहीं होती, जैसा कि अब के हुआ है। अब जब कि वर्षा नहीं आई, रेन फेल होने लगी, वर्षा का शुरू में अभाव हो गया और राजस्थान की सवा करोड़ आबादी के ऊपर मृत्यु की काली घटा छाने लगी और भारतवर्ष की सबसे उत्तम भेड़ें, जिन्हें राजस्थान में होने का फक्र है, राठी जैसी नस्ल की कीमती गायें जो कि सारे भारतवर्ष में अपना विशेष स्थान रखती हैं, जिसके सम्बन्ध में हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी और कृषि मंत्रीजी हमारी भेड़ें अच्छे से अच्छा ऊन पैदा करें और इसको मुख्य धन्धा मानते हुए इसके अध्ययन के लिए ऑस्ट्रेलिया पधारे। ऐसी स्थिति के अन्दर यह बहुत आवश्यक था कि एक कान्सोलिडेटेड फन्ड हमारा रिलीफ का होता। जब सवा करोड़ की आबादी पर मृत्यु की काली घटा छा गई तो २६ जुलाई को बीकानेर के अन्दर हमारे मन्त्रीगणों, एम० एल० एज़० व प्रधानों का और सम्बन्धित राजस्थान के और बहुत से लोगों का सम्मेलन बीकानेर के अन्दर हुआ, और इस प्रकार की कॉन्फ्रेन्सेज़ जोधपुर वगैरह दूसरे दूसरे स्थानों पर हुई।

सभापति महोदय, जिस क्षेत्र के सम्बन्ध में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं और जिसके सम्बन्ध में आज से ८--१० महीने पहले माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मिल चुका हूं, उप-मंत्राणीजी जो कि अकाल से सम्बन्ध रखती हैं उनसे मेरा पत्र-व्यवहार रहा है, और जिस क्षेत्र के सम्बन्ध में मैंने यहां पर कई बार अर्ज किया है कि जिसके साथ सम्बन्धित क्षेत्र है वह आज से कई वर्षों से अकालग्रस्त चला आ रहा है कि क्या कारण है कि उसके बिल्कुल साथ में लगी हुई अनूपगढ़ तहसील का क्षेत्र अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है, लीलवा, राजी, संसारदेसर, लाखनसर वगैरह--जिसमें आज से ३-४ साल पहले से भूखा है, इसके अतिरिक्त सरकारी लगान नहीं लिया जाता है। इन क्षेत्रों के लगे हुए कई गांव हैं, जैसे नारावली, गोमावाली, ढावा वगैरह व अनूपगढ़ तहसील और वहां की पंचायत समितियों के द्वारा पत्र लिखने के बाद भी, इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करने के बाद भी, जिसकी कार्यवाही एक साल पहले से आरम्भ हो चुकी थी, उसको अकाल-ग्रस्त क्षेत्र नहीं घोषित किया गया और न इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है। मैं डिप्टी मिनिस्टर साहब जो कि अकाल से संबंध रखते हैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने अर्जेन्ट रिपार्ट के लिए कलेक्टर गंगानगर को भेजा और ७ दिन के अन्दर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अन्दर रिपोर्ट चाही, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि कलेक्टर, गंगानगर ने उसको एक कागज़ के टुकड़े से अधिक नहीं समझा और यह भी कतई मुनासिब नहीं समझा कि अकालग्रस्त एरिया का दौरा करे। यह ८ महीने पहले की बात है, लेकिन अब जब कि अवस्था इस हालत तक पहुंच गई कि मरी हुई गायों का और पशुओं का अम्बार लग गया; मैं आपको बतलाऊं कि उस समय तक जब तक कि ५००० राठी गायें मर चुकी थीं और १०,००० गायों का पाकिस्तान को एक्सोडस हो गया....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : What is the basis for it.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जांच कर लीजिये; गायों की मर्दुमशुमारी कर ली जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : जांच करवाई है; उससे आपका कहना बिल्कुल मिलता नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपको जो अधिकारियों से सूचना मिली है उसको मैं चैलेन्ज करता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप उन गांवों में नहीं रहते हैं और अधिकारी गांवों में रहते हैं, वे स्थति को जानते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वे गांवों में नहीं रहते हैं। जिन अधिकारी का मैं जिक्र कर रहा हूं, वे ५ बजे के बाद अपने बंगले के सामने टेनिस खेला करते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पटवारी और इन्सपेक्टर रिपोर्ट करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अधिकारीगण दौरा नहीं करते हैं। थोड़े दिनों पहले समाचार मिला था कि कलेक्टर गंगानगर ने ११ पटवारियों को केवल इसलिए सस्पेन्ड किया है कि वे अकाल-ग्रस्त क्षेत्र में नहीं गये। आपके पटवारी की जो इतला आती है उस पर किसी तरह भी विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर पटवारियों की सूचना वास्तविक होती तो कलेक्टर गंगानगर को ११ पटवारियों को मोअत्तिल करने की जरूरत नहीं थी।

उस क्षेत्र के तहसीलदार बाकायदा दो महीनों से छुट्टी पर थे और वहां के नायब-तहसीलदार उस क्षेत्र में कतई नहीं गये जो स्वयं कलेक्टर ने मीटिंग में स्वीकार किया, जिसमें गंगानगर जिले के सारे एम. एल. एज. और प्रधान मौजूद थे।

मैं अर्ज कर रहा था कि जब बहुत भारी संख्या में हमारी कीमती भेड़ें और गायें मरनी शुरू हुईं और उसके साथ साथ जब कि हजारों की तादाद में गायें पाकिस्तान जाना शुरू हुईं तब कहीं थोड़ा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। मैं यह भी कहने को तैयार हूं कि २६ जुलाई को जब कलेक्टर गंगानगर आये, मुख्य मंत्रीजी स्वयं मौजूद थे, तो इस बात को माना नहीं गया कि अनूपगढ़, सूरतगढ़ वगैरह में किसी प्रकार का काल है। यदि माना गया तो इतना ही माना गया कि भादरा तहसील के केवल ५० गांवों में काल है और कहीं नहीं है। यदि कुछ कार्यवाही उनके खिलाफ करते हों तो मैं मंत्री जी से चैलेन्ज से कह सकता हूं कि कलेक्टर की २६ जुलाई तक की डायरी मंगाकर देख लीजिये। कलेक्टर ने गंगानगर क्षेत्र में और किसी भी क्षेत्र में दौरा नहीं किया, किसी गांव का दौरा नहीं किया।

(श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा)

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त सबसे भयानक चीज थी हमारे पशुधन का पाकिस्तान में जाना। कलेक्टर, गंगानगर ने अकाल की स्थिति पर सोचने के लिये मीटिंग उस समय बुलाई जब हजारों पशु मर चुके थे, जब अकाल अपनी चरमसीमा तक पहुंच चुका था, जब गंगानगर तहसील के कुछ गांवों में रिम झिम, रिम-झिम पानी बरस चुका था। तब चारे के डिपो खोलने के लिये कलेक्टर गंगानगर ने उस जिले के सारे एम. एल. एज. और प्रधानों को बुलाया और पूछा कि आप अपने इलाके की स्थिति बताइये। लेकिन सभापति महोदय, इस बात की उनको निश्चित सूचना दे दी गई थी कि बीकानेर डिविजन का पशुधन पाकिस्तान में जा रहा है। उन्होंने इस बात को मीटिंग में स्वीकार किया कि वाकई इस प्रकार की कार्यवाही हुई। उनको यह सूचना दी गई कि राठी गायें, बरानी, पूगल, छतरगढ़ तक के इस सारे क्षेत्र में बैठी भूखों मर रही हैं और इन गायों के मालिक इस बात की सहायता चाहते हैं कि हमारे रास्ते में चारे का प्रबन्ध करें तो हम इस पशुधन को लेकर फीरोजपुर दरिया को चले जायेंगे और वहां पर अपने पशुओं को चरायेंगे। यह बात आपके अधिकारियों के सामने वहां के चुने हुए नुमायन्दों ने कही कि आप अनूपगढ़, सूरतगढ़, नोहर, भादरा क्षेत्र में और विशेषकर उस क्षेत्र में जो बोर्डर से लगता है वहां पर सरकार चारे का प्रबन्ध करे जिससे कि ये गायें और पशु फीरोजपुर पहुँच सकें और वहां के दरिया के बीड़ में चराकर जिन्दा रख सकें। इस बात की ओर भी उनका ध्यान दिलाया गया कि रीचड़ा के पास गंगानगर का नहरी इलाका है वहां पर भी इनके लिये प्रबन्ध किया जा सकता है। लेकिन सभापति महोदय, इतनी तादाद में बीकानेर के पशु, अनूपगढ़ के पशु, नौहर के पशु, भादरा के पशु, गंगानगर के क्षेत्र में आये तब तक चारे का जो थोड़ा सा स्टोक था वह खत्म हो चुका था। अगर नक्शा देखा जाय तो रोजड़ी से पशु यदि गंगानगर के किसी चक में आते हैं तो उनको उतना ही फासला तय करना पड़ेगा जितना बीकानेर के पशुओं को वहां तक आने में तय करना पड़ता है। इसलिये आप यह दलील न बतावें कि हमने पशु-धन को बचाने के लिये प्रबन्ध किया था, जगह जगह चारे के स्टॉक बनाये।

सभापति महोदय, कुछ चारे के डिपोज़ खोलने के लिए उस मीटिंग में तय किया। यह तय किया कि आज उन लोगों के खरीद की शक्ति कम हो गई है, नाटावलो और गोमावली की ५-६ जगहों पर, नोहर, भादरा में, ५-६जगहों पर और सूरतगढ़ के कुछ जगहों पर रिलीफ कार्य शुरू किये जाय ताकि इन लोगों की खरीद की शक्ति बढ़े। इसके साथ ही राजस्थान कैनाल के लोगों ने घोषणा की कि ४० हजार लोगों को राजस्थान केनाल क्षेत्र में रोजी दे सकते हैं। यह भी घोषणा उन्होंने कर दी कि जो लोग राजस्थान कैनाल क्षेत्र में जाना चाहें वे वहां जाकर काम करें। इसके अतिरिक्त उन इलाकों में भी नहरों वगैरह का काम शुरू कर दिया ताकि उस इलाके के लोगों को यहीं पर काम मिल सके और उनकी खरीद शक्ति ठीक हो सके। जो डिपोज़ सरकार की तरफ से खोले गये वे पूरी तरह से सफल नहीं हुए, यह बात स्वीकार की गई। जो डिपोज़ रामगढ़, अनूपगढ़ में खोली गई वहां सप्लाई ज्यादा नहीं थी, वहां पर लोगों को चारा ४) रु. मन दिया गया जब कि प्राइवेट लोग ३) रु. मन बेचते थे। सरकार का चारा बिकना मुश्किल हो गया

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

तब काफी समय के बाद ३) रु. मन के भाव से चारे की बिक्री की गई।

सभापति महोदय, जहां तक अकाल की स्थिति का प्रश्न है उसमें एक और भी स्थिति शामिल हो जाती है। गंगानगर जिले में २२ हजार एकड़ रकबा भाखरा क्षेत्र में इस प्रकार का है जिसको नहर का कमान्ड एरिया मान कर नहरी क्षेत्र माना गया, लेकिन सरकार इतना पानी दे नहीं सकी जितना एरिया कमान्ड में लिया, जितनी नहरें खोदी, जितने एरिया को फीडर माना गया उस एरिया के लिये काफी धन-राशि खर्च कर दी। असिस्टेन्ट इंजीनियर और ओवरसीयर वहां के लिये तैनात कर दिये गये, इस प्रकार सरकार ने लाखों रुपयों की राशि २२,००० एकड़ भूमि के लिये खर्च कर दी। उसके बाद जब पानी नहीं दे पाये तो सरकार ने उस २२,००० एकड़ जमीन को अनकमान्डेड माना, कल्चरेबल माना और यह एलान किया कि इस २२,००० एकड़ भूमि में पानी नहीं दे सकेंगे। उसमें से बहुत सी लैंड एक्वायर की गई, बहुत से लोगों के ऊपर चार्जेज लगाये गये। आज वही भाखरा की जमीन बारानी पड़ी है, वहां पर पानी का एक बूंद नहीं है। पिछले चार-पांच साल से वहां अकाल पड़ता है, लेकिन सरकार किसी प्रकार भी उसको अकाल क्षेत्र मानने को तैयार नहीं है।

इसके अलावा कलेक्टर्स की मीटिंग में यह तय हुआ था कि जहां तक गंगनहर से पानी पहुंचता है, राजस्थान कैनाल के निर्माण के लिये गंगकैनाल से पानी जहां तक ले जाते हैं, उसको आगे बढ़ाया जायगा और बीकानेर के गांवों में पानी ले जाने की कोशिश करेंगे। इस अकाल में एक चीज यह हुई कि जैसे-जैसे अकाल की भयानकता बढ़ती गई वैसे वैसे पानी लाने की दूरी बढ़ती गई। पहले जिनको ५ मील की दूरी से पानी लाना पड़ता था उनको १० मील से लाना पड़ा और उसके भी बाद में २० मील से या २५ मील की दूरी से पानी लाना पड़ा। अकेले कूपड़ी गांव में इस अकाल में पानी के व चारे के अभाव में १२०० भेंड़े मर चुकी हैं जब कि राजस्थान कैनाल के सिलसिले में एक माइनर बनाया था उसको नाटावाली और गोमावाली तक बढ़ाने की बात बताई थी। कलेक्टर ने बताया था कि यदि इसे नाटावाली और गोमावाली तक बढ़ा दिया जाय तो इस इलाके में पानी पहुँचने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा माइनर के जरिये पानी और भूमि द्वारा तक ले जाना चाहा था लेकिन नहीं ले जा सके। यदि ये शुरूआत में इसका निर्माण करते, गंगानगर से माइनर निकालते, जहां तक राजस्थान कैनाल के लिये गंगनहर के पानी का इस्तेमाल किया जाता था उससे आगे बढ़ाकर पानी पहुँचाने की कोशिश करते तो इतने पशुओं को मरने से बचाया जा सकता था, उनकी रक्षा की जा सकती थी। यदि वक्तसर जारूक रहते तो यह सब कुछ किया जा सकता था, लेकिन वहां तो स्थिति यह थी कि ५ बजते ही कलेक्टर गंगानगर दुनिया के सब काम छोड़ कर अपनी नवविवाहिता स्त्री के साथ टेनिस खेलना ज्यादा पसन्द करते थे। बजाय पशुओं की रक्षा करने की बात सोचने के।

सभापति महोदय, मैंने ये शब्द बहुत दुखी होकर कहे हैं। मैं मानता हूँ कि मुझे इस हद तक नहीं कहना चाहिये था। मैं यह भी चाहूंगा कि ये शब्द कार्यवाही में भी नहीं

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रखे जायं, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति रही है और स्थिति यह थी कि एक तरफ पशुओं की लाशों का अम्बार पड़ा था, उन पर गिद्ध मंडरा रहे थे और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ने इसे मजाक समझ कर हजारों एकड़ धरती का नीलाम शुरू कर दिया था। हजारों की तादाद के अन्दर विजयनगर और जावर के लोग एकत्रित करना शुरू कर रहे थे। एक तरफ हजारों पशु मर रहे थे, इन्सान बीस मील दूर पानी के लिए जाते थे, दूसरी तरफ हजारों एकड़ जमीन का खुला नीलाम शुरू हो रहा था और लोगों का बीस-पच्चीस साल का कब्जा तोड़ा जाने लगा था। इस प्रकार की अवस्था में हजारों लोगों को इकट्ठा करने लग गये। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि पन्द्रह हजार एकड़ जमीन जिन किसानों के पास थी, उनका कब्जा उस जमीन को नीलाम करके तोड़ा गया...

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मंत्री, राजस्व) : पन्द्रह हजार एकड़ जमीन नीलाम नहीं की गई, इतने आदमियों को डिस्प्लेस कैसे कर दिया गया ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लड्ढा साहब, पिछले सालों से उनका कब्जा है, १६४६ से कब्जा था...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इसका अकाल से क्या सम्बन्ध है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अकाल से सम्बन्ध है, बहुत है। आपके दिमाग में यह बात नहीं आती है तो मैं क्या कर सकता हूं। इसका यह सम्बन्ध है कि एक ओर राजस्थान का लाखों एकड़ का क्षेत्र है जिसमें चार-पांच साल से अकाल है, राजगढ़ का क्षेत्र है, अनूपगढ़ का क्षेत्र है; भादरा, सूरतगढ़ का क्षेत्र है, नोहर, लूणकरणसर का क्षेत्र है। इनमें जो लोग जमीन पर कब्जा किये बैठे हैं, जिन लोगों ने जमीन का लगान दिया है, राजस्थान नहर निर्माण कार्य में काम करके मजदूरी लेकर उस रकम से सरकार का लगान चुकाया है, उन लोगों पर सरकार के हजारों की तादाद में नोटिस जारी किये हैं कि तुम लोगों को बेदखल क्यों नहीं कर दिया जाय। एक ओर हाई कोर्ट का फैसला हुआ है, और जो १५ ए डिलीट हुई है उसको हाई कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है कि राजस्थान कैनाल क्षेत्र में १६५५ से पहले जिनका कब्जा था उनको खातेदारी हक दिये जायं। सभापति महोदय, कमिश्नर, डाइरेक्टोरेट ऑफ कोलोनाइजेशन ने एक तखमीना बना कर सरकार के सामने पेश किया कि हम राजस्थान कैनाल एरिया के अन्दर खातेदारी हक दे दें तो हमको ६ करोड़ रुपये का सारा घाटा होगा। एक साजिश शुरू हुई कि १६५५ से पहले का जिनका कब्जा है...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय सभापति जी, मैंन सवाल तो यह है कि यह डिमान्ड फेमिन की है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनको उससे बेदखल कर दिया जाय....

श्री सभापति : दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हजारों की तादाद में नोटिस जारी किये गये है...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : How far is it relevant with the demand, Sir ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप बेचैन न हों, आप जांच कर लीजिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : करली है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको रिप्रेजेंटेशन दिये हैं, उससे मैं जानता हूं कि आपका क्या रुख है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा) : What is the relevancy with the demand, Sir ?

श्री सभापति : अभी हम दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। खातेदारी के हक देना या न देना, यह अलग प्रश्न है। मैं निवेदन करूंगा कि दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में हीं आपनें विचार प्रगट करें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में ही बोल रहा हूं । उन लोगों के साथ क्या व्यवहार किया गया है, यह बता रहा हूं । उनको चारा देना अलग था, पानी देना अलग था, उनकी रक्षा करना अलग था, उनके पशुओं की रक्षा करने की व्यवस्था करने का प्रश्न अलग था, लेकिन उन लोगों की हजारों एकड़ जमीन पर से, जिस पर उनका कब्जा था, अब उनको बेदखल किया जा रहा है, वे लोग जो देश की महान् योजना पर निर्माण कार्य कर रहे हैं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : राजस्थान नहर पर काम कर रहे हैं, उनको रिलीफ मिल गया है और पानी भी मिल गया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनको रिलीफ और पानी तो मिल गया, लेकिन उनसे भूमि के उन टुकड़ों को छीना गया है, उस धरती पर उनका अधिकार वर्षों का था, उनसे उनको बेदखल कर रहे हैं । जिस तरह नीरो ने फ्ल्यूट बजाई जब रोम जल रहा था, उसी तरह कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट ने उस वक्त धरती का नीलाम शुरू किया, जिस वक्त हजारों पशु मर रहे थे, हजारों पशु पाकिस्तान जा रहे थे । मैं महसूस करता हूं, जब मैं वहां की स्थिति बयान करता हूं तो आपको बेचैनी पैदा होती है, आपके दिल में एक टीस पैदा होती है, लेकिन आपने जो अन्याय राजस्थान नहर क्षेत्र के कई साल से अकालग्रस्त क्षेत्र के लोगों की पर किया है वह इतिहास में काले दाग के रूप में रहेगा । आप इसकी इन्क्वायरी कीजिये और इसको ठीक करने का फैसला कीजिये ।

श्री सभापति : श्री मानसिंह महार ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सभापति महोदय, मेरे अकाल सहायता के मुतल्लिक दो कटोती के प्रस्ताव हैं । मैं अभी सुन रहा था तो मेरा दिल भी बिल्कुल, जब वे रोम और नीरो और इसकी बात कर रहे थे, बहुत दुःखी हो रहा था । मैं सुन रहा था तो यह सोच रहा था कि कोई अपनी नव-विवाहित पत्नी के साथ घूमता है तो कोई गुनाह नहीं है । चेयरमेन महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि कोई आदमी शाम को छुट्टी पाकर नव-विवाहिता पत्नी के साथ विहार करता है तो वह उचित है । माननीय सदस्य.........

एक माननीय सदस्य : अनुचित कौन-सा है ?

श्री मानसिंह महार : माननीय सदस्य

(श्री मानसिंह महार)

जिन्होंने यह बात कही, उनकी अपनी बीवी से अनबन होगी । इसलिये मैं कहूँ कि अपनी प्रेमिका के साथ विहार करना कोई गुनाह नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात कह कर व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं निकालनी चाहिये ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : यह साधुवाद कब से धारण किया है ?

श्री मानसिंह महार : जब से आप जैसे पूंजीपति लोग उनके लिए खड़े हो गये ।

मैं निवेदन कर रहा था कि बीकानेर इलाके की कमियां बहुत से लोगों ने रखीं, जोधपुर के बहुत से लोग वहां की कमियां रखने वाले हैं कि वहां यह था, वह था । मैंने सोचा, देवगढ़ और भीम की भूमि के कुए सूख गये, तो मैंने यह सोचा कि हमारा जीना मुश्किल है । जयपुर का नम्बर पीछे है कुओं के लिहाज से; यहां कुए बहुत नीचे हैं । जब देवगढ़ और भीम की भूमि में कुए सूख गये तो हमारे लिए जीना दूभर हो जायगा । मैं निवेदन कर रहा था कि जयपुर की तो ऐसी हालत में कहीं गिनती नहीं है । हमारे यहां अकाल तो कई वर्षों में पड़ता है लेकिन फिर भी ऐसा अकाल नहीं पड़ता है । इन इलाकों में, जिनमें हमेशा अकाल पड़ता है, स्थिति भी कुछ भिन्न है । वहां के काश्तकारों के पास काफी जमीन है । मेरे कई रिश्तेदार हैं, उनसे मैं बात करता हूं । वे कहते हैं कि हमारे यहां एक साल में इतनी खेती होती है कि हमारे यहां तीन साल तक दुर्भिक्ष पड़ जाय तो हमारे पास अनाज की कमी नहीं आयेगी, चारे की कमी नहीं आयेगी, पानी की भी समस्या नहीं है, क्योंकि उस इलाके के पशु इतने अभ्यस्त होते हैं कि तीन दिन में भी पानी पिलाया जाय तो वे जिन्दा रहते हैं । लेकिन मैं ऐसे इलाके से आता हूं, जहां के लोगों के पास दस-पन्द्रह कच्चे बीघे से ज्यादा किसी के पास भूमि नहीं है । वहां अकाल पड़ जाय, तो वहां के मवेशी खत्म हो जायं । यही नहीं, चेअरमैन महोदय, हमारे यहां पर बैलों की बहुतायत है । हमारे यहां बैलों की संख्या ज्यादा है । यहां फेमिन नहीं रहता है । लेकिन लोग जब यह देखते हैं कि अब की बार बारिश नहीं होगी तो चारे का प्रबन्ध आषाढ़ तक करते हैं । श्रावण में हमारे इलाके के अन्दर चारे की कमी आती है । आषाढ़ में बारिस फेल होती है तो चारा वगैरह बोते हैं कुए से पानी निकाल कर । लेकिन आषाढ़ और श्रावण में बारिश फेल हो जाय तो जयपुर जिले में हाहाकार मच जाता है । मैं निवेदन करूंगा कि जिला परिषद की मीटिंग हुई श्रावण के महीने में तो मैंने कलेक्टर से और दीगर अफसरान से कहा कि हमारे यहां चारे की व्यवस्था करनी है । आप इमीजियेटली व्यवस्था कर सकते हैं तो कर दीजिये वर्ना हमारे यहां बैल मर जायेंगे और बैलों के मरने के बाद आयन्दा खेती करने में दिक्कत आयेगी । मैं एक विशेष बात की ओर मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे कलेक्टर साहब से जब यह कहा तो उन्होंने कहा कि जयपुर फॉरेस्ट रेंजेज हैं उनमें पचीस हजार मन घास पड़ा हुआ है । आप बता दें कि आप किधर किधर ले जाना चाहते हैं, तो मैं अभी व्यवस्था कर दूं । वहां पर जाकर हमने तलाश किया क्योंकि जयपुर जिले के अन्दर दो माह से बरसात बिल्कुल नहीं

Page No.63

(श्री मानसिंह महार)

हुई थी और चारे और अनाज की पूरी कमी हो रही थी, तो वहां पर हमको यह सूचना मिली कि पच्चीस हजार मन घास में से बीस हजार मन घास भीलवाड़ा के लिए रिजर्व कर दी हैं। मै आपसे निवेदन करूं कि जयपुर में अकाल पड़े, जयपुर के मवेशी मरते हों, जयपुर के लोग चारे के लिये त्राहि त्राहि कर रहे हों, उस समय जयपुर फोरेस्ट रेंज में से पच्चीस हजार मन घास में से बीस हजार मन भीलवाड़ा के चारा डिपो के लिये दे दिया जाय, इससे बढ़कर सरकार के पक्षपात और शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। में निवेदन करूं, चेअरमेन महोदय, चारे की कमी की वजह से हम वहां गये और वहां पांच हजार मन घास मिली, पांच हजार मन घास जयपुर के लिये, जयपुर जितने बड़े जिले के लिये। आप सोचिये, यह जिला कोटा डिवीजन के बराबर है। इसलिये किसी ने एक पैसे का भी घास नहीं उठाया। आप सोचिये कि अगर यहां बरसात नहीं होती तो जयपुर जिला बरबाद हो जाता। अगर जयपुर जिले में दुर्भिक्ष पड़ जाता है तो यह जयपुर जिला बरबाद हो जाता है, क्योंकि यह सरकार कभी भी जयपुर जिले को मदद नहीं करती क्योंकि यह सरकार यह समझती है कि जयपुर जिला वह जिला है जिसने इस सरकार में अविश्वास व्यक्त किया है। जयपुर जिले के नाम से ही मन्त्रियों के नाक चढ़ जाते हैं। हमारे मन्त्रीगण इसको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : जयपुर जिला तो इतना पसन्द है कि सब यहीं आकर बस गये हैं।

श्री मानसिंह महार : बस गये तो क्या हुआ ? बस गये, यह तो ठीक है लेकिन आप इसके प्रति वफादारी नहीं है।

श्री योगेन्द्रसिंह हांडा (रायसिंहनगर) : काम करने आई थी और घर वाली बन बैठी।

श्री मानसिंह महार : इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जयपुर जिले के साथ बड़ा भारी सौतेला व्यवहार किया गया है। जब अकाल की स्थिति का जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि यहां तो भारी वर्षा हुई है। मैं मानता हूं कि जब से वर्षा शुरू हुई है उससे चारे की सुविधा हो गई है। जहां पर आधे श्रावण वर्षा हो गई वहां पर फसल भी अच्छी है। लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां आषाढ़ और श्रावण से पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी, वहां पर फसल नहीं हो सकती। यहां पर ऐसे कई गांव है जिनको आप देख लीजिये कि एक गांव में वर्षा हुई है तो दूसरे गांव में नहीं, फिर तीसरे में वर्षा हुई तो कुछ गांवों में नहीं और वे दुर्भाग्यशाली रहे हैं। मैं खास कर चीफ मिनिस्टर का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जहां श्रावण के महीने तक बूंदें नहीं पड़ीं वहां पर सरकार लोगों को चारे की तकाबी की सहायता दे और उसी प्रकार से दे जिस प्रकार से जोधपुर और अन्य दूसरी जगह पर चारे की सहूलियतों के लिये तकाबी देती है। जयपुर का जिला जहां पर बाजरी भी होती है वहां पर फसल रुपये में दो आना है और दूसरी जगह भी आप देखें तो आपको मालूम होगा कि हमेशा के मुकाबले में फसल चार आना होगी। इसलिये मैंने यह कटौती का मोशन इसी बात को लेकर सदन के समक्ष रखा है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि सरकार के हाथ पैर तो उनके नीचे के

Page No.64

(श्री मानसिंह महार)

अफसर ही है और पर्टीक्यूलर ऑफिसर की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं करूंगा क्योंकि अफसर तो अफसर ही होते हैं। जिसका नाम अफसर, वे गांव गांव में जावें और पटवारी भी आप जानते हैं कि आपके यहां अफसरों की क्या स्थिति है, इसलिये में यही निवेदन करूंगा कि जिलाधीश या उनके कोई सहायक को आप हुक्म फरमावें कि वे जयपुर जिले में इसकी सर्वे करावें और जो गांव ऐसे हों जिनमें अकाल की स्थिति हो वहां पर रिलीफ वर्क करना चाहिये और चारे की तकावी का प्रबन्ध करना चाहिये। मैं आपकी जानकारी के लिये कुछ स्थानों के नाम बताता हूं :--

चौमू का इलाका सारा है, सामोद, बारा, बैराठ में धौली की तहसील; भोरीजा, महरकलां, बैराठ में बरबाड़ा की तहसील

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वह तो पोलिंग स्टेशन है।

श्री मानसिंह महार : आपको तो अपनी कॉन्स्टीट्युएन्सी बदलनी है, आपको तो चिंता नहीं, मगर मुझे तो जीना है।

तो मैं निवेदन कर रहा था और खास कर अकाल मन्त्री जी से कि वे जयपुर जिले की तरफ ध्यान दें, (श्री उप मन्त्री, राजस्व की संकेत कर) आप हंस रहे हैं, आप भी जानते हैं कि बन्दर को नचाने के लिये इधर-उधर करते हैं......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : पहले भी यही शब्द कहे थे। अबकी बार भी आप बन्दर कहते है। अबकी बार बन्दर कौन है ?

श्री मानसिंह महार : आपको (शोरगुल) बन्दर की तरह नचाते हैं। बन्दर कौन है इसका तो मैंने फैसला कर दिया। मेरे मित्र को इसकी चिन्ता नहीं होनी चाहिये।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप जयपुर जिले की अवहेलना करते हैं, यह बहुत खतरनाक है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर वे स्थिति को देखना चाहें तो मैं मोटर में बैठा कर ले जाऊंगा, मोटर के पैट्रोल का खर्चा मैं दूंगा, राजस्थान सरकार को टी. ए., डी. ए. की बचत होगी। आप मेरे साथ चलें। इलाका जयपुर से ३० मील की दूरी पर है। मैं नहीं चाहता कि सरकार का पैट्रोल खर्च हो, इसलिये मैं पैट्रोल दूंगा, आप मेरे इलाके में चलें अगर आप दफ्तर के समय को खर्च नहीं करना चाहें तो रात को मेरे साथ चलें, मैं आपको रात को ले जाऊंगा जिससे दफ्तर का समय भी ज़ाया नहीं होगा और दूसरे दिन आपको वह इलाका दिखाकर सेक्रेटेरियेट के समय पर वापिस पहुंचा दूंगा। वे जयपुर का दौरा करें। आपके कलेक्टर तो हैं। मै यह नहीं कहना चाहता कि जयपुर के कलेक्टर इतना लम्बा कार्यकाल होते हुए दो घंटे दफ्तर में आते हैं। यह हमेशा का कार्यक्रम है। एक दिन मैं जब वे ऐसा करें तो उनके लिये टेलीफोन करने वाला हूं कि कलेक्टर साहब अब आये हैं। आप खुद देख सकते हैं। आप इस बात को रेकॉर्ड पर मत लाइये, मगर आप इस बात की खुद जांच कर सकते हैं। रेकॉर्ड पर लाना ठीक नहीं क्योंकि अब आपके एम. एल. ए. तो रहे नहीं आपके आदमी कम हो गये। जो थे वे भी सब टूट

Page No.65

(श्री मानसिंह महार)

गये । शायद नन्दवाना जी कोई नई पार्टी अपनी बना रहे हैं जो मैं समझता हूं जयपुर में कामयाब नहीं हो सकते ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : यहां तो दिल्ली ही कामयाब हुई है ।

श्री मानसिंह महार : आप लोगों को तो उसने हमेशा धक्के देकर निकालने की कोशिश की है । लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि यहां पर सारे मेवाड़ी आकर बैठ गये । यहां पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स बिठा दिया है, इसलिये थोड़े घबराते हैं ।

एक माननीय सदस्य : मेवाड़ियों से हमेशा घबराते रहे हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मानसिंह महार : घबराने से आपका क्या मतलब है ? मेरे तो मंत्री बड़े प्रेमी हैं । मैं कोई घबराता नहीं, क्योंकि जिस तरह से पहले वालों के अरमान मिट गये उसी तरह से मेवाड़ के भी नहीं रहेंगे । जिस तरह से जयपुर का वहां प्रेम ऊपर पहुंच गया तो वहां भी वही हालत होने वाली है । यह बात तो हो गई । मेरा निवेदन यह है कि आप गंगानगर और अनूपगढ़ की तरफ मुड़ जावें और यहां पर छोटी सी बात कहते हैं उस पर भी आप ध्यान नहीं देते । इसका कारण यह है कि आप विरोधियों का कम विश्वास करते हैं, आप अपनी पार्टी वालों की बात को ज्यादा मानते हैं, विरोधियों की सच बात को भी नहीं मानते और आपकी पार्टी के लोगों की झूठी बात हो तो भी आप मान लेते हैं ।

अंत में मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आप इलाकों में जाना चाहें तो मैं आपको अपने इलाकों में ले जाकर वहां की हालत आपको दिखा सकता हूं कि वहां पर चार आने से अधिक चारा नहीं है । वहां पर वास्तविकता में स्केयरसिटी है । इसलिये उस एरिया को सहायता दी जाए ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदय, मांग संख्या ५२, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता के संबन्ध में मेरे दो कट मोशन्स हैं ।

श्री सभापति : (रावल श्री अमरसिंहजी) एक पर्ची भेजने पर) आपकी पर्ची आई है । यह मोशन मूव हो जाय, उसके बाद आपको चान्स दिया जायगा ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सभापति मोहदय, जिला जालोर में दूसरे जिलों की भांति अकाल की एक विशेष स्थिति पैदा हो गई थी, मगर अब कुछ इलाकों में हालत सुधरी है परन्तु बहुत से इलाके में अभी तक भी विषम स्थिति है जैसा कि वहां के जिलाधीश महोदय ने राज्य सरकार को सूचित किया है । गये महीने की १५ तारीख तक तहसील सांचोर में दो गांवों में वर्षा हुई थी और उसके बाद नेहड़ एरिया जो तहसील का तीसरा हिस्सा है जिसमें लूनी नदी के आने न आने पर खेती निर्भर होती है या ज्यादा वर्षा होने पर खरीफ की फसल होने की उम्मीद होती है, खरीफ फसल के लिए थोड़ी वर्षा से गुजर नहीं चलता । पिछले वर्ष भी मैने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था लेकिन उस समय वहां के अधिकारियों ने ऐसी आशा व्यक्त की थी कि शायद लूनी नदी आ जाए और स्केयरसिटी की हालत है वह सुधर

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

सकती है, इस आशा में समय पर रिपोर्ट पेश नहीं करने की वजह से गांव की हालत खराब रही यहां तक कि लोगों को रबी के लिये भी भीषण स्थिति का सामना करना पड़ा।

इस इलाके की ओर एक नया सर्कूलर ग्रेजिंग फीस का जारी होने पर उस क्षेत्र के ५० हजार के एरियर्स वहां डिमान्ड में बढ़ा दिये गये, यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है और इस बारे में भी मैं राजस्थान सरकार का ध्यान विशेष तौर से आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि सांचौर तहसील का १।३ एरिया नेहड़ एरिया है। वहां लूणी नदी के इनन्डेशन होने की हालत में ही काश्त संभव हो सकती है और सारे इलाके के मवेशी वहां जाकर चरते हैं, गुजरात राज्य के मवेशी भी यहां आकर चरते हैं।

८,१० दिन पूर्व नेहड़ में एक ही बरसात हुई है, ऐसी सूचना आई है। मैं मुख्य मंत्रीजी का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसे ही बरसात की सूचना मिली आठ-दस हजार भेड़ें, आठ-दस हजार मवेशी कच्छभुज इलाके से इस क्षेत्र में आ गये। जैसे ही बरसात हुई और घास उगने की हालत में ही और उस समय वहां भेड़ मवेशी यदि फिर गये तो बड़ी ही विषम स्थिति पैदा हो जायगी, वैसे ही वहां चारे और पानी की कमी है। पर क्या किया जाय; वहां के अधिकारी ने उनके बारे में विचार किया कि क्या किया जाय पर राज्य सरकार की ओर से क्लीयर इन्स्ट्रक्शन्स नहीं होने की वजह से और दूसरी स्टेट का मामला होने की वजह से वहां की भेड़-मवेशियों को वापिस डाइरेक्ट करने में मजबूरी रही। वह मवेशी हमेशा इस एरिया में आती है। मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हर साल वे लोग अपने मवेशी यहां पर लाते हैं। पहले वहां के जो जागीरदार थे वे उन मवेशियों की ग्रेजिंग फीस उन लोगों से वसूल किया करते थे। पर अब इस प्रकार के रूल्स न होने की हालत में कोई ग्रेजिंग फीस वसूल नहीं की जाती। वहां के स्थानीय तहसीलदार ने सूचित किया था कि वहां बाहर के मवेशी आयें उनसे ग्रेजिंग फीस वसूल कर ली जाय तो ठीक रहेगा। पर वहां के स्थानीय मवेशियों पर ग्रेजिंग फीस लगाई जाती है तो उसका पेमेंट करना मुश्किल है, अगर उनकी मवेशी नीलाम कर दी जाय तो भी वे पेमेंट नहीं कर सकते। तो सांचोर तहसील के इस वन थर्ड एरिया में, सांचोर तहसील में अब भी अकाल की स्थिति है, वहां फोडर होने की कोई संभावना अभी तक नहीं है। रात ही को टेलिफोन से बात करने से पता चला है कि उस इलाके में स्थिति बहुत खराब है और वहां ऐसी वर्षा नहीं हुई है कि पर्याप्त मात्रा में घास हो। इसलिए राजस्थान सरकार का ध्यान विशेष तौर से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

हमेशा इस इलाके में स्केयर्सिटी कन्डीशन्स रहती हैं, इसलिये इस इलाके में पहले भी स्केर्यसिटी कन्डीशन्स घोषित की गई थीं पर राज्य सरकार की ओर समुचित प्रबन्ध नहीं होने के कारण वहां मवेशी मर गये। जालोर, सांचोर क्षेत्र में मवेशी बहुत ज्यादा हैं, आधे से ज्यादा लोगों का धंधा मवेशी पालन का है। अतः मैं मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां की मवेशी को समय पर बचाने का इन्तजाम नहीं किया गया तो वहां के मवेशियों की बड़ी क्षति होने की संभावना है। इस क्षेत्र के पास में गुजरात स्टेट है, वहां घास उपज

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

जाता है, वहां पशु जाया भी करते हैं पर इस क्षेत्र की मवेशी को लेने की स्थिति उस स्टेट की नहीं है। कच्छभुज के मवेशी हमारे यहां बहुत ज्यादा तादाद में आ जाते हैं।

इसलिये मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गुजरात स्टेट से हजारों की तादाद में मवेशी इस एरिया में आते हैं, उन मवेशियों को इस एरिया में एन्टर न करने देने का इन्तजाम किया जाय ताकि निकट भविष्य में उस एरिया में वर्षा हो जाय या अजमेर के इलाके में अच्छी वर्षा हो जाय जिससे कि सूनी नदी आ जाय तो वहां हालत ठीक होने की उम्मीद हो सकती है और फोडर होने की संभावना हो सकती है। वहां खरीफ फसल तो होती नहीं इसलिये उस एरिया की ओर ध्यान दिया जाय, विशेष रूप से २८ गांवों की लिस्ट वहां के जिलाधीश महोदय ने राज्य सरकार के पास भेज दी है, उसके बारे में सरकार विशेष प्रबन्ध करे।

वहां पर विशेष प्रबन्ध करने की आवश्यकता है, इस तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर घास का कोई बीड़ नहीं होने की वजह से, जालोर जिले में घास का प्रबन्ध नहीं होने की वजह से वहां घास मिलने की संभावना नहीं और अगर बाहर से लाकर घास उस एरिया में बेचा जाय तो ट्रान्स्पोर्ट चार्जेज से इतना मंहगा पड़ता है कि उतनी मंहगी रेट से वहां घास बिकना भी असंम्भव है। इसलिये लोगों को एडीक्वेट रिलीफ देने के लिये यह प्रबन्ध किया जा सकता है कि वहां पर लोगों को फोडर तकावी दें, वहीं आसपास में अवेलेबल हो वह चारा खरीद सकते हैं। बाहर से चारा लाकर राजस्थान सरकार इन्तजाम करेगी तो यह संभव नहीं है क्योंकि दूसरी जगह से चारा लाकर वहां डिपो खोलना कोई लाभदायक नहीं होगा। वहां के लोगों की आर्थिक हालत को देखते हुए, आज फोडर की इस प्रकार की विषम स्थिति के होते हुए भी चारे का भाव वहां ढाई रुपये मन से ज्यादा नहीं बढ़ा है। इन हालात को देखते हुए ट्रान्सपोर्ट चार्जेज़ के कारण दूसरी जगह से ले जाया हुआ घास वहां बड़ा मंहगा पड़ेगा और वहां के लोग वह घास नहीं खरीद सकेंगे। इसलिये वहां के लोगों को फोडर तकावी देकर वहीं का आसपास का घास खरीदने की सुविधा दी जाय।

मेरे एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से जानकारी मिली कि जालोर जिले में सड़कों का यातायात का बहुत कम साधन है। इसलिए सड़कों के सुधारने और बनाने की सिफारिश वहां के जिलाधीश ने, जहां तक मुझे मालूम है राज्य सरकार को की है कि सड़कों के काम को, रिलीफ के कार्य में प्राथमिकता दी जाय ताकि लोगों को रिलीफ भी मिल सके और आवागमन के साधनों के अभाव की दिक्कत भी दूर हो सके। अतः दूसरा कार्य इस रूप में करने की आवश्यकता है।

तीसरे, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि राजस्थान सरकार ने नेहड़ एरिया के लिए, जहां कि पीने के पानी की विषम स्थिति रहती है, वर्षा होती है उस हालत में भी पीने के पानी की विषम स्थिति रहती है, बाॅम्बे के इलाके में भंवरी नाम का गांव है, नेहड़ एरिया के लोग दस दस मील दूर से उस गांव से पीने का पानी लाते हैं, तो राजस्थान सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि बीकानेर और सांचौर इलाके के अन्दर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड में ट्यूब वेल प्लान के वास्ते सरकार ने

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

योजना स्वीकार की है। तो पीने के पानी की दिक्कत को दूर करने के लिए इस दिशा में शीघ्र कदम उठाये जायें। वहां लोग बेरियां खोदकर गन्दा पानी पीते हैं। दो तीन दिन बाद ही उन बेरियों का पानी खारा हो जाता है और लोग दूसरी बेरियां खोदते हैं। इन सब दिक्कतों और मुसीबतों की वजह से उस एरिया के लोगों की पच्चीस-तीस साल से एवरेज एज ज्यादा नहीं है।

अब मलेरिया युनिट के बाद में लोगों की स्थिति जरा सुधरी है। पीने के पानी की, उस एरिया के लोगों की बड़ी खराब हालत है। इस साल तो इतनी खराब हालत है, जिलाधीश ने दौरा किया, तहसीलदार ने भी दौरा किया या, उनके भी समझ में नहीं आया कि क्या इन्तजाम किया जाय, किस हालत में मनुष्यों को पिलाने के लिए प्रबन्ध हो सकता है तो मवेशियों की तो कहना ही क्या। इस एरिया को बचाने के लिए, यहां की पानी की स्थिति को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक योजना स्वीकार की। नहरी एरिया में ट्यूब वैल्स के जरिये शीघ्र ही इसमें प्रगति हो और अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा इसको शीघ्र ही कराया जाय तो यह दिक्कत दूर हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

दो मिनट।

सभापति महोदय, मैंने रिलीफ वर्क्स के लिये राज्य सरकार को तीन सुझाव दिये। यदि उस एरिया में रीलिफ वर्क्स के लिये पर्याप्त मात्रा में धन नहीं दिया गया तो उस इलाके की स्थिति सुधरना बड़ा कठिन है।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हालांकि यह पड़त जमीन दिखायी गई है, जुर्माने के रूप में रकम दिखायी गयी है जो इस एरिया को इन्फेक्ट करती है और लाखों की तादाद में है। इस कन्डीशन को देखते हुए, इस प्रकार के एक्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हों, उस एरिया में खातेदारी लेने के लिए कोई तैयार हो नही है। वहां पर हर तीसरे साल फसल होती है। वहां खरीफ की फसल होना तो सम्भव ही नहीं है। यदि उस एरिया में इनन्डेशन हो तब ही बाहर से लोग आकर उनकी इच्छा के अनुसार अलॉटमेन्ट हो तो वे खेती कर सकते हैं। इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और राज्य सरकार को जिलाधीश से विशेष रूप से इन्कवायरी करवा के रिपोर्ट मंगानी चाहिये ताकि सही रूप में आपको भी उस इलाके की हालत मालूम हो सके। ऐसा नहीं है कि वहां पर डबल क्रोप होती हो। वहां तो एक फसल होती है और वह भी इनन्डेशन हो। वह भी हैवी हो। दस दिन पहले वहां वर्षा हुई है। आगे ईश्वर की मर्जी हुई और बरसात हुई तो कुछ घास होने की सम्भावना है। फसल के लिये यदि वहां पर नदी न हुई तो विषम स्थिति इस साल भी होगी। भीनमाल तहसील का और बागरा का कुछ एरिया भी इफेक्टेड था, ऐसा मुझे मालूम हुआ है। राज्य सरकार को रिलीफ वर्क्स के लिए लाखों रुपया मंजूर करना चाहिये और परमानेन्ट रिलीफ देने के लिये मेजर्स मैंने बताये हैं, विशेष कर जिला जालौर में काम करने की जरूरत है। वैसे जनरली जिस प्रकार से रुपया दिया जाता है उस तरह से रुपया दिया जाता रहा तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी, वह वैस्ट होता है और लोगों को रिलीफ मिलता नहीं है। इसलिये वहां की विशेष स्थिति को देखते हुए जिलाधीश की जैसी रिपोर्ट आवे उस पर इन

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

सुझावों को मद्दे नजर रखते हुए कार्य करने की कृपा करें ।

श्री सभापति : प्रो० केदारनाथ ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, इस कट मोशन के जरिये मुझे यह मौका मिला है कि गंगानगर जिले के उन गांवों और एरिया की जो अकालग्रस्त है सही स्थिति प्रस्तुत करें ।

हमारे इलाके में १५ जून से वर्षा शुरु होती है । अगर १५ जुलाई तक बारिश नहीं होती है तो यह हम मान कर चलते हैं कि वहां पर खरीफ की फसल नहीं होगी । साल में दो रबी और खरीफ की फसल होती हैं, खरीफ की फसल तो वर्षा पर ही निर्भर करती है । १५ जुलाई तक हमारी सरकार ने वहां पर कोई कदम नहीं उठाया । सबसे पहली मीटिंग कलेक्टर साहब ने ११ अगस्त को बुलायी । उससे पहले अधिकारी वर्ग, वहां का अहलकार वर्ग एपेथटिक रहा । इतना ही नहीं । आगे चलें । उन्होंने इसका कोई सीरियस नोटिस नहीं लिया । जब अकाल के कारण हा हा कार मच गया, पशु मंडियों में आये, पाकिस्तान और पंजाब को चले गये, पानी का और फोडर का इन्तजाम नहीं हुआ तो हाहाकार मचने के बाद तो कलेक्टर ने मीटिंग बुलाई । यह मेरा चार्ज है । वहां का अधिकारी वर्ग, वहां का अहलकार वर्ग जिनको समय पर कदम उठाना चाहिये था, उन्होंने समय पर कोई कदम नहीं उठाया । सूरतगढ़ के ६५ गांवों में, अनूपगढ़ के ६५ गांवों में रावतसर और विटली के कुछ इलाके में, नोहर भादरा में बारिश हुई । लेट बारिश के बाद घास नहीं उगता । यह ठीक है कि पानी की दिक्कत हल हो गयी । जानवरों का नुक्सान जितना होना चाहिये था वह हो गया जितना उनको बचाया जा सकता था उनको नहीं बचा पाये । सरकार ने ११ अगस्त को कुछ डिपो खोले, पीने के पानी का इन्तजाम किया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारा पशु-धन बर्बाद हो गया, बड़ी अच्छी गायें, बड़ी अच्छी भेड़ें पाकिस्तान को चली गयीं, पंजाब में चली गयीं । जो पंजाब में चली गयीं या मंडियों में चली गयीं वे तो वापिस आ जावेंगी लेकिन जो पाकिस्तान में चली गयी हैं वे तो वापिस नहीं आवेंगी । सरकार एक तरफ एनीमल हस्बेन्डरी की बात करती है, पशु-धन की सुरक्षा के लिए बात करती है, मन्त्री महोदय बीकानेर में आये, उनके स्टेटमेन्ट निकले, काफी प्रचार हुआ हम इतना इन्तजाम करेंगे । सेन्टर ने भी कहा कि हम इसको प्रायोरिटी देकर, एक अर्जेन्सी मान कर सारे मेजर्स इसके ओपरेशन में लगावेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी अधिकारियों और सरकारी अहलकार वर्ग का यह रवैया रहा वे सिम्पेथेटिक ट्रीटमेन्ट नहीं कर सके ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । भाखरा के अलावा दो तिहाई एरिया ऐसा है कि भाखरा में पानी की कमी होने के कारण रेगुलरली वहां पानी नहीं पहुंच पाता है । वह नहरी इलाका कहलाता है, फिर भी वहां पर पानी नहीं पहुंचता है और वहां के निवासी वर्षा पर ही डिपेन्ड करते हैं । वहां पर तकाबी दी गई थी, किश्तें माफ करायी थी लेकिन किश्तें आज भी वसूल हो रही हैं, लैंड रेवेन्यू वसूल हो रही हैं । मैं यह नहीं कहता कि लैंड रेवेन्यू वसूल न करें, मैं यह भी नहीं कहता कि तकाबी वसूल न करें, एरियर्स वसूल न करें । एरियर्स थे जिनकी वसूली हो रही है । जमीनों का अलॉटमेन्ट कर दिया । रायसिंहनगर से आये मेरे मित्र ने कहा कि ऐसी बात हुई हैं ।

Page No.70

(श्री केदारनाथ)

आकड़े दिये हैं। कल ही सूरतगढ़ की पंचायत समिति के प्रधान ने मुझे पंचायत समिति का एक रिज़ोल्यूशन दिया और जिला परिषद् की ३१ अगस्त को मीटिंग हुई उसमें भी उसको पास किया गया। ५ हजार के लगभग जानवर सूरतगढ़ में मरे हैं। ३ हजार के करीब जानवर अनूपगढ़ में मरे हैं ये फेक्ट्स आपके जिला परिषद् के हैं...........

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मन्त्री, राजस्व) : Out of how many ?

श्री केदारनाथ : 'How many' तो आप देखिये। पांच हजार की गिनती कम होती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लाख में से, दो लाख में से ?

श्री केदारनाथ : पांच हजार की गिनती कम समझते हैं? पांच हजार गायें अच्छी नस्ल की मर जांय, सूरतगढ़, अनूपगढ़, रावतसर के इलाके में गायें मर जांय, आप रिलीफ की अर्जेन्सी नहीं समझते, आप ग्रेविटी को नहीं समझते। मुझे बड़ा अफसोस होता है। आपके पास रिपोर्ट आयी। सदन में सदस्य ने रिपोर्ट दी, आप इसको लाइटली ट्रीट कर रहे हैं। आप आइ. ए. एस. के एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े हिमायती हैं, कल ही कह रहे थे कि आइ. ए. एस. का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, लेकिन मेरे इलाके का मुझे अनुभव है। यदि हमारे इलाके के एडमिनिस्ट्रेशन को डीजेनरेट करने का, उसको बिगाड़ने का सबसे अधिक किसी का हाथ है तो इन आइ. ए. एस. अधिकारी का है। मैं प्रार्थना करूंगा कि अब भी सूरतगढ़ के ६५ गांव, अनूपगढ़ के ६५ गांव और रावतसर और बिटली के ३५ गांवों में तकाबी न तो वसूल की जाय और न ही वहां पर जमीन की कीमत वसूल की जाय। अब भी वहां पर फोडर का जो डिपो है वहां से फोडर बढ़ी हुई कीमत में मिल रहा है, उनको सब्सीडाइज़ किया जाय। वहां पर राजाओं के वक्त में जो तालाब थे उनकी खुदाई कराई जाय, नाले बनाने शुरू कर दिए जाय और सड़कें बनाना शुरू कर दिया जाय। चाहिये तो यह था कि ये काम कराये जाते, लेकिन हमारी सरकार की ओर से रिलीफ मेजर्स कोई नहीं लिये गए। सिवाय मीटिंगें और स्टेटमेंट के कुछ नहीं। यही विश्वास करके बैठता हूं कि सरकार इस इलाके के बारे में विशेष ध्यान देगी।

श्री चंद्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा फैमिन रिलीफ ऑपरेशन्स के संबंध में अनुपूरक मांगें पेश की गई हैं, उस संबंध में मैं अपने क्षेत्र की परिस्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए इन मांगों का समर्थन करता हूं और साथ साथ सरकार से यह निवेदन करता हूं कि जो कुछ पैसा उन्होंने रखा है, वह बहुत कम है। आज जब कि हमारे देश में, हमारे राजस्थान में जून के महीने में बरसात नहीं हुई थी, तो सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ था। सरकार के दिमाग में भी, जनता के दिमाग में भी यह समस्या थी कि किस प्रकार इसकी व्यवस्था कर पाएंगे। पर भगवान ने साथ दिया और कहीं कहीं पर बरसात हो गई। हमारे जोधपुर जिले में करीब मिडल ऑफ जुलाई तक कोई बरसात नहीं थी, उसके बाद हुई और उसके बाद में अभी फिर बरसात नहीं हुई हैं। इस कारण वहां की फसलें बहुत खराब होती जा रही है। विशेष रूप से मैं आपका ध्यान भोपालगढ़ तहसील के गांवों की तरफ दिलाना चाहता हूं कि वहां किस तरह घास और पीने के पानी की

(श्री चन्द्रसिंह बर्का)

समस्या बहुत जबरदस्त है, उसकी व्यवस्था की जाय।

मैं सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मसले की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे इलाके की तरफ जो वन विभाग का जंगल है, उसमें वहां के कर्मचारियों द्वारा रात्रि में मवेशियों को छोड़कर उसको बरबाद किया जाता है, उसकी घास को बरबाद किया जाता है एक तरफ तो सरकार के सामने उसकी व्यवस्था करने का प्रश्न था और दूसरी ओर इस तरह बरबादी होती है। तो मैंने कलेक्टर साहब, पाली को एक कॉन्फीडेन्शियल चिट्ठी लिखी और उसकी एक कॉपी वन मंत्री महोदय को भेजी। क्या दोष उस कलेक्टर को दें, क्या वन विभाग के कर्मचारियों को दें, ताज्जुब है कि हमारे मंत्री महोदय की जूं तक नहीं रेंगी। उसके बाद अखबारों के अन्दर जोरों का प्रचार हुआ, एड्वर्टाइजमेंट हुआ। अखबार की प्रति राजस्थान सरकार के पास भी भेजी गई, मगर सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस विभाग की ओर से जो अन्य बातें सुनी जा रही हैं, उस संबंध में हो सका तो मैं मन्त्री महोदय से विशेष सम्पर्क स्थापित करके निवेदन करूंगा। यहां केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जहां हमारे यहां घास की समस्या, फोडर की समस्या और कई विकट समस्याएं सरकार के सामने आती हैं, वहां राज्य कर्मचारी अपना कुछ निजी फायदा उठाकर, एक एक आदमी से ४००-४०० रु० लेकर उनके मवेशियों को रात्रि में चराने देते हैं और सुबह को अपने घर ले जाकर बांधते हैं। उस समस्या का कोई हल नहीं निकला है।

दूसरी घटना सभापति महोदय, मैं, आपके द्वारा राजस्थान सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। वह यह है कि कलेक्टर महोदय के पास चारागाह की भूमि थी। यह उसने इस फैमिन के समय में किसी व्यक्ति विशेष को अलॉट कर दी और अलॉट करके उसमें उसके चरागाह को खत्म किये जाने की योजना बनाई है और ऑर्डर उन्होंने २१ अगस्त, १९६२ को दे दिया है। तो इस प्रकार का मामला मैंने उप-मन्त्री महोदय, राजस्व विभाग, के सम्मुख रखा था। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने रिपोर्ट मांग ली है। इसके साथ साथ जिस तरह से एक माननीय सदस्य ने कहा कि कलेक्टर महोदय ने एक व्यक्ति को ८२ एकड़ जमीन अलॉट कर दी है, यह कहां तक उपयुक्त है, यह लैंड अलॉटमैंट कमेटी के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है, सरकार इस संबंध में समुचित व्यवस्था करे।

दूसरा, पेय जल की समस्या की तरफ मैंने सरकार का ध्यान कई बार दिलाया। यह क्षेत्र ऐसा है जहां पर जोधपुर जिले का दक्षिण पूर्वी भाग इतना सूखा है जिसमें मुख्य लांबा, बाला और हरियाडा आदि हैं और उत्तरी भाग में रांतकूडिया जैसे गांव हैं, जहां पानी की समस्या बहुत जबरदस्त है। ४ अगस्त को माननीय उप मंत्री जी. ए. डी. उधर आए थे। उनका आंखों देखा हाल है। वहां पानी की बहुत ही विकट समस्या है। जल बोर्ड विभाग ने जनता की तरफ से दो दो हजार रुपये जमा कर रखे हैं। लेकिन अभी बोरिंग मशीन उनको उपलब्ध नहीं हुई हैं। इसलिए राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि बोरिंग मशीन जल्दी उपलब्ध कराई जाय। चूरू के बहाने वहां के अधिकारीगण टालते जा रहे हैं कि वह चूरू जायगी। न मालूम कब हमारी आएगी? मेरा सरकार से निवेदन है कि इसकी शीघ्र ही व्यवस्था की जाय।

(श्री चन्द्रसिंह बर्का)

दूसरी बात यह है कि मैंने एक पत्र सिंचाई मन्त्री को लिखा कि गांवों के अन्दर पानी की समस्या जबरदस्त है। उनको तालाब भराने के लिए कहा गया। मैंने सिंचाई मन्त्री से निवेदन किया कि उन्हें फ्री वाटर दे दिया जाय। वाटर तो दे दिया गया लेकिन फ्री व्यवस्था नहीं हुई। आज तक उन अधिकारियों के पास आदेश नहीं गए। पैसों की वसूली इस अकाल के समय हो रही है। सरकार इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय लेने की कृपा करे। लोगों के सामने अपने खाने के लिए, पशु पालन के लिए और जीवन-निर्वाह करने की समस्या है और उधर वाटर रेंट वसूलियां हो रही हैं, इसे स्थगित किया जाय।

एक बात और निवेदन करूं। वन विभाग पाली जिले में कई जोड़ हैं। वहां बहुत अच्छे मवेशी हैं जो आज भी चर रहे हैं। जोजावर के पास एक जोड़ है। एक एम. एल. ए. साहब की मवेशियां हैं जो रात्रि में चरते रहते हैं जब कि लोकल आदमियों के मवेशियों को पैसे पर भी नहीं चरने दिया जाता।

इन्हें शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जोधपुर जिले की इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही रिलीफ देने की व्यवस्था करें।

श्री गंगासिंह (जायल) : सभापति महोदय, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति के कारण यहां अकाल की समस्या है वह हमारे लिये परमानेन्ट सी है। हमको हरदम डर रहता है कि यहां पर किसी भी समय अकाल हो जावे। इस परमानेन्ट फीचर को रिमूव करने के लिये राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि साइन्टिफिक तरीके से इस समस्या को हल करें ताकि यहां जो परमानेन्ट तौर पर अकाल पड़ता है वह परमानेंट फीचर दूर हो सके।

राजस्थान के अन्दर अकाल के कारण सबसे ज्यादा प्रोब्लम्स होते हैं वे हैं एक तो अनाज की कमी, दूसरा चारे की कमी और तीसरा है पानी की कमी। अनाज की प्रोब्लम इतनी ज्यादा नहीं आती है जितनी दूसरी चारे और पानी की होती है। आज तो बाहर से भी मंगा सकते हैं और गवर्नमेंट का अपना स्टोर भी रहता है।

जहां तक अकाल के संबंध में चर्चा शुरू होती है अनाज के अलावा चारे तथा पानी की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर हमें अकाल से मुक्ति लेनी है तो सबसे पहले हमें जो चारे की प्रोब्लम है उसे दूर करना होगा। इसके साथ साथ पानी की प्रोब्लम भी हमें दूर करनी होगी।

मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। नागौर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर कुछ इलाका जयपुर के इलाके से मिलता-जुलता है और कुछ इलाका ऐसा है कि जहां रेत के टीबे नजर आ रहे हैं, कुछ इलाके में जमीन अच्छी है लेकिन पानी की कमी है। मैं इस प्रोब्लम को ध्यान में रखते हुए कुछ इलाका जिसके अन्दर रेत के टीबे हैं और जहां के लोग मवेशियों पर अपना जीवन-निर्वाह करते हैं हम अगर मवेशियों के लिये चारे का प्रबन्ध नहीं कर पायें तो वहां के मवेशी मर जावेंगे और इस तरह से उनका जीवन-निर्वाह दुस्वार हो जायगा।

इसके अलावा कुछ इलाका ऐसा भी है जहां धान की कमी नहीं है, पानी की कमी

(श्री गंगासिंह)

हो जाती है। बरसात नहीं होती है तो तालाब के अन्दर पानी न आने के कारण वे तालाब सूख जाते हैं। वहां की जनता तालाब का पानी पीती है, क्योंकि वहां कुएं वगैरह हैं नहीं। इस अकाल को स्थायी तौर से मिटाने के लिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा जहां पर लोग तालाब का पानी पीते हैं, जहां कुएं हैं नहीं वहां कुएं बनाने के लिये प्रथम कदम उठाना चाहिये।

इसके साथ साथ जहां तक चारे की प्रोब्लम है उसके लिये निवेदन करूंगा कि चारे के बड़े बड़े बीड़ रखे जावें और वहां पर साइंटिफिक तरीके से घास उगाई जावे। मैं यह भी कहूँगा कि जिस तरह से अनाज के स्टोरेज़ बना रखे हैं उसी तरह से घास और चारे का स्टोरेज़ करना भी आवश्यक है उतना ही बीड़ की जमीन घास के लिए रिजर्व रखना आवश्यक है। वैसी सूरत में बड़े बड़े बीड़ हैं उसके अन्दर घास पैदा करें घास की जो उन्नत किस्म है उसको ध्यान में रखते हुए घास की उपज को उतना ही बढ़ावें।

इसके अलावा मैं आपका इस ओर भी ध्यान दिलाऊंगा कि गत सप्ताह के अन्दर वहां जो बरसात हुई है उससे कुछ रिलीफ जरूर मिला है लेकिन फिर भी अकाल की प्रोब्लम जरूर है। अगर दस पन्द्रह दिन के अन्दर बरसात नहीं हुई तो अकाल और भयंकर हो सकता है। वैसे भी बरसात के बिना वहां अकाल है। वैसी सूरत में मवेशियों के लिए मरने की सूरत है उसके लिये सरकार की तरफ से कदम उठाये गये हैं वे पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं।

इसके अलावा मैं यह भी अर्ज करूंगा कि जो घास हम यू० पी० और दूसरे प्रांतों से मंगा रहे हैं वह हमारे मवेशियों के लिए ठीक प्रतीत नहीं होता है इसलिए जो घास खरीदें, चारा खरीदें, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अन्दर ही काफी तादाद में मिल रहा है। वहीं से गवर्नमेन्ट खरीदे और वही डिस्ट्रिब्यूट करें। इसके साथ साथ मैं अपना कट-मोशन प्रस्तुत करता हूँ।

(६ म. प.)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : सभापति महोदय, जो फेमनी और रिलीफ के सम्बन्ध में जो मांग यहां पर रखी गई है मैं यह समझता हूं कि सरकार द्वारा जितनी रकम की मांग की गई है और जितना अकाल का क्षेत्र बताया गया है उस हिसाब से यह मांग बहुत कम है।

मैं अपनी तहसील के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ। आसीन्द तहसील में हर तीसरे वर्ष कुछ ऐसे ४०, ५० गांव हैं जहां वर्षा की कमी रहती है। पिछले वर्ष भी इन गांवों में अकाल था। इस वर्ष भी जो औसत वहां की वर्षा की है उससे इस साल भी वर्षा कम है। इसके अलावा भी बहुत से गांव है इस तहसील में गरीब १००, १२५ के करीब ऐसे गांव हैं जिनमें बारिश बहुत कम हुई है। इस वर्ष भी कुल ६ या सात इन्च बारिश हुई है। वहां पर भी वर्षा की बहुत बड़ी कमी है। पिछले वर्ष भी यहां पर दो तीन स्थानों पर घास के डिपोज खोले गये थे जिनको अकाल क्षेत्र घोषित किया गया था।

क्योंकि यह घास दूसरी जगहों से शाहपुरा से मंगाया गया और कुछ दिन पहले अप्रेल, मई की बात है जबकि शाहपुरा वालों ने झगड़ा किया कि हमारे यहां से घास दूसरी जगह क्यों ले गये, हम सब क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

में मैं कहना चाहता हूं कि हर स्थान पर स्टोरेज करना चाहिये कि ऐसे संकट के वक्त लोगों में आपस में झगड़े खड़े न हो। आफत के समय हर स्थान के लोग अपने यहां से इस तरह से घास के ले जाने पर आपत्ति करते हैं।

आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इसी तरह का ऐतराज किया कि जयपुर से ४० हजार मन घास भीलवाड़ा ले जाने की योजना थी यहां वालों को कहां से देंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार के बीड़ों का घास जो नीलाम कर दिया जाता है उसे नीलाम न किया जा कर स्टोर कराया जाय ताकि संकट के समय वह काम में आ सके।

दूसरी बात यह है कि क्योंकि यह पहाड़ी इलाका है, यहां पीने के पानी की भी कठिनाई हो जाती हैं। कुओं का पानी भी सूख जाता है। पिछले साल भी इस इलाके में काल था। अनाज की भी लोगों को इस पहाड़ी क्षेत्र में दिक्कत पड़ती है। आस पास में कोई मण्डी नहीं होने से कठिनाई होती है, इसलिये वहां अनाज की दुकानें भी होनी चाहिये। इन क्षेत्रों में पिछले साल भी अकाल था और लोगों को अभाव का सामना करना पड़ा था इसलिये आज न उनके पास पैसा है न दूसरे कोई काश्तकारी के साधन बने हैं इसलिये जब तक उधर राहत कार्य नहीं चलेगा तब तक उन लोगों की कठिनाई दूर नहीं होगी। यह राहत कार्य पिछले साल चलाये गये सड़कों के काम पर और टूटे-फूटे तालाबों पर चलाया जाय तो लोगों को बहुत मदद मिलेगी।

दूसरा यह कि तकावी का पूरा प्रबन्ध किया जाय। आज उनको फोडर की आवश्यकता है, नाज की है- जानवर खेती के लिये चाहिये; खाद और बीज की आवश्यकता है और इसके साथ उनके जीवन निर्वाह के लिये कुछ करने की भी आवश्यकता है। इसके लिये पैसा खर्च करना होगा। तो अगर इस तरह की तकावी नहीं दी जावेगी तो यह कठिन साल निकालना उनके लिये मुश्किल हो जावेगा।

इस क्षेत्र में हर तीसरे साल ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसलिये कोई दीर्घकालीन योजना बनाई जावे ताकि अच्छी व्यवस्था हो सके।

इस क्षेत्र में अकाल की ज्यादा छाया है उस में बदनोर नायब तहसील क्षेत्र में नेंखाड़ी के बांध की व्यवस्था कर दी जावे तो इससे ज्यादा लोगों की हालत सुधरेगी, उनको राहत मिलेगी और पैदावार को भी फायदा होगा।

एक ताज्जुब की बात रखना चाहता हूं। पिछले साल हमारे क्षेत्र में पीने के पानी की भी कमी थी। इस वर्ष भी है। इधर फोरेस्ट में हरदम सालर के पत्तों को लेने की इजाजत रहती है। मगर इस साल विभाग ने ऐसी आज्ञा निकाल दी की सालर के पत्ते भी टेक्स देकर लोग ले जावें। जब अकाल की स्थिति पैदा हो गई तो उल्टा राहत देने के स्थान पर यह कर दिया कि एक सालर के पंतों का भारा ले जाओ तो एक आना दो और दो ले जाओ तो दो आना दो। तो यह तक्लीफ की बात और पैदा कर दी है। इसे दूर किया जाना चाहिये।

तीसरी अर्ज यह है कि पिछली साल भी फसल खराब थी और इस साल भी खराब हैं

Page No.75

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

इसलिये लगान वसूल नहीं होना चाहिये तथा दूसरे तकावी ऋण वगैरह की भी वसूली स्थगित की जाने की व्यवस्था की जावे। अगर ये राहत-कार्य किये जावेंगे तो लोगों को फायदा होगा।

इसके साथ ही साथ सड़कों का बनाना और तालबों का बनवाना, ये मुख्य आवश्यक काम हैं। इनकी वजह से लोगों को भी राहत मिलेगी और इस क्षेत्र की भी तरक्की होगी।

श्री सभापति : श्री अमरसिंह।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : टाइम का इस तरह से बंटवारा होना चाहिये कि अनुपूरक मांगों पर भी डिस्कशन हो सके। इसलिये मेरा प्रस्ताव था कि कटमोशन आ चुके और उन पर हम लोग छोटे छोटे गांवों का नाम लेकर, वहां की कठिनाइयों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, पर मैं देख रहा हूं कि सरकारी पक्ष की तरफ से इन छोटे-मोटे गांवों के नाम कोई नहीं लिखता, ट्रेजरी बैंचों को देखता हूँ, कोई नाम नोट नहीं करता। मैं देख रहा हूँ। इसलिये मैं सामान्यतया सभी सदस्यों के भी यह बात नोटिस में लाऊंगा कि उनकी बातों का असर ट्रेज़री बैन्चों पर नहीं हो रहा है, उनकी तरफ से इनका जवाब मिलने वाला नहीं है। इसलिये समय बचाया जाय। दूसरी अनुपूरक मांगों के लिये वक्त चाहिये।

श्री सभापति : इस सम्बन्ध में अभी तीन अनुपूरक मांगें आई हैं, उन पर भी कटौती प्रस्ताव हैं। इसके पश्चात् अनेकों मांगे भी हैं और एप्रोप्रियेशन बिल्स हैं दो। इसलिये सदन की जैसी इच्छा हो समय निर्धारित कर लिया जाय। ६।। बजे तक सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स पारित कर लें। श्री अमरसिंह अपना समय बहुत शीघ्र ही समाप्त करेंगे।

रावल श्री अमरसिंह जासोल (पचपदरा) : माननीय सभापतिजी, जो कटौती के प्रस्ताव सदन में हैं मैं उनका समर्थन करते हुए बाड़मेर क्षेत्र की अकाल ग्रस्त जनता की समस्या, सभापति महोदय, आपकी मार्फत राज्य सरकार और इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

बाड़मेर क्षेत्र में खासकर पचभद्रा तहसील एक ऐसी जगह है जहां पर जुलाई, ६२ के अन्दर वर्षा फेल होने से अकाल की समस्या खड़ी हो गई और इसके फलस्वरूप ३ तरह की समस्याएं प्रमुख रूप से हमारे सामने आईं। जल का अकाल, तृण का अकाल और अन्न का अकाल। मैं समझता हूं इन वर्षों के भीषण अकालों में से यह एक था।

इस सम्बन्ध में मैं किसी सरकारी अधिकारी या व्यक्ति की आलोचना नहीं करना चाहूँगा, परन्तु यह आवश्यक समझता हूँ कि वास्तविकता को समझाने के लिये और हमारे इन्टर्नल एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिये उनका उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है, इसलिये कर दूंगा। इसलिये किसी की बुराई न करते हुए जो गत वर्ष में हुआ उसका उल्लेख इस सदन के समक्ष करना अत्यन्त आवश्यक समझता हूं। इसके पश्चात् मौजूदा क्या परिस्थिति है और भविष्य में उसके क्या सुझाव हैं यह भी मैं उपस्थित करूंगा।

जुलाई ६२ में जब मानसून फेल हुई तो मैंने कलक्टर महोदय को एक नम्र पत्र लिखा। शायद वह अगस्त के शुरुआत में था कि वर्षा

(रावल श्री अमरसिंह)

के अभाव से और अभी तक चूंकि वर्षा हुई नहीं है तो फिर खराब दुर्भिक्ष का सामना न करना पड़ जाय, इस आशंका से मैंने उनके समक्ष कुछ सुझाव दिये कि बेहतर होगा कि आप तकावी, फोडर और रिलीफ वर्क्स का दृष्टिकोण सामने रखें। मुझे आश्चर्य हुआ जब सितम्बर में उनका जवाब मिला कि to the best of my knowledge and belief there is no famine in Barmer district

फिर १५–२० दिन बाद ही देखा....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : किसने कहा यह ?

रावल श्री अमरसिंह : कलेक्टर ने। मैं यह कह कर उनकी कोई निन्दा नहीं करना चाहता। पर हमें थोड़ा आत्म-निरीक्षण करने की आवश्यकता है। मैं तारीफ तो नहीं करना चाहता हूं कि तारीफ का अवसर मिलता, मैं कहता हूं वे बुरे नहीं हैं, बड़े सज्जन इन्सान हैं वैसे वे। नेकनीयत भी हैं। सब कुछ है। पर फिर भी यह हुआ। इसके कारण बाद में मैं निवेदन करूंगा। तो यह दुर्भिक्ष निकला। नवम्बर के प्रारम्भ में मैं कलेक्टर को लेकर, शायद वह नवम्बर ही था दिसम्बर का महीना पक्का नहीं कहता, गांवों में गया। वहां की हालत मैंने आंखों उनको बताई। उस समय उन गांवों में कोई चार-पांच दिन का पीने का पानी था। इसके बाद उन्होंने यह भी महसूस किया कि फिर कोसों तक पानी नहीं है। इसलिये यहां पर रिलीफ वर्क खोलने की आवश्यकता है, उन लोगों के लिये पीने के पानी की आवश्यकता है। परन्तु सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि महीनों तक इसका कोई प्रबन्ध नहीं हुआ।

रिलीफ वर्क्स नहीं खोले गये और कलेक्टर साहब के पास फण्ड्स नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा कि कहीं फेमिन है तो मेरे दफ्तर में है और वह मनी फेमिन है, यहां पर मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी का आभार प्रकट किये बगैर नहीं रह सकता कि मार्च या या अप्रेल था मैंने व्यक्तिगत उनको एप्रोच किया और उनको हालात से अवगत कराया। तो उन्होंने फौरन ही फेमिन कमिश्नर को मौके की जांच के लिए भेजा और ३ लाख रुपयों की सेंक्शन भी उन्होंने दी।

इसके पहले मैं आपको एक अनियमितता का परिचय दिये बगैर नहीं रह सकता और वह यह था कि यह मानते हुए कि ये अकालग्रस्त लोग हैं, वहां पीने को पानी नहीं है, खाने को अन्न नहीं है और मवेशियों के लिए चारा नहीं है, फिर भी समय से पहले उन्होंने लैंड रेवेन्यू वसूल करना शुरू कर दिया और इसके लिए मुझे यहां पर कुछ सदन के समक्ष भी निवेदन करना पड़ा कि यह अनियमितता है और अकाल है और अकाल डिक्लेअर करने में देरी हो जाये, लेकिन इसके अन्दर बीगोड़ी की वसूली के लिए विलम्ब होना चाहिये लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस अकालग्रस्त क्षेत्र में भी बीगोड़ी वसूल कर ली गई। यह रकम सेंक्शन होने के बाद मई के अन्दर रिलीफ वर्क्स खोले गये और इसके सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना पड़ता है इनएडीक्वेट है कि किसी गांव के अन्दर ७ दिन काम चला, किसी गांव के अन्दर १० दिन चला और जहां तक मुझे अनुमान है १५ दिन से ज्यादा किसी भी गांव में रिलीफ वर्क्स नहीं खोले गये।

Page No.77

(रावल श्री अमरसिंह)

सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार को यह निवेदन करूंगा कि जहां अकाल है और लोगों के सामने हर तरह की समस्या है जब तक उनको मजदूरी नहीं मिलेगी तब तक न तो वे अन्न खरीद सकते हैं, न मवेशियों के लिए चारा खरीद सकते हैं। उस हालत में ७ दिन और १० दिन का रिलीफ वर्क्स खोलना कोई अहमियत नहीं रखता। अगर लोगों को रिलीफ देते हैं तो वह सब्सटेन्शियल होनी चाहिए, न कि नाममात्र को। इसलिए रिलीफ वर्क्स के खोलने में भी मैं निवेदन करूंगा कि त्रुटियां रही हैं।

घास का हमारे यहां इतना अभाव रहा कि रेकॉर्ड के अन्दर ३ ग्रास डिपोज खुले हुए बताये, बालोतरा, पचभद्रा और तीसरा देलवाड़ा में। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देलवाड़ा का ग्रास डिपो सिवाय रेकॉर्ड के और कहीं नहीं था। चैत्र मास में मेले के समय जो वैगन भेजे गये उसके बाद एक भी देलवाड़ा में वैगन नहीं गया। फिर भी ऑफिशियल रेकॉर्ड में वह डिपो था। पचभद्रा में सप्लाई बिल्कुल इनएडीक्वेट रही और जो सप्लाई बालोतरा में आती थी वह शायद ही बालोतरा शहर को पूरी पड़ी और दस दिन घास रहा तो २० दिन नहीं रहा और दो दिन रहा तो ५ दिन नहीं रहा। इस प्रकार की इर्रेगुलेरिटी घास की सप्लाई में रही और जो भी सप्लाई हुई वह करीब करीब ना के बराबर है। इसके अलावा सभापति महोदय, लोगों की हालत इतनी जर्जर हो गयी कि उन्होंने अपने गहने-गांठे सब बेच कर मवेशियों को चराये या खुद के लिए अन्न खरीदे और खास कर हरिजन पॉपुलेशन, भील, बागड़ी इनकी हालत बहुत खराब है। जो जमे हुए काश्तकार थे उनके पास तो अन्न था लेकिन जो भिन्न भिन्न कौमों के काश्तकार हैं उनकी हालत इतनी बद्तर हो गयी कि अन्न और चारे के अभाव के अन्दर उनको अनगिनत मुसीबतें सहन करनी पड़ीं। माननीय सभापति जी, यह परिस्थिति होते हुए भी जुलाई, १९६३ के अन्दर भी वर्षा का अभाव रहा। हमारी सरकार के एफर्ट्स को हम एप्रीशियेट किये बिना नहीं रहते कि उसने कुछ इन्तजाम करने की कोशिश की, कुछ फण्ड्स अलॉट किये और इतने में भगवान ने देखा और कुछ वर्षा की।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

इस वर्षा की परिस्थिति यह रही कि पचभद्रा तहसील के अन्दर ७० गांवों के अन्दर २४ अगस्त तक एक बूंद पानी नहीं था और वहां पर न तो हल खड़े हुए और न घास का एक तिनका था और लोगों की मवेशियों की हालत बहुत खराब थी। जहां बारिश हुई वहां थोड़ी बहुत घास हुई। २४ अगस्त की बारिश दूसरी जगह कम होने के कारण जो घास हुई थी वह भी करीब करीब सूख गयी और जब तक दो बारिश नहीं हो जायें तब तक फसल की आशा नहीं की जा सकती। ऐसी परिस्थिति में मैं आलोचना बन्द करते हुए सरकार से निवेदन करूंगा कि ये त्रुटियां इसलिए नहीं बताई कि किसी आदमी ने अपनी जान में कोई खराबा किया है। लेकिन यह जरूर है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनको रेस्पोन्सिबिलिटी महसूस करने की आवश्यकता है और थोड़ा बहुत आप फरमाते रहें तो वे सतर्क रहें। They are afraid of taking any responsibility. मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। एस०डी०ओ० ईमानदार आदमी हैं। खाने का कोई सवाल नहीं है, उन्होंने यह भी देखा कि सरकारी पैसा गलत तरीके से काम में न लाया जाये। इसके लिए मैं उनकी दाद

(रावल श्री अमरसिंह)

देता हूं लेकिन साथ में जो इकोनॉमी बरती वह फार साइटेड नहीं थी।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं थोड़ा सा विषय की अहमियत को समझते हुए अगर आप इजाजत दें तो मुझे कुछ सुझाव भी रखने हैं और मैं समझता हूं कि मुझे थोड़ा और समय दिया जाये अन्यथा मैं तो डिसीप्लिन का पाबंद हूं। आपकी घंटी बजी और मैं बैठ जाऊंगा। आप समझते हैं कि यह लोकहित में है तो आप इजाजत देदें।

श्री सभापति : आपके विचार उत्तम हैं और सुझाव भी आवश्यक हैं, लेकिन मेरी भी सीमा है और सीमा को पाबन्दी है। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें।

रावल श्री अमरसिंह जासोल : कितने समय में समाप्त कर दूं।

श्री सभापति : आप दो मिनट में समाप्त कर दें।

रावल श्री अमरसिंह : मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस समय में आवश्यकता यह है कि आप अपनी आंख इस इलाके के ऊपर रखिये। अगर बारिश नहीं होती है तो यह थोड़ी बहुत भी जो घास है वह और खत्म हो जायेगी। एक समस्या और पैदा हो गयी कि जो मवेशी बाहर गये थे वह भी यह सुनकर कि बारिश हो गयी तो वह वापिस आ जायेंगे। जो मवेशी मर गये तो मर गये लेकिन जो जिन्दा मवेशी हैं वे भी वापिस अपने ठिकाने पर आ गये, इसलिये मवेशियों की समस्या रहेगी और इसके लिये आप इस बात का ध्यान रखें कि ग्रेजिंग पाश्चर काफी मिकदार में किस जगह अवेलेबल हैं, क्योंकि हो सकता है कि कभी बारिश फेल हो जाये-मैं नहीं चाहता कि बारिश फेल हो जाये, लेकिन फेल हो जाये तो आपको इन्तजाम करना है, मवेशियों के माइग्रेशन के लिए इन्तजाम करना हैं और रास्ते में फोडर की आवश्यकता इतनी न हो लेकिन जहां भी आवश्यकता हो वहां आप इसका प्रबन्ध करें और इसके अलावा चीप ग्रेनशोप्स अवश्य खोलें। रिलीफ वर्क्स के लिए मेरा निवेदन है कि यह ऑलमोस्ट इमीजियेट नेसेसिटी हो जायेगी और रिलीफ वर्क्स के अन्दर ४ की जरूरत हो वहां पर ५ खोल दें, लेकिन यदि ३ खोल दिये तो इससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए ये रिलीफ वर्क्स खोलना बहुत आवश्यक है। और जहां जहां रिलीफ वर्क्स खोले जायें वहां चीप ग्रेन शोप्स भी होना जरूरी है, क्योंकि बाजार भाव से लोग नहीं खरीद सकेंगे और जहां रिलीफ वर्क्स हैं वहां पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। पानी का इन्तजाम चाहे चार-चार, छः छः, दस-दस कोस से हो और रिलीफ वर्क्स में काम करने वाले चार-चार और छः छः हजार लोग होंगे तो उनके लिए पानी की समस्या हल करना आपके लिए मुश्किल होगी। मेरा यह सुझाव है कि पानी की सप्लाई के लिए आवश्यक होगा कि आप इसको उपलब्ध करायें। लोंग रेन्ज के लिए मेरा एक निवेदन है कि जहां पानी का अभाव है, मैने कई बार इस बात को रखा कि अण्डर ग्राउन्ड ट्यूब वैल्स खोदकर पानी की समस्या को हल करें और अर्बन और रूरल पॉपुलेशन के दर्मियान इतना भेद-भाव और पक्षपात करना किसी भी गवर्नमेन्ट के लिए जस्टीफाएबल नहीं हो सकता। यह निवेदन कर सकता हूं।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

(रावल श्री अमरसिंह)

मेरा यह मतलब नहीं है कि आप बड़े शहरों में पानी सप्लाई न करें। पानी उनके बगीचों के लिए भी रखें, लेकिन जो देहाती जनता है उसको पीने के लिए पानी सप्लाई करना मैं समझता हूं कि आपका पुनीत कर्त्तव्य है, और यदि आप इससे वंचित रहे तो आप अहम् कर्तव्य पालने में वंचित रहेंगे।

दो-तीन बार घंटी बज चुकी है इसलिए मैं ज्यादा समय न लेकर आशा करता हूं कि मेरे सुझावों पर विचार करें और जो फोडर समस्या है यह बहुत पुरानी है और रेकरिंग समस्या है, मारवाड़ के अन्दर जितने ग्रास फार्म्स हैं उनको एक्सप्लोइट किया जाये तो हमारी नेसेसिटी मीट हो सकती है। मेरी शिकायत है कि जो ग्रास फार्म्स बहुत बड़ी बड़ी रियासतों के समय के थे उनको और इम्प्रूव करने के बजाय उनकी कन्डीशन को और डिट्रीरियोरेट किया जा रहा है और उनको निग्लेक्ट किया जा रहा हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि ग्रास फार्म्स के लिए स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किया जाये जो कि ग्रास की सारी समस्याओं को समझता हो।

एक सुझाव मैं और पेश किये देता हूं, कि मेरी प्रार्थना है कि बहुत जोर से बारिश हो और सबका हमारा और आपका हैडेक दूर हो लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो मेरा यह निवेदन है कि कृपा करके जो मौजूदा स्टाफ है उससे यह सब काम होना मुश्किल है। यह नहीं है कि वे करना नहीं चाहते, लेकिन यह बिल्कुल इम्पोसिबिल हो जाता है एक ओ. एस. डी. के लिए, सैकड़ों केसेज़ दबे हुए हैं, कि वे उन केसेज़ का भी काम करें और फेमीन का भी काम करें। यह असम्भव होता है। उनकी नेकनीयती के बावजूद भी वे काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि कलेक्टर की निगरानी में एक एक एडीशनल एस. डी. ओ. और एडीशनल तहसीलदार नियुक्त किये जायें जिनका यही काम हो कि फेमिन वर्क को देखें और उसको सुचारू रूप से चलायें और साधारण तहसीलदार और एस. डी. ओ. उनकी मदद करेंगे। निरीक्षण कलेक्टर का होगा। कलेक्टर उसका सुपरवाइज़र रहेगा।

मैं इतना कहकर अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री रामकिशन (वैर) : क्या आप बन्द कर रहे हैं ?

श्री सभापति : जी हां।

श्री रामकिशन : मेरे को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो-एक बातें कही थीं, उसके लिए दो–चार बातें कहना है। उसको दो मिनट में समाप्त कर दूंगा, अगर समय हो तो।

श्री सभापति : भाषण देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री रामकिशन : आपने यह कहा था कि पहले जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ा है वहां के लोग पहले बोल लें और बाद में दूसरे लोग बोलें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : मुझे कोई एतराज नहीं, चेयरमैन महोदय।

श्री सभापति : सूचना कोई देना चाहें तो दे दें। समयाभाव है, इसलिए भाषण के लिए समय नहीं दिया जा सकता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मंत्री, राजस्व) : माननीय सभापतिजी, अकाल सहायता के लिए प्रस्तुत की गई सप्लीमेंटरी डिमाण्ड के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। उन कटौती के प्रस्तावों का मैं स्वागत करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं उनके औचित्य को स्वीकार करता हूं, बल्कि इसलिए कि जब से उन्होंने इस संबंध में कटौती के प्रस्ताव रखने का विचार किया है तब से न केवल जयपुर में ही बल्कि सारे राजस्थान में वर्षा बरसने लगी और अधिकतर जिस कारण से कटौती के प्रस्ताव रखे जा रहे थे उसको सम्हाल कर राजस्थान की बहुत बड़ी मदद की। लेकिन इसके बावजूद जुलाई तक अपने यहां, राजस्थान में, बरसात नहीं हुई तो चारों ओर एक ऐसा वातावरण सा बन गया था कि जिससे असन्तोष बढ़ता जा रहा था। जब जुलाई तक बरसात नहीं हुई जैसा कि हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों के कई हिस्सों में देरी से बरसात हुई। जिस प्रकार के कुछ हिस्सों में देरी से बरसात हुई, वहां हमेशा की तरह से नहीं था, लेकिन फिर भी जिन जगहों में बरसात देरी से हुई वहां पर देरी से बरसात आमतौर पर हुआ करती है। फिर भी सरकार ने समय पर इस बात को विचारा और बिना किसी के प्रार्थना किये हुये अथवा बिना किसी की मांग किये हुए ही सरकार ने बीकानेर के अन्दर मीटिंग की और वहां पर जिन इलाकों में बरसात की कमी थी उन इलाकों के ऑफिसरों को और दूसरे लोगों को बुलाया और चर्चा की, और इसके लिए इन्तज़ाम किया। यह कहना कि सरकार सो रही थी, सरकार ने समय पर विचार नहीं किया, सरकार ने इस सम्बन्ध में समय पर व्यवस्था नहीं की, यह वास्तविकता से बहुत परे है। वास्तविकता तो यह है कि जब कि जनता के दिमाग में इस प्रकार की भावना नहीं थी कि अकालग्रस्त क्षेत्र वहां पर घोषित किया जाय अथवा बरसात की कमी हुई है उसके लिए कोई व्यवस्था की जाय, ऐसा नहीं सोचा था, उससे पूर्व ही सरकार ने सारी व्यवस्था जमा ली।

सबसे पहला काम यह किया कि आमतौर पर पिछले कुछ वर्षों से, पिछले कुछ सालों से स्केयर्सिटी एरियाज़ थे जहां कि बरसात की कमी के कारण अकालग्रस्त घोषित कर दिया गया था, उन क्षेत्रों में कार्य भी जो कुछ चल रहे थे वे चालू रहें इसलिए कि वे पहले से ही अभावग्रस्त थे। अब चूंकि बरसात की कमी थी तो बेरोजगारी का या भुखमरी का बढ़ना स्वाभाविक था। इसलिए सबसे पहला काम जो कि बहुत आवश्यक था हमने यह किया कि कि जो स्केयर्सिटी एरिया पहले से थे वहां अब भी बरसात नहीं हुई, वहां पर फेमिन रिलीफ के वर्क्स चालू रहें ताकि रोजगार लोगों को मिलता रहे। केवल रोजगार मिलना ही समस्या का हल नहीं हो जाता जब तक कि उनके लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था न की जाय, उनके मवेशियों के लिए चारे का इन्तजाम न किया जाय। इस बात के लिए सरकार ने, चाहे बाहर के प्रान्तों से प्रबन्ध किया या राजस्थान में जितना घास पोते था, हमारे यहां पर २५ ग्रास बीड़ थे और डिपो थे जिसमें ८६ हजार मन घास सरकार का रिज़र्व था, उस सबको मोबिलाइज़ किया इसलिए कि जहां पर घास की कमी हो वहां पर घास पहुंच जाय। यही नहीं, इसके अलावा लोकल पर्चेज़ का इन्तज़ाम किया गया कि लोकल पर्चेज़ कर के जहां पर घास की कमी हो वहां घास के डिपो खोले जायं। उसका इन्तज़ाम कर के घास पहुँचाने की कोशिश की। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य नहीं था, बल्कि यह उद्देश्य था कि जिसके पास हम घास पहुँचाना चाहते

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

थे वे बाजार के बढ़ते हुए दामों में उसको खरीद नहीं सकेंगे इसलिये इसको एक निर्धारित रेट पर बेचने के लिए सब्सीडाइज किया जाय। सब्सिडी जो कुछ भी है उसमें भावों में काफी कमी हुई। हमने २ रु. ५० न. पै. प्रति मन का भाव निश्चित किया ताकि लोगों को सस्ता घास मिलने लग जाय।

यही नहीं, इसके अलावा हमने यह भी सोचा कि आमतौर से मवेशी बाहर जाया करते हैं, और बाहर जाना प्रारम्भ होगा तो रास्ते में उनको घास की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए क्या व्यवस्था की जाय। इन लोगों का जो रूट है माइग्रेशन का तो उस माइग्रेशन के रूट पर घास के डिपो खोलें और वहां पर घास मुहैया किया जाय। बदकिस्मती से दुर्गापुरे से घास थोड़ा बहुत चला गया, २-३ हजार मन अजमेर व भीलवाड़ा। माननीय सदस्य जो आमेर से आये हुए हैं उन्होंने कहा कि जयपुर में हाहाकार मचा हुआ है और घास को भीलवाड़ा और अजमेर पहुंचा दिया। वह घास केवल तीन हजार मन था जो कि माइग्रेशम....

रावल श्री अमरसिंह जासोल (पचपदरा) : मंत्री महोदय ने फर्माया उसके लिए मैंने कहा था कि इस साल जो नीति अपनाई है उसके लिए हम अहसानमन्द हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप बोले, उसके लिए नहीं कह रहा हूँ।

रावल श्री अमरसिंह जासोल : गये साल डाइरेक्टिव नहीं मिले कि कहां पर घास है और कहां पर नहीं है और कौन सा रूट लेना चाहिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसी से सबक सीख कर हमने इस साल पहले ही से घास पहुँचा दिया।

(विद्युत प्रकाश अदृश्य किन्तु फिर भी सदन की कार्यवाही चलती रही)

रावल श्री अमरसिंह जासोल : क्या बात है ? इसमें लोगों को तवालत हुई, हानि हुई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इतनी देर से मैं उनकी बात सुन रहा था अब वे मेरी सुनें। आपने जो जो मुद्दे उठाये हैं मैं उनका उत्तर दूंगा, उस समय उसके बाद कोई बात रह जाय तो आप कह सकते हैं।

तो मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि दुर्गापुरा फार्म से घास २-३ हजार मन गया है, वह भी भीलवाड़े में खिलाने के लिए नहीं गया है बल्कि माइग्रेशन कैम्प्स हैं, वहां पर जो माइग्रेशन के लिए जाते हैं मवेशी उनके लिए मुहैया किया गया है। भीलवाड़ा और अजमेर में नहीं किया गया है, बल्कि अजमेर-भीलवाड़े में उनके लिए भेजा गया है। तो मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि हमने माइग्रेशन की व्यवस्था की जहां से मवेशी गुजरें उनको रास्ते में घास मिले और दूसरे प्रकार की व्यवस्था हो। इसका इन्तजाम किया और इसका इन्तजाम करने पर धीरे धीरे बरसात प्रारम्भ हुई, और बरसात प्रारम्भ होने के हमको समाचार मिलने लगे कि अब बरसात हो रही है। जिन स्थानों के समाचार खराब थे उन जगहों से अच्छी खबरें आने लगीं। बरसात होने लगी, फसल बोई जाने लगी। वहां पर घास की कमी धीरे धीरे दूर होने लगी और एक सन्तोष का वातावरण हुआ।

उसके बाद जब यह डिमाण्ड रखी जाने लगी तो यह किसलिए रखी जा रही है ? यह

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इसलिए रखी जा रही है कि जो कुछ काम सहायता के लिए नोर्मल बजट से खर्च करना चाहिए था वह इस साल, विशेष परिस्थिति के कारण, अधिक खर्च करना पड़ा है तथा बजट के अलावा कुछ रकम की आवश्यकता हुई, उसकी वजह से सप्लीमेंट्री ग्रान्ट रखी गई है। उसके सम्बन्ध में कटौती के प्रस्ताव आये।

कटौती के प्रस्तावों से और इस स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्यों को सारी व्यवस्था से संतोष है। असंतोष के कोई ऐसे ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह कहा जा सके कि अकाल कार्य सरकार अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से नहीं चला सकी। फिर भी माननीय सदस्यों ने जो बातें अपने क्षेत्र की रखी हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

सबसे पहले मैं बीकानेर को लेता हूं, क्योंकि बीकानेर का कुछ ऐसा हिस्सा है जहां पहले भी अकाल रहा और इस साल भी वर्षा कम हुई जिससे अकाल की सी स्थिति पैदा हुई, मैं यह नहीं कहता कि अकाल पड़ गया। मैं पहले की बात नहीं करता, इस साल की बात कहता हूं। सारे राजस्थान में यदि अकाल सहायता-कार्यों का जिक्र किया जाय तो अकेले बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के लिये ८ लाख ६४ हजार रुपये फेमिन रिलीफ के लिये अलग अलग मदों की तहत, चाहे फेमिन तकावी के रूप में हो, फोडर तकावी के रूप में हो, चाहे फोडर की व्यवस्था के लिये हो, चाहे केजुअल रिलीफ हो, चाहे रिलीफ कार्यों के लिये हो, चाहे कोलायत के लिये हो, चाहे लूणकरणसर के लिये हो, चाहे बीकानेर तहसील के लिये हो, वहां का जितना एरिया है उसके लिये हमने इस साल ८ लाख ६४ हजार रुपये रखे हैं, जब कि कुल धन-राशि ३४ लाख ८४ हजार रुपयों की सारे राजस्थान में लिये रखी है। उसमें से ८ लाख ६४ हजार रुपये केवल बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के लिये दिये हैं...

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ८ लाख में से खर्चा कितना किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मंजूर करने का सवाल जहां तक है वहां तक हमने इतनी धनराशि यहां के लिये मंजूर की, लेकिन जहां तक आवश्यकता का सवाल है, खर्च करने का सवाल है, वहां पर जो सरकारी कर्मचारी इस काम की देख रेख करते हैं वे आवश्यकतानुसार खर्च करते हैं। अधिक पैसा खर्च नहीं हो पाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि सरकारी अधिकारी जागरूक नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि जितना रुपया सेंकशन कर दिया है उतना रुपया खर्च करने की आवश्यकता वहां पर नहीं है....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपका यह कॉन्टेन्शन गलत है, आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की इनएफिशियेन्सी को स्वीकार नहीं करना चाहें तो बात दूसरी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं इसलिये कहता हूं कि जब धनराशि स्वीकार की जाती है, आवश्यकता से अधिक मांग की जाती है, दरख्वास्तें खारिज नहीं की जाती हैं, कार्य चला है, तकावी दी जानी जरूरी है तो दी जाती है। लेकिन एक दिन में सारा रुपया खर्च नहीं हो सकता। एक दिन में सारी स्कीम कार्यान्वित नहीं हो सकती, कंटिन्युअसली.......

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : मंत्रीजी यह बतादें कि बीकानेर जिले में कितने गांवों में अकाल किस तारीख को घोषित किया और किस तारीख को रिलीफ वर्क शुरू किया ?

श्री रामप्रसाद लडढा : अकाल घोषित करने का मसला केवल बीकानेर जिले का ही नहीं है, बल्कि सारे राजस्थान का है। जब अकाल घोषित किया जाता है तो उसके लिये फेमिन कोड है उसकी दफा ४६ के तहत पहले रिपोर्ट आती है, उसके बाद अक्टूबर तक घोषित होता है। पहले रिपोर्ट पेश होने पर सरकार को इत्मिनान हो कि वाकई ऐसी कंडीशन्स जब तक वर्षा नहीं होने से जो हुई है उसके बावजूद भी स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, भुखमरी की स्थिति हो गई है और फेमिन कोड के प्रिन्सिपल की पूर्ति होती है तो ३१ अक्टूबर तक फेमिन घोषित होता है ...

श्री मानिकचंद सुराणा : आप १५ अक्टूबर की बात कहते हैं कि तब तक घोषित करते हैं तो यह १५ मार्च का कैसे है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले वाला शुरू अक्टूबर के बाद निकलता है।

श्री मानिकचंद सुराणा : ५ महीनों तक सरकार क्या करती रही ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गये सालों में स्केर्यासिटी डिक्लेयर करने का नोटिफिकेशन कब निकला, कब नहीं; इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता...

श्री मानिकचंद सुराणा : इसके बिना कोई काम शुरू नहीं हो सकता।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : काम बंद नहीं किया, अब आपकी समस्या है कि जब तक डिक्लेयर नहीं किया जाय तब तक काम शुरू नहीं हो सकता। इस कठिनाई को सरकार महसूस करती है। इस फेमिन कोड की दफा ४६ के अनुसार कलेक्टर को अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र में यदि यह महसूस करे कि तुरन्त रिलीफ वर्क शुरू करना जरूरी है तो अर्जेन्सी को देखते हुए वह वर्क स्टार्ट कर सकता है एक महीने के लिये और एक महीने के लिये रोजगार के लिये अट्रेक्ट करने पर यह साबित कर सके कि जनता बेरोजगार है, अकाल-ग्रस्त है उनको काम दिया जाय तो १५ दिन तक फिर एक्सटेन्ड करने का उसको अधिकार है। उसके बाद भी यदि वह महसूस करता है कि आगे काम चलना चाहिये तो सरकार मंजूरी दे देती है। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह की परिस्थिति पाई जाती है उन सब कलेक्टर्स को हिदायत कर दी है कि तुरन्त रिलीफ वर्क स्टार्ट कर सकते हैं और प्रिलिमिनेरी रिपोर्ट तत्काल भेज दें। इसके लिये अमाउन्ट्स भी तय कर दिये जाते हैं और उनके डिस्पोजल पर रख दिये हैं और उनको पॉवर्स भी दे दिये हैं, आप ये रूपये तुरन्त रिलीफ वर्क के लिये खर्च कर सकते हैं और किये हैं। रिलीफ वर्क इस कारण से न बन्द है न होगा। तत्काल जांच करके हुक्म देते हैं जिससे कि वहां का काम किसी तरह से चलता रहे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप बहुत बड़ा केटेगोरिकल स्टेटमेन्ट दे रहे हैं कि वर्क कभी बन्द हुआ नहीं और होगा नहीं, जब कि आपको मालूम है कि रेडटेपिज़म के कारण काफी काम रुका है.... ..

रावल श्री अमरसिंह (पचपदरा) : सभापति महोदय......

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल): When one member is already speaking the other member should not rise.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार इस फेमिन कार्य को प्राथमिकता दे रही है और उसके साथ ही साथ उसका ह्यूमन एप्रोच है और इस तरह की समस्या हल करने का प्रयत्न कर रही है। आज राजस्थान का कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें अकाल हो और राहत का कार्य नहीं हो रहा हो या बन्द हुआ हो। कई तरह के कार्यों से अकाल पीड़ितों को तुरन्त राहत देने का काम इस साल किया गया है। पहले किया या नहीं किया........

श्री मानसिंह महार (आमेर) : पहले की सरकार क्या अकर्मण्य थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले व्यापक रूप से पड़ा नहीं।

मैं निवेदन कर रहा था कि बीकानेर जिले के बारे में जितने एतराज सदन के सामने रखे गये उनके सम्बन्ध में मैं विस्तृत जानकारी देता हुआ मित्रों ने जो आंकड़े रखे हैं उनकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं। एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं कि कलेक्टर से जो सूचना प्राप्त हुई हैं; लेटेस्ट पोजीशन बीकानेर के बारे में बता दूं। नोखा तहसील में ५७ गांव ऐसे हैं, लूणकरणसर में १४ गांव ऐसे हैं जहां अकाल है और २७ ऐसे है जहां डेफिसिट रेन फाल है। इसी तरह से नोखा के आधे से कुछ कम गांव ऐसे हैं जहां डेफिसिट रेनफाल है, यह नहीं कि रेनफाल नहीं हैं, वर्षा हुई लेकिन कम हुई। फोडर की कमी है। इसी तरह से अन्य हिस्सों के बारे में भी सारी जानकारी दी है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : बीकानेर तहसील में मगरे के बारे में क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वहां पर बरसात हुई है, फोडर की कमी है। पीने के पानी की समस्या बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब सभी हिस्सों में हल हो गई है। जो टाटे और कुंड बने थे उनको भर दिया गया है इसलिये वहां पर पीने के पानी की समस्या नहीं रही। फोडर के डिपोज जगह २ खोले गये उनकी लिस्ट सदन में रख कर समय जाया नहीं करना चाहता। कलेक्टर को अधिकार है कि जहां आवश्यकता हो वहां डिपोज प्रारम्भ कर दे, रिलीफ-कार्य प्रारम्भ कर दे। इस प्रकार बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की जो परिस्थिति है, जो वहां के हालात हैं और जो अब तक जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां पर चिन्ता का विषय है, ऐसी बात नहीं है।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक मिल्क स्कीम चालू है उसके बारे में भी कहा......

श्री मुरलीधर व्यास : मिल्क सप्लाई पर एतराज नहीं किया, लेकिन यह कहा कि दूध दिल्ली तक जाता है इसलिये बीकानेर में भी इसकी सप्लाई होनी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दिल्ली जाता है, बीकानेर को भी मिलेगा, स्कीम को पूरी तरह से चालू हो जाने दीजिये। यह लोगों की माली हालत और उनका जीवन-स्तर ऊंचा करने की चीज है, आसपास के सारे क्षेत्र की हालत ठीक करने की चीज है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सारे राजस्थान में कार्यान्वित पूरी तरह से न हो जाय, उसके पहले क्रिटिसिज़म किये जाने से उसका महत्व.........

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने किर्टिसिज़म नहीं किया है। मैं इस स्कीम को पसन्द करता हूं और ठीक समझता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे खुशी है, मैं............

श्री मुरलीधर व्यास : लेकिन दूध दिल्ली को देते हैं और बीकानेर में इस किस्म की......

श्री मोहनलाल सुखाडि़या (मुख्य मंत्री): दिल्ली में दूध भेजने की बात कही, बीकानेर में दूध सप्लाई करने की बात कही। मैं निवेदन करूं कि बीकानेर को सप्लाई करने का जोन है; जहां के आदमी आम तौर पर बीकानेर को दूध सप्लाई करते हैं उसको हमने टच नहीं किया है। इसलिए बीकानेर की सप्लाई में कमी नहीं हुई है। आप यह जानते हैं और पूरे इलाके में, जहां मैं गया हूं, जहां से दूध लिया जा रहा है, जहां अकाल की परिस्थिति थी, वहां के लोगों के ये शब्द थे कि दूध की स्कीम है, जिसकी वजह से आज हम अपने मवेशियों और जानवरों को चारा खिला सके हैं। मैं समझता हूं, दूसरी उनकी दिक्कत यह हो सकती है कि बीकानेर के अन्दर जो चार चार सेर और पांच पांच सेर के अन्दर दूध खरीदें, और जो पशुपालकों से दूध लेने की बात करते हैं, उनको कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो किसान पशु पालक हैं, जो गाय पालते हैं, उनको रिटर्न मिलना चाहिए। इसलिए यह परिणाम नहीं निकलता कि वहां दूध की कमी हो।

श्री मुरलीधर व्यास : यह सारा दूध लेकर क्या सारे बीकानेर को वे दे सकते हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा वहां की परिस्थितियों के बारे में.........

श्री सभापति : आप अपना भाषण संक्षिप्त करिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मै हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में जिक्र न करते हुए...

श्री सभापति : Need not go into details of every district.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : संक्षेप में कहना चाहूंगा कि अब तक राज्य सरकार ने १४, ६६, ६६० रुपये ग्रेचुटस रिलीफ, २१ हजार वाटर की सप्लाई के लिए, ६, ११, ५०० रु० फोडर के लिए, ५, २८, ५२० रुपये फोडर तथा फेमिन तकावी के लिए और ८, ४०,००० रुपये मंजूर किये हैं। इस प्रकार से कुल ३४, ७५, ५३३ रुपये हमने मंजूर किये हैं। राजस्थान के जो चौदह डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार की परिस्थितियों से प्रभावित हैं, उनके लिए ये सारी योजनायें बनाई है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट, जहां पर इस प्रकार की परिस्थितियां रही हों, को इग्नोर करने की कोशिश की हो।

अनूपगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें बतलाईं, जिसके लिए एक बात

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कह देना चाहता हूँ और वह यह है कि जिस मीटिंग का आप हवाला दे रहे हैं, जिस मीटिंग के डिसीज़न्स का आप हवाला दे रहे हैं–उस मीटिंग के मिनिट्स मेरे पास हैं। आपने जैसा कहा कि कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों ने यह मंजूर किया कि वहां के मवेशी पाकिस्तान जा रहे हैं या पचास हजार मवेशी मर गये हैं– मैं इन दोनों बातों को रेफ्यूट करता हूं और कॉन्ट्राडिक्ट करता हूं। इस तरह की बात नहीं आई, इस मीटिंग के मिनिट्स के आधार पर मैं कहता हूं और मैं इस इलाके में टूर करके आया हूं। मैं कह सकता हूँ कि ऐसी बात सामने नहीं आई कि घास की कमी हो या पानी की कमी हो। पुंगल और रणजीतपुरा ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : जिला परिषद का कोई प्रस्ताव भी आपके पास नहीं पहुंचा। पंचायत समिति सूरतगढ़ का प्रस्ताव कोई नहीं पहुंचा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं उस इलाके का टूर करके आया हूं, उस समय टूर करके आया हूं जब कि पानी की कमी थी, बीकानेर की मीटिंग हुई उसके बाद; लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर–जितने हिस्से में भी मैं गया, वहां मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। बाद का सवाल नहीं है, क्योंकि बाद में बरसात हो गई और स्थिति बदल गई। आपने कहा कि उस वक्त भयंकर स्थिति थी। मैंने मालूम किया, भूख की वजह से, प्यास को वजह से, पानी की वजह से, घास न मिलने की वजह से, भूख से पीड़ित होकर कोई मवेशी मरा हो...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं इसके लिए कहता हूं कि इस प्रकार आप कह रहे हैं यह गलत है। एक नहीं लाखों इस प्रकार से जानवर मारे गये हैं। आप चाहें तो प्रमाणित किया जा सकता है...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं वह बात भी कहना चाहता हूँ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि-मंत्री) : यही बात कह रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपने कार के शीशे बन्द करके टूर किया होगा। आपको मालूम नहीं हो सका होगा (व्यवधान) आप मेरे साथ चले चलिये, मैं आपको अब भी ऐसे फेक्ट्स बताऊंगा (व्यवधान)....

श्रीसभापति : माननीय सदस्य श्रीहांडा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं जांच के आधार पर, जानकारी के आधार पर, उन लोगों के बयान के आधार पर, मौके पर गया हूं, उसके आधार पर निवेदन कर रहा हूं। मैं कोई घर बैठे बैठे या जयपुर में बैठे बैठे वहां की उड़ी हुई अफवाहों के आधार पर निवेदन नहीं रहा हूँ। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं; जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर–इनमें आठ दस लाख मवेशी हैं, वहां पर सौ मवेशी मर जाने को भूख से मरे हुए नहीं कहना चाहिए। दस परसेन्ट मवेशी तो, चाहे अकाल पड़े या नहीं पड़े, नेचुरल डेथ से मरते हैं। उनके बारे में कोई माननीय सदस्य जानकारी किये विना और गांव में गये बिना यह कह दें कि वहां अकाल से पशु मरे हैं, भूख से मरे हैं, प्यास से मरे हैं–यह नितान्त असत्य है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी जान-

Page No.87

(श्री मुरलीधर व्यास)

कारी मैंने अपने दूर से और साथियों से की है। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

अब जो कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ मुद्दे उठाये हैं उनके बारे में अर्ज करना चाहता हूं, जो जनरल सजेशन्स दिये हैं बिकानेर से...

श्री चौसरसिंह बावेल (बेंगू) : लाखों जानवर मरे हैं। मैं मिनिस्टर साहब को बतला दूं कि अकाल में लाखों जानवर मरे है

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं कहना चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्री चौसरसिंह बावेल : मैंने अपनी आंखों से देखा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री): आप कहां के लिए कहना चाहते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय,...

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री चौसरसिंह बावेल : यह एवरेज है कि फी घर एक मवेशी मरा है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : फी घर एक मर गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : औसत यह है कि सौ के पीछे दस ...

श्री मुरलीधर व्यास : ये पानी की कमी और घास की कमी के कारण मरे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हर घर में एक मवेशी एक साल में मरता है, आपके पास एक मवेशी है तो वह एक मवेशी मर जाता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चूंकि समय रह गया है, माननीय सभापति महोदय, इसलिए जनरल ऑब्जर्वेशन सदन के समक्ष माननीय सदस्यों ने रखे हैं, उनके बारे में अर्ज कर देना चाहता हूं।

एक बात लूणकरणसर, जालौर और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्यों ने कही, वह यह थी कि परमानेन्ट सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए, जिससे ऐसी परिस्थिति पैदा हो तो उसका मुकाबला किया जाय। वास्तव में इनकी यह बात वेल्यूएबल है, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है, और सरकार रखती है कि राजस्थान में ढाई सौ ट्यूब वैल्स तीसरी पंचवर्षिय योजना के एंड तक खुदवाये जायें। इनके खोदे जाने से न केवल अकाल में आने वाली सम्भावित परिस्थिति का मुकाबला हो सकेगा बल्कि इससे सिंचाई साधन उपलब्ध होंगे और रोजगार बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और माली हालत सुधरेगी और साथ ही साथ इस प्रकार की जो परिस्थिति समय समय पर आती है उनका भी मुकाबला किया जा सकेगा। यह एक मुस्तकिल काम होगा, एक मुस्तकिल कदम होगा और मुस्तकिल हल होगा। इस समस्या का मुस्तकिल रूप से हल करना है।

एक बात कही कि जो कच्चे फेमिन वर्क्स किये जाते हैं, इनसे किसी को लाभ नहीं होता और थोड़ा एम्पलॉयमेन्ट मिलता है-यह ठीक

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है तो उन वर्क्स से परमानेन्ट तरीके का फायदा नहीं मिल सकता । गवर्नमेन्ट ने यह फैसला किया है, जो फेमिन के वर्क्स हों, जो फेमिन वर्क्स किये जायं, वे ऐसे हों जो पंच वर्षीय योजना में लिए हुए हों, जो पंचवर्षीय योजना पक्के वर्क्स लिये हुए हों, ऐसे पक्के वर्क्स फेमिन वर्क्स में चालू किए जायं, और पंचवर्षीय योजना में जिस नेचर के वर्क ले रखे हो उस नेचर के वर्क फेमिन वर्क में लिए जायं और पंचवर्षीय योजना, जिन जिन क्षेत्रों में ऐसी परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाई जाये और उनके वर्क उस तरह पूरे किये जायं । इस प्रकार का सरकार ने फैसला लिया है । इससे यह समस्या भी हल हो जाती है, जैसा कई माननीय सदस्यों ने यह बात रखी कि कच्चे वर्क नहीं होने चाहिए बल्कि पक्के वर्क होने चाहिए ।

एक माननीय सदस्य ने यहां यह निवेदन किया कि कोटा के अन्दर जो डिपो खोले हैं, उनके अन्दर कीचड़ रखा हुआ है इसलिए घास, के बीड़ नीलाम नहीं होने चाहिए ऐसी परिस्थितियों में । कोटा के बारे में यह कहना ठीक नहीं हैं, मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कोटा बूंदी के जो घास के भंडार हैं वे कीचड़ के भंडार हैं...

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मन्त्री महोदय, बिना कलेक्टर को पूछे यह कह रहे हैं । मैंने कलेक्टर को जाकर घास का नमूना बताया है और उन्होंने ऑर्डर करके घास रखवाया है...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बहुत अच्छी बात है । फिर क्या आफत हो गई ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने कैसे इन्कार किया । आप सब बातों पर इन्कार करना चाहते हैं बिना किसी चीज की जानकारी किये ।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि कोई आरोप लगाया हैं और मन्त्री महोदय उसको रेफ्यूट करते हैं तो वे सदस्य ही ज्यादा अच्छी तरह से कह सकते हैं । यह आवश्यकता नहीं है कि हर आरोप पर, हर बात के सम्बन्ध में आपका बोलना आवश्यक हो ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, जो हाइट ऑफ एवर्सिडटी होती है तब बोलना आवश्यक हो जाता है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप अकाल के बारे में जानते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह हाइट ऑफ एब्सर्डिटी है । मैं उसे चैलेंज करता हूं । मन्त्री महोदय साबित कर दें कि दस परसेन्ट पशु मरते हैं, इसका मतलब यह है कि एक घर में एक पशु मर गया ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आपकी कुर्सी के पिने लगी हुई मालूम होती हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: माननीय सभापति, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उन्होंने कहा कि घास के बीड़ जो सरकारी हों उनको नीलाम नहीं करना चाहिये । वास्तव में ग्रास के बीड़ एक निश्चित समय तक नीलाम नहीं किये जाते हैं और उस वक्त तक स्थितियां क्या होती हैं उसका पता चल जाता है । तो इन सब बातों के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हूं कि अकाल की स्थिति से सरकार सजग है और उसके लिये उचित कदम उठा रही है....

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैंने कहा था कि स्ट्रॉ बोर्ड के लिये लाखों मन घास ४० नये पैसे मन से दिया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी जानकारी मुझे इस समय नहीं है।

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो परिस्थितियें सरकार के सामने रखीं और सरकार ने उस पर क्या किया और आगे क्या करने जा रही है उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं समझता हूं सदन के सभी माननीय सदस्यों को संतोष होना चाहिये कि वर्षा के अभाव से जो स्थिति पैदा हुई है उसका सफलता के साथ मुकाबला किया है और व्यवस्था की है। इसलिये जो कटौती के प्रस्ताव हैं उनको माननीय सदस्य वापिस ले लेंगे।

एक बात जो आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, उन्होने जयपुर की स्थिति के बारे में कहा कि चाहे वह चौमूं हो, चाहे दूसरी जगह, अकाल की स्थिति है और वे यह भी चाहते हैं कि मैं उनके साथ जाकर रात को वहां की हालत को देखूं और उन्होंने यह भी कहा कि इन परिस्थितियों में वे जेब से पेट्रोल खर्च करने को तैयार हैं, इससे उत्तम तो यही लगता है कि माननीय सदस्य ही उन गांवों की लिस्ट मुझे दे दें जहां पर अकाल की स्थिति है। जहां पर जिस प्रकार की परिस्थिति होगी उसकी जांच कराई जाकर यदि वहां स्केयर्सिटी एरिया होगा और हमारे दायरे में आ सकता है तो अवश्य उनको लेंगे।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : रात को अधिक दिखता है और दिन में कम।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपके साथ चलता। इसलिये आपको ज्यादा दिखेगा। मैं तो आपके पीछे चलता।

माननीय सदस्य हमेशा यही सोचते हैं कि अभी वर्षा नहीं हुई, एक साथ परिस्थितियें खराब हो जावेंगी। इसलिये ये सोचते हैं कि परिस्थितियें खराब हैं इसलिये फेमिन एरिया कर दिया जाए। वे यह भी सोचते हैं कि इस वर्ष वर्षा के होने से कोई असर नहीं होता। लेकिन मैं यह कहूंगा कि जिस वक्त तक फेमिन के बारे में रिपोर्ट की जाती है जो फाइनेन्स कोड में दिया गया है कि कौन कौन से इलाके इसके योग्य हैं तो वह फेमिन एरिया डिक्लेअर कराया जा सकता है, अन्यथा नहीं और इसकी जांच सरकार ने प्रारंभ कर दी है। इतनी बात कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): Point of order, Sir......

श्री सभापति : No more questions.

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आप सदन की मेज पर फोडर जितना आपने बेचा है उसकी लिस्ट रखने की कृपा करेंगे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप क्या चाहते हैं? जितना फोडर सप्लाई किया गया है उसकी लिस्ट मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

(सूची सदन की मेज पर नहीं रखी गई)

श्री मानिकचन्द सुराणा : जितना घास आपने वितरण करवाया है, जितना

Page No.90

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

घास आपने बेचा है उसकी 'लिस्ट होनी चाहिए ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो बड़ा मुश्किल होगा । ५० सेन्टर्स हैं उनमें कुल कल की तारीख को कितना घास बेचा गया, यह लिस्ट देना सम्भव नहीं है । मैं यह बता सकता हूं कि ऐसे डिपो कहां कहां खुले हैं और हमने गवर्नमेंट के डिपो से घास भेजा है । यह मैं बता सकता हूं । कितनी घास बेची गई है इसके आंकड़े सदन को मेज पर रखना संभव नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह नगर) : अभी आबू में एक अगस्त को मीटिंग हुई उसकी रिपोर्ट है । आपने कहा कि ५००० मवेशी मर गये । मैं यह कहूंगा कि मीटिंग के मिनिट्स गलत लिखे गये हैं । उसको सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री सभापति : Order please !

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कलेक्टर का लेटर हमारी फाइल पर है । उसमें माननीय सदस्य, हांडा साहब भी थे ।

श्री सभापति : मिनिट्स को आप खुद गलत मानते हैं, इसलिए उसको रखने की आवश्यकता नहीं है । Not necessary.

जो माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेना चाहें वे कृपया खड़े हो जाएं ।

(विराम)

श्री रुघनाथ विश्नोई रुघ (विराम) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : Point of order, मैं यह पूछना चाहता हूं...

श्री सभापति: If there is not a point of order I would take it seriously.

श्री हीराभाई : मैं यह पूछना चाहता हूं कि . .

श्री सभापति : यह पोइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है । मैं आपको अवश्य समय देता और भाषण के लिए भी समय देता, लेकिन अब समय नहीं है । इसलिए मुझे अफसोस है कि आपको समयाभाव के कारण समय नहीं दे सका ।

श्री हीराभाई : एक बात ही कहना चाहता हूं ।

श्री सभापति : फिर कभी समय हो उस समय पूछ लेना ।

(विराम)

श्री भीमसेन Anybody else.

और कोई सदस्य अपना कट मोशन वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय मन्त्री महोदय ने डिटेल्स में जवाब दे दिया है । इसलिए मैं अपना कटौती प्रस्ताव विथ ड्रॉ करता हूं ।

श्री सभापति : श्री मानसिंह महार ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ५२ मुख्य शीर्षक ६४.-शिक्षा सहायता के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष के किए जाने वाले व्यय के

(श्री सभापति)

निमित राज्यपाल महोदय को २,१७,५००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे, इसके लिए मुख्य मन्त्रीजी ने रखा है, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

मांग संख्या ५०।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): जिन्होंने वापिस ले लिये हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने वापिस नहीं लिये उनका क्या हुआ ?

श्री सभापति : They are automatically negative.

अनुपूरक मांग संख्या ५०-सामान्य प्रशासन

श्री बालकृष्ण कौल : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या ५०, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २३,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री सभापति : Motion moved.

श्री दुर्गालाल बाड़दार।

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार : I do not want to move.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ५०, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २३,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री): चेअरमैन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या ५१, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६६,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री सभापति : Motion Moved.

श्री दुर्गालाल बाढदार।

(अनुपस्थित)

श्रमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह महार।

(कोई भी माननीय सदस्य खड़े नहीं हुए)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ५१, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष

(श्री सभापति)

में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६६,०००) रु. तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

अनुपूरक मांग संख्या ५३-राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम

श्री बालकृष्ण कौल : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक था-राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,५०,०००) रु. तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री सभापति : जिन माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं अगर वे कुछ कहना चाहें तो कहें; अन्यथा इस मांग को स्वीकार कर लिया जावे । एक्सप्रेस इयूज नहीं हैं ।

अनेक माननीय सदस्य : मांग स्वीकार कर ली जावे ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक था राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,५०,०००) रु. तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(६.५८ म. प.)

राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६३

(पुरास्थापन, विचा-रविमर्श एवं पारित)

श्री सभापति : एप्रोप्रिएशन बिल, नम्बर ४, १९६३.

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमन्त्री) : सभापति महोदय, मै राजस्थान एप्रोप्रियेशन (बिल नं० ४) बिल, १९६३ को पुरः स्थापित करने के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (बिल नं० ४) बिल, १९५३ को पुरः स्थापित करनेकी आज्ञा प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री बालकृष्ण कौल : मै विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं !

श्री सभापति: Now for consideration.

श्री बालकृष्ण कौल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (बिल नं. ४) बिल, १९६३ को विचारार्थ लिया जाए ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव विचारार्थ लिया गया ।

श्री बालकृष्ण कौल : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नम्बर ४) बिल, १९६३ को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

Now Excess Demands.

अधिक अनुदान की मांग संख्या ६६, राजकीय आबकारी कर

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमंत्री) : सभापति महोदय, मैं एक्सेस डिमाण्ड्स की मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक ८–स्टेट एक्साइज ड्यूटी के सम्बन्ध में कन्सोलिडेटेड फंड में से ३१ मार्च, १९६० को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को, ५,६७८ रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री सभापति : Motion moved. Shri Vijaisingh Jhala.

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

१. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक ८–राजकीय आबकारी कर में १००)रु० की कटौती की जाय (अफीम के मूल्य में जो अधिक व्यय हुआ उस पर विचार करने हेतु)।

मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक ८–राजकीय आबकारी कर में १००) रु० की कटौती की जाय (राजकीय आबकारी कर की वसूली पूरी नहीं होती उस पर बहस करने हेतु)।

२. **श्रीयोगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक ८–राजकीय आबकारी कर में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान की Distilleries की दुर्लक्ष पूर्ण स्थिति पर बहस करने हेतु)।

३. **श्री रामकिशन** (बैर) : मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक ८-राजकीय आबकारी कर में १) रुपये की कटौती की जाय (सरकार की शराब बिक्री पर बहस करने हेतु)।

४. **श्री गोविन्दसिंह** (पिड़ावा) : मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक ८–राजकीय आबकारी कर में १) रु० की कटौती की जाय (इस विभाग में होने वाली अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

५. **श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद): मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक ८–राजकीय आबकारी कर में १) रु० की कटौती की जाय (इस विभाग में होने वाली अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

६. **श्री पोहूमल ईसरदास** (अजमेर पश्चिम) : Demand No. LXLIX, Major Head 8—State Excise Duties be redudced by rupee 1/- (to discuss failure of the Government to stop the menace of illicit liquor and unauthorised open sale of liquor in the streets) . .

७. **श्री मानसिंह महार** (आमेर) : Demand No. LXLIX, Major Head 8—State Excise Duties be reduced by rupee 1/- (to discuss mismanagement of Distilleries in Rajasthan) .]

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सभापति महोदय..........

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि भाषण संक्षेप में दें।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : बिल्कुल संक्षेप में।

इसमें मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं और खास करके एक्साइज डिपार्टमेंट में जो कर लगाये जाते हैं उस कर में किस प्रकार के बकायात रहते हैं, किस प्रकार चोरी होती है और किस प्रकार वह सारी रकम वसूल होनी चाहिये वह नहीं होती है; इसके बारे में मैं उदाहरण माननीय वित्त मंत्रीजी के समक्ष रखना चाहूंगा। सभापति महोदय, अभी कुछ दिन पूर्व एक प्रश्न सदन में पूछा गया था, उसके उत्तर में बताया गया कि १७५ हजार रुपये एक्साइज टैक्स के, पेसेन्जर टैक्स के रूप में बाकी थे और वित्तमन्त्री महोदय ने उसका यह उत्तर दिया था कि हमारे कानून में कुछ कमियां थी,

Page No.94

(श्री विजयसिंह झाला)

उसकी पूर्ति अप्रेल में की थी। उसके बाद की कोई बाकियात नहीं हैं; पर वास्तव में बकाया है। मैं माननीय वित्तमंत्रीजी का ध्यान जो तालिका दी है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें ६३-६४ में चौधरी बस सर्विस में ५०,४१९) रु० ६५ न० पै० बाकी है। ६३-६४ में हुसैन में २८,३५६) रु० ५८ नये पैसे बाकी रहते हैं।

तो इस प्रकार जो टैक्स जनता से वसूल होकर कोष में जाना चाहिये वह कोष में नहीं जाता, लोग बीच में ही उसका उपयोग करते हैं। इसके लिए मैंने प्रश्न पूछा था, नोटिस भी दिया, टोकन भी रोक दिया, कल माननीय वित्तमंत्रीजी ने कहा था कि टोकन रोकने का प्रोसीजर पहले नहीं था, लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि टोकन रोकने का प्रोसीजर पहले था। टोकन रोके गये, आपने नोटिस इश्यू किये, पर एक उपमंत्री आते हैं, वे सिफारिश करते हैं कि टोकन इश्यू कर दिया जाय, बकाया रुपया बाद में आ जायगा, आपके उपमन्त्री हैं आचार्य साहब, वे भी आपकी बाकियात ज्यादा रहें, इसमें सहायक होते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I refute, Sir. These are false allegations that the Member is lodging.

श्री विजयसिंह झाला : सभापति महोदय, अगर मैं इसको साबित नहीं कर सकता हूं तो जो सजा आप तजवीज करें, भुगतने को तैयार हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभापति महोदय को क्यों बीच में लाते हैं ?

श्री विजयसिंह झाला : जांच कमेटी बैठाई जाय और उसमें यह साबित नहीं हो, तो···

श्री निरंजननाथ आचार्य : I again refute, Sir. I humbly refute, Sir; that is a false allegation.

श्री सभापति : Mr. Jhala, प्रश्न यह नहीं है कि आप बाद में साबित करें। प्रश्न यह है कि आपके पास सुबूत हों तो अभी सदन में रखें।

श्री विजयसिंह झाला : एक्साइज डिपार्टमेन्ट में जो रकम वसूल होनी चाहिये उसके लिये नोटिस दे दिये गये, टोकन रोक लिये गये; फिर भी मंत्रियों की सिफारिश पर वह वसूली रोक दी जाती है तो आखिर यह वसूली किस प्रकार होगी ? इसी प्रकार नंदवाना साहब ने भी इसकी सिफारिश की थी, उप-मन्त्री आकर अधिकारियों पर दबाव डालते हैं, संबंधित मन्त्री अफसरों पर दबाव डालते हैं तो यह रकम कभी वसूल नहीं हो सकती।

तो इस तरह से आपने एक गलत इन्फोर्मेशन सदन में दी थी कि अप्रेल में नया कानून लागू होने के बाद बाकयात नहीं रही, नये कानून के लागू होने के बाद में ७०-८० हजार रुपया वसूल हो जाने चाहिए थे जो वसूल नहीं हुए। इसके साथ ही साथ बहुत सी मोटरों के टोकन इश्यू नहीं हुए थे, बगैर टोकन इश्यू हुए मोटरें चलीं तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, रोड टैक्स जमा कराना चाहिये था उसमें चोरी की। नाथद्वारा मोटर चलती है, कितने अर्से तक टोकन इश्यू नहीं हुआ, टोकन इश्यू होने पर मोटर चलनी चाहिये थी, फिर बीच के अर्से में मोटर कैसे चली ? तो इस प्रकार एक्साइज विभाग में चोरियां होती है करों की, टैक्सेज की।

श्री बालकृष्ण कौल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जिस पर बोल रहे हैं वह विषय सदन के समक्ष नहीं यह है एक्सेस डिमाण्ड एक्साइज़ डयूटी पर है, एक्साइज डिपार्टमेंट पर नहीं।

श्री विजयसिंह झाला : मेरा कटौती प्रस्ताव यह है, आबकारी में जो बाकियात रहती हैं उनके बारे में विचार करने के बारे में। मैं जब बड़ी इन्फोर्मेशन आपके सामने रखता हूं और यह साबित करता हूं कि मंत्री बाकियात को बाकी ही रखने में मदद करते हैं तो आपके लिये यह आवश्यक है कि सख्त से सख्त कदम उठायें।

कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी पर दो लाख रुपया बाकी हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir, आबकारी टैक्सेज की वसूली से यह डिमान्ड ताल्लुक नहीं रखती

श्री विज सि झाला : सभापति

(श्री विजयसिंह झाला)

महोदय, मैंने अध्यक्ष से इजाजत ली थी और माननीय अध्यक्ष ने इस पर्टीक्यूलर मोशन पर इजाजत दे दी।

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय ने इजाजत दी या नहीं दो, यह प्रश्न नहीं। इस समय मेरे सामने आपका कटौती प्रस्ताव है और मैं निवेदन करूंगा कि जिस विषय पर कटौती प्रस्ताव है उसी पर बोलें।

श्री विजयसिंह झाला : मैं उसी पर बोल रहा हूं और मेरा कटौती प्रस्ताव भी यही है।

श्री सभापति : आप जरा पढ़िये कटौती प्रस्ताव।

श्री विजयसिंह झाला : मेरे दो तीन प्रस्ताव हैं। अफीम वाला कहीं पड़ा होगा, और भी हैं।

तो मेरी समझ से इससे आपको तो फायदा होगा कि वसूली होनी चाहिये। अब तक नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई ? चुनावों में मोटरें चली जाय और ये बाकियात निकाले जांय तो सारा का सारा खजाना ही खाली हो जायगा। एक आबकारी विभाग ही ऐसा है कि अगर वहां वसूली हो जाती तो टैक्स नहीं लगाना पड़ता। कोटा के लोगों में बाकी हैं। १.७५ हजार उदयपुर के दो आदमियों में पैसा बाकी हैं। इस तरह से आबकारी विभाग का यह पैसा वसूल हो जाता तो टैक्स नहीं लगाने पड़ते।

इसके साथ साथ, माननीय सभापति महोदय, जो चोरियां होती हैं खास कर टेक्सों में, उसका भी एक दूसरा नमूना मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मोटर मालिक टिकट रखते हैं। १ से १०० तक रखते हैं। इस तरह से १०-१५ कॉपियां रखते हैं, बहुत सी जगह पैसेन्जर टैक्स नहीं देना पड़े, इसके लिये कॉपियों की कॉपियां दबा देते हैं। इसलिए जो टिकिट पैसेन्जर्स को इश्यू करते हैं उन पर सरकार की मोहर होनी चाहिये और नम्बर आपके यहां सारे दर्ज होने चाहिये।

इसके साथ ही मेरा एक कटौती प्रस्ताव अफीम के बारे में था। अफीम का सबसे ज्यादा स्मग्लिंग होता है। दरअसल किसानों को उनकी मेहनत का उचित पैसा नहीं मिलता। इसका स्मग्लिंग भी विशेष तौर से इसलिए होता है कि स्मग्लर जो हैं उनको अधिक पैसा चोरी-छिपे दे देते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न रखा था और मन्त्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित किया था कि अफीम का पूरा पैसा काश्तकार को मिलना चाहिये। जब उसको पूरा पैसा नहीं मिलता है तो नेचुरली वह उसको काला बाजार में बेचेगा। माननीय मन्त्री महोदय, ने आश्वासन दिया और खर्चे का स्टेटमेंट भी पेश करने के लिये मुझे कहा था। मैंने वित्त मन्त्री महोदय, के सामने वह पेश कर दिया है. लेकिन अफीम के मूल्य की वृद्धि में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अफीम की काश्त में जो खर्चा होता है उसको देखे और जो भाव है उसको देखे तो वह बहुत कम है।

दारू के लिए भी एक बात निवेदन करना चाहता हूं। दरअसल मैं जनता जितना पैसा देती है उस पैसे का पूरा माल उसको नहीं मिलता है, इसलिए इल्लिसिट ढंग से दारू निकाला जाता है। एक प्रस्ताव मैंने वित्त मंत्री जी के सामने रखा था कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं और खासकर उदयपुर जिले में ज्यादातर

(श्री विजयसिंह झाला)

गरीब लोग रहते हैं तो वहां पर ६० नम्बर की दारू वापरनी चाहिये जिससे दो रुपयों में बोतल मिल जाय तो जो इससे खर्चा निकालने में होता है उसके मुकाबले में इसकी चोरी नहीं होगी। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इल्लिसिट डिस्टिलेशन को रोकना चाहिये और सस्ती चीज जनता को दें जिससे आगे जाकर जो चोरियां होती है वे नहीं होंगी और जनता को भी लाभ होगा।

साथ ही वित्त मन्त्री का ध्यान आकर्षित करूंगा-एक्साइज विभाग के अन्दर जो अफसर हैं, कर्मचारी हैं जिस समय वे लोगों के घरों की चैकिंग करते हैं, उनका व्यवहार बहुत ही अपमानजनक और बुरा होता है। मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। मैंने शिकायत भी की थी। घरों में घुस कर वे औरतों को पीटते हैं, बूट की ठोकरें देकर उनको पीटते हैं। मैंने उदाहरण भी दिये थे। मैं वित्त मन्त्रीजी से आज भी कहता हूं कि आप नाथद्वारा क्षेत्र में पधारो, एक नहीं हजारों उदाहरण दूंगा। जो भी कानूनी कार्यवाही हो वह जरूर करना चाहिये, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कदम भी लेना चाहिये, लेकिन प्रजातन्त्रयुग के अन्दर अगर अमानुषिक व्यवहार औरतों के साथ करते हैं तो यह उपयुक्त नहीं है। अतः आबकारी विभाग में जो बाकियात हैं उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह जल्दी से वसूल होनी चाहिये और तिथि भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौनसी तिथि को आप वसूल कर लेंगे, जो पहले पहले की बाकियात है?

श्री सभापति : श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय, डिस्टिलरीज के सम्बन्ध में मैंने एक कट मोशन पेश किया है कि डिस्टिलरीज की स्थिति बहुत ही दुर्लक्ष्यपूर्ण है। कोटा डिस्टिलरी को बन्द हुए काफी समय हो गया है और आज यह शिकायत है कोटा के अनेक नागरिकों के मुंह पर कि कोटा में जो शराब पी जाती है वह प्योर स्प्रिट है, कलर मिला रहता है और उसके कारण बहुत सारे लोग बड़ी गम्भीर बीमारियों के शिकार हो चुके हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आपने टेस्ट की थी?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके साथ बैठ कर की थी।

गंगानगर डिस्टिलरी का जहां तक सम्बन्ध है, इस सदन में उसके विषय में काफी कुछ कहा गया है। मैं उन तथ्यों को दोहराना नहीं चाहता। गंगानगर डिस्टिलरी में मोलेसेज स्टेन्ड क्रेक हो गया। हजारों रुपया उसमें लगाया गया था। बार बार इसके लिये रिप्रेजेन्टेशन हुए, लेकिन उस मोलेसेज स्टेन्ड के क्रेक हो जाने की जांच नहीं हुई। इसके साथ ही साथ शुगर मिल और मालेसेज स्टेन्ड के सम्बन्ध में घोटालों के लिए भी कई बार कहा गया, शिकायतें की गई कि इनकी जांच की जाय, वह केवल एक अकाउन्ट्स क्लर्क के द्वारा किये गये घोटाले पर बात आ जाती है, लेकिन जिनके द्वारा लाखों रुपये का गबन हुआ उसको सरकार बिलकुल ही टाल देती है। एक मोलेसेज स्टेन्ड काफी ईंटे लगा कर और काफी लागत लगा कर तैयार किया गया था वह क्रेक हो गया, लेकिन उसकी जांच नहीं हुई, जबकि इस विषय में सदन में कई बार कहा गया, अर्ज किया गया था और वित्त मंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया था कि गंगानगर डिस्टिलरी से शराब निक-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

लती है, उसके कॉर्क्स, सील्स, लीफलेट्स या पेपर्स—ये सारे वहां नहीं बनते हैं; कॉर्क वगैरह, सील वगैरह नहीं लगती है और आम तौर पर ठेकेदार लोग इन कॉर्क्स और लीफलैट्स, सील्स को अपने पास रखते हैं और उन पर लगाते है, तो वित्त मंत्री ने कहा था कि रबर का कार्क प्रोवाइड करेंगे, सील्ड होंगी और यह संभव नहीं हो सकेगा कि लीकेज हो। वैसे तो वित्त मंत्री की कृपा से वृन्दावन और मथुरा में दूध की नदियां बहा करती थीं, लेकिन गंगानगर में मदिरा की नदियां बह रही है। यही नहीं,

(७.१६ म.प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, एस. पी. ने सरकार का इस और ध्यान आकर्षित किया था कि इस अवैध पूर्ण शराब के कारण गंगानगर में क्राइम केसेज़ बहुत बढ़ चुके हैं। गंगानगर में वित्त मंत्री महोदय की महान् कृपा से छबड़े के छबड़े भर कर शराब की बोतलों के बिकते हैं। सुबह उठिये, ज्योंही दरवाजे से निकलें, छबड़ों में बोतलें शराब की भरी हुई आपको मिलेंगी। जहां तक ठेकेदारों को आजादी देने का प्रश्न है, वित्त मंत्री ने राम-राज्य कायम कर दिया है, इस केटेगरी को खुली छूट दे रखी है। उन्होंने शराब के मन-माने रेट्स कायम किये हैं और मेरा खयाल है कि इस १२ साल की हुकूमत में शराब के द्वारा सतयुग आया है; तो हमारे वित्त मंत्री के इस शासन काल में आया है। वैसी शिका-यतें आयी हैं कि कांग्रेस पार्टी की जीप में शराब-स्मगिंलग होता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपकी हो सकती है, मेरी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की कैसे होगी ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मंडल कांग्रेस की है। मंडल कांग्रेस का उस पर बोर्ड लगा हुआ है और आप चाहेंगे तो मैं उसके मालिक का नाम भी बता दूंगा, तो आपको ज्यादा दुःख होगा। पंजाब के अन्दर शराब स्मगिंलग बाकायदे...

श्री अध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं।.

तो मैं कह रहा था कि गंगानगर में पुलिस विभाग के कर्मचारी वहां बाकायदा राशन पाते हैं उन डिस्टिलरियों से। मैं मौजूदा एस. पी. की तारीफ करूंगा। आते ही पुलिस विभाग में इस मामले में जबर्दस्त कन्ट्रोल लगाया है, पुलिस अधिकारियों को कहते हैं कि अगर कोई पुलिस का आदमी नशे की हालत में मिले, तो मेरे पास लाओ, मैं सख्त एक्शन लूंगा। लेकिन डिस्टिलरियों में बाका-यदे पीपों पर नाम लिखे जाते थे कि इतने पीपे पुलिस विभाग के लिए, इतने फलाने विभाग के लिए और जिन कॉर्क्स और लेबल्स का जिक्र किया गया है, वे लेबल्स एक्स्ट्रा छापकर बाकायदा कोटा को पूरा किया जाता है। वित्त मंत्री आज अगर उन ठेकों की सप्रीइज चैकिंग करे तो इस प्रकार के लेबल्स हर जगह मिलेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक साल की बात है। डी. एस. पी. पदमपुर ने छापा मार कर बहुत से कैमिकल्स,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बहुत से लेवल्स, बहुत सी बोतलें इस प्रकार की बरामद कीं जो रेकॉर्ड के अन्दर मौजूद हैं। अगर वित्त मंत्री ध्यान दें तो सुधार हो सकता है। गांव गांव के अन्दर गंगानगर में ठेका है। गंगानगर के अन्दर गांवों में यदि अपराध बढ़ा है तो वित्त मंत्री की वजह से हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य एक एक कटौती प्रस्ताव पर पांच मिनट से अधिक न लें।

श्री रामकिशन (बैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस संबंध में विशेष कुछ नहीं कहना है। जब पिछली बार बजट अधिवेशन में बहुत हुई थी तब भी मैंने कुछ सुझाव दिए थे। अब दो-तीन बातें निवेदन करूंगा। पहला मेरा सुझाव यह है कि वित्त मंत्री के पास आबकारी का महकमा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनका दृष्टिकोण भिन्न होता है। वित्त मंत्री को हमेशा इस बात का ख्याल रहता है कि हमारी आमदनी कितनी बढ़ी। तो मेरा सुझाव है कि समाज कल्याण मंत्री के पास शराब का महकमा होना चाहिए। एक परंपरा की चीज होनी चाहिए। यहां दो दृष्टिकोण हैं। एक तरफ सरकार घोषणा करती है कि गांधीजी के नाम को लेकर कि शराब बंद करना चाहिए, दूसरी ओर वित्त मंत्री को यह धुन रहती है कि राजस्थान का फाइनेन्स कैसे बढ़े। तो मेरे इस सुझाव पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाय।

दूसरा मेरा सुझाव है इस सम्बन्ध में कि सरकार एक बात तय कर ले कि शराब-बंदी करनी है या चलाना है। मेरी राय में सरकार का दृष्टिकोण हो गया है कि चलाना है। यदि ऐसा है तो कम से कम सड़कों पर शराब की दूकानें नहीं खुलनी चाहिए। मेरी ज्यादा उम्र नहीं है। १५-२० साल पहले तो मैंने भरतपुर की सड़कों पर शराब चलती हुई नहीं देखी थी। लेकिन अब सड़कों पर भी दूकानें खोल दी गई है। एक तो ब्रजेंद्र बिहारी के मंदिर के पास सेवर में खोली गई है।

तीसरा मेरा सुझाव है कि कहीं कहीं जो भरतपुर की सड़कों पर शराब की दूकानें खुली हैं वे हरिजनों के मुहल्लों के पास खोली गयी हैं। एक जगह ऐसी है जहां सिक्लीगर रहते हैं। आप ये खोलें तो कम से कम ब्राह्मण या बनियों के पास ही खोलें तो अच्छा है क्योंकि वे शराब कम पीते हैं। गरीब मोहल्लों में खोलने का नतीजा यह होता है कि गरीब लोग वहां शराब पीते रहते हैं। वित्त मंत्री अगर और कुछ नहीं करें तो कम से कम ऐसी जगहों से तो दूकानें हटवा दें।

इस विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार के बारे में कांग्रेस राज में ज़िक्र करना बिल्कुल बेकार है। भ्रष्टाचार और कांग्रेस राज दोनों साथ साथ जन्मे हैं और साथ साथ ही मरेंगे। कई जगह नामीग्रामी लोग भरतपुर में आज नाजायज शराब निकालते हैं। एक बार तो उन लोगों ने महकमे के कर्मचारियों को ही पीट दिया। एक तो बेचारों ने हिम्मत कर मालूम किया और फिर पिटाई भी उन्हीं की हुई। अगर नाम लूंगा तो मुख्य मंत्रीजी कहेंगे सदन की मर्यादा नहीं रखता हूं। इसलिए इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलूंगा।

क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे केवल पांच मिनट ही दिए हैं इसलिये मैं इन तीन-चार सुझावों के बाद अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : मेरा प्रस्ताव है कि मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक ८–राजकीय आबकारी कर में १) रू० की कटौती की जाय—इस विभाग में होने वाली अनियमितताओं पर बहस करने हेतु ।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ साल हुए राजस्थान सरकार ने महकमा खोला एन्टी स्मगलिंग । शायद यह महकमा इसलिए खोला कि जो इल्लिसिट डिस्टीलेशन होता है या गांजा, भंग, अफीम की जो चोरी होती है वह बन्द हो जायगी । महकमा इसलिए खुला कि यदि इल्लिसिटी डिस्टीलेशन होगा तो पब्लिक व शराब मालिकों के स्वास्थ्य पर नुकसान करेगा । इसमें भूतपूर्व सैनिक जो थे उनको जगह मिली, यह अच्छा हुआ । अब देखना है कि महकमा खुल जाने से, जिसमें राज्य सरकार ने इतनी तत्परता दिखाई, तो वह इल्लिसिट डिस्टीलेशन बंद हुआ या नहीं । लेकिन तथ्य यह है कि यह बंद नहीं हुआ है ।

डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ में ७५ फी सदी लोग गांवों में रहते हैं, उनमें से १० प्रतिशत पोपूलेशन इस धन्धे को कर रही है । इसका एक कारण नजर आता है । यह जो दूकानों का नीलाम होता है उसमें बड़े बड़े अफसरों में यह होड़ होती है कि कौन ज्यादा पैसा लाता है । इसलिए दुकानदारों को मजबूर किया जाता है कि वे ज्यादा बोली लगाएं, हालत ऐसी होती है कि अगर वे ईमानदारी से शराब को बेचें तो किसी भी हालत में लाभ नहीं हो सकता । तो उनकी नीति रहती है कि दो पैसे देकर चार पैसे कमाना । वह सरकारी अधिकारी को अपना बनाने की कोशिश करता है और भ्रष्टाचार करने की कोशिश करता है । वह अधिकारियों को सिर्फ इस बात की तनख्वाह देता है कि यदि कभी कोई बाहर का अफसर आ जाय तो उनको इत्तिला मिल जाय ।

झालावाड़ से दो मील दूर एक गांव है । वहां एक माह पहले एक फतहसिंह नामक व्यक्ति को पकड़ा गया कि तुम नाजायज़ शराब बनाते हो । उसको पीटा और कहा कि मन्जूर करो । अब क्योंकि वह नाजायज़ शराब नहीं निकालता था, उसने यह मन्जूर नहीं किया । उसका चालान हुआ और उसे फोर्स किया कि कम्पाउन्ड करो । वह कहता था कि मैं कम्पाउन्ड नहीं करूंगा । पोज़ीशन ऐसी है कि उसको कम्पाउन्ड करना पड़ा । तो ये जो शराब के ठेकेदार हैं, अपनी दूकान बढ़ाने के लिए पैसे देकर ऐसे बेगुनाह आदमियों को पकड़वाते हैं ।

एक गांव मौगरा, तहसील पचपदरा में आदमियों ने बैठकर तय किया कि हमको शराब नहीं पीनी है । उसमें यह प्रस्ताव पेश किया गया कि शराब की दूकानों को हटा दिया जायगा, लेकिन उससे राजस्थान सरकार को नुकसान होता था । गांव वालों ने कहा कि आप महरबानी करके दूकान हटाओ, पर वे नहीं हटाई गईं । तीन-चार आदमियों पर जबरन झूठा मुकदमा लगाया और केस कम्पाउन्ड करने की कोशिश हुई । जब सवाल आया कम्पाउन्ड करने का तो उनसे कहा गया कि मन्जूर कर लो कि तुम्हारे गांव में शराब रहेगी और दूसरी शर्त कि तुम्हारे गांव में आदमी शराब बेचेंगे । तो उपाध्यक्ष महोदय, जिस गांव में लोगों ने तय कर लिया कि शराब नहीं पीएंगे तो वहां पर भी ऐसा किया जाता है । यह वाजिब चीज़ नहीं है ।

आज अगर कोई आदमी सबसे अच्छा धन्धा करना चाहे और जिसमें ४००—५००

(श्री गोविन्दसिंह)

रुपया कमा सकता है वह है, फ्रेन्च पॉलिश का, उसका लाइसेन्स ले लें ।

इसका जो बेस है डि-नेच्योर्ड-स्पिरिट है । उसमें ऐसी चीजें मिलती है जिससे री डिस्टिल्ड करने पर डि-नेच्योर्ड स्पिरिट हो जाता है, जो ६० परसेन्ट बम्बई में जाकर बिकता है । वहां एडल्टरेट तरीके से शराब मिलाते हैं, वहां पर इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं । मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि जिन स्टेटों में प्रोहिबिशन लागू कर दिया है लेकिन वहां पर भी शराब जाती हैं यहां से, ब्लेक मेल के तरीके से, पॉलिश के नाम से । यह स्पिरिट ६० परसेन्ट बम्बई को एक्सपोर्ट हो रहा है । मैं कम से कम निवेदन करूंगा कि यह फ्रेन्च पॉलिश के लिये हमारे यहां से स्पिरिट जो जाती है उसको उसमें मिलाने के नाम से ले जाते हैं । इसको री-डिस्टिल्ड किया जाय तो जो कम्पोजीशन किया जाय तो डि-नेच्योर्ड स्पिरिट हो जाता हैं । इसको बन्द किया जाय । यही मेरा निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में और हिसाब की बातें करूंगा । ५९-६० के हिसाब के अन्दर यह मांग की गई है । आज मेरा ख्याल है, हम सन् ६३ में बैठे हैं । यह एक मर्तबा पहले भी इस डिपार्टमेन्ट की मांग आ चुकी है । ५७ में ११ लाख की डिमान्ड थी । यहां जो ६०-६१ के लिये मांग की गई है वह है ६१ लाख २० हजार की । यह एडजस्टमेन्ट के लिये पेश की गई । बीच में गड़बड़ मालूम पड़ी, ६३ लाख २२ हजार हुआ तो इस तरह से इस डिपार्टमेन्ट को यह आगाह होना चाहिये कि हुकूमतें तो हमेशा रहती आयी हैं, लेकिन इसके साथ साथ यह आगाह रहना चाहिये कि यह जो फिग्र्स का जंजाल है उस जंजाल के अन्दर हमारे सामने सही तस्वीर आ नहीं सकती । जब जिसको जरूरत हो कागज भेज दिये जाते हैं, एक प्रक्रिया सी बन गई है, डिस्टिलरी की तरह जिसमें शराब ऑटोमेटिकली बनता है, इसी प्रकार यहां का हाल है । इस सदन में इस डिपार्टमेन्ट की दो-तीन दफा चीजें आ जाती हैं । तीन-चार वर्ष पहले भी इसी तरह से चलता था और यह सिलसिला आज तक जारी है । इसलिये मेरा निवेदन है कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट इस पर पूरे ढंग से कार्य करे । हमारे सामने जो भी चीज आये उसकी सही पिक्चर आनी चाहिये ।

दूसरा पॉइन्ट मैं यह कहना चाहता हूं, बजट जो पास करते हैं उसके बाद अनुपूरक मांगें आती हैं । उसके साथ एक्स्प्लेनेटरी नोट आना चाहिये । हम केवल इससे सन्तोष नहीं कर सकते । आपने जो कम या ज्यादा खर्च किया है वह क्यों हुआ है, यह हम जानना चाहते हैं । आप हमें वह वर्क्स दिखाइये जिसके जरिये आप पब्लिक युटिलिटी के काम करना चाहते हैं । आज तक आपने जो कुछ प्रगति की है उसका विज्ञापन माननीय सदस्यों को मिलना चाहिये । सप्लीमेन्टरी डिमान्डस आती हैं तो उसके साथ साथ हमें यह भी मालूम होना चाहिये कि जिस सड़क के लिये हम बजट पास करते हैं, जिस पब्लिक वर्क्स के लिये बजट पास करते हैं, जिस वेलफेअर के लिये बजट पास करते हैं उसके अन्दर सड़कों का निर्माण कहां कहां हुआ, यह हमें एक्स्प्लेनेटरी नोट के

(श्री ज्यालाप्रसाद शर्मा)

जरिये नहीं मिलता है, इस तरीके का विरोध मैंने पहले भी किया था। हम जो टैक्सेज जनता से वसूल करते हैं, आखिर हमें उनको बताना पड़ता है कि उनका पैसा किस किस काम में लग रहा है। आज हम देखते हैं कि मनमाने तरीके से तनख्वाह बांटने का ही काम सरकार का रह गया। सरकार केवल ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह बाटने के लियेही है। सरकार केवल अपना यही काम समझती है कि केवल अपने कर्मचारियों को तनख्वाह बांट दी जाय। इससे न फायदा कांग्रेस को और न हमको होने वाला है। आप हर मांग के साथ- एक्स्प्लेनेटरी नोट दें। बजट में जिन सड़कों के लिये मांगें पास की जाती हैं वे सड़कें बनीं या नहीं बनीं, यह देखें। मैं यह नहीं कहता कि काम नहीं हुआ है लेकिन काम हुआ है, फिर भी सरकार की ओर से उसके ऊपर रोशनी आनी चाहिये ताकि सही तौर पर हम उसका तखमीना कर सकें और जो हम पास कर रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं।

श्रीमन्, अब मैं इस विषय पर आता हूं। मुझे यह कहना है, बड़ा दिलचस्प मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : Very brief.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे गोकुलप्रसादजी और पोहूमलजी टाइम दे गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: I cannot give the time of others.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : श्रीमन्, ये मैंने अपने विचार रखे।

अब मैं एक्साइज डिपार्टमेन्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह एक ऐसे तबके से डील करना होता है जिसको हम अन्डरवर्ल्ड कह सकते हैं, यानी भूमिगत चले जाते हैं, ऐसे तबके को डील विद् करने का इसका काम होता है जिसको अन्डर वर्ल्ड कहना चाहिये। जितने क्राइम्स हैं इस शराब से बढ़ जायेंगे, इसलिये इस तरफ वेलफेअर वर्क को बढ़ाना है। पुलिस में कमी करना है। उनकी सुविधाओं की तरफ ज्यादा ध्यान देना है तो हमें इस विभाग पर पूरा कन्ट्रोल करना पड़ेगा। मैं सरकार को इस समय वार्निंग देना चाहता हूं कि जो सिलसिला इस विभाग का चल रहा है यह अगर जारी रहा तो क्राइम बढ़ेंगे, क्राइम बढ़ने के साथ साथ इस स्टेट को पुलिस स्टेट बनना पड़ेगा। पुलिस पर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। इस अन्डर वर्ल्ड को कन्ट्रोल कैसे किया जाता है। यह मैं बड़े अदब के साथ रखना चाहता हूं। इसके अन्दर वे लोग इन्टरेस्टेड हैं, हमने प्रोहिबिशन क्यों नहीं किया, जब कि हमको सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट आधा देने के लिये तैयार है। प्रोहिबिशन की पॉलिसी को मानने के लिये तैयार नहीं, जब कि आधा खर्चा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट देगी। तो भी राज्य सरकार इस शराब को बन्द करने की कोशिश नहीं करती है। इन कारणों की तरफ मैं नहीं जाना चाहूंगा। जिस तरह से कुत्ते की पूंछ आगे जाती है और पीछे कुत्ता जाता रहता है, उसी प्रकार का यह सिलसिला है।

आज एक पॉलिसी चल रही थी। उस पॉलिसी के माफिक चल रहे थे, यह एक सीधी सी बात थी। उसके बाद गारन्टी सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया गया। इस गारन्टी सिस्टम की ऐसी पूंछ पकड़ी गई कि इससे कमाल करते गये और ऐसे चक्कर में पड़ गये कि उस

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

भंवर में से निकलना मुश्किल हो गया है। गारन्टी सिस्टम यह है, यदि किसी न्यायपूर्ण तरीके से इसको रखा जाता तो समझ में भी आ सकता था लेकिन उसको रिप्लेस किया गया मन चाहे कॉन्ट्रैक्टर के जरिये से। मन चाहे जिसको ठेका दे दिया गया, उस वक्त कोई कम्पीटिशन नहीं किया गया। दूकानों आदि का सिस्टम बन्द होने लगा। उन लोगों, ने जिनको ठेका मिला था उन लोगों ने आकर चिल्लाना शुरू किया कि इससे हमें नुकसान होता है, उन्होंने नुकसान की मांग की। जब कि वे उस समय छोड़ने के लिए तैयार थे लेकिन उनको दूसरी बार फिर मौका दिया गया। शराब खोरी का नया तरीका अख्तियार किया उससे मनमाने लोगों को घुसेड़ा, एक तबके के लोगों को घुसेड़ा। पहला उन्होंने यह नारा दिया कि हमें नुकसान हो रहा है। नुकसान को मिटाने का सोचा जाय, उनको रिलीफ दिया जाय। यह बात हुई कि तुम्हें अगले साल भी कर देंगे। यह रिलीफ नहीं। ईमानदारी के साथ सरकार यदि मानती है कि उनको नुकसान हुआ है तो वे दस-बीस परसेन्ट पर लेने के लिए तैयार नहीं होते। वह तो एक उनका कहना मात्र था, बहाना मात्र था, उनको रिलेक्सेशन मिला, ठेकेदारों को इस गारन्टी सिस्टम के अन्दर बीस परसेन्ट बढ़ावा देकर ले लें। जब कि बीस परसेन्ट से भी ज्यादा देने वाले मौजूद थे। चूंकि पहले कमिट कर लिया गया था, क्योंकि वे बढ़ाना चाहते थे उसको कन्स्ट्रक्टिव ढंग से मैं निवेदन करना चाहता हूं दा साहब की तरह से। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रचनात्मक ढंग से क्या क्या कारण हैं कि बीस परसेन्ट से भी ज्यादा लोग देने के लिए तैयार थे ठेकेदार राजी हो जाते। अगर उनको २० परसेन्ट नहीं देते तो इनका जमींदारा खत्म हो जाता था। आप मिलें या वे मिलें, मिनिस्टर साहब ने कहा इस झगड़े को मिटाकर २० परसेन्ट दे दीजिए। २० परसेन्ट का फायदा था, इसलिए २० परसेन्ट पर राजी हुए। श्रीमान्, इसके बाद क्या होता है, मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। अब तक हम बीस परसेन्ट पर थे, दस परसेन्ट का बीस परसेन्ट कर दिया। जिनको अब २० परसेन्ट मिला उनकी तो कह नहीं सकता। उनको बोल भी नहीं सकते। तो फरमाया, अब रेट बढ़ाओ। तो मैं कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस की प्रोहिबिशन की पॉलिसी के बारे में और अभी जो यहां बहस हुई आदिम जाति और हरिजनों के कमीशन की रिपोर्ट पर उसको मद्दे नजर रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जो उनकी रोज़ की पैदा होती हैं उसका डेढ़ आना शराब में चला जाता है। प्रोहिबिशन कमीशन का काम और यह आपका धन्धा दो अलग चीजें नहीं हैं, इन्टरलिक्ड है एक दूसरे से।

फिर क्या होता है, तुमको रेट्स नहीं दी जावेंगी, the Government shall prescribe rates. तुम रेट से पैसा पैदा करो दस पैदा करो। पर उनको छूट तो मत दो मनमानी रेट से शराब बेचने की। पर आपने वह दी उनको। इससे लेने वाले पर दुगुना बोझा पड़ेगा। स्लैब की मंशा के खिलाफ। कन्ट्रोल की रेट हटा कर आपने छुट्टी कर दी कि तुम्हारी मर्जी आवे उस तरह से रेट लो। उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। आप पांच रुपये की बोतल दस रुपये में बेचो, लूटो उनको, कोई पूछने वाला तुम्हें नहीं है। लूटने के लाइसेन्स तुमने उनको दिए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस शराब के मसले पर रेट्स को हटाना और ठेलों पर दूकानों में जगह जगह बेचने का बढ़ावा देना और इस तरह से सारे राजस्थान को

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

शराब के अन्दर सराबोर करके लूटने का धंधा कॉन्ट्रेक्टर्स के जरिये चलाना आपको बन्द करना होगा । मैं ईश्वर के नाम पर अपील करता हूं कि इससे गरीबों को बचाओ । यह जो स्थिति पैदा हो रही है मुझे इस पर आश्चर्य हो रहा है । एक दिन बात आई तो मिनिस्टर साहब ने...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं समझता हूं, मैं सबके मतलब की बात कह रहा हूं । मेरी दरख्वास्त सुनो । एक दिन हमने पढ़ा, पूछा; बताया गया कि हमारी केबिनेट ने तय किया है कि रेट लग जावे । रेट लगा दो तो मामला खुल जावे । रेट जिस दिन लग जावेगी कॉन्ट्रेक्टर्स गला पकड़ लेंगे कि निकालो हमारा पैसा । आज भले ही आप इधर उधर करें, पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि कानूनी ढंग से एक दिन आपको रेट्स लगानी पड़ेंगी । यह लूट नहीं चलेगी । पव्वा दे दिया आपने मनमाने भाव पर । जेबें खाली कर लीं । बीस रुपये में बोतल दे दी । कोई रेट नहीं ।

रेट्स के साथ तो नुकसान हो रहा था । १० परसेन्ट में नुकसान हो रहा था । छूट दी गई । खुली छूट दी गई, अनऑथोराइज्ड छूट दी गई । एक रुपया बोतल ज्यादा कर दो । इन्कार करते हो । अनएक्सेसिबल ढंग से छूट दी इन ठेकेदारों को ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज आप इन ठेकेदारों के ग्रिप में आ गये हैं, आबकारी विभाग के ग्रिप में आ गये हैं । मैं कहता हूं, आज लोगों को इस ग्रिप से, इनके चक्कर से, इस शराब से बचाया जावे । प्रोहिबिशन की पॉलिसी जिस तरह से चल रही थी उसको फिर रिवाइव किया जावे । हम कहते हैं, पंचवर्षीय योजना के साथ कमी की जावे भले ही, पर शराब को प्रोहिब्रिट किया जावे । मैं दो मिसालें और देना चाहूंगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : You have taken quite a long time.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं । पांच करोड़ की डिस्टिलरियों को बन्द कर दिया गया ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : हमारे टाइम की ओर भी ध्यान रहे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप भी और किसी का टाइम ले लेना, मेरा ले लेना ।

अब जो शराबखोरों की मदद करना चाहते हैं वह नहीं हो सकता । उसमें क्या किया । अभी ४० हजार गैलन महीने में चाहिये राजस्थान को । आज यू. पी. ने बन्द कर दिया क्योंकि रबर की फैक्टरी लग गई । १० हजार गैलन पैदा होता है । चालीस हजार की खपत है । उन्होंने पांच करोड़ को कैपिटल को मार डाला । जयपुर और अटरु की डिस्टिलरियों को बन्द कर दिया । क्योंकि सरकार ने गंगानगर को ठेका दे दिया था । यह तो सरकारी कम्पनी है । मनमाने रेट पर ठेका दे दिया जाता है और यू. पी. गवर्नमेन्ट और उड़ीसा से मांग कर लाते हैं । लाने में यह दिक्कत हो गई ।

Page No.104

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

गंगानगर फैक्टरी का यू. पी. से नहीं मिलान होता। दस हजार मिलान होता और चालीस हजार का खर्चा। घड़ों का मैदान इन्होंने पहले ही साफ कर दिया। वह डिस्टिलरी घड़ों की चलनी इनको मन्जूर है, पर पांच करोड़ की केपिटल जिसमें लगी है, जिसका रुपया ठेकेदारों को दे दिया गया है वह बन्द पड़ी है और सब जगह बन्द पड़ी है। एक-दो जगह चल रही हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : You have already transgressed your time. I cannot allow it now.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : One minute, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Not more than one minute.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : All right thank you.

एक हाफ विटेड आदमी मां से खुश होते हुए बोला, "मां, मैं जीत गया"। मां ने पूछा, "कैसे जीत गये, बेटा"। बेटा बोला, "मां, मैं ऐसे जीत गया कि वह अपनी कहता रहा, मैं अपनी कहता रहा। कोई पाबन्द ही नहीं हुआ।"

तो मैं XXXX मिनिस्टर साहब से यह कहूंगा कि वे मेरी बातों का जवाब दें। वे अपनी कहते रहे, और मैं अपनी, तो यह तो कोई बात नहीं होगी। पोइन्ट टू पोइन्ट जवाब आना चाहिये।

इतना कह कर इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पोहूमल ईसरदास।

I don't think you will like to move your motion now.

डॉ० पोहूमल ईसरदास (अजमेर सिटी पश्चिम) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी करों के बारे में मैंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये है।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आबकारी विभाग जो है वह हमेशा कुम्भकरण जैसी नींद में पड़ा रहता है और अजमेर जैसे पवित्र शहर में अगर देखा जावे तो जितनी दूध की दूकानें हैं उनसे पचास परसेन्ट ज्यादा शराब की दूकानें मिलेंगी।

गली गली में से यह आवाज आती है कि गली गली में साकीखाना, और गली गली में जूआखाना।

(शोरगुल एवं व्यवधान)

इसकी वजह से इतनी तो.........

(व्यवधान)

सुनिये तो सही साहब।

इन शराब की दूकानों से मोहल्ले वाले, गली वाले तंग आ चुके हैं।

एक तरफ तो सरकार समाज के सुधार के लिये लाखों रुपया खर्च कर रही है, पानी

XXXX अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री पोहूमल ईसरदास)

की तरह बहा रही है और दूसरी तरफ इतनी शराब की दूकानें गली गली में खोल कर बेच रही है और समाज को खत्म कर रही हैं, और क्या हो रहा है, इसको भी मैं थोड़े से शब्दों में निवेदन करूंगा।

जब ज्यादा शराब की दूकानें खुलीं और वहां के वातावरण से लोग तंग आ चुके तो मैंने पुलिस के कर्मचारियों से बात की। वे क्या कहते हैं कि हमको आबकारी खाते से यह जवाब आता है कि हमारा खजाना भरने दो और आप इसके बीच में न आओ।

मुझे खुद होम मिनिस्टर से चिट्ठी मिली जिसमें उन्होंने लिखा कि जितनी ये शराब की दूकानें खुली हैं गली गली में उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते और यह एक्साइज़ विभाग का मामला है। हां, अगर लोग शराब पीकर लड़ेंगे, झगड़ेंगे तो हम उनको जरूर पकड़ेंगे। पुलिस जरूर तब अपनी कार्यवाही करेगी। इसका मतलब तो यह हुआ कि जहां दर्द है, वहां तो इलाज ही नहीं। गांव में तो है जख्म और इलाज हो आंख का। तो यह तो नहीं हो सकता।

और पब्लिक को जब हम कहते हैं कि तुम हिम्मत क्यों नहीं करते हो, शिकायत क्यों नहीं करते हो—तो जवाब मिलता है उनसे कि जितनी ये दूकानें हैं जितने ये अड्डे हैं शराब के, वे सब इन ताकतवर आदमियों के हैं या नेताओं के हैं, या XXX के हैं जिनकी वजह से अगर हम शिकायत भी करते हैं तो फिर उल्टी हमें ही सजा मिलती है। उनको नहीं मिल सकती। वे दूकानें तो हट नहीं सकती।

और आबकारी खाते वालों से पूछते हैं तो भी यही जवाब मिलता है कि सरकार का हुक्म है, चलने दीजिये यह धन्धा, खजाना भरने दीजिये।

मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि अगर शराब की कमाई से सरकार चलती है और इसके बगैर नहीं चल सकती तो मैं यह जरूर कहूंगा कि यह बापू की आत्मा का खून करना है।

हमें उनकी आत्मा को संतोष देना चाहिये। उन्होंने कहा था कि अगर देश को ऊंचा उठाना है तो पहले पहल यह गन्दी चीज; शराबखोरी, जिससे सब बीमारी—जुआ, हरामखोरी—पैदा होती है वह सब बन्द करनी चाहिए। जब शराब पीकर जो लोग ऊधम करते हैं, उनको भी देखते देखते शर्म आ जाती है।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री पोहूमल ईसरदास: One minute.

श्री उपाध्यक्ष : No more time.

श्री पोहूमल ईसरदास : One Minute.

श्री उपाध्यक्ष : No.

(विराम)

श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष शराबखोरी के बारे में बहस हो रही है। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज के राजस्थान में उस पक्ष में बैठने वाले मित्रों ने यह कहा कि यहां शराबबन्दी हो। यह बड़ा

XXX अध्यक्ष—पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री मानसिंह महार)

दुःख का विषय है। महात्मा गांधी या पंडित नेहरू तो वोट मांगते समय याद आते हैं। स्वर्ग में बापू की आत्मा रोती है तो हमारे मन्त्रियों को दुःख नहीं होता। जब भारत आजाद हुआ था तो सरकार कहा करती थी कि हम दूध और दही की नदियां देश में बहायेंगे। जब इनसे दूध और दही की नदियां नहीं बहीं तो अब ये शराब की नदियां बहा रहे हैं, तो क्या अन्याय कर रहे हैं? यह बहुत उचित बात है। मैं कौल साहब को, जो शराबकारी मन्त्री हैं और जैसा कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ने उनके लिए कहा, उनको तो मैं बधाई देता हूं कि राजस्थान के अन्दर कम से कम शराब के लिए तो उन्होंने छूट दी और हमारे मुख्य मन्त्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि हमारी सरकार इतनी योग्य सरकार है कि अगर बेचारे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट शराब बन्दी करती है तो उनकी सरकार उदयपुर के अन्दर डि-नेचर्ड स्प्रिट के ठेके देकर उसका एक्सपोर्ट महाराष्ट्र और बम्बई को करके महाराष्ट्र की प्रोहीबिशन पॉलिसी को भी फेल करती है। यह तो हमारे मुख्य मन्त्री जी की सरकार की योग्यता है। कुछ उधर बैठने वाले मित्रों ने कहा कि शराबबन्दी होनी चाहिये। मगर इससे क्या होगा। खूब पिओ और मौज करो। कांग्रेस आज है, दो-चार वर्षों बाद नहीं रहेगी। तो यह शराब बन्दी की बात तो हमारे जिम्मे है इसके लिये तो हम सोचेंगे, जब हम आयेंगे, तुम तो खाओ-पिओ और मौज करो। ज्यादा पैसा जोड़ कर क्या करोगे? हमारी सरकार ने आप लोगों को खुली छूट दे रखी है कि जिस प्रकार से भी येन-केन-प्रकारेण जमीन, मकान जो भी ले सको वह इकट्ठा करो लेकिन ज्यादा इकट्ठा मत करो। शराबखोरी और जो उसके साथ के काम हैं उनमें इस पैसे का इस्तेमाल करो। तो यह तो कौल साहब को धन्यवाद देने की बात है।

अजमेर से आने वाले मित्र ने कहा कि जगह जगह वहां पर शराब की दूकानें हैं, तो यह तो आपके भले के लिए ही किया है; खाइये, पीजिये और मोज कीजिये। हमारा स्टेट तो वेलफेयर स्टेट है। अगर उसमें शराब की दूकानें नहीं होंगी तो फिर और कहां होंगी? और अब तो हमारे मुख्य मन्त्री जी आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका पधार कर आए हैं। तो मैं समझता हूं कि इसको तो और प्रोत्साहन मिलेगा। डिस्टीलेशन के नये नये तरीके सीखकर वे पधारे होंगे। वो आधुनिक ढंग भी राजस्थान में कुछ बतायें क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि हमारे मुख्य मन्त्रीजी बाहर गये लेकिन वहां से वे क्या लाये उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। मैं समझता हूं कि शराब के बारे में भी कोई आलीशान व्हिस्की वगैरह या कहते हैं कि रूस में एक वोडका नाम की ड्रिंक थी जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है उसको यहां लायेंगे। मैं उम्मीद करता हूं, वे इस ड्रिंक को भी यहां चालू करेंगे। मैं इसके विरोध में हूं कि कांग्रेस राज्य में प्रोहीबिशन हो और कांग्रेस के मन्त्री डिस्टीलरी के खर्च पर एक्से-सिव डिमांड नहीं मांगें तो कौन सा राज्य मांगेगा? यह दुख की बात है। आज इस प्रकार से कहते हैं तो हमारे दिल भी दुखते हैं। आज जो सरकार प्रोहीबिशन के लिए बैंडेड थी और जिस सरकार के अन्दर 'दा साहब' जैसे नेता बैठे हुए हों और उसमें शराब की नदियां बहें तो मैं कहता हूं कि इससे बढ़कर शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Page No.107

(श्री मानसिंह महार)

आप एक सदस्य को तो दस मिनट दे देते हैं और मुझे फौरन ही टोक देते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ रखिये, मैं सूचना दे रहा हूं।

श्री मानसिंह महार : हमारे 'दा साहब' को इसी पोइन्ट को लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए। आप ऐसी शराबखोर सरकार में बैठे रहें और हम देखें! हमारे सिर शर्म के मारे झुक जाते हैं, हमको दुख होता है। चाहे वह अपनी जुबान का पालन न करें वक्त पर, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वे बापू के सिद्धान्तों पर चलने वाले आदमी हैं इसलिए उनको कहता हूं कि जो यह शराबखोरी की नीति हैं सरकार की इस पर जरूर सरकार से उठकर चले जायें। चाहे दो मिनट के लिए, टोकन के रूप में ही ऐसा करके दिखा दें, लेकिन वह दो मिनट के लिए ही कुर्सी छोड़कर सदन के बाहर चले जायें तो ही अच्छा रहेगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह जो छोटी सी ग्रान्ट मांगी गयी इसका कोई महत्व नहीं है, हमें इसका कोई विरोध नहीं करना चाहिए। यह बहुत छोटी रकम है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपने पहले की सरकार थी वह शराब में चूर रही, शराब के नशे में अपदस्थ हुई उसी तरीके से आपके भी अब दुर्दिन आ चुके हैं, आप लोग भी शराब के नशे में चूर पड़े रहो, आप अपने साथियों को भी खूब पिलाओ लेकिन आपने एक अन्याय किया कि ठेकेदारों को कीमतें बढ़ाने की इजाजत दे दी। यह तो आपने जो किया सो कर दिया, मगर आप अपने ठेके जो गंगानगर डिस्टिलेरी से जो आपको शराब की बोतल ६ आने में बनती है उसको भी एक रुपये की बोतल कर दें तो ठीक रहेगा ताकि हर आदमी उसको पी सके। यही नहीं, आबकारी मन्त्री की तरफ से जो पहले कभी थे उन्होंने यह कहा था कि होटलों में शराब न चले। तो अब तो कौल साहब का युग आ गया, नई रंगरेलियों का युग है और मैं जानता हूं कौल साहब बहुत ही योग्य आदमी हैं और अब हम लोगों को होटलों में भी बैठकर शराब पीने की इजाजत दे देंगे। अगर इस तरह की वे इजाजत दे देंगे तो क्या अन्याय है? मेरे कहने का मतलब है कि होटलों में भी इसकी छूट होनी चाहिए और मुख्य मन्त्रीजी अमेरिका होकर आये हैं। उनको मालूम है कि होटलों में सेटरडे और सन्डे इवीनिंग को क्या रंगरेलियां मचती हैं। तो इसके लिए आप अपने साथियों को क्यों महरूम रखते हैं? क्या मालूम ३ वर्ष बाद बेचारे यहां रहेंगे या नहीं और उस समय तक अपनी सरकार भी क्या पता बदल जाये, तो इस सूरत में मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यह होटलों की पाबंदी हटा दी जाये। अब तक केवल स्टेट होटल में ही इसके लिए छूट थी, लेकिन अब स्टेट होटल के अलावा सभी होटलों के लिए इसको लागू कर दिया जाये...

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, 'बेचारे' शब्द का प्रयोग किया गया, यह नहीं होना चाहिए।

श्री मानसिंह महार : 'बेचारे' शब्द का दुख हुआ तो इन बहादुर लोगों को खून पीने दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : अब आपके पास केवल दो मिनट हैं।

श्री मानसिंह महार : दो मिनट में बिल्कुल खत्म।

(श्री मानसिंह महार)

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा मैं तो यही कहूंगा और मैं तो मुख्य मन्त्रीजी से अपील करूंगा कि वे अमेरिका जाकर आये हैं तो हमको सेटरडे इवीनिंग, 'हम' से मतलब आपके साथियों से है, वे ३ वर्ष बाद विधान सभा में आयेंगे या नहीं और हमको तो छूट दे भी दो तो इतना पैसा कहां कि दारू पीयें और मौज करें। इन बहादुर लोगों को, बेचारों को नहीं, इन वीरों को आप छूट दे दें कि सेटरडे इवीनिंग ऑफ है और कोई किसी भी होटल में पीना चाहे तो वह पी सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट उपाध्यक्ष महोदय, आप टाइम देख लीजिए। आप मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते, उपाध्यक्ष महोदय। दो मिनट के लिए कहें तो बोल लूं। मेरा आधा मिनट तो वैसे ही खराब हो गया।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था और मैं मुख्य मन्त्रीजी से अपील करके निवेदन करूंगा कि आज बड़ा अच्छा मौका मिला, मुझे उद्‌गार प्रकट करने का। मैं बहुत दुखी था। मेरा कलेजा बिल्कुल बाहर आ रहा था इन मित्रों को, बहादुरों को और अब तो डिप्टी इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर भी आ गये, इनको सेटरडे इवीनिंग फ्री कर दी जाये और मौज करने के लिए दे दी जाये और कौल साहब से कहूंगा कि यह होटल की छूट और दी जाये तभी बापू का आदर्श राज्य राजस्थान में होगा। अभी थोड़ी कमी है। मैं कहता हूं कि यहां केन्टीन में भी तीन चार बोतलें रखवा दो बहुत अच्छी बात हो जायेगी। आप प्रोहीबिशन तो राजस्थान में कर नहीं सकते, तो प्रोहीबिशन नहीं तो आपने सत्यानाश किया है तो साढ़े सत्यानाश कर दीजिए और मैं आशा करता हूं कि शराब के ऊपर और ज्यादा रियायतें दी जायेंगी। यह आपसे प्रार्थना करूंगा यह कांग्रेस राज्य को कायम करने का सबसे बड़ा तरीका बता रहा हूँ, इससे आपकी पॉपुलेरिटी बढ़ेगी और अगर आप इल्लिसिट डिस्टीलेशन को भी प्रोत्साहन दे सकें तो बड़ी भारी देश-सेवा करेंगे।

(८.०० म० प०)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : इसके पहले मैं समझता हूँ कि सदन की यह मन्शा है जब तक यह बहस समाप्त न हो जाय तब तक का समय बढ़ाया जाये।

(स्वीकृत)

समय आधा घंटा बढ़ाया जाता है।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, जब कटौती-प्रस्ताव सदन के सामने आये तो मैं समझ रहा था कि कोई संजीदगी से इन कटौती-प्रस्तावों पर बातचित होगी.......

श्री मानसिंह महार (आमेर) : प्रोहीबिशन लागू किया जाय तो संजीदगी हो जायगी।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, आखिर विषय इस किस्म का था जो कि अपना असर लाये बगैर न रहा। कहावत है कि जादू वह जो सिर पर चढ़ कर बोले। तो इस विषय

(श्री बालकृष्ण कौल)

से ही लोगों के दिमाग पर जो असर हुआ और जिस किस्म की यहां तकरीरें हुईं वह मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो कहीं ऊंघने भी लग गये थे तो होश में आ गये ।

श्री मानसिंह महार : आपको सुन कर और ज्यादा आ जायेंगे ।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि अगर कुछ उसका असर है आप पर तो मेरी बात से वह असर शायद उतर जायगा ।

एक माननीय सदस्य : आप पर तो नहीं है ।

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिए मैं इतना निवेदन कर दूं कि जो पॉलिसी है प्रोहिबिशन की वह बदस्तूर वैसी ही है । अब इतना है कि जिस तरीके से आप चल रहे थे और उसके चलाने में और उसके चलने में जो खामियां थीं, जो उसमें उसके जरिये से कुछ करप्शन या उनको रोकने के लिए एक नया तरीका अख्त्यार किया गया, वही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ।

मैंने अर्ज किया था कि पॉलिसी में सरकार के कोई फर्क नहीं है । यह ठीक है कि प्रोग्रेसिवली जो प्रोहिबिशन करना चाहिए था वह अभी तक नीति नहीं है, लेकिन जो चली आ रही है प्रोहिबिशन के मुतल्लिक पॉलिसी वह चल रही है । जिस वक्त उस नीति को देखते हुए सरकार के सामने कुछ शराब के आंकड़े आने लगे, इसकी खरीद और फरोख्त में, तो सरकार को यह सोचना लाजिम था कि क्या सबब है कि इसके आंकड़ों में हर साल फर्क आ रहा है । सरकार को यह पूरा यकीन था....

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : लोग कम पी रहे हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल : जब आप सुन लें ।

सरकार का बिल्कुल यकीन था अपनी एजेन्सियों की तरफ से कि कोई पीने में कमी नहीं हुई है । शराब उसी तरीके से पी जाती है जिस तरीके से पहले पी जा रही थी, लेकिन जो तरीका शराब के लिए, जो नीति अख्त्यार की हुई थी उसमें कुछ इस किस्म की खामियां थीं जिसके हिसाब से जो रुपया सरकार के पास आना चाहिए था वह सरकार के पास नहीं आकर बूट—लेगर्स के पास जा रहा था । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जरा आंकड़ों को देखें कि १६५६–६० में आपको मालूम होगा कि उस वक्त जो लाइसेन्स मनी थी वह आया करती थी ६६. ६३ लाख और जो ड्यूटी से हमें आमदनी हुआ करती थी वह २७४. २६ लाख, तो कुल मिलाकर ३४४. १६ लाख । यह हमारी आमदनी १६५६–६० में थी । इसी तरीके से जब ६०-६१ का साल आया उस वक्त हमारी आमदनी टोटल में ३६२. ४१ लाख थी । तो मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि ५६-६० और ६०-६१ के हमारे आंकड़ों को आप देखें तो आपको यह मालूम होगा कि जो लाइसेन्स मनी थी, जो ऑक्शन मनी थी उसमें तो कुछ तरक्की थी, लेकिन जो कोस्ट आती थी ड्यूटी की उसमें कमी होती जा रही थी । लेकिन आप सोचिये कि

(श्री बालकृष्ण कौल)

जब सरकार ने यह देखा कि इससे शराब के पीने में कमी हुई है या नहीं, यह आमदनी क्यों गिर रही है, इसका एनेलेसिस किया तो आपके सामने यह निवेदन कर दूं कि आपको यह जानना जरूरी है कि क्यों यह कमी हो रही थी ?

मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि एक दूकान जिसकी कि इश्यू प्राइस ऑफ लिकर अगर ६६,०१६) रु० थी तो उसके वक्त जो लाइसेन्स फी थी वह ३०,१०० थी। अगर आप देखें तो कितना परसेन्ट बैठता है। यह ४३ पर्सेन्ट है। तो ४३ परसेन्ट उसको खर्च करना पड़ता था तो यह खर्च करने पर आमदनी ८ परसेन्ट होती थी, क्योंकि दाम बन्धे हुए थे तो ८ परसेन्ट से ४३ परसेन्ट कहां से करते ? मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह चीज सोचने की है। और यही चीज़ थी कि जिसने मजबूर किया सरकार को कि वह अपनी नीति को बदले। यह लाइसेन्स मनी का जो तरीका अख्त्यार किया था उसको बदले और इसको बदलने से यह जो चीज़ आपके सामने, जिसको गारन्टी सिस्टम कहते हैं, वह आई। आज गारन्टी सिस्टम के लिए यह कहना आसान है कि लोगों को ज्यादा शराब पिलाई। मैं निवेदन करना चाहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि देखने में ऐसा ही दिखता है कि शराब ज्यादा उपयोग में लाई गई। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको आगे मिसाल दी, अगर उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वह शराब जो इल्लिसिट डिस्टीलेशन हुआ करता था, जो घर घर हुआ करता था और उसका पैसा सरकार के पास आया नहीं करता था, वह शराब का रखने का व बेचने का तरीका वह सामने आ गया और लोगों को मौका मिला कि सामने कर दिया। तो जो चौरी होती थी, जो इल्लिसिट डिस्टीलेशन होता था, जो जहर मिलाया जाता था वे सब चीजें बदल गईं, और उसका रुपया सरकार के पास आ गया। इसलिए मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि कल हाउस यह फैसला कर दे कि प्रोहिबिशन हो जाय। लेकिन जब हमारी एक तरीके से स्टेज बाई स्टेज प्रोहीबिशन करने की नीति है, तो हमारा यह फर्ज हो जाता है कि बूट लेगिंग होता है, जो इल्लिसिट डिस्टीलेशन होता है, उसको रोकें ताकि वहां की चोरी में, डिपार्टमेंट में करप्शन का मौका मिलता था, उसमें कमी हो।

उसमें कमी है इसलिए....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने इल्लिसिट डिस्टिलेशन को रोका है, वह क्या ओन दि कोस्ट ऑफ कन्ज्यूमर्स रोका है ?

श्री बालकृष्ण कौल : जो चोरी का माल पीते थे।

खैर मैं, एफिशियेन्सी की दुहाई नहीं देता हूँ लेकिन एक मेथ्ड की बात कर रहा हूँ। मजबूर होकर हमको करना पड़ा। चोरी होती थी। इस सदन के माननीय सदस्यों ने कहा कि शराब में पानी मिलाया जाता है, स्प्रिट और टिन्चर मिलाया जाता है। रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, पता नहीं उन पर क्या असर था, किस भाषा में बोल रहे थे, उनको खुशी हुई होगी, क्योंकि वे शायद इसको इस्तेमाल करते थे, अब शुद्ध हो गई। आंकड़े दिये थे कि २००० आदमी

(श्री बालकृष्ण कौल)

अमृतसर के पागल खाने गये शराब पीकर, अब बच गये, उनका दिल और दिमाग साफ हो गया, बन्दोबस्त हो गया। मैं समझता हूँ वे तो सरकार को बधाई देंगे कम से कम क्योंकि उनका दिमाग बराबर रहा शराब पीने से....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): मैंने यह कहा था कि गांव गांव में शराब बिक रही है, क्राइम बढ़ रहा है, शराब का सिद्वांत कुछ नहीं रहा मालूम होता है; आज आप काफी सुरूर में हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, जब मैं शक्ल देखता हूँ इनकी तो सुरूर आ जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा शुरूर उतर जाता है आपकी शक्ल देखकर।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि यह गारन्टी सिस्टम क्यों करना पड़ा। मैं आपका ध्यान थोड़ा सा और इधर खींचना चाहता हूं। यह स्वभाव है इन्सान का कि जब कोई चीज बदल जाती है तो उसको आसानी से ग्रहण नहीं किया जा सकता। जब यह गारन्टी सिस्टम सरकार रायज किया चाहती थी तो बहुत से कॉन्ट्रेक्टर्स और कॉन्ट्रेक्टर्स के कुछ साथी अन्दर और बाहर इसकी मुखालफत करने लगे कि यह गारन्टी सिस्टम न हो। यह ठीक है, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि कॉन्ट्रेक्टर्स को यह शक था क्योंकि उनकी आदत पड़ी हुई थी मिलावट की शराब बेचने की। उन्होंने जरा गुरेज किया। जरा ख्याल कीजिए उनको जायज तरीके से ८ परसेन्ट की आमदनी होती थी। वे ४३ परसेन्ट खर्च कहां से करते थे। यह समझ जाइये कि जायज तरीके से तो उनकी दूकान एक ही दिन चल सकती थी, दूसरे दिन नहीं चल सकती थी। लेकिन उनकी आदत थी हराम के तरीके से बेचने की। इसी तरह हमारे कर्मचारियों पर ऐसा अट्रेक्शन था करप्शन का कि हमको और कोई रास्ता नहीं मिल रहा था रोकने का। तो जिस वक्त गारन्टी सिस्टम सरकार ने रायज किया उस समय...

श्री भैरोंसिंह : 'करप्शन' का मतलब क्या है ? सारे एक्साइज़ डिपार्टमेंट को आपने इन्वोल्व किया है।

श्री बालकृष्ण कौल : करप्शन का मतलब आप जानते हैं।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि गारन्टी सिस्टम आते ही कुछ कॉन्ट्रेक्टर्स ने शिकायत की और कुछ किस्म का वातावरण पैदा हुआ कि उन्होंने इस गारन्टी सिस्टम की मुखालफत शुरू की। जहां तक सरकार का ताल्लुक है उसकी यह ख्वाहिश थी कि सारे राजस्थान में यह गारन्टी सिस्टम हो। लेकिन आप जानते हैं श्रीमान्, कि जब मुखालफत एक तरफ से ही नहीं सब तरफ से की जावे और एक ही समय की जावे और उस चीज से नुकसान होने की सूरत हो तो सरकार को मजबूर होना पड़ा क्योंकि जिस तरीके से भी हो उस वक्त इस चीज को चलाना चाहते थे। जिस तरीके से किसी नयी चीज को चलाने के लिए कुछ कन्सेशन देने को भी तैयार रहना पड़ता है उसी तरीके से सरकार ने अपने नये मेथड को चलाने के लिये कुछ उन लोगों को कन्सेशन देने के लिए वायदा भी किया। जिस वक्त कॉन्ट्रेक्टर ने यह देखा कि यह जो चीज चल

(श्री बालकृष्ण कौल)

रही है उससे उनको कोई खास नुकसान नहीं है, उनकी इज्जत एक कलाल की नहीं रह जाती है, उनकी इज्जत एक व्यापारी की बन जाती है तो उन्होंने उसको अपनाना शुरू किया क्योंकि जिस शख्स को एक बार काम करना पड़ता है, मिलावट मिलानी पड़ती है और अपने आप को एक्सपोज़ करना पड़ता है लों के सामने, उसके आगे एक नयी चीज आवे कि वह अपनी कमाई ईमानदारी से कमा सकता है, तो उसको इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने मंजूर करना शुरू किया।

मैं श्रीमान्, इतना और निवेदन करूं कि जिस वक्त इसको शुरू किया था उस वक्त इनकी मुखालफत थी, लेकिन जब इस साल इसका दुबारा कॉन्ट्रैक्ट देने का या गारन्टी देने का समय आया तो जिन अधिकारियों ने इस गारन्टी सिस्टम को चलाने में हर मुमकिन कोशिश की और उसको सफल बनाया, उनके आगे धर्म संकट था। उनके आगे यह धर्म संकट था कि उन्होंने उन लोगों को यह यकीन दिलाया था कि तुम घबराओ मत, इसको चलाओ, यदि कहीं तुम्हारा बहुत नुकसान हो जायगा, ऐसा नुकसान कि जिससे यह समझें कि तुम तबाह हो गए हो, तो तुमको तबाह करने का इरादा सरकार का नहीं है, और साथ ही साथ यह भी उनको उम्मीद दिलाई कि जरूरत होगी और जो हालत देखेंगे, ट्रैन्ड्स देखेंगे, तो इसको गारन्टी के साथ और जोड़कर पहला मौका तुमको देंगे, तुम नहीं लोगे तो ऑक्शन करेंगे। यह सिर्फ इसलिये किया कि आप उस परिस्थिति को सोचें जिस परिस्थिति में उन्होंने सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिये, सरकार की नीति को चलाने के लिये यह काम किया, इसको समझें। माननीय सदस्य गंभीरता से इसको समझें। इसका असर यह हुआ कि अभी जब इस कॉन्ट्रैक्ट को देने का समय आया तो उन्होंने करीब करीब राजस्थान के सभी इलाकों में गारन्टी सिस्टम को रायज़ किया। अब आप देखिये, जब यह सिस्टम रायज़ हुआ उसके कॉन्सीक्वेन्सेज़ सब मौजूदा गारन्टी देने वालों ने और लाइसेन्सीज़ ने बर्दाश्त किये और जब उनके रिन्यूअल का वक्त आया तो वे लोग, वे कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने इसकी डट कर मुखाल्फत की थी, वे सामने आये और कहने लगे कि हम लेना चाहते हैं, तब सरकारी अफसरान को उस परिस्थिति को देखना जरूरी था जिस परिस्थिति में उन्होंने गारन्टी सिस्टम को चालू करने की कोशिश की थी। उस परिस्थिति में उन्होंने गारन्टी देकर चलाने में पूरी मदद की थी, उनकी जुबान को रखना, उसकी कद्र करना, यह परिस्थिति आपके सामने रख रहा हूं। कहा जाता है कि दूसरे लोग ले रहे थे उनको क्यों नहीं दिया ? मैं समझता हूं। माननीय सदस्य, सरकार और सरकारी कर्मचारियों के जुबान की पाबन्दी की लाइट में इसको सोचेंगे न कि कंडेम् करेंगे। श्रीमान्, जहां तक शराब के गारन्टी सिस्टम का ताल्लुक है और उससे पैदा हुई शिकायतों का ताल्लुक है उसका मैंने जिक्र किया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसमें एक पॉइन्ट ऐसा है जिससे लीगल कॉम्पलीकेशन्स सकते है ।

माननीय मन्त्रीजी ने कहा कि सरकारी अधिकारियों की जो जुबान है उसकी कद्र करनी चाहिये, कद्र की गई है। मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारियों ने इस प्रकार कमिटमेन्ट्स किये हैं गवर्नमेन्ट पॉलिसी के ऊपर, वे इस प्रकार कमिटमेन्ट्स कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के

(श्री भैरोंसिंह)

कमिटमेन्ट्स किसी कानून की दृष्टि से, रूल्स की दृष्टि से सरकारी अधिकारी कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट के ऑर्डर्स नहीं हैं, इस प्रकार के रूल्स नहीं है, एक्ट में अमेंडमेंट नहीं है, रूल्स में संशोधन नहीं है—उस हालत में सरकारी अधिकारी कॉन्ट्रेक्टर से इस प्रकार का वायदा कर सकते हैं कि तुम्हें गारन्टी सिस्टम से घाटा होगा, वह नहीं होने दिया जायगा, हम उस नुकसान की पूर्ति करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, यह प्रश्न जो माननीय सदस्य ने उठाया है, अपनी जगह बड़ा माकूल है...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अपनी जगह माकूल है—इससे काम नहीं चल सकता। माकूल था, तो ऐसा क्यों किया गया ? आपने कहा कि कन्सेशन दिये हैं, क्या दिये हैं— वह बतला दें। कन्सेशन्स क्या थे— आपने खुद ने एडमिट किया है कि कन्सेशन दिये वे एक-दो रुपये ज्यादा रेट लेने के थे ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं आ रहा हूं उस पर। मैंने खत्म नहीं किया है। जिस कन्सेशन का जिक्र किया आपसे, वह उन अधिकारियों से था जो इस गारन्टी सिस्टम को चला रहे थे। सरकार का सवाल नहीं था। सरकार जो करना चाहती है, वह मुनासिब होता है तब ही करती है।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि उन्होंने उनसे कमिटमेंट किये थे, उनका घाटा-पूर्ति करने के लिए। इस सारी परिस्थिति के अन्दर उन्होंने आपसे पूछ कर वायदे किये या उन्होंने वैसे ही वायदे कर दिये ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं वही कह रहा हूं....

श्री भैरोंसिंह : वह कन्सेशन किस बेसिस पर किये ?

श्री बालकृष्ण कौल : गवर्नमेंट ने कोई ऑथोरिटी नहीं दी है...

श्री भैरोंसिंह : नहीं दी है ?

श्री बालकृष्ण कौल : लेकिन उन्होंने जो किया वह एक गुड फेथ में काम किया। इसलिए गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर उनकी मेन्टेलिटी साफ थी और गवर्नमेंट ने उनकी मेन्टेलिटी को परख कर देखा होता, ऐसा मौका अगर आता तो। लेकिन वह नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह : वह नहीं आया, यह दूसरी बात है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सरकार की बात छोड़ दें। आपसे पूछ कर किया, आपसे कन्सेन्ट लेकर किया या नहीं ? इसमें आपसे पूछ लिया था ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं सरकार से अलग नहीं हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप सरकार से अलग हैं। आपकी जानकारी में आया या नहीं और आपकी जानकारी में आया तो आपने सरकार को बताया या नहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं जवाब दे चुका हूं।

श्रीमान्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि

(श्री बालकृष्ण कौल)

वह कन्सेशन का समय भी नहीं आया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमान्, अगर असलियत, हकीकत को जाना जाय तो जैसा खुद वे माननीय सदस्य मानते हैं कि कुछ पी-पिला कर एक पांच पैसे की चीज को पांच रुपये में खरीद सकता है आदमी, उस पीने वाले दिमाग की हालत यह है, जिसे माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं। तो यह कहना कि सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को एक रुपया या दो रुपया बढ़ाकर बोतल बेचने की इजाजत दी हुई थी या उसकी सपोर्ट थी, यह बिल्कुल गलत है। मैं इतना अर्ज कर देना चाहता हूं, श्रीमान्, कि सरकार के कर्मचारियों ने पकड़े हैं ऐसे केसेज़ कि जहां किसी कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा ज्यादा चार्ज कर लिये हैं। लेकिन इसमें भी एक बात है, जिसे कहने में कुछ हिचकिचाहट नहीं हो सकती, जिसे माननीय सदस्य खुद मानते हैं, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने किसी खरीददार को पिला कर उससे ज्यादा पैसे ले लिये हैं और वह पकड़ में न आये-तो यह हो सकता है, क्योंकि चोरी भी होती हैं और कानून भी होता है। लेकिन सरकार ने चोरी करने की इजाजत दी हो, या चोर के साथ सहानुभूति रखी हो, यह गलत चीज है। इसलिए....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने रेट्स डी-कंट्रोल कर दी हैं, फिर भी कानून के अनुसार यह नहीं हो सकता कि वह जिस चीज की जो चाहे कीमत ले ले।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं एक चीज का जवाब दे रहा हूं। दूसरी चीज़ आपने रख दी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इनको भी सुरुर आ जाता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके साथ साथ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और उनके मुकाबले।

श्री बालकृष्ण कौल : वह जो प्रश्न उठा रहे थे रेट का, दूसरा पहलू भी था। वह मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, वह रख देता हूं। उनका शायद संकेत था कि जो प्राइसेज़ को फरवरी के महीने में डी-कंट्रोल कर दिया था। श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से कि इस पॉइन्ट को भी जरा गौर से सोचें। यह माननीय सदस्य मानते हैं, जो नसीराबाद से तशरीफ लाये हैं, पैसा ज्यादा बोतल पर लिया करते थे...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : और आपकी मर्जी से।

श्री बालकृष्ण कौल : यह बिल्कुल गलत है, और मैं यहां तक...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपका स्टेटमेंट है, अखबारों में, वह मैं पेश करूंगा सदन में।

श्री बालकृष्ण कौल : वह पेश कीजिये आप। जैसा आप कह रहे हैं, मैं भी कह सकता हूं कि लोग कहते हैं। लेकिन मैंने चोरी करने की इजाजत दी है, यह गलत है। मैं मानने के लिए तैयार हूं कि चोरी होती है।

Page No.115

(श्री बालकृष्ण कौल)

लेकिन मैंने चोरी कराई है या चोरी करने की इजाजत दी है, यह गलत है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने कन्सेन्ट दी है ।

श्री बालकृष्ण कौल : कन्सेन्ट के मायने माननीय सदस्य नहीं जानते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : वस्तु स्थिति यह है कि रेट्स किसी ठेके पर नहीं लिखी हैं । वे अपनी मनमानी प्राइस ले लेते हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान मैं उस पर आ रहा हूं । मैं निवेदन कर रहा था कि इस नुक्ते को समझने की जरूरत है कि प्राइसेज़ कन्ट्रोल हुईं । मैं भी एक कमिटमेंट थ्योरी में नहीं जाता, मैं सीधी बात कहता हूं कि प्राइसेज़ कन्ट्रोल हुईं और उसके बाद यह भी माना जाय कि कन्ट्रोल नहीं रहा है तो भी चोरी होती है तो कन्ट्रोल के होने से क्या-क्या नुकसान हो रहे हैं, यह देखा जाय । उस वक्त यह मान लें कि ज्यादा चोरी हो रही थी तो चोरी अलग एक लार्ज स्केल पर हो रही है । उस हालत में यह मान लेना चाहिये कि कहीं मेथड में खराबी है । जब आपका सारा अमला है, पग-पग पर इन्सपेक्टर्स हैं और कानून है । फिर भी माननीय सदस्य मानते हैं कि चोरी आम तौर पर हो रही हैं और नहीं रुकतीं, तो मेरे पास कोई मेजिक बॉक्स नहीं कि हर जगह से ऐसे आदमियों को एक दम पकड़कर उन्हें फांसी दे दूं । श्रीमान्, यह चीज हमारे सामने आई और हमें सोचना पड़ा कि किस तरीके से इस चोरी को और इस करप्शन को रोका जाय । उस वक्त हमारे सामने एक ही चीज थी कि हम इसकी प्राइसेज़ को डी-कंट्रोल करें ताकि हमको यह भी मालूम हो जाय । श्रीमान्, यह सोचने वाली बात, मैं निवेदन करूंगा, माननीय सदस्यों से, कि डी-कन्ट्रोल के मायने यह भी है कि हमको मालूम यह भी हो जाय कि बाजार की मार्केट रेट क्या है । हमें यह चोरी में नहीं मालूम होता है कि एक रुपया किसी ने ज्यादा ले लिया या दो रुपये ले लिये । जब खुली चीज हो जाती है तो बाजार में रेट मालूम होने लगती हैं । यह इसलिए कि रेट मालूम होने पर आगे कार्य-वाही कर सकें और जो लाइसेन्स होल्डर्स को सुविधा दी जाती है डी-कन्ट्रोल की, उसमें लाइसेन्स होल्डर्स से तय कर लिया है कि जिस दिन सरकार चाहे कन्ट्रोल कर देगी । मैं इससे ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि माननीय सदस्य इतने समझदार हैं कि सरकार के दिल और दिमाग में क्या चीज है, वह समझ जायं...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह डी-कन्ट्रोल सरकार ने किया या आपने किया ? डी-कन्ट्रोल कानून के अनुसार हो सकता है या नहीं ? यह बतायें इसके कारण ...

श्री उपाध्यक्ष : I will request the Hon'ble member please......

श्री बालकृष्ण कौल : मैं कह दूं कि कानून के अनुसार नहीं हो सकता तो वे अदालत में जा सकते हैं और अदालत से फैसला करा सकते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने फैसला कैसे दिया ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हम सदन में बैठे हुए हैं और हम कानून बनाते हैं, वह कैसे

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

लागू हो, इसके लिए आपका कर्तव्य है कि आपको सीधा जवाब देना चाहिए। कन्ट्रोल करने की स्टेच्युटरी पॉवर्स होते हुए और इस सदन से पास किया हुआ कानून होते हुए क्या इस तरीके से सदन में खड़े होकर मन्त्री महोदय कह सकते हैं कि कोर्ट में जायं। कोर्ट में जाने वाले कोर्ट में जायेंगे। हमारा कर्त्तव्य है यह जिम्मेदारी है कि इस सदन में जो कानून पास होता है वह प्रान्त में किस तरह लगता है।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं निवेदन कर दूं, जो सरकार ने काम किया है, कानून के अन्दर किया है और कोई ऐसी चीज नहीं कर रही हैं जो इस सदन के पास किए हुए कानून के खिलाफ हो या सदन की प्रतिष्ठा के खिलाफ हो, सदन के आदेश के खिलाफ हो...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं, कानून का प्रश्न है; the Government shall decide the case. इसका मतलब यह नहीं होता...

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, मैं निवेदन कर रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : चूंकि सदन का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए क्या सदन की यह मन्शा है कि जब तक यह फाइनेन्शियल बिज़नेस समाप्त न हो जाय, सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय, जब तक फाइनेन्शियल बिज़नेस समाप्त न हो, बढ़ाया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम गवर्नमेंट की तरह नहीं हैं कि बीस मिनट नहीं बढ़ाये, दस मिनट नहीं बढ़ाये। आप समय बढ़ायें, जितनी देर यह चले।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री): आप बड़े अच्छे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने नहीं बढ़ाया था, दस मिनट नहीं बढ़ाये थे जब अविश्वास का प्रस्ताव था।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अच्छी अच्छी परम्परायें कायम की हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं निवेदन कर रहा था कि जहां तक शराब की खरीद फरोख्त से ताल्लुक है, हाउस में कुछ दो चार बातों का जवाब देकर मैं अपनी जगह बैठ जाऊंगा...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप डी-कन्ट्रोल की पॉलिसी को अच्छी मानते हैं? मगर यह तो आप मजबूरियों से लाये हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं तो मानता हूं कि डी-कन्ट्रोल की पॉलिसी करप्शन को रोकती है।

श्री भैरोंसिंह : करप्शन रुकता है, यह ठीक है; लेकिन आपकी यह पॉलिसी अच्छी है या नहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक माननीय सदस्य जो नाथद्वारा से तशरीफ लाये हैं उनका सारा जोर आबकारी पर तो इतना नहीं था लेकिन ज्यादा

(श्री बालकृष्ण कौल)

जोर पेसेन्जर टैक्स की वसूली पर था। इसका उत्तर मैंने प्रश्नों के उत्तर में पहले कल या परसों दे दिया है। किस हालत में होगा, गलती हुई, उस पर बहस नहीं करते हुए मैं यह कहूंगा कि जो एरियर्स हैं उनको वसूल करने की सरकार में ताकत भी है। अप्रेल में फाइनेन्स बिल द्वारा सरकार ने कुछ टैक्सेज़ को रिप्रलाइज़ करने की ताकत है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपने बताया कि अप्रेल में सब ठीक हो गया, उसके बाद...

श्री बालकृष्ण कौल : अप्रेल के बाद जब तक रूल्स नहीं हों तब तक टैक्सेज़ वसूल नहीं हो सकते। मगर एक बात हमको नहीं भूलना चाहिए कि गुड्स पेसेन्जर्स के टैक्सेज़ होते हैं वे सारे के सारे साल में एक ही दफे दे देते हैं, क्योंकि एक दफा में रिकवर करना बहुत आसान होता है। यह चीज़ अच्छी तरह से वसूल हो सकती है वह जनवरी में होना चाहिये। क्वार्टर जनवरी से शुरू होगा। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि सरकार का रुपया वगैर रिकूवरी के कोई नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : जनवरी तक वसूल हो जावेगा।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान, आपने अफीम का जिक्र किया। मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इसका पहले भी जिक्र किया था और मैंने इसको पहले एग्ज़ामिन कराया कि स्टेट गवर्नमेंट कहां तक इसकी प्राइसेज़ को कन्ट्रोल कर सकती है। अोपियम का प्राइस कन्ट्रोल का मामला सेन्टर का सब्जेक्ट है।

एक माननीय सदस्य : आप रिकमन्ड तो करते रहें।

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने उस समय भी आपको कहा था कि मैं देखूंगा और मैंने देखा और देखने के बाद मालूम हुआ कि यह हमारे अधिकार में नहीं है।

मैं समझता हूं कि करीब करीब सभी माननीय सदस्यों के कट मोशन्स के जवाब दे दिए हैं, सिवाय डिस्टिलरीज़ के। रायसिंह नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सी गड़बड़ियों होने का जिक्र किया। मैं उनसे इतना ही अर्ज कर दूं कि इससे मेरा कोई डाइरेक्ट सम्बन्ध नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के नाते मेरा जिस चीज से सम्बन्ध है उसकी बात कहता हूं। जो आपने सुझाव रखे हैं वह मैं जो हमारे स्टेट एन्टरप्राइजेज़ के मन्त्री हैं उनसे बातचीत करके इन खामियों को हटाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपने जिन बातों पर प्रकाश डाला है उससे हमको करप्शन को रोकने में काफी मदद मिलेगी।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा) : जिस तरह से इन्जेक्शन को शीशियें आती हैं उसी तरह से शराब की बोतलें भी होनी चाहिए। यदि आप ऐसा कर देंगे तो आपको यह प्राइसेज़ डी-कन्ट्रोल करना है वह भी नहीं करना होगा और करप्शन भी खत्म हो जावेगा। लोगों को साफ शराब मिलेगी और कीमत भी वाजिब होगी, कोई पानी मिला नहीं सकेगा। अगर इस तरह हो जाए तो बाद में कोई बेचे उसमें मिलावट नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं पेश्तर इसके कि बैठूं मैं माननीय सदस्यों ने जिस शांति और जिस कोआॅपरेशन के मूड में मेरी बातों को सुना उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने बताया कि आठ रुपये का प्रोफिट होता । यानी ५१ रु० की होती तो ८ रुपये उनको बचते । तो क्या पहले पानी ज्यादा मिलाते थे या जहर मिलाते थे । जैसा आपने बताया कि दो हजार व्यक्ति अमृतसर के अस्पताल में भर्ती हुए...

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

(विराम)

Shri Vijaysingh Jhala.

श्री विजयसिंह झाला : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मन्शा है कि इन्हें वापिस लेने की आज्ञा दी जाए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप डिमान्ड रख दें ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक ८–राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में संधनित निधि में से ३१ मार्च, १९६० को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,६७८) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६६ स्वीकार की गई ।

अधिक अनुदान की मांग संख्या १००–वाहनों पर कर

श्री हरिश्चन्द्र (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या १००, मुख्य शीर्षक १२–वाहनों पर कर के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६० को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८,१०८) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या कौनसी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अब तो सदन का समय हो चुका है, बची हुई मांगों को गुलेटिन करके पास करवा लें ।

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या कौनसी है, I could not hear.

श्री हरिश्चन्द्र : मांग संख्या १०० ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या १००, मुख्य शीर्षक १२–वाहनों पर कर के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६० को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८,१०८) रु. तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १०० स्वीकार की गई ।

अब आगे जितनी मांगें हैं वे प्रस्तावित मानी जावें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Every demand will have to be specifically moved.

अधिक अनुदान की शेष मांगों पर मुख बन्द

श्री उपाध्यक्ष : सभी मांगें प्रस्तावित समझी गईं। यह मैं अपने अधिकार जो रूल १५६ के अन्तर्गत आता है; बिजनेस को खत्म करने का है, उसका प्रयोग करता हूँ।

अधिक अनुदान की मांग संख्या १०३-प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या १०३, मुख्य शीर्षक ५४ का-प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६० को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को ४,५३८ रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १०३ स्वीकार की गई।

अधिक अनुदान की मांग संख्या १०१- शिक्षा

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या १०१, मुख्य शीर्षक ३७- शिक्षा के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६० को समाप्त हुए वर्ष में किए गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २६,८०,६२५ रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अधिक अनुदान की मांग संख्या १०१ स्वीकार की गई।

अधिक अनुदान की मांग संख्या १०२-नागरिक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या १०२, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६० को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १४,१४,११७ रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अधिक अनुदान की मांग संख्या १०२ स्वीकार की गई।

अधिक अनुदान की मांग संख्या १०४-अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या १०४, मुख्य शीर्षक ५५-अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६० को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १०,७५२ रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अधिक अनुदान की मांग संख्या १०४ स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

अधिक अनुदान की मांग संख्या १०५ सामुदायिक विकास परियोजनाएं इत्यादि

प्रश्न यह कि अधिक अनुदान की मांग संख्या १०५, मुख्य शीर्षक ६३ खा-सामुदायिक विकास परियोजनायें; राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६० को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,७५,२५७ रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

अधिक अनुदान की मांग संख्या १०५ स्वीकार की गई ।

अधिक अनुदान की मांग संख्या १०६-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या १०६, मुख्य शीर्षक ७०-जनस्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६० को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९,२७,१२१ रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

अधिक अनुदान की मांग संख्या १०६ स्वीकार की गई ।

अधिक अनुदान की मांग संख्या १०७-निवृत्ति वेतनों की संराशियों का भुगतान

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या १०७, मुख्य शीर्षक ८३-निवृत्ति वेतनों की संराशियों का भुगतान के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६० को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,६०८ रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १०७ स्वीकार की गई ।

(८.४३ म. प.)

राजस्थान विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६३

(पुरःस्थापुन, विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमंत्री) : श्रीमान् मैं, राजस्थान एप्रोप्रियेशन (संख्या ५) बिल, १९६३ का पुरःस्थापन करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि आज्ञा दी जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(विराम)

श्रीमान् मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एप्रोप्रिएशन (संख्या ५) बिल, १९६३ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० ५) बिल, १९६३ को विचारार्थ लिया जाय ।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (सं० ५) बिल, १९६३ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान एप्रोप्रिएशन (सं० ५) बिल, १९६३ पारित किया गया।

सदन की बैठक कल ढाई बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही रात्रि को ८.४५ पर दिनांक ६ सितम्बर, १९६३ के म. प. २.३० बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(गुरुवार, दिनांक ५ सितम्बर, १९६३)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक 1

कॉलेज में प्रवेश।

देवालयों के पुजारी।

सरकारी सेवा में भर्ती एवं रिटायर-मेंट की आयु।

केन्द्रीय यांत्रिक कृषि फार्म द्वारा लिये गये तालाबों व कुंओं का मुआवजा।

प्रतापगढ़ मल्टीपर्पज हायर सैकन्ड्री स्कूल का कालेज में परिवर्तन।

पाली जिले में औद्योगिक संस्थान।

कॉमर्स-क्लासेज की मांग।

टोंक जिले में अभ्रक की खानें।

जमानत की रकमें।

तारबन्दी से मवेशियों की चराई में कठिनाई।

विद्यार्थियों की हड़ताल।

राजस्थान में पीपा उद्योग।

लक्ष्मणगढ़ में सहकारी समितियां।

हिन्दी कक्षाओं की मांग।

तालाबों की मरम्मत।

सवाई माधोपुर में नये स्कूल।

स्कम्भ

जैसलमेर में आइरन ओर का सर्वे।

सोजत व जैतारण में सड़कें बनाने के लिये भूमि की अवाप्ति।

मिडिल स्कूलों के हैड मास्टर।

गर्ल्स स्कूल के लिये भवन।

उदयपुर कलेक्टरी कार्यालय कर्मचारियों का स्थानान्तरण।

रेडियो पार्ट्स का आयात।

रेगिस्तान रोकने की योजना।

हायर सेकन्ड्री व मिडिल स्कूल।

मन्दिर के लिये भूमि।

पंचायत समिति एवं स्कूल भवनों के लिये अवाप्त भूमि का मुआवजा।

प्राथमिक शालायें।

फर्टीलाइज़र फैक्ट्री।

ऑल इन्डिया रूरल क्रेडिट सर्वे की सिफारिशें।

स्टोव बनाने के लिये कोटा।

कोटा में काश्त की भूमि का आबादी में परिवर्तन।

फ्लोर मिल्स पर इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी।

गंगनहर क्षेत्र में काश्तकारों से मालकाने की रकम की दरें।

खमनोर में जनता द्वारा श्रमदान से निर्मित नहर।

सीमेन्ट फैक्ट्री का लाइसेन्स।

स्थगित प्रश्न

(२६-८-६३)

माफीदारों व जागीरदारों की जमाशुदा रकम का भुगतान–तहसील सहाड़ा।

प्रोफेसरों का जन्म-दिन मानने का आधार।

पंचायत समिति, पीपलखूंट में सड़कें बनाने पर खर्चा।

अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक ६६

१. राजस्थान कैनाल क्षेत्र में भूमिहीन किसानों के प्रार्थना-पत्र।

२. आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ के अधीन आदेश।

३. झुन्झुनू जिले में गोचर भूमि।

४. राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता।

५. सन् १९५० के स्थापित गृह उद्योग इत्यादि।

६. धौलपुर में फर्मों को दिया जाने वाला कोयला, टीन, लोहे व पीतल का कोटा।

७. नमक उत्पादन हेतु लीज़ अथवा कोन्ट्रेक्ट देने के नियम।

८. उदयपुर नगर इन्डस्ट्रियल शेड्स।

९. १९६१ से १९६२ तक राज्य के उद्योगों को ऋण।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय की वृद्धि

श्री भीखाभाई, सभापति, के प्रस्ताव पर, राजस्थान सार्वजनिक उद्यान (संशोधन) विधेयक, १९६३ (The Rajasthan Public parks (Amendment) Bill, 1963) पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया गया।

कार्य-सलाहकार समिति के प्रति वेदन का उपास्थापन तथा उस पर विचार ७७

श्री मानसिंह महार ने कार्य-सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

तत्पश्चात् उनके द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव स्वीकार किया गया :—

"यह सदन कार्य-सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।"

वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १९६३-६४ (प्रथम संग्रह) पर मतदान ७८

निम्नांकित अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १९६३—६४ (प्रथम संग्रह) पर विचार किया जाकर, उन्हें सदन द्वारा स्वीकार किया गया :—

१. अनुपूरक मांग संख्या ५२, मुख्य शीर्षक ६४—दुर्भिक्ष

२. अनुपूरक मांग संख्या ५०, मुख्य शीर्षक १९—सामान्य प्रशासन

३. अनुपूरक मांग संख्या ५१, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा

४. अनुपूरक मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक-था-राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम

राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६३ १८४

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री, ने उपरोक्त विधेयक को, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, पुरःस्थापित किया।

विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर उसे सदन द्वारा पारित भी किया गया।

अधिक अनुदानों की मांगों, १९५९—६०, पर मतदान १८५

निम्नांकित अधिक अनुदानों की मांगों, १९५९—६० को मतदान के पश्चात् सदन द्वारा स्वीकार किया गया:—

१. अधिक अनुदान की मांग संख्या ९९, मुख्य शीर्षक ८-राजकीय आबकारी कर

२. अधिक अनुदान की मांग संख्या १०३, मुख्य शीर्षक ५४-का-प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन

३. अधिक अनुदान की मांग संख्या १००, मुख्य शीर्षक १२-वाहनों पर कर

४. अधिक अनुदान की मांग संख्या १०१, मुख्य शीर्षक ३७—शिक्षा

५. अधिक अनुदान की मांग संख्या १०२, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य

६. अधिक अनुदान की मांग संख्या १०४, मुख्य शीर्षक ५५—अधि-वार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन

७. अधिक अनुदान की मांग संख्या १०५, मुख्य शीर्षक ६३—खा—सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य

८. अधिक अनुदान की मांग संख्या १०६, मुख्य शीर्षक ७०—जन—स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत

९. अधिक अनुदान की मांग संख्या १०७, मुख्य शीर्षक ८३-निवृत्ति वेतनों की संराशियों का भुगतान

राजस्थान विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६३

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मन्त्री, ने उपरोक्त विधेयक को, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, पुरःस्थापित किया।

तत्पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर उसे सदन द्वारा पारित भी किया गया।

सदन की बैठक रात्रि में ८ बजकर ४० मिनट पर शुक्रवार दिनांक ६ सितम्बर, १९६३ को दिन के २-३० बजे तक के लिए स्थगित की गई।

शुक्रवार, ६ सितम्बर, १९६३
कार्य—सूची

(१) विधेयकों का पुरःस्थापन:

(क) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय विधेयक १९६३

(ख) राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६३

(ग) जयपुर सूद सदावर्त्त फण्ड प्रशासन विधेयक, १९६३

(२) गैर सरकारी विधेयक

(क) राजस्थान संस्कृतिक संस्था विधेयक १९६३ (विचारार्थ)

(ख) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिक्षद (संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचारार्थ)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४८० का उत्तर देखिये)

No.	Name of the Estate	Provi sion made cost of Estate.	Expendi ture incurred upto 30-6-63	Progress made.	What remedies to be done to complete, the projects and get them going.	Remarks.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pali.	4,91,750/-	2,46,526/-	16 sheds completed in all respects.	Water & Power remain to be supplied.	Original Scheme was for 41 Sheds construction. Remaining sheds have been dropped on account of poor damend from the entrepr-eneurs.
2.	Sumerpur.	4,39,220/-	3,66,548/-	32 sheds completed in all respects.	do	Original Scheme was for 32 sheds.
3.	Falna,	Assisted Industrial Etate-by Private enterprise.	4,23,000/-	15 sheds completed in all respects, 3 sheds are in production.	water & Power to be supplied. Government quarntee for loan from the Life Insurance Corporation is to be iss-ued.	Cost of estate is Rs. 6,24,090/-. Total No. of sheds to be built is 33, A loan of Rs. 2,00;000/- has been advanced by State Government.
4.	Rani.	do	1,24 673/-	7 sheds are complete in all respects—5 sheds are in production.	do	Cost of Estate is Rs 1,86,000/-. Total No. of sheds to be built is 13. A loan of Rs. 75,000/- has been given by the State Government.

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्न संख्या ४६३ का उत्तर देखिये)

१. शिवपुरा	१.६	२७ १६
२. कामावास	६।	,,
३. सायल	६६.११	,,
४. अनन्तवासनी	१६.६	,,
५. सुरायता	१५	,,
६. धाकडी	२३.५	,,
७. धीमवाट	५०.३	,,
८. सोजत सिटी	२.१	,,
९. चन्डावल	६।.२	२० १७
१०. देवली	६.३	,,
११. गुढावीजा	१०.१०	,,
१२. मोडावा	८.८	,,
१३. पाचडा	३१.१८	,,
१४. सोयाट	१३.१७ २६	२० १८
१५. बगडी	१०.३	,,

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ का उत्तर देखिए)

सूची कर्मचारियान जो पांच वर्ष से ऊपर कलेक्टरी उदयपुर कार्यालय में कार्य अन्जाम दे रहे हैं

वरिष्ट लिपिक :

(१) श्री भंवर लाल महलाना

(२) श्री इमरान अली।

कनिष्ट लिपिक :

(१) श्री जीतमल कुणावत :

(२) श्री बंशीलाल मट्ट।

(३) श्री बिहारीलाल मोड़।

(४) श्री रघुनाथ गिरी।

(५) श्री किशननारायण माथुर।

(६) श्री पन्नालाल पारखा।

(७) श्री गनेशलाल गजावत ।

(८) श्री लहरसिंह सिरोया।

(९) श्री मथुरेशचन्द्र शर्मा।

(१०) श्री मुकन्दबल्लभ शर्मा।

(११) श्री सखानन्द सुखवाल।

(१२) श्री लक्ष्मीलाल जैन।

(१३) श्री उदयलाल पुरोहित ।

यातायात शाखा

(१) श्री बाघसिंह राणावत ।

एल. आई. जी. एच. :

(१) श्री गनेशलाल अग्रवाल।

(२) श्री मांगीलाल आचार्य ।

(३) श्री गोबिन्दलाल आमेटा ।

रिहेबिलिटेशन शाखा :

(१) श्री सुखराज भंडारी ।

(२) श्री मुकन्दलाल ।

पुल शाखा :

(१) श्री प्रतापसिंह मैकैनिक ।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :

(१) श्री कालू भोई ।

(२) श्री विजयसिंह ।

(३) श्री नारायणसिंह राजपूत ।

(४) श्री खेमा डांगी ।

(५) श्री उम्मेदराम ।

(६) श्री दौलतराम ।

(७) श्री डालचन्द ।

(८) श्री डालचन्द तिवाडी ।

(९) श्री अम्बालाल ।

(१०) श्री नारायण अवदीच ।

लैंड रिकार्ड शाखा :

(१) श्री चतुर्भुज ।

पूल शाखा (ड्राइवर) :

(१) श्री चान्दखां ।

(२) श्री बल्लभदास ।

(३) श्री चुन्नीलाल ।

(४) श्री लालाराम ।

(५) श्री देवीलाल ।

(६) श्री हीरालाल ।

(७) श्री दौलतसिंह ।

(८) श्री गोरधनलाल ।

(९) श्री मदनसिंह ।

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६८ का उत्तर देखिये)

LIST OF SCHEMES FOR ARRESTING THE DESERT

1. Adequate land area under Forest and its protection.
2. Demarcation and Settlement.
3. Soil Conservation in Desert areas.
4. Fixation of Send-Dunes.
5. Shelter belts, their creation.
6. Farm Forestry.
7. Afforestation of bare hills.
8. Soil Conservation in hilly areas.
9. Afforestaticn and pasture improvement.
10. Soil Conservation in Agricultural lands.

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ का उत्तर देखिए)

List of the Govt. Middle Schools upgraded to Jr.Higher Secondary Schools during the year 1963-64 :

1. Govt. Middle School, Banura, Sikar
2. Govt. Middle School, Khoor, Sikar
3. Govt. Mahaveer M. School. Khichan, Jodhpur
4. Govt. Middle School, Mandrial, Sawaimadhopur
5. Govt. Middle School, Mokhinda, Bhilwara
6. Govt. Middle School, Bagor, Bhilwara
7. Govt. Middle School, Baghera, Ajmer
8. Govt. Middle School, Jhakrana, Alwar
9. Govt. Middle School, Doomroli, Alwar

List of the aided Middle Schools raised to Jr. Higher Secondary Schools during 1963-64 :

1. Vidya Niketan Middle School, Udaipur,
2. Middle School of Shramjivi College, Rajasthan Vidya peeth, Udaipur.
3. Sri Digember Jain Karya Vidhalaya, Udaipur.
4. Sri Gopal Rai Harsukh Dass Vidya Mandir M. School, Jhunjhunu.
5. Sri Jagadhar Jaipuria Vidyal Mandir, M. School, Jhunjhunu.
6. Sri Jain Ratan Vidyalaya, Bhopalgarh, Jodhpur.
7. S. M. B., Middle School, Ajmer.
8. Shishu Sikha Sadan & Nursury Middle School, Ajmer.

9. K. D. A. V. Middle School, Ajmer.

10. Vajik Kanya Vidyalaya M. School, Adarshnagar, Jaipur.

List of aided High Schools converted into Higher Secondry School, 1963—64

1. St. Patrik Vidya Bhawan, Jodhpur.
2. Sri Sumer High School, Jodhpur.
3. Modern High School, Jodhpur.
4. Bhopalwala Arya High School, Ganganagar.
5. J. B. High School, Ladnun, Nagaur
6. S. S. Jain Subodh High School, Jaipur.
7. Shri Bhairav Ratan Matri High School. Bikaner.

---

10 Primary Schools reised to Middle Schools in the State, out of which following Schools are in Dungarpur District :

1. Sagwara
2. Ghata-ka-gaon
3. Bhesore
4. Parda Itiwar

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २८३ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
APPOINTMENTS (A. II.) DEPARTMENT.

CIRCULAR

No. F. 8 (33) Apptts. (A)/55 Dated Jaipur, the 28th April, 1958.
Subject:—Determination of date of birth-Procedure for--

It has come to the notiee of the Government that one officer accepted the entry given in respect of the date of birth in the Patwari School Certificate as the correct date of birth of a Patwari as against the entry made in the Service Book of the official. The correct procedure is that, so far as date of birth is concerned, the entry given in the Service Book of a Government servant should be adhered to, failing which the date of birth given in the personal file should be accepted. If there is no service book or personal files or no entry is available in either of them, the date of birth given in the school Certificate may be taken as the authentic date of birth. If this is also not available, the date of birth given in the Municipal Birth Certificate may be accepted. If, by chance, there is no mention in the Municipal records either, reliance may be placed on the date of birth given in the Horoscope provided it was prepared soon after the alleged date of birth. It is enjoined upon all the Appointing Authorities that the procedure outlined above should be carefully followed where the date of birth of a Government Servant is to be finally determined.

sd/—M. Mukerji.

Special Secretery to Governm ent.

No. F. 8(33) Apptts (A) 55. Dated the 28th April, 1958.

Copy forwarded to:—

1. All Secretaries to Government.
2. All Heads of Departments.
3. Secretary to the Governor.
4. Secretary to the Chief Minister.
5. Private Secretaries to Ministers/Dy. Ministers.
6. All Sections of the Secretariat.
7. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
8. Suprintendent, Government Press for publication.

परिशिष्ट ७

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

प्राथमिक शालायें

५०३. श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में इस साल कितने प्राइमरी स्कूल अपग्रेड किये गये हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) गंगानगर जिला परिषद् की तरफ से कितने प्राइमरी स्कूल अपग्रेड किये जाने की सिफारिश की गई थी ?

उत्तर

१.राजस्थान में इस वर्ष जो प्राथमिक पाठशालायें अपग्रेड की गई हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

२. श्री गंगानगर जिला परिषद् की तरफ से निम्न प्राथमिक शालायें अपग्रेड किये जाने की सिफारिश प्राप्त हुई थी जिनमें से लाडवाला व चक नं० १६ जैड अपग्रेड की गई हैं :

१. लाडवाला

२. चक १६ जैड

३. भोंस

४. घूरेवाल

५, चकमकसर

६. लीलाबाड़ी

७. अमरपुर

८. मौरजैद खेड़ी

६. चक १६ एन० पी०

सूची

List of Schools raised to Middle Schools.

Udaipur :

1. Balochistan Colony [Urban]
2. Ahar
3. Majira
4. Tal
5. Babrana
6. Binol
7. Bhatiyani Chhota [Urban]
8. Delwara [G] Total.........8

Jhalawar :

1. Richwa
2. Kanwara
3. Gangdhar [G]
4. Sunel [G] Total.........4

Bundi :

1. Bansi
2. Dabi Total.........2

Kota :

1. Badgaon
2. Karwar
3. Raithal
4. Sund Lock Total.........4

Total U. K. Range.........35

Jaipur Ajmer Range :

Jhunjhunu Distt :

1. Mandrella old
2. Udamandi
3. Dhamora
4. Khudania
5. Kakora
6. Bharu
7. Poonkh
8. Gotra
9. Jhabhasar
10. Ked [taken over] Total......10

Jodhpur Bikaner Range

Bikaner District, :

1. Napasar [Girls] Total......1

Churu District :

1. Somasi

2. Dhani Asha

3. Naya-Bas Sujangarh

4. Tamba Kheri

5. Charwas [G] Total.........5

Ganganagar District :

1. Ladhuwala

2. Chak Bhagsar

3. Dhandhela

4. Dalianwali [Exp]

5. Chak 19 Z [Exp] Total......5

Sikar :

1. Mangloona

2. Roopgarh

3. Maunda Kalan

4. Sihot Badi

5. Asapura

6. Ramgarh [Urban]

7. Srimadhopur [Urban] Total...7

Bharatpur :

1. Kishan Kund

2. Kasot

3. Katra Nadbai [Urban]

4. Barnetha

5. Siras

6. Pahari [G] Total.........6

Karauli :

1. Piloda

2. Ratan Zila

3. Pipalwada [Exp]

4. Mundiya [Exp]

5. Liwali [Exp]

6. Banli [G] Total..........6

Ajmer District :

1. Bajta

2. Budhwara

3. Fatehgarh

4. Ram Nagar [Urban] Total...4

Tonk :

1. Raholi

2. Pahari Total.........2

Alwar :

1. Jaisingh

2. Jamdoli

3. No. 6 Alwar [Urban]

4. Govindgarh [G] Total.........4

Jaipur :

1. Ladana
2, Pachhedala
3. Kishanpura
4. Mundia Ramsar
5. Badi Jodha
6. Jajen Kalan
7. Phagi [G] Total.........7

Total Ajmer Range...(46)

Nagaur :

1 Gudha Salt
2. Kayamsar
3. Merta City [Urban]
4. Parli Kalan
5. Koliya Total.........5.

Barmer Distt :

1. Magna Ki Dhani
2. Padru
3, Rawatsar (Ramsar Kuwa)
4. Bhunia (EXP) Total......4

Pali :

1. Siryari
2. Khiwanda
3. Norvai (EXP)
4. Sojat Rd. (G)
5. Sumerpur (G) Total......5

Sirohi :

Kachholi Total.........1

Total J. B. Range......(36)

Udaipur Kota Range :

Banswara District

1. Panchalwasa.
2. Tambesara Total......2

Dungarpur :

1. Sagwara (Urban)
2. Ghata Ka Gaon
3. Bhasar
4. Pardailiwar Total......4

Chittorgarh :

1. Rawat Bhata
2. Kotri
3. Kakarwa
4. Bambori Total......4

Bhilwara :

1. Lohari Kalan

2. Shergaon

3. Bhimganj (Urban)

4. Chandras

5. Potalan (G)

6. Mandalgarh (G)

7. Bijoliyan (G) Total......7

Jaisalmer Distt :

1. Mohangarh Total.........1

Jodhpur Distt.

1. Kuri

2. Panditji-Ki dhani

3. Feench

4. Banasar

5. Shahpura (Jodhpur—Girls)

6. Piparcity (Girls). Total...6

Jalore Distt :

1. Jhab

2. Dayalpura

3. Dugari Total.........4

आल इन्डिया रूरल क्रेडिट सर्वे की सिफारिश

५०५. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

ग्रॉल इन्डिया रूरल क्रेडिट सर्वे जो कि रिजर्व बैंक ग्रॉफ इन्डिया द्वारा करवाई गई थी उसकी क्या क्या सिफारिश हैं तथा राज्य सरकार ने उन सिफारिशों को सहकारी ग्रान्दोलन को बढावा देने हेतु कहां तक ग्रपनाया है ?

उत्तर

इसके उत्तर की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची

ऑल इण्डिया रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट की संक्षिप्त सिफारिश का विवरण	राजस्थान सरकार ने उसको सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार अपनाया है उसका संक्षिप्त विवरण
सिफारिश	
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि०	
१. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की सदस्यता-समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंक, कृषि ऋण-दात्री समितियां जो बैंक से डाइरेक्ट डीलिंग करती हों तक सीमित रहें।	समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंक सदस्य हैं और जो कृषि ऋणदात्री समितियां बैंक की सदस्य रही हैं उनकी हिस्सा पूंजी उनके क्षेत्र की केन्द्रीय सहकारी बैंक को हस्तान्तरित की जा रही हैं।
२. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड पर सरकारी मनोनीत सदस्यों की संख्या $\frac{1}{3}$ से अधिक न हो।	सरकारी मनोनीत सदस्यों की संख्या संचालक मंडल में $\frac{1}{3}$ से भी कम है।
३. बैंक के मेनेजर की नियुक्ति सरकार की स्वीकृति से हो।	राज्य की स्वीकृति से सहकारी विभाग का एक उच्च अधिकारी इस पद पर कार्य कर रहा है।
४. ऋण की स्वीकृति में कृषि सम्बन्धी कार्य के लिये प्राथमिकता दी जाय।	प्राथमिकता दी जा रही है।
राजस्थान केन्द्रीय सहकारी भूमि-बन्धक बैंक लि०	
५. राज्य में केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंक की स्थापना की जावे।	राज्य में सन् १९५७-५८ में केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक की स्थापना हो चुकी है।

६. मोर्टगेज रजिस्ट्रेशन के लिये इन्कमटैक्स सर्टीफिकेट जारी करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जावे व टीनेन्सी लॉज़ में भी कानून हेर-फेर किया जावे ।	इस विषय में बहुत कुछ कार्यवाही की जा चुकी है ।
७. राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी में भागीदारी की जावे ।	राज्य सरकार ने अब तक १५ लाख रु० बैंक की पूंजी में इन्वेस्ट किये हैं ।
८. ऋण की स्वीकृति में बैंक द्वारा जमीन का सुधार व विकास, कृषि यन्त्र खरीदने व दूसरे उत्पादन सम्बन्धी कार्य के लिये प्राथमिकता दी जावे ।	प्राथमिकता दी जा रही है !
९. बैंक द्वारा भिन्न भिन्न काल के लिये डिबेन्चर्स इश्यू किये जावें ।	दो सीरीज़ में क्रमश: ५,७६,०००) रुपये, व ५,२३,३००) रु०, (११,००,०००) डिबेन्चर्स बैंक द्वारा जारी किये जा चुके हैं ।
१०. राज्य सरकार द्वारा निम्न सहायता और दी जाय :–	
अ. सेन्ट्रल लैण्ड मोर्टगेज बैंक द्वारा इश्यू किये गये डिबेन्चर्स मूल धन व ब्याज का भुगतान के लिये राज्य सरकार गारन्टी दे ।	गारन्टी दी जा रही है ।
ब. लैण्ड वेल्यूएशन के लिये स्टाफ का प्रावधान किया जाय ।	राज्य सरकार द्वारा १२ लैंड वेल्यूएशन ऑफिसर्स की नियुक्ति की जा चुकी है ।
स. स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी आदि से छूट दी जाय ।	बैंक को स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस आदि की छूट दी जा चुकी है ।
द. लैण्ड मोर्टगेज बैंक के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिये स्पेशल लेजिसलेशन बनाया जाये ।	इस सम्बन्ध में राजस्थान कोऑपरेटिव लैंड मोर्टगेज बैंक्स एक्ट, १९५६ बना हुआ है ।
इ. लैण्ड मोर्टगेज बैंक को विशेष सहायता व्यवस्थापकीय खर्च के लिये दी जाय ।	लैंड मोर्टगेज बैंक्स को मैनेजिरियल स्टाफ के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है ।

शीर्ष सहकारी क्रय-विक्रय समितियां

११.अ. सहकारी क्रय-विक्रय समिति का गठन किया जाये।

इसका रजिस्ट्रेशन सन् १९५७ में हो चुका है।

ब. राज्य में नई शीर्ष सहकारी क्रय-विक्रय समिति जो गठित की जावे उनमें व्यक्तिगत सदस्य न रखे जावें।

सुझावानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

स. शीर्ष बैंक व शीर्ष क्रय-विक्रय समिति में समन्वय स्थापित किया जाये।

इस तरह का समन्वय स्थापित किया जा चुका है व एक दूसरे के प्रतिनिधि संचालक मण्डल पर उपनियमों के अनुसार हैं।

द. क्रय-विक्रय समितियों द्वारा मुख्य कार्य निम्न होने चाहियेः--

ये सभी कार्य क्रय-विक्रय समिति द्वारा किये जा रहे हैं।

१. उपज का क्रय-विक्रय करना

२. किसान की दैनिक आवश्यकताओं सम्बन्धित सामान उपलब्ध कराना

३. गोदाम का निर्माण कराना

इ. राज्य की क्रय-विक्रय समिति की हिस्सा पूंजी में भागीदारी।

राज्य सरकार द्वारा सभी क्रय-विक्रय समितियों के हिस्से क्रय किये जा चुके हैं।

इ. राज्य सरकार द्वारा प्रतिमास मैनेजर व अन्य टेक्निकल व्यक्ति क्रय-विक्रय समितियों को उपलब्ध कराये जावे।

क्रय-विक्रय समितियों के मैनेजरों व शीर्ष क्रय-विक्रय समिति के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है व दिलाया जा रहा है।

केन्द्रीय व जिलास्तर की सहकारी समितियां

१२.अ. हर जिले में एक केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थापित किया जाय व पिछड़े इलाकों में शीर्ष सहकारी बैंक की शाखा कायम की जाये और उसे भी आखिरी में केन्द्रीय बैंक के रूप में परिणित कर दिया जावे।

राज्य में २५ जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना हो चुकी है। केवल जैसलमेर (Co-operation Backward) जिले में शीर्ष सहकारी बैंक की शाखा है जिसको भी केन्द्रीय बैंक के रूप में परिणत किया जावेगा।

ब. केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक के जब तक कार्य में बढ़ौतरी न हो तब तक सेन्ट्रल बैंक एक अलग विभाग द्वारा दीर्घकालीन ऋण का बंटवारा करे व धीरे २ यहां पर सेन्ट्रल लैंण्ड मोर्टगेज बैंक की शाखा या प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक कायम किये जावें ।	सुझावानुसार कार्यवाही की जा रही है और राज्य में ३० प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों का गठन हो चुका है ।

केन्द्रीय सहकारी बैंक

१. साधारणतया प्रत्येक जिले में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जावे ताकि वे सक्षम इकाई बन सकें ।	जैसलमेर जिले को छोड़कर राज्य में सभी जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना हो चुकी है ।
२. राज्य की भागीदारी जिन बैंकों में हो उनमें एक तिहाई से ज्यादा राज्य के मनोनीत डाइरेक्टर्स नहीं होने चाहिए ।	सुझावानुसार प्रावधान उनके उपनियमों में किया जा चुका है ।
३. जहां तक हो सके केन्द्रीय बैंकों में चुने हुए अध्यक्ष होने चाहिए ।	उपनियमों के अनुसार जिन बैंकों को तीन साल से अधिक कार्य करते हुए हो गए हैं उनमें चुने हुए अध्यक्ष बैंक का संचालन कर रहे हैं ।
४. केन्द्रीय बैंकों की हिस्सा पूंजी में ५१ प्रतिशत तक राज्य सरकार की भागीदारी अनिश्चित काल के लिये होनी चाहिए व शेअर केपिटल को बढ़ाने के लिये अन्य तरीके अपनाये जायं जैसे शेयर केपिटल का बोरोइंग्ज़ से कड़ी बन्धन	राज्य सरकार द्वारा समस्त बैंकों की हिस्सा पूंजी में उनकी आवश्यकतानुसार प्रति वर्ष योगदान दिया जाता है । इस समय राज्य की भागीदारी १७ प्रतिशत है । लैन्डिंग पोलिसी के अनुसार प्राइमरी सोसाइटीज़ को प्राप्त किए ऋण का दसवां हिस्सा केन्द्रीय बैंक के हिस्से क्रय करना पड़ता है ।
५. बैंकों में समुचित रिज़र्व फण्ड स्थापित किये जायं ।	राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, १९५३ के अनुसार यह जरूरी है कि कम से कम लाभ का २५ प्रतिशत भाग रिज़र्व फण्ड में ले जाया जावे ।
६. बैंकों द्वारा ऋण देने में प्राथमिकता कृषि ऋणदात्री समितियों के सदस्यों को दी जावे तथा व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण बहुत कम दिया जावे ।	केन्द्रीय बैंक द्वारा कृषि ऋणदात्री समितियों को ही ऋण वितरण में प्राथमिकता दी जाती है ।

७. कोई भी केन्द्रीय सहकारी बैंक व्यापारिक कार्य न करे ।	बैंकों द्वारा व्यापारिक कार्य नहीं किया जा रहा है ।
८. केन्द्रीय बैंकों का प्राथमिक कृषि ऋण दात्री समितियों से विशेष सम्पर्क होना चाहिए ।	इस तरह का सम्पर्क स्थापित किया गया है व जिले की प्राथमिक कृषि ऋणदात्री समितियों को बैंक का सदस्य अनिवार्य रूप से बनाया गया है ।
९. केन्द्रीय बैंक की शाखा स्थापित की जावे ।	बैंकों द्वारा उपयुक्त स्थानों पर शाखा स्थापित की जा रही है ।

प्राथमिक स्तर

प्राथमिक कृषि ऋणदात्री समितियां

१. वृहदाकार कृषि ऋणदात्री समितियों का गठन किया जावे ।	राज्य में २४२ वृहदाकार समितियों का द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में गठन किया जा चुका है ।
२. प्राथमिक ऋणदात्री कृषि समिति की सदस्यता उसके कार्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के लिये खुली रखी जाय ।	इस प्रकार की समितियों की सदस्यता उसके कार्य क्षेत्र में आये हुए सभी कृषकों के लिए खुली है ।
३. वृहदाकार समितियों का दायित्व सीमित रखा जावे ।	समिति का दायित्व सीमित ही रखा गया था ।
४. कृषि ऋणदात्री समितियों द्वारा अल्पकालीन ऋण के अलावा मध्यकालीन ऋण जो कि तीन साल से पांच साल तक के पीरियड का है उपज कार्य के लिये दिया जावे । और इस प्रकार के ऋण उनकी हिस्सा पूंजी व रिज़र्व तक सीमित रक्खा जावे ।	मध्यकालीन ऋण सुझावानुसार समितियों द्वारा वितरण किया जा रहा है ।
५. प्राथमिक ऋणदात्री समितियों व क्रय-विक्रय समितियों का कड़ी बन्धन स्थापित किया जावे व प्राथमिक ऋणदात्री समिति द्वारा अपने सदस्य को दिये गये ऋण की रकम के बराबर की उपज उनके द्वारा क्रय-विक्रय समिति द्वारा बेची जाय ।	सुझावानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

६. प्रत्येक वृहदाकार समिति में पूरे साल के लिये एक योग्य व प्रशिक्षित व्यवस्थापक रखा जावे।

प्रत्येक वृहदाकार समिति में पूरे साल के लिए प्रशिक्षित व्यवस्थापक रखे जाने की व्यवस्था है।

प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक

प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक का कार्य क्षेत्र इस तरह का हो कि बैंक का लेनदार से घनिष्ट सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक का गठन राज्य में इस सिफारिश को मद्देनजर रखते हुए किया गया है।

प्राथमिक क्रय-विक्रय समितियों का गठन

१. प्राथमिक क्रय-विक्रय समिति मण्डी हैडक्वार्टर पर स्थापित की जावें।

राज्य में क्रय-विक्रय समितियों का गठन मण्डी स्तर पर हो चुका है।

२. क्रय-विक्रय समिति में राज्य सरकार की सीधी भागीदारी होनी चाहिये।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति के हिस्सों में राज्य सरकार की सीधी भागीदारी है।

३. क्रय-विक्रय समिति में योग्य व प्रशिक्षित व्यवस्थापक रखा जावे।

क्रय-विक्रय समिति में प्रशिक्षित व्यक्ति मैनेजर के पद पर रखे जा रहे हैं।

४. क्रय-विक्रय समिति का मुख्य उद्देश्य कृषि उपज का क्रय-विक्रय करना है लेकिन इसके साथ में वह माल संवारने, पुलिंग व ग्रेडिंग का कार्य भी कर सकती है।

राज्य की क्रय-विक्रय समितियां कृषि उपज का कार्य ही मुख्यतः कर रही हैं।

ऑडिट

१. ऑडिट की जिम्मेवारी रजिस्ट्रार की होनी चाहिए।

ऑडिट की जिम्मेवारी रजिस्ट्रार की है।

२. मौजुदा ऑडिट स्टाफ कीस्ट्रेंग्थ शीघ्रता-शीघ्र काफी बढ़ा देनी चाहिए।

स्टाफ की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई गई है।

३. सहकारी संस्थाओं की स्थापना से कुछ वर्ष तक के लिये उन्हें ऑडिट शुल्क से मुक्त किया जाना चाहिए।

अभी तक इस राज्य में सहकारी समितियों से कोई ऑडिट फीस वसूल नहीं की जा रही है।

४. जिन सहकारी संस्थाओं का चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के द्वारा ऑडिट किया जाता है कि उनके स्थान पर विभागीय ऑडिट नहीं कराया जाना चाहिये।	केवल विभागीय ऑडिट ही कराया जाता है।
५. शीर्ष और केन्द्रीय बैंक व बड़ी अर्बन बैंक व बड़ी सहकारी संस्थाएं जिनका कार्य बहुत बढ़ा हुआ है उनका यथा सम्भव कौन्करैन्ट ऑडिट का प्रबन्ध होना चाहिये व प्राथमिक समितियों का प्रत्येक छःमाह के अन्तर से अन्तरिम ऑडिट होना चाहिए।	अभी तक यह चालू नहीं किया गया है।
६. ऑडिट शाखा को समय समय पर यह समर्थन करते रहना चाहिये कि ऑडिट में जो आक्षेप उठाये गये थे उनकी पूर्ति शीघ्र कर दी जाती है।	कार्यान्वित कर दिया गया है। निरीक्षक ऑडिट समिति की ऑडिट रिपोर्ट के साथ एक आक्षेप-पत्र भी संलग्न करते हैं जिसमें ऑडिट रिपोर्ट में उठाये गये समस्त आक्षेपों का सूक्ष्म विवरण रहता है; गबन आदि के मामलों में कुछ अधिकारियों को अर्ध-सरकारी पत्र द्वारा सूचित करते हैं। आक्षेप पत्र प्राप्त होने पर उप—सहायक रजिस्ट्रार उनकी पूर्ति के लिये सम्बन्धित समिति को भिजवाते हैं और समितियों को समय-समय पर ताकीद करते रहते हैं जब तक कि आक्षेप-पत्र में उठाये गये एतराजों की पूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो जाती है।
७. प्रत्येक राज्य में कोऑपरेटिव ऑडिट मेन्युअल बनाना चाहिए।	कार्यान्वित कर दिया गया है। ऑडिट मेन्यूअल पूर्ण कर सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेजा जा चुका है।
८. समस्त राज्यों में अलग २ प्रकार की संस्थाओं के वर्गीकरण के लिये एक ही प्रकार के नियम होने चाहिए।	स्टैंडिंग एडवाइज़री कमेटी ने कृषि ऋण-दात्री समितियों के लिए जिन वर्गीकरण नियमों की सिफारिश की है उनको स्वीकार कर लिया है।

ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल

सहकारी विभाग के अधिकारियों को समन्वय व विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सहकारी विभाग के सीनियर ऑफिसर्स को पूना ऑफिसर्स कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज में व अन्य निरीक्षकों को रीजनल लेवल के केन्द्रों में जो कोटा व इन्दौर में हैं भेजा जाता है। इसके अलावा सहायक निरीक्षकों को जूनियर सहकारी प्रशिक्षणालय जो कि जोधपुर, जयपुर व भरतपुर में स्थिति हैं प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा मारकेटिंग व लैंड मोर्टगेज बैंकिंग आदि के प्रशिक्षण के लिए विभागीय अधिकारियों को पूना, मद्रास, मेरठ आदि स्थानों पर भेजा जाता है।

स्टोव बनाने के लिये कोटा

५०६. श्री रामकिशन (वैर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या भरतपुर में स्टोव बनाने के लिये किसी फर्म को तांबा व जस्ते का कोटा दिया गया है ? यदि हां, तो किस किस को कितना कितना और कब से ?

(२) क्या कोटा प्राप्त करने वाली किसी फर्म ने अपना उत्पादन दिखाया है ? यदि हां, तो कितना और इसकी बिक्री का क्या रेकार्ड है ?

उत्तर

(१) भरतपुर में स्टोव बनाने के लिये तांबा और जस्ता तो अभी तक किसी को नहीं मिला है।

बी० एम० मेटल इन्डस्ट्रीज, भरतपुर को स्टोव बनाने हेतु अक्टूबर, ६१ सितम्बर, मार्च, ६२ के पीरियड में सर्किल शीट ५ टन व अप्रेल –सितम्बर ६२ के पीरियड में ३.३० टन अलोट हुई है यह माल अभी तक आया नहीं है।

(२) मेसर्स बी० एम० मेटल इन्डस्ट्रीज, भरतपुर ने अक्टूबर, ६१ से हाथ से स्टोव बनाने का कार्य शुरू किया था, जनवरी १९६२ से मशीन द्वारा बनाना शुरू किया अब तक ५८० स्टोव तैयार हुये हैं जिनमें ५३० स्टोव अपूर्ण हैं और ५० स्टोव पूर्ण उत्पादित हुये हैं। ३५ स्टोव नमूने के तौर पर विभिन्न शहरों में बाजार की मांग बनाने हेतु भेजे गये हैं। स्टोव व उसके पार्ट्स के काफी ऑर्डर फर्म के पास हैं।

कोटा में काश्त की भूमि का आबादी में परिवर्तन

५०७. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कोटा नगरपरिषद् क्षेत्र में गत १५ वर्षों में कितनी काश्त की भूमि सरकार द्वारा आबादी भूमि में परिवर्तित की गई है व क्यों ?

उत्तर

कोटा नगर परिषद क्षेत्र में २६ बीघा ६ बिस्वा भूमि काश्त की सरकार द्वारा आबादी में परिवर्तित की गई है। यह भूमि मकान बनाने के लिये परिवर्तित की गई हैं।

फ्लोर मिल्स पर इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी

५०८. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल , जयपुर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जून सन् १९६२ से फ्लोर मिल्स पर इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी लागू की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि अक्टूबर सन् १९६२ में इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी वसूल नहीं किये जाने के आदेश जारी किये गये और कई स्थानों पर नवम्बर दिसम्बर की इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी वसूल नहीं की गई तथा कई स्थानों पर वसूल की गई। इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी भी रिफण्ड कर दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि सन् १९६२ में यह ड्यूटी फिर चालू की गई ?

(४) सरकारी आदेशों के इस रद्दोबदल के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं। जहां पर फ्लोर मिलों से ड्यूटी वसूल की गई उसके वापसी की कार्यवाही की जा रही हैं।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

गंगानहर क्षेत्र में काश्तकारों से मालकाने की रकम की दरें

५०९. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गंगानहर क्षेत्र में आमतौर से सरकारी भूमि के आरज़ी काश्तकारों से मालकाने की रकम छः मासी Non-perennial क्षेत्र में दो रुपया प्रति बीघा, बारह मासी क्षेत्र में चार रुपये प्रति बीघा तथा बैरानी क्षेत्र में एक रुपया प्रति बीघा लिया जाता है तथा लिया जाता रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि पक्की अलॉटमेंट के बाद तथा काश्तकार द्वारा प्रथम किश्त अदायगी के बाद यह रकम बारह मासी, बैरानी तथा छः मासी सभी प्रकार की भूमि पर

१।। रुपया प्रति बीघा मालकाना खरीददारी की शक्ल में एक रूप से लागू हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं। गंगानहर क्षेत्र में सरकारी भूमि के ग्रारजी काश्तकारों से मालकाने की रकम नहरी क्षेत्र में ४ रुपये प्रति बीघा व बारानी क्षेत्र में १ रुपया प्रति बीघा लिया जाता है। यह शरह राजस्थान कोलोनाइजेशन (Temporary cultivation lease), १९५६ की धारा ६ के अनुसार ली जाती है।

(२) जी हां पुख्ता अलॉटो से १।। प्रति बीघा राजस्थान कालोनाइजेशन (गंगकैनाल परमानेन्ट अलॉटमेंट) रूल्स, १९५६ के नियम ७ (४) (१) (III) के अनुसार लिया जाता है।

खमनोर में जनता द्वारा श्रमदान से निर्मित नहर

५१०. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या खमनोर पंचायत समिति में वागोला नामक ग्राम में मादड़ी बांध से पानी ले जाने के लिये कोई नहर श्रमदान से जनता ने बनाई है ?

(२) यदि हां, तो कितनी लम्बी तथा कुल कितने रुपयों का इस पर व्यय हुआ ? सरकारी सहायता इसमें कितनी रही ?

(३) क्या इस नहर को एक बार पानी भी दिया गया था ?

(४) क्या इस संबंधी कोई शिकायत भी मुख्य मन्त्रीजी के समक्ष प्रस्तुत की गई ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या आश्वासन दिया गया ?

(५) क्या सिंचाई विभाग की इस नहर से जनता को पानी देने की कोई योजना नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(६) क्या सरकार यह नहीं समझती है कि इस प्रकार श्रमदान करने पर भी जब जनता को पानी नहीं दिया जाता है तो भविष्य में श्रमदान नहीं होगा ?

(७) सरकार इस समस्या का क्या हल निकालना चाहती है तथा कब तक ?

उत्तर

१. जी हां।

२. अनुमानतः साढ़े चार पांच मील लम्बी बनाई गई है। व्यय की जानकारी सरकार को नहीं है व राज्य सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई।

३. जी हां।

४. जी हां। आवश्यक जांच करने का आश्वासन दिया गया था।

५. जी हां। क्योंकि (१) यह नहर बिना तकनीकी स्वीकृति के बनाई गई है (२) राज्य सरकार के द्वारा इसके निर्माण को रोकने पर भी बनाई गई है। (३) नहर इस प्रकार बनाई गई है कि जिसमें मौजूदा सैल्युस से पानी आसानी से नहीं पहुँच पाता और काफी पानी व्यर्थ चला जाता है। (४) इस० यर्थ के जाने वाले पानी से आसपास की जमीन को नुकसान पहुँचता है।

६. बिना तकनीकी स्वीकृति के अनुपयोगी श्रमदान करने की हालत में राज्य सरकार किसी प्रकार की सहायता देने में विवश है।

७. प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमेन्ट फैक्ट्री का लाइसेन्स

५११. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

क्या सरकार ने आबू में सीमेंट फैक्टरी लगाने के लाइसेंस के लिये किसी का नाम तजवीज करके भारत सरकार को भेजा है ? यदि हां, तो किसका ?

उत्तर

जी नहीं।

स्थागित प्रश्न

(२६—८—६३)

पंचायत समिति पीपलखूंट में सड़कें बनाने पर खर्चा

३०३. श्री बिट्ठल (बांसवाड़ा) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) जिला बांसवाड़ा, पंचायत समिति पीपलखूंट में सन् १६६० से १६६३ तक सड़कें बनाने के लिये कितनी रकम का प्रावधान था ?

(२) अब तक कितनी रकम सड़कों में खर्च हो चुकी है और कहां से कहां तक सड़कें बनी हैं ?

उत्तर

(१) कुल २२,०००) रु० का प्रावधान था।

(२) ६,८३६.२४ नये पैसे की रकम खर्च हो चुकी है। सड़क पीपलखूंट से पात्टी एक मील तक बनाई गई है।

परिशिष्ट ८

(कृपया प्रतारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर देखिए)

धोलपुर में उद्योगों को दिये जाने वाले कोटे की तालिका

क्रम संख्या	नाम उद्योग	किस वस्तु का कोटा दिया जाता है ।	किस काम के लिए दिया जाता है ।	कितना २ कोटा दिया जाता है ।	गत वर्ष में दिये गये कोटे का विवरण
१	मेसर्स राजस्थान आयरन एण्ड स्टील कोर्पोरेशन, धोलपुर ।	१ लोहा	रहट की बाल्टी बनाने हेतु	लोहे का कोई कोटा निश्चित नहीं है । जब भी माल आता है उचित जांच के बाद परमिट दिया जाता है ।	रु. ८,००० का इम्पोर्ट लाइसेन्स
		२ ज़िंक	बाल्टी पर कलई हेतु	प्रत्येक पीरियड में उचित जांच करके कोटा दिया जाता है ।	४,५० टन
२	मेसर्स-धोलपुर चैन मैन्युफैक्चरिंग	लोहे का तार	चैन बनाने के लिए	इसका कोई कोटा निश्चित नहीं हैं प्रत्येक पीरियड में उचित जांच करके कोटा दिया जाता है ।	रु. ६१५० का इम्पोर्ट लाइसेन्स

नोटः—इसके अतिरिक्त किसी फर्म को कोटा नहीं दिया गया हैं ।

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर देखिये)

राजस्थान सरकार द्वारा नमक बनाने हेतु निर्धारित की गई भूमि की तालिका
सन् १९६१-६२

क्रम संख्या	नाम पार्टी	नाम ग्राम	रकबा एकड़ों में	अलॉटमेंट दिनांक	विशेष विवरण
१	श्री शिवदानमल	कुचामन	१००	—	१० वर्ष
२	श्री बख्तावरलाल टोंक	,,	५०	—	,,
	सन् १९६२-६३				
१	श्री ब्रजमोहन पुत्र शिवप्रसाद बेनरा	कुचामन सिटी	३०	१९-५-६२	लोन का समय केवल १ वर्ष परन्तु वर्ष बाद रिजर्व किया जा सकता है।
२	श्री गौरीशंकर पुत्र सीताराम	मेगरा	३०	,,	,,
३	श्री छोटूराम पुत्र सूंडाराम	,,	३०	,,	,,
४	श्री रामदेव लड्ढा पुत्र छगनलाल	,,	३०	,,	,,
५	श्री हनुमानप्रसाद पुत्र चौथमल	,,	३०	,,	,,
६	श्री मोहम्मद हनीफ पुत्र साबुदीन	,,	३०	,,	,,
७	श्री रामगोपाल पुत्र श्री किशन	,,	३०	,,	,,
८	श्री जमनालाल पुत्र चुन्नीलाल	,,	३०	,,	,,
९	श्री किशनलाल पुत्र हेमराज	,,	३०	,,	,,
१०	श्री ईसरलाल पुत्र टेकमल	,,	३०	,,	,,
११	श्री मदनलाल पुत्र जोरावरमल	,,	३०	,,	,,
१२	श्री रामदेव पुत्र सुवालाल	,,	३०	,,	,,

१३ श्री फूलमल पुत्र टेटमल	,,	३०	,,	,,
१४ श्री सोहनलाल पुत्र रामेश्वरलाल	,,	३०	,,	,,
१५ श्री रामकरण पुत्र लक्ष्मीनारायण	,,	३०	,,	,,
१६ श्री रामपाल शर्मा पुत्र ,,	,,	३०	,,	,,
१७ श्री सहकारी समिति श्री मनोहर लाल चोधरी	कुचामन रोड नावा	४०	,,	,,
१८ श्री सहकारी समिति हरिनाम उत्पादन	कुचामन	४०	,,	,,
१९ श्री सहकारी समिति रामप्रसाद ग्रुप लीडर	,,	५०	,,	,,
२० ग्राम सहकारी समिति पेलाड़ा	,,	५०	,,	,,
२१ भूतपूर्व जागीरदार ग्रुप लीडर				
श्री रामसिंह मंडावरा	,,	५०	,,	,,
२२ श्री मेडूमल काश्त ग्रुप लीडर				
श्री प्रकाशचन्द शर्मा	,,	५०	,,	,,
२३ श्री लाडा देवी	,,	२०	,,	,,
२४ श्री भंवरलाल पुत्र श्री गोरधनलाल				
श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र	कुचामन सिटी	१० करीब	२८-६-६२	,,
श्री रामगोपाल शर्मा				
२५ श्री गिरधारीलाल पुत्र चौथेराम	,,	८	,,	,,
२६ श्री पी० के० चौधरी, जयपुर	सरगोट सारडा	५०	१२-६-६२	कोई समय निर्धारित नहीं परन्तु कानून लागू होने पर ये समय लागू होगा।
२७ श्री प्रहलादचन्द अग्रवाल एण्ड को०	सामर लेक	५०	,,	,,

२८	श्री मेसर्स भीमराज बालिस्ट ब्यावर	सुजानगढ़	७५	१२-१०-६२	,,
२६	श्री जौहरीमल	,,	६६	,,	,,
३०	श्री मेसर्स भैरूंदान कुंडालिया	सुजानगढ़	८०	,,	,,
३१	श्री रामचन्द्र चोधरी	,,	७०	८-१२-६२	,,
३२	श्री जसराज सोगानी	,,	८१	,,	,,
३३	श्री सोहनलाल सागी	,,	७६	,,	,,

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक ५ सितम्बर, १६६३)

स्कम्भ सं.	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	१२	(लूणकरणसर)	(लूणकरणसर)
४	४, ७	इजजात	इजाजत
७	६	कें	करें
६	१४	५ वर्ष	२५ वर्ष
११	अन्तिम से ७	लागु	लागू
१५	अन्तिम से ५	Provi ion	provision
,,	,, ,, ३	Stared	Started
१६	४	Ori inally	Originally
,,	५	anticipaed	anticipated
,,	६	h s	has
,,	१३	lroduction	Production
,,	१४	hese	these
,,	१६	inf rmation	information
,,	२३	giv n	given
,,	२४	Colums	Columns
,,	२६	wa er	water
,,	३०	follo ing	following
,,	३१	Capac ty.	Capacity
,,	३३	relati g	relating

२

१	२	३	४
१७	४	orks	works
,,	५	upply	supply
,,	६	I dustrial	Industrial
,,	६	tahen	taken
,,	११	l nked	linked
,,	१६	ponsors	sponsors
२२	१८	खन्न	खनन
२३	१	में में	में
२४	शीर्षक	तारांकत प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
२६	१८	बाताना	बताना
३१	३	उसने	उसमें
,,	अन्तिम से ७	स्की मैं	स्कीमें
३२	अन्तिम से ८	(बेर)	(वैर)
३३	अन्तिम से ६	माफस	मार्फत
३४	,, ,, ६	pst-graduate	post-graduate
३८	६, १०	चिट्ठयां	चिट्ठियां
३६	७	उच्चतर	उच्चत्तर
४०	२	उच्चतर	उच्चत्तर
४३	१	संव	संवत्
,,	१३	यया	दिया
४५	२१	श्री तेजाराम गहलात	श्री तेजाराम गहलोत
४६	७	नामुक्ममिल	नामुकम्मिल

१	२	३	४
४६	१४	सक	सकते
४८	अन्तिम से २	girl	girls
४६	८	eucy	ency
५२	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
५५	१५	(कोलापत)	(कोलायत)
६३	अन्तिम	संवंध	सम्बन्ध
६४	अन्तिम से ८	(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)	(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
६७	शीर्षक	-१२ सितम्बर	-५ सितम्बर
६६ से ७६	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर -५ सितम्बर, ६३- तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर-५ सितम्बर, ६३- अतारांकित प्रश्नोत्तर
६६	१३ व १७	क्षेत्र मैं	क्षेत्र में
७१	१	जमोन	जमीन
८०	५	Iaipur	Jaipur
८१	शीर्षक	-५ सितबर	-५ सितम्बर
८५	अन्तिम से ८-७	m s-handlin	mis-handling
८७	१	मवेशो	मवेशी
९३	शीर्षक	मांग्र	मांग
९७	१८	सस्ना	सस्ता
,,	अन्तिम से २	सहुलियत	सहूलियत
१०१ से १०३	शीर्षक	अनुपम	अनुपूरक
१०२	१४	जिले	जिले
१०४	१६, २०	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, (सभापति पदासोन) : इस तरह की	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन) इस तरह की

१	२	३	४
१०७	२०	दूटे	टूटे
१११	शीर्षक	१२ सितम्बर,	५ सितम्बर,
,,	शीर्ष	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
,,	अन्तिम से ३	मुख्न	मुख्य
,,	अन्तिम	कान्सो	कन्सो
११२	अन्तिम से ३	करुंगा	करूंगा
११३	अन्तिम से ७	स्थति	स्थिति
११७	शीर्षक	अनुपम	अनुपूरक
११८	२५	जारूक	जागरूक
१२०	अन्तिम	S r ?	Sir ?
१२४	शीर्षक	दभिक्ष	दुर्भिक्ष
१२६	शीर्षक	दुर्भिक्ष	दुर्भिक्ष
,,	४	श्री योगेन्द्रसिंह हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
,,	२१	डुभाग्यशाली	दुर्भाग्यशाली
१२७	अन्तिम से ५	की	को
१२८	२३	पहुंवा	पहुंचा
,,	२४	मै	मैं
१३०	१६	मोहदय	महोदय
१३२	अन्तिम से ३	मवेशियम	मवेशियान
१३३	१३	डम्मीद	उम्मीद
१४१ से १४३ तक	शीर्ष	(श्री चन्द्रसिंह बर्का	(श्री चन्द्रसिंह बर्फा)
१४३	२१	इन्हें	इन्हीं

१	२	३	४
१४६	४	घ।स	घास
,,	८	वट	कट
१४८	अन्तिम से ७	पंतों	पत्तों
१५०	११	पचभद्रा	पचपद्रा
,,	२३	एडमिनिस्ट्रशन	एडमिनिस्ट्रेशन
,,	अन्तिम से २	कलक्टर	कलेक्टर
१५१	२३	,,	,,
१५३	१५ व २१	पचभद्रा	पचपद्रा
१५७	शीर्षक	–५ सतम्बर	–५ सितम्बर
१६१	२१	माइग्रेशम	माइग्रेशन
१६२	१५	लिखाने	खिलौने
,,	२७	बर	बर–
१७३	शीर्षक	–१२ सितम्बर	–५ सितम्बर
१७४	अन्तिम से ६	परिस्थिति	परिस्थितियां
१७५	अन्तिम से ७	श्री कृष्णाकुमार गोयल	श्री कृष्णकुमार गोयल
१७६	१३	एवर्सिडटी	एबर्सडिटी
१७७	शीर्षक	–५सितम्बर	–५ सितम्बर
,,	अन्तिम	लंगे	लेंगे
१७८	अन्तिम से ५	मेव पर	मेज पर
१७९	,, ,, २	श्री रूधनाथ विश्नोई रूघ (विराम) श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत ।	श्री रघुनाथ बिश्नोई । (विराम) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत ।
१८०	अन्तिम से ३	–शिक्षा	–दुर्भिक्ष

१	२	३	४
१८१	शीर्षक	अनुपूरक मांग ५-सितम्बर, ६३-संख्या ५२-दुर्भिक्ष	अनुपूरक मांग-५ सितम्बर, ६३-संख्या ५०, सामान्य प्रशासन
,,	४	जादे	जावें
,,	१७	ग्रस्ताव	प्रस्ताव
,,	अन्तिम से ३	श्री दुर्गालाल बाडदार	श्री दुर्गालाल बाढ़दार
१८२	अन्तिम से ७	श्रमती	श्रीमती
१८३	७	द्वारा	द्वारा
,,	११	ड्यूज	ड्यूज
१८४	५	(पुरास्थापन, विचा-रविमर्श	(पुरः स्थापन, विचार-विमर्श
१८५	१८	ब्यय	व्यय
,,	२२	प्रस्ताय	प्रस्ताव
१८७	२	वास्तव	वास्तव
,,	२४	aflegations	allegations
१८६	१४	श्री विजयसिह झाला	श्री विजयसिंह झाला
१६१	शीर्षक	-५ सितम्बर	-५ सितम्बर
१६२	अन्तिम से २	ग्रौर	ग्रोर
१६३	१६	ग्रौर	ग्रोर
१६५	शीर्ष	श्री योगेन्द्रगाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
,,	१२	(बेर)	(वैर)
१६८ से २००	शीर्षक	आपकारी	आबकारी
२०१	शीषि	(श्री ज्यालापसाद शर्मा)	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
,,	अन्तिम से ३	f others	of others

स्कम्भ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्धि	शुद्धि
२०२	१३	वानिंग	वार्निंग
२०३	१०	किल्लाना	चिल्लाना
२०४	१८	प्रोहिबिशन	प्रोहिबिशन
२१०	अन्तिम से ७	श्री मार्मसिंह महार	श्री मानसिंह महार
२१३	शीर्षक	अनुदाक	अनुदान
२१४	अन्तिम से ६	खून	खूब
२१६	शीर्षक	अअदान की भांग	अनुदान की मांग
२२३	शीर्षक	भांग	मांग
२३०	१५	लाइयेन्स	लाइसेन्स
२३२	अन्तिम से १०	श्री बालकष्ण कौल	श्री बालकृष्ण कौल
,,	,, ,, ४	,, ,, ,,	,, ,, ,,
२३६	शीर्षक	आवकारी	आबकारी
२३७	शीर्षक	–५ सितर, ६३–पर मुख बन्ध	–५ सितम्बर, ६३– पर मुख-बन्ध
,,	५	मुख बन्द	मुख-बन्ध
२३९	शीर्षक	मांग –५ सितम्बर, ६३, १०६–जन स्वास्थ्य सूधार	मांगों –५ सितम्बर, ६३– पर मुख-बन्ध
२४०	११	(पुरः स्थापुन,	(पुरः स्थापन,
२४१	शीर्षक	६३–संख्या ५ विधेयक	६३– (संख्या ५) विधेयक
२४३	१	बिवरण	विवरण
,,	४	तिारांकित	तारांकित
२४५	१८	प्रधिनियय	अधिनियम
२४७	१३	अग्रिभ	अग्रिम
,,	२२	को मांगों	की मांग

१	२	३	४
२५१	अन्तिम से ३ कॉलम नं. ३	Etate	Estate
२५६	अन्तिम	Secretery	Secretary
२६७	कालम न. १ में अन्तिम से २	वैक	बैंक
,,	कालम न. २ में अन्तिम से ५	वैंक्स	बैंक्स
२६८	अन्तिम से ३	बैंक	बैंक
२७०	कालम न. २ में अन्तिम से २-३	समितियों	समितियों
२७२	५	अर्वन	अर्बन
२७५	२०	(रायनिंहनगर)	(रायसिंहनगर)
२७६	११	जतना	जनता
२७७	६	इस० यर्थ	इस व्यर्थ
२७६	५	दिये गये कोठे	दिये गये कोटे
२८१	७	चोधरी	चौधरी
,,	१३	जागीरदार	जागीरदार
२८२	४	चोधरी	चौधरी